अष्टम माला, खंड 10, अंक 9

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1985
8 अग्रहायण, 1907 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
( आठवीं लोक सभा )

( खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

# विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 10, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 9, शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1985/8 अग्रहायण, 1907 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : ... ... ... ... | | 1—20 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : | 161, 166, 170, 172, 174, 176 और 179 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : ... ... ... ... ... | | 20—209 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : | 162, 164, 165, 167 से 169, 171, 173, 175, 177, 178 और 180 | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : | 1709 से 1724, 1726 से 1747, 1749 से 1856, 1858 से 1902 और 1904 से 1940 | |
| सभा-पटल पर रखे गए पत्र ... ... ... ... | | 209--213 |
| प्राक्कलन समिति ... ... ... ... | | 213 |
| सोलहवां प्रतिवेदन | | |


* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

लाहौर पाकिस्तान, में कुछ कनाडावासी सिखों द्वारा दो भारतीय राजनयिकों पर किये गये हमले के बारे में वक्तव्य

श्री के० आर० नारायण ... ... ... ... 214

सभा का कार्य ... ... ... ... ... ... 215—220

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ... ... ... ... ... ... 220—228

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ... ... ... ... 220
प्रो० एन० जी० रंगा ... ... ... ... 227

डाक कर्मकार (सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक ... ... 228—245

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री टी० अंजैया ... ... ... ... 229
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी ... ... ... ... 230
श्री के० वी० थामस ... ... ... ... 234
श्री आर० जीवरत्नम ... ... ... ... 236
श्री अजय विश्वास ... ... ... ... 237
श्री शान्ति धारीवाल ... ... ... ... 238
श्री के० एस० राव ... ... ... ... 339
श्री आर० अण्णानम्बी ... ... ... ... 241
श्री शांता राम नायक ... ... ... ... 243

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... ... 245

सातवां प्रतिवेदन 245—289

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प ... ... ... ...

श्री मूल चन्द डागा ... ... ... 246
श्री शान्ति धारीवाल ... ... ... ... 251
श्री अब्दुल रशीद काबुली ... ... ... ... 252
श्री राम प्यारे पनिका ... ... ... ... 265
श्री जुझार सिंह ... ... ... ... 268

पृष्ठ

| | | |
|---|---|---|
| | प्रो० पी० जे० कुरियन ... ... ... ... | 271 |
| | श्री मधुसूदन वैराले ... ... ... ... | 275 |
| | श्री के० एस० राव ... ... ... ... | 278 |
| | श्री राम श्रेष्ठ खिरहर ... ... ... ... | 280 |
| | श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ... ... ... | 281 |
| | श्री मानवेन्द्र सिंह ... ... ... ... | 283 |
| | श्री कमोदी लाल जाटव ... ... ... ... | 285 |
| | श्री तिलकधारी सिंह ... ... ... ... | 286 |
| | श्री धर्मपाल सिंह मलिक ... ... ... ... | 287 |
| **आधे घंटे की चर्चा** ... ... ... ... ... ... | | 289—302 |
| | प्रति व्यक्ति आय | |
| | श्री मूल चन्द डागा ... ... ... ... | 289 |
| | श्री ए० के० पंजा ... ... ... ... | 296 |
| | श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... ... ... ... | 299 |
| | श्री एस० जी० घोलप ... ... ... ... | 300 |

# लोक सभा

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1985/8 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आज माधव जी, अकेले कैसे बैठे हो ?

**श्री सी० माधव रेड्डी** (आदिलाबाद) : आज तो लगता है कि दिनभर बैठना पड़ेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा लगता है। नौकर हैं आपके, जो मर्जी कराओ आप।

हमारे यहां बागड़ी में एक कहावत है—

जिसकी खानी बाजरी
उसकी बजानी हाजरी

आपकी बाजरी खाते हैं, आपकी हाजरी बजाते हैं।

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

### आयातित सिक्कों का परिचालन

*161. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में निर्मित भारतीय मुद्रा के कुल कितने सिक्के 1 अक्तूबर, 1985 से भारत में परिचालन के लिए जारी किये गये हैं;

(ख) क्या विदेशों में सिक्कों का निर्माण कराने से उनकी लागत कम आई है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) एक रुपए के 10,000 लाख अदद सिक्कों, 50 पैसे के 7500 लाख अदद सिक्कों और 25 पैसे के 2500 लाख अदद सिक्कों के आयात के लिए आर्डर दिए गए हैं। अब तक एक रुपए के 2238.8 लाख अदद सिक्के और 50 पैसे के 1105.0 लाख अदद सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से, एक रुपए के 1343.2 लाख अदद सिक्के और 50 पैसे के 371.0 लाख अदद सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने काउन्टरों के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं/छोटे सिक्कों के डिपुओं और करेंसी चैस्टों को भेजे जा चुके हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रति अदद लागत में लाभ, एक रुपए के सिक्के के लिए 16 पैसे, 0 पैसे के सिक्के के लिए 13.5 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के लिए 1 0 पैसे हैं।

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : पहले बम्बई टकसाल भी विदेशी सिक्कों का निर्माण करती थी। 1982-83 तथा 1983-84 में सी० एण्ड ए० जी० ने बम्बई तथा हैदराबाद स्थित टकसालों के कार्य-कलापों की समीक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि ये दो टकसालें क्यों अपनी क्षमता का उपयोग करने में असफल रही हैं। क्या भारत सरकार ने इन टकसालों तथा भारत की अन्य टकसालों के कार्यकलापों की भी समीक्षा की है ? क्या उन्हें आधुनिकतम बनाने तथा यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास किया गया है कि ये टकसालें अपनी मूल क्षमता तथा कौशल प्राप्त करके न सिर्फ भारत सरकार की आवश्यकता को पूरा कर सकें बल्कि विदेशों से फिर से सिक्के बनाने के आर्डर भी प्राप्त करें ?

**श्री जनार्दन पुजारी** : भारत सरकार ने टकसालों के कार्य की समीक्षा की है। उनकी क्षमता के सम्बन्ध में, 1982-83 में केवल 6600 लाख अदद सिक्कों का उत्पादन होता था। गत वर्ष में टकसालें 13550 लाख अदद से अधिक सिक्कों का निर्माण कर सकीं। इस वर्ष का लक्ष्य 20000 लाख अदद सिक्कों के निर्माण करने का है। 24.11.85 को मैंने इन लोगों के साथ एक और बैठक की थी। इन 20000 लाख अदद सिक्कों के अतिरिक्त मैने उन्हें चार माह के अल्प समय में 2100 लाख अदद सिक्के और निर्माण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इतना ही नहीं हमने घंटों की संख्या 54 से बढ़ाकर 60 कर दी है। प्रोत्साहन सम्बन्धी योजनाएं भी शुरू की गई हैं और इन सब बातों के परिणामस्वरूप हम अधिकतम क्षमता तक पहुंच गये हैं। अतः यह कार्य निष्पादन है। और केवल इतना ही नहीं प्रत्येक सप्ताह हम इन टकसालों के कार्य निष्पादन पर गौर कर रहे हैं। मैं स्वयं प्रति-दिन निगरानी रख रहा हूं और वित्त मन्त्री भी इन टकसालों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रख रहे हैं।

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : उत्तर में यह कहा गया है कि एक रुपए के 10000 लाख अदद सिक्कों

के लिए विदेशी टकसालों को आर्डर दिया गया है और 2238.80 लाख अदद सिक्कों की सप्लाई की जा चुकी है और इसमें से केवल कुछ ही जारी किये गये हैं। क्या मन्त्री महोदय हमें कृपया बतायेंगे कि जहां तक एक रुपए का प्रश्न है, क्या हमारे लिए कागज की मुद्रा छापना संभव नहीं है और एक रुपए के 10000 लाख सिक्कों का आयात करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? क्या माननीय मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जो सिक्के रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त किये जा चुके हैं उन सबको जारी क्यों नहीं किया गया है ?

**श्री जनार्दन पुजारी** : जहां तक सिक्कों का सम्बन्ध है चालू वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मांग 32000 लाख अदद सिक्कों की है और उत्पादन, जैसा कि मैंने बताया है, 22100 लाख अदद सिक्के होगी। इसके अतिरिक्त हम 15000 लाख अदद सिक्कों का आयात मार्च, 1986 तक करने जा रहे हैं। अत: तब तक 32000 लाख अदद सिक्कों की मांग की तुलना में 37100 लाख अदद सिक्के उपलब्ध हो जायेंगे। माननीय सदस्य द्वारा जो बात उठाई गई है कि हम कागज की और अधिक मुद्रा क्यों नहीं छाप सकते ! हमने सिक्कों के उत्पादन का निर्णय किया है क्योंकि कागज के नोट लगभग 6 से 7 माह तक ही चल सकते हैं जबकि सिक्के 20 वर्ष से अधिक समय तक चल सकते हैं। दूसरे, हमें प्रेस की क्षमता को भी देखना पड़ता है। प्रेस की क्षमता 5000 लाख अदद नोट छापने की है। अत: मांग को पूरा करना संभव नहीं है। हम यह स्वीकार करते हैं कि मांग और पूर्ति में अन्तर है। इसलिए मांग को पूरा करने के लिए हम एक रुपए के 10000 लाख अदद सिक्कों का आयात कर रहे हैं। वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है कि एक रुपए के 2238.80 लाख अदद सिक्कों में से नवीनतम स्थिति के मुताबिक लगभग 1390 लाख अदद सिक्कों का वितरण किया जा चुका है। 50 पैसे के 387.82 लाख अदद सिक्कों का भी वितरण हो चुका है। कुछ कठिनाइयां हैं। पहली बात यह है कि जैसे ही पत्तन पर माल पहुंचता है उसे तुरन्त ही भारतीय रिजर्व बैंक के 15 निर्गम केन्द्रों को भेजना पड़ता है और उसके बाद वहां से उसे सिक्का डिपुओं को वितरित करना होता है।

[हिन्दी]

**श्री एम० एल० झिकराम** : महोदय, क्या मन्त्री जी यह बतलाएंगे कि ये सिक्के किस धातु के बनाए गए हैं और इसमें चांदी का कितना अनुपात है ?

**अध्यक्ष महोदय** : चांदी का कितना अनुपात है ?

**श्री एम० एल० झिकराम** : जी, हां।

**अध्यक्ष महोदय** : चांदी से सच्चा खास प्रेम लगता है आपको।

[अनुवाद]

**श्री जनार्दन पुजारी** : उनमें चांदी बिल्कुल भी नहीं है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** तलाश करने पर भी चांदी नहीं मिलेगी आपको।

**श्री एम० एल० झिकराम :** किस धातु के बनाए गए हैं, यह नहीं बताया गया।···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें अब और कुछ पूछने के लिए नहीं है।

[अनुवाद]

बस करिये। इस प्रश्न में अब और कुछ पूछने के लिए नहीं है।

**एक माननीय सदस्य :** महोदय, इन सिक्कों के आयात में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह उन्होंने पहले ही बता दिया है। प्रति रुपए पर लगभग 16 पैसे का लागत में लाभ है।

**एक माननीय सदस्य :** महोदय, कुल धनराशि कितनी है ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप हिसाब लगा सकते हैं। मैं उन्हें "कैलकुलेटर" नहीं बना सकता। बस। इस प्रश्न पर अब और कुछ पूछने के लिए नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री बालकवि बैरागी :** अध्यक्ष महोदय, राजा साहब से एक-एक कैलकुलेटर सबको दिलवा दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय :** क्यों दिलवा दीजिए, कारण बताइए। क्या राजा साहब ने फैक्ट्री लगा रखी है कैलकुलेटर्स की ?

[अनुवाद]

**वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :** वह लगभग 64.96 करोड़ रुपये होगा।

**केरल में कोवलम पर्यटक केन्द्र और ठेकड़ी वन्य पशु अभ्यारण्य का विकास**

*166. **श्री टी० बशीर†**
**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** } : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोवलम पर्यटक केन्द्र और ठेकड़ी वन्य पशु अभ्यारण के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) :** (क) और (ख) कोवलम पहले से ही देश का एक मुख्य पर्यटक केन्द्र है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1970 में, 221.58 लाख रु० की कुल लागत से कोवलम को एक समुद्र-तट विहार-स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारम्भ किया। यहां पहले से ही, कई वर्षों से, भारत पर्यटन विकास निगम का एक 5-सितारा होटल है। कोवलम में भारत पर्यटन विकास निगम की एक परिवहन यूनिट और कोवलम पैलेस होटल भी है। इसके अलावा केरल राज्य सरकार भी कोवलम तट पर एक अच्छे होटल का अनुरक्षण करती है। राज्य सरकार के पास विभिन्न जीवन रक्षक उपाय शुरू करने तथा और अधिक जल-क्रीड़ा सुविधाएं आरम्भ करने के लिए समुद्र-तटों को साफ करने की योजनाएं भी हैं।

थेकड़ी के विकास के लिए, राज्य सरकार के पास पर्यटकों द्वारा पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं को नजदीक से देख सकने के लिए कुछ दृश्य-टावरों के निर्माण का एक प्रस्ताव है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास थेकड़ी और तमिलनाडु सीमा क्षेत्र में मंगलादेवी मंदिर को मिलाते हुए एक ट्रेकिंग रूट तथा थेकड़ी झील में और अधिक नौकायन सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

**श्री टी० बशीर :** माननीय मन्त्री ने भी अपने उत्तर में कहा है कि कोवलम अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्र-तट विहार स्थल है। 1983-84 में कोवलम आई० टी० डी० सी० होटल ने 1.35 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है तथा 1984-85 में इसने 3.62 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है और 1985-86 में अनुमानित लाभ 8.3 लाख रुपये है। जबकि बहुत से आई० टी० डी० सी० के होटल घाटे में चल रहे हैं परन्तु कोवलम स्थित आई० टी० डी० सी० का होटल लाभ में चल रहा है। इस तथ्य के बावजूद इस पर्यटन स्थल के प्रति समुचित ध्यान नहीं दिया गया है तथा इसके नवीकरण की आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ अवश्य ध्यान दे।

माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा है कि आई० टी० डी० सी० का कोवलम में एक परिवहन एकक तथा कोवलम पैलेस होटल है। परन्तु 31 जुलाई, 1985 को मुझे मन्त्री महोदय से उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि आई० टी० डी० सी० प्रबन्धकों ने कोवलम में अशोक ट्रैवल एण्ड टुअर एकक को बन्द करने का निर्णय ले लिया है और आई० टी० डी०सी० द्वारा इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस एकक में कुल नौ कर्मचारी हैं। जब एकक बन्द हो जाएगा तो कर्मचारियों को क्षेत्र के अन्य परिवहन एककों में स्थानांतरित कर दिया जायेगा। मेरी जानकारी के अनुसार एकक पहले ही बन्द हो चुका है परन्तु यहां कहा गया है कि वहां पर एकक है। यह बहुत ही गुमराहकारी बात है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति क्या है। मेरी जानकारी यह है कि यह एकक बन्द हो गया है और अगर यह बन्द हो गया है तो मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इसको पुनः खोलने के लिए कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाये कि यह ठीक प्रकार से कार्य करे।

**श्री एच०के०एल०भगत** : मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोवलम विदेशी पर्यटकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है। यह अच्छी बात है कि कोवलम स्थित होटल कुछ लाभ कमा रहा है परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि आई० टी० डी० सी० के सभी होटल घाटे में चल रहे हैं और केवल यही होटल है जो लाभ कमा रहा है। निस्सन्देह यह अब कुछ लाभ कमा रहा है। हालांकि इसमें पहले कुछ घाटा था।

दूसरी बात, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया यह है कि मरम्मत तथा नवीकरण पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आई० टी० डी० सी० से अवश्य ही इस मामले पर गौर करने के लिए कहूंगा और जो भी नवीकरण एवम् मरम्मत जरूरत होगी उस पर ध्यान दिया जाएगा।

जहां तक परिवहन एकक का संबंध है, यह ठीक है कि आई० टी० डी० सी० ने एकक को बन्द करने का फैसला इसलिए कर लिया है क्योंकि आई० टी० डी० सी० ने अपनी गाड़ियां वापस लेने का फैसला कर लिया है क्योंकि वह एकक बहुत ही घाटे में चल रहा था। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार और उनकी गाड़ियों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा थी। यह भी फैसला किया गया है कि सभी कर्मचारियों को अन्य एककों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ताकि किसी भी कर्मचारी की नौकरी न जाये। राज्य सरकार के साथ व्यवस्था कर ली गई है ताकि गाड़ियां, आदि तैयार रहें। इस तरह से आई० टी० डी० सी० राज्य सरकार की मदद से पर्यटकों की परिवहन समस्याओं का निश्चित तौर पर ध्यान रखेगा। यही परिवर्तन है।

**श्री टी० बशीर** : हर स्थान पर, दिल्ली में भी, परिवहन एकक घाटे में चल रहे हैं। अतः यह अनुभव सिर्फ केरल में नहीं हुआ है। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है : कोवलम के निकट एक पर्वतीय विहार स्थल है जो पोनमुडी (स्वर्ण शिखर) में वहां से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। अगर आप कोवलम से पोनमुडी की यात्रा करें तो वह एक घंटे भी की जा सकती है। अगर आप सड़क मार्ग से एक घंटे की यात्रा करें तो आप समुद्र-तट विहार से एक पर्वतीय विहार स्थल पर पहुंच जाएंगे। ऐसी सुविधा तथा प्राकृतिक संसाधन देश में बहुत कम ही मिलते हैं। अतः अगर आप कोवलम के साथ पोनमुडी का भी विकास करें तो वह मन्त्री महोदय के लिए एक बहुत ही सुन्दर विचार होगा। मैं उन्हें बहुत ही दुर्लभ जानकारी तथा उनके विचार के लिए एक बहुत ही सुन्दर विचार दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री बहुत ही विचारशील हैं और इसको पालन कराने में भी विश्वास रखते हैं। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह दोनों, पोनमुडी और कोवलम के विकास के लिए कदम उठाएंगे तथा इन दोनों पर्यटन स्थलों को जोड़ेंगे और इस प्रस्ताव को कम से कम सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करेंगे? मन्त्री महोदय के लिए यह एक बहुत ही सुन्दर विचार है।

**श्री एच० के० एल० भगत** : कल्पना शक्ति प्रदान करने और यह जानकारी मुझे देने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। मैं वास्तव में उनका बहुत आभारी हूं। मैं उनको सिर्फ इतना सुझाव दूंगा कि वह यह विचार राज्य सरकार को दें। अब सातवीं योजना की नीति में हम चाहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो। हम चाहते हैं कि समुद्र-तट क्षेत्रों का विकास हो, निश्चित ही हम सांस्कृतिक पर्यटन के विकास पर बल देते रहेंगे। परन्तु रमणीक स्थानों तथा अन्य विश्राम स्थलों पर भी अधिक

ध्यान दिया जाएगा। विचार अच्छा है। मैं इसे इसलिए अच्छा समझता हूं क्योंकि एक ज्ञानवान सदस्य ऐसा कह रहा है। और मैं आशा करता हूं कि वह यह जानकारी राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे। उन्होंने पहले ही कोवलम में तथा केरल के कुछ अन्य स्थानों में जल संसाधनों का और विकास करने संबंधी कुछ प्रस्ताव विचारार्थ हमारे सामने रखे हुए हैं। केरल निश्चित ही देश के सुन्दरतम राज्यों में से एक है। निश्चित ही केन्द्रीय कोष राज्य कोष तथा गैर-सरकारी कोष से पर्यटन का काफी विकास किया जा सकता है। अगर वह यह सुझाव राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे और राज्य सरकार से हमें प्रस्ताव प्राप्त होगा तो केन्द्रीय सरकार निश्चित ही उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। जहां तक ऐसे अन्य परिवहन केन्द्रों का प्रश्न है जो कि घाटे में चल रहे हैं, प्रत्येक जगह जहां हम आवश्यक समझेंगे, युक्तिसंगत व्यवस्था करने की बात सोच रहे हैं।

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि वनों की कटाई तथा गैर कानूनी शिकार की वजह से ठेकड़ी वन्य पशु अभ्यारण्य में कुछ खास किस्म के पशुओं की जाति समाप्तप्राय: हो रही है? क्या मन्त्री महोदय केरल सरकार को यह रोकने के लिए अनुदेश देंगे?

**श्री एच० के० एल० भगत** : मैं निश्चित तौर पर माननीय सदस्य से सहमत हूं कि पशुओं की जातियों को बचाया जाना चाहिए तथा वनों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। यह राज्य सरकार का ही कार्य है। मैं अवश्य ही राज्य सरकार को सभी सम्भव कदम उठाने के लिए कहूंगा। जब मैं हाल ही में केरल गया था तो मुख्य मन्त्री ने मुझे बताया था कि वह सभी सम्भव कदम उठा रहे हैं।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ठेकड़ी मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ता है।

**श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : केरल में सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र में पानी भरा रहता है। वहां ऐसी अनेक नदियां हैं जिनका जल एकदम स्वच्छ है। उनमें डल झील जैसा प्रदूषण नहीं है। क्या सरकार हाउस बोट चलाने तथा केरल के जल क्रीडा वाले स्थानों को पर्यटन केन्द्रों से जोड़ने के लिए कदम उठाएगी?

**श्री एच० के० एल० भगत** : महोदय, केरल में जल क्रीडा को प्रोत्साहित करने में हमारी बहुत अधिक रुचि है, और वास्तव में राज्य सरकार ने ठेकडी, विवलोन, कुमारकाम और कोचीन में नौकायन की सुविधा प्रदान करने के लिए कुल 54 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भेजा है और हमने उन्हें ब्यौरा भेजने को कहा है। इसी प्रकार, अन्य प्रस्ताव भी हैं। केरल में जल क्रीड़ा को प्रोत्साहित करने के प्रति हमारी गहरी रुचि है। अपनी वित्तीय उपलब्धता के अनुरूप हम उन्हें सर्वोत्तम ढंग से विकसित करना चाहते हैं। हम उन्हें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना चाहते हैं। किंतु मुझे आशा है कि हमारे समक्ष जो प्रस्ताव हैं वे निश्चित रूप से विचाराधीन हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न—श्री मोहन भाई पटेल।

**प्रो० पी० जे० कुरियन :** महोदय, थेकडी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। अन्य सदस्यगण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न में और क्या पूछना बाकी रह गया है।

**प्रो० पी० जे० कुरियन :** महोदय, चूंकि यहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र है; इसलिए आपको मुझे एक पूछने की अनुमति देनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है।

**श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** कोवालम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। **(व्यवधान)**

**प्रो०पी०जे० कुरियन :** महोदय, केरल में कोवालम, थेकडी और अन्य कई स्थान पर्यटन स्थल हैं, किन्तु इनका रख-रखाव केवल इस आधार पर किया जा रहा है कि मानो हम विदेशी पर्यटकों को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। महोदय, देश के पर्यटकों के लिए क्या किया जा रहा है? थेकडी मेरे निर्वाचन में है और जब प्रधान मन्त्री ने वहां का दौरा किया था; तब मैं वहां गया था। वहां भारतीय पर्यटन विकास निगम का एक होटल है। मैं एक रात वहां ठहरना चाहता था। आपको पता होना चाहिए कि मैं वहां गया था और मैंने वहां लिए जाने वाले शुल्क के बारे में सुना। इसलिए मुझे सस्ते होटल में जाना पड़ा। मैं अपने आधे महीने का वेतन दे करके ही वहां एक दिन ठहर सकता हूं। इसलिए, कौन सा भारतीय वहां ठहर सकता है? थेकडी जैसे स्थान में देशी पर्यटकों के ठहरने के लिए कोई सुविधा नहीं है, मैं चाहता हूं कि अपने देश के लोग थेकडी जाएं और वहां के सौन्दर्य का अवलोकन करें। वे नौका विहार भी करें। इसलिए क्या माननीय मन्त्री महोदय इन सभी पर्यटन केन्द्रों में जनता होटल आरम्भ करने के लिए कदम उठाएंगे जिससे कि जनसाधारण वहां के शुल्क अदा कर सकें और वहां ठहर सकें।

**श्री एच० के० एल० भगत :** महोदय, माननीय, सदस्य ने बहुत ही संगत प्रश्न उठाया है और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि कम आय वाले व्यक्तियों के लिए पर्यटन सुविधायें विकसित कराने की आवश्यकता है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं और सातवीं योजना में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना अवधि में अनेक यात्रिकायें बनाई जायेंगी जो धर्मशाला का ही विकसित रूप होंगी और ऐसी यात्रिकायें प्रत्येक राज्य में कम से कम एक तो होंगी ही और इसके साथ-साथ यात्री निवास भी निर्मित किये जायेंगे। धर्मशालाओं में 2 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से आवास उपलब्ध होगा और यात्री निवास में 60-65 रुपये की अदायगी पर प्रति व्यक्ति को स्थान उपलब्ध होगा। ऐसी योजनायें हैं और ऐसी योजना भी है कि केरल में एक या दो यात्रिकायें और एक-एक यात्री निवास स्थापित किया जाये। वास्तव में सातवीं योजना में कम आय वाले व्यक्तियों को आवास की सुविधा प्रदान करने पर जोर देने का विचार है और हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र भी इसमें बड़े पैमाने पर सहयोग दें, क्योंकि अन्ततोगत्वा सरकार के पास सीमित धन है।

**बैंक अधिकारियों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा**

*170. **श्री प्रकाश वी० पाटिल†**
**श्री सोमनाथ रथ** } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा करने का आदेश दिया है, ताकि अक्षम और भ्रष्ट अधिकारियों को निकाला जा सके। जैसा कि दिनांक 18 अक्तूबर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह पुनरीक्षा महाप्रबन्धक स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली/नई दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जिन्होंने अक्तूबर और नवम्बर 1983 में "सामूहिक ऋण योजना" के अन्तर्गत ऋण वितरण के समय अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था, कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों में पुनरीक्षा किए जाने और उन अधिकारियों को रिटायर किये जाने की व्यवस्था है जिन्हें बैंक की सेवा में और आगे रखने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है। यह पुनरीक्षा अधिकारी द्वारा सेवा की निर्धारित अवधि या निर्धारित आयु पूरी कर लिए जाने के बाद की जाती है। परिचालन सम्बन्धी कार्यकुशलता को तेज करने के लिए हाल ही में सरकार ने अपने पूर्व परिचारित अनुदेशों को दोहराया है और बैंकों से अनुरोध किया है कि वे सेवा सम्बन्धी अपने नियमों की शर्तों के अनुसार सब अधिकारियों के मामलों की पुनरीक्षा करें और ऐसे अधिकारियों को रिटायर कर दें जो सेवा में आगे रखे जाने के लिए उपयुक्त न पाए जाएं।

यह सत्य है कि अक्तूबर-नवम्बर 1983 में गरीबी दूर करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ उठाने वालों का पता लगाने, उन्हें ऋण मंजूर करने और ऋणों का भुगतान करने के लिए दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा एक अभियान चलाया गया था। लेकिन यह ऋण समारोह 4 जनवरी, 1984 को किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों ने यह सूचना दी है कि उनके ध्यान में अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग के कोई मामले नहीं आए है। पंजाब नेशनल बैंक इस कार्यक्रम का संयोजक बैंक था। लेकिन, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने यह बताया है कि एक अधिकारी के खिलाफ प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ त्रुटियां साबित हुई हैं जिसके लिए उसे उसके मूल वेतन के चार स्तर नीचे करके दण्डित किया गया है।

[हिन्दी]

**श्री प्रकाश बी॰ पाटिल** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए जो योजना चलाई जाती है, यह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन बैंक आफिसर्स उसमें रुकावटें पैदा करते हैं जिसके कारण अच्छे प्रपोजल्स एंटरटेन नहीं की जाती हैं। दूसरी बात यह है कि यह स्कीम बीच-बीच में कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है, फिर चालू कर दी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह स्कीम अच्छी तरह से चले, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

[अनुवाद]

**श्री जनार्दन पुजारी** : महोदय, यदि अनुवाद सही है, तो जैसा मैंने सुना है, इसमें उल्लेख किया गया है···

**अध्यक्ष महोदय** : आप अनूदित बात का ही उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आप दूसरे भाग के बारे में नहीं समझ पाये हैं। अथवा, क्या हम इसको दुबारा कहलवायें ?

**श्री जनार्दन पुजारी** : जी हां, यही बेहतर होगा।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष महोदय** : श्रीमान्, दुबारा बोल दीजिए।

**श्री प्रकाश बी॰ पाटिल** : अध्यक्ष महोदय, सुशिक्षित बेरोजगारी की जो योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है, यह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन बैंक आफिसर्स इसमें रुकावटें पैदा करते हैं तथा जो अच्छी प्रपोजल्स आती हैं एंटरटेन नहीं की जाती हैं तथा दूसरी बात यह है कि यह योजना थोड़े दिन के लिए बीच में बंद कर दी जाती है और फिर चालू कर दी जाती है, तो इस बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के क्रियान्वयन में बैंक आफिसर्स रुकावट न डालें तथा यह योजना कंटीन्यूअसली चलती रहे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप समझ गये हैं या मैं अब अनुवाद करूं ?

**श्री जनार्दन पुजारी** : महोदय, कार्यक्रम चल रहा है। उसे समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके विपरीत जहां कहीं जो भी बाधायें थीं, हमने उन्हें दूर कर दिया है।

यहां पहिचान अधिकारी जिला प्राधिकारियों अर्थात् डी॰ आई॰ सी॰ द्वारा गठित कार्य बल का कार्य करेंगे। कार्यबल लाभ पाने वालों का पता लगा रही है। राज्य सरकार भी इसमें सहायता कर रही है। संबंधित राज्य सरकार का एक स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारी है। वे लाभ पाने वालों का पता लगाते हैं। वे बैंकों को आवेदन पत्र भेजते हैं। बैंक आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करेंगे और उन्हें

ऋण स्वीकृत करेंगे। गत वर्ष, इस योजना के अन्तर्गत लगभग 2 लाख व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 25,000 रुपये दिये जाते हैं और जिसमें से 25 प्रतिशत राशि राज सहायता होगी।

जैसा कि मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं कि इस कार्यक्रम को बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

**श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोटा सिस्टम में 1100 लोगों के लिए लोन मिल जाता है, उसके बाद जब यह कोटा खत्म हो जाता है तो स्कीम बंद करके उसको दुबारा रिवाइज़ कर दिया जाता है।

दूसरा आपके यहां से लोन ज्यादा से ज्यादा 25 हजार तक दिया जाता है, लेकिन पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए क्या 40 हजार रुपये तक फैसिलिटी देने की सरकार की कोई योजना है ?

[अनुवाद]

**श्री जनार्दन पुजारी :** महोदय, पूरे राज्य के लिए कोटा निर्धारित है। इस कोटे में से राज्य सरकार यह पता लगा करके कि कितने व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकते हैं प्रत्येक जिले को कोटा देती है। देश में शिक्षित बेरोजगार श्रेणी के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को एक वर्ष के अन्दर लाभान्वित नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने एक वर्ष में 2 लाख 50 हजार ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जो बेरोजगार शिक्षित हैं और जिन्हें ऋण दिया जायेगा।

इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसके अन्तर्गत अधिकतम राशि को 25,000 रुपये से 40,000 रुपये या 50,000 रुपये करने की बात हो।

[हिन्दी]

**श्री बनवारी लाल पुरोहित :** अध्यक्ष महोदय, डी० आई० सी० जिन केसिज को रिकमेंड करता है, उनमें से 10 परसेंट केसिज को मुश्किल से बैंक कर्जा देता है और उन नवयुवकों को ही कर्जा मिलता है। जिसने पांच हजार से एक हजार रुपया खिला दिया होता है। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आपको कोटा फिक्स करना है तो डी० आई० सी० का कोटा फिक्स करो और वहां से जो योजना पास हो उनको बैंक कर्जा दे जिससे यह भ्रष्टाचार खत्म हो सके।

[अनुवाद]

**वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :** हम इसे डी० आई० सी० तक सीमित करने के

सुझाव पर विचार करेंगे। हम इस पर विचार करेंगे।

## सीमा शुल्क का अपवंचन

* 172. श्री धर्मपाल सिंह मलिक†
श्री सुभाष यादव } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1985 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है, कि ओरके सिल्क मिल्स बम्बई ने कम मूल्य के बीजक बनाकर पोलिएस्टर चिप्स का आयात किया है तथा इस प्रकार 1.5 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क का अपवंचन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उस मिल के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स ओरके सिल्क मिल्स ने वर्ष 1982 और 1983 के दौरान पोलिएस्टर चिप्स के आयात के लिए जापान की एक फर्म के साथ अनुबन्ध किया था। इन खेपों में से कुछ खेपों के बारे में 57 लाख रुपये तक के न्यून-बीजकांकन किए जाने का आरोप है जिससे लगभग 1.5 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क का अपवंचन हुआ।

(ग) और (घ) जांच पड़ताल पूरी हो जाने के पश्चात, कम्पनी और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के तहत समुचित कार्यवाही की जाएगी।

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : महोदय, एक बात यह है कि हमने अपनी आयात नीति बहुत उदार बना दी है। दूसरी बात यह है कि अनेक कम्पनियां तथा अनेक व्यक्ति जो पोलिएस्टर चिप्स का आयात करते हैं वे सीमा शुल्क की चोरी करते हैं जिससे हमारी विदेशी मुद्रा प्रभावित हो रही है।

इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उन कम्पनियों तथा व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर उपाय और कारगर कार्यवाही करने के लिए कोई नीति बनाई है जो सीमा शुल्क की चोरी करते हैं; विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करते हैं तथा जिनके विरुद्ध तस्करी आदि के मामले हैं ?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : जी हां। यह एक ठोस उदाहरण है। हमें जब कभी ऐसे मामलों का पता चलता है, तो उसके लिए हम कठोर कार्यवाही करते हैं।

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** पोलिएस्टर पर उत्पाद शुल्क कम करने से निश्चित रूप से कपास उत्पादकों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और उन्हें उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर कपास बेचनी पड़ती है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कपास उत्पादकों की दशा सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** इस प्रश्न का सीधा संबंध ओरके सिल्क मिल तथा उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही से है। किन्तु हमें कपास उत्पादकों के हितों का ध्यान है। उनके लिए, हमने लम्बे रेशें वाली कपास के अतिरिक्त भंडार का निर्यात करने की अनुमति दे दी है। हमारा विचार है कि यदि आवश्यक हुआ, तो धागा भी निर्यात किया जाएगा। कपड़ा भी निर्यात किया जाता है। ये सब कार्य कपास उत्पादकों के हितों को ध्यान रखते हुए किए जा रहे हैं।

**डा० दत्ता सामंत :** सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। किन्तु बम्बई की कपड़ा मिलें विशेषकर, ओर्के सिल्क मिल्स, रिलाएन्स एण्ड बाम्बे डाईंग, आदि श्रमिकों के विरुद्ध कार्यवाही में संलग्न है तथा उन्होंने आयात शुल्क अदा नहीं किया है। रिलाएन्स ने 27 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क अदा नहीं किया है। यह ठीक है कि उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है। लगभग 1500 एकड़ भूमि के घोटाले में बाम्बे डाईंग का हाथ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इन आर्थिक अपराधियों के साथ गंभीरता से निपटने का है। बहुत सारे मामले हैं। मैं ओर्के सिल्क मिल के बारे में विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या यह सच है कि इन 80 खेपों में उन्होंने हेरा-फेरी की है। यह एक ऐसा बड़ा एकक है जो गत पांच वर्षों से लगातार पनप रहा है। यदि आप विस्तार में जायेंगे और उनके दो वर्ष के उत्पादन और लाभ पर ध्यान देंगे; तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के मामले बहुत हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस नियोक्ता के बारे में अधिक विस्तारपूर्वक-जांच-पड़ताल करायेगी और उस नियोक्ता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** हमने रिलाएन्स के विरुद्ध इस शुल्क की चोरी के लिए 27 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। भूमि के घोटाले के बारे में, मैं तत्काल कुछ नहीं कह सकूंगा, क्योंकि इसका अधिकांश सम्बन्ध राज्य सरकार से है। यदि इसके बारे में कोई जानकारी है तो उसका मुझे नहीं पता।

**डा० दत्ता सामंत :** एक केन्द्रीय मन्त्री भी इसका सदस्य है ··

**एक माननीय सदस्य :** कौन है?

**डा० दत्ता सामंत :** बाम्बे डाइंग।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** जहां तक अधिक विस्तार में जाने तथा कार्यवाही करने का प्रश्न है, हम नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में बारीकी से जांच करेंगे।

## राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सम्बन्धी नीति में परिवर्तन

*174. **श्री चित्त महाता†**
**श्री वी० तुलसी राम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सातवीं योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1980 में अनुमोदित किए गए संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर किया गया है। तब से राष्ट्रीय विकास परिषद ने फार्मूले में किसी संशोधन का सुझाव नहीं दिया है।

**श्री चित्त महाता** : मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन करने का कोई सुझाव नहीं दिया है। किन्तु 4 नवम्बर, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार से विदित होता है कि हरियाणा में जमुना के ऊपर बनाये गये ऊंचे पुल का उद्घाटन करते हुए माननीय वित्त मन्त्री ने कहा है कि भारत सरकार कार्यनिष्पादन और आर्थिक विकास की दर के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता देने की अपनी नीति में परिवर्तन करने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि परिवर्तित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत राज्यों को कितनी सहायता दी जायेगी।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : सातवीं योजना में राज्यों को कुल 27,384 करोड़ रुपए की सहायता दी जायेगी जबकि छठी योजना में यह केवल 16,099 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी।

**श्री चित्त महाता** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पिछले वर्षों के समान ओवर ड्राफ्ट की अनुमति देगी। यदि हां, तो क्या इसकी कोई सीमा होगी अथवा नहीं।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : जी नहीं। ओवर ड्राफ्ट की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी।

[हिन्दी]

## अयोध्या के विकास की योजना

*176. **श्री निर्मल खत्री** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों पर पर्यटन और संस्कृति के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाने का है;

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अयोध्या के विकास की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए वर्ष 1984 में एक योजना प्रस्तुत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) :** (क) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से अयोध्या सहित अनेक पर्यटक केन्द्र अभिनिर्धारित किए हैं जिनका केन्द्र; राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों द्वारा एकीकृत विकास किया जाएगा।

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने 104 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अयोध्या घाटों के सौन्दर्यकरण और डिस्प्ले-गार्डनिंग का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चूंकि सौन्दर्यकरण और डिस्प्ले-गार्डनिंग आदि पर्यटन विभाग के कार्यकलापों के अन्तर्गत नहीं आते, इस स्कीम को स्वीकार नहीं किया जा सका। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे पर्यटन विभाग के मानदंडों के मुताबिक प्रस्ताव को पुनः तैयार करें।

[हिन्दी]

**श्री निर्मल खत्री :** मान्यवर, मेरा प्रश्न माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित है। अयोध्या को पर्यटक केन्द्र निर्धारित किया गया है और उसके विकास की कोशिश की जायेगी। मैं समझता हूं बड़े-बड़े महानगरों तक ही पर्यटन विभाग अपने को सीमित रखता है। क्या कोई मानक परिवर्तन, नीतिगत निर्णय पिछले दिनों ऐसा लिया गया है जिसके तहत छोटे-छोटे जो स्थल हैं—चाहे वे धार्मिक केन्द्र हों अथवा कोई और उनकी महत्ता हो—उनको भी लेने में प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी ?

**श्री एच०के०एल० भगत :** आनरेबल युवा संसद सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि जो वे सुझाव दे रहे हैं कि दूसरी जगहों को भी लेना चाहिए, ध्यान बड़ी-बड़ी जगहों पर ही दिया गया है, तो ध्यान बड़ी जगहों पर इसलिए दिया गया कि वहां ज्यादा टूरिस्ट आते थे। अब कोई छोटा शहर हो लेकिन टूरिस्ट ज्यादा जाते हों तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाना चाहिए – मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। पूरे देश में ऐसे कुल 441 सेन्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। टूरिस्ट कहां ज्यादा जाते हैं, प्रायर्टी किसको दी जाए उसमें छोटे-बड़े टाउन का कोई सवाल न हो बल्कि टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं इस क्राइटीरिया को देखकर प्लेसेज को आइडेंटिफाई करके रिसोर्सेज को देखकर उनको डेवलप करने में मदद दी जायेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरा भी एक सुझाव है।

वृन्दावन, मथुरा को मैंने देखा है वहां जाने के साधन ठीक नहीं हैं। मन्दिरों को तो वे लोग अपने आप देखेंगे लेकिन पानी और आने-जाने का सारा प्रबन्ध देखना चाहिए क्योंकि वे ऐसे स्थान हैं जिनसे नेशनल इंटिगरेशन होता है, साउथ से बहुत अधिक लोग वहां पर आते हैं। मैंने इस बारे में लिखकर भी आपको भेजा है, आप जरा इसको ध्यान से देखियेगा।

**श्री एच०के०एल० भगत** : मैं आपके सुझाव को स्टेट गवर्नमेन्ट से फालो करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : फालो ही नहीं करना है।

[**अनुवाद**]

इसे लागू किया जाना चाहिए।

[**हिन्दी**]

**श्री बालकवि बैरागी** : इसमें पुष्कर को भी जोड़ लें तो बड़ी कृपा होगी।

**श्री निर्मल खत्री** : इसी सन्दर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर सांस्कृतिक विकास और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए और पुराने समय के बहुत से हस्तलिखित प्रामाणिक रामायण जो भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं और आज धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनका लाभ उठा सके क्या इस तरीके का कोई संग्रहालय खोलने का विचार केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से हटकर, स्वयं अपने पहल पर करेगी ?

**श्री एच० के० एल० भगत** : माननीय सदस्य ने यह जो दूसरा प्रश्न किया है उसका सम्बन्ध मेरे मन्त्रालय से नहीं है, इसके लिए उनको मेरे विचार से कल्चरल या किसी अन्य मिनिस्ट्री से कहना पड़ेगा। वैसे निजी तौर पर मुझे उनका यह सुझाव बहुत अच्छा लगा है।

**श्री मोहम्मद अय्यूब खां** : सदरे मोहतरम, जिस तरह से कनाडा की खूबसूरती मशहूर है उसी तरह से राजस्थान में झुंझनू और सीकर जिलों में वीरता के बारे में भी बड़ी कथायें हैं और वहां पर दूसरी बड़ी सौंदर्य की चीजें भी हैं, किले हैं, हवेलियां हैं इसलिए मैं जानना चाहूंगा क्या झुंझनू और सीकर को भी इसमें लिया जायेगा या नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : जो पुरानी कलाकृतियां हैं उनको बचाने की बात कर रहे हैं।

**श्री एच० के० एल० भगत** : राजस्थान तो बहुत सुन्दर है, बहुत रोचक है वहां पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जो टूरिज्म के लिए डेवलप की जा सकती हैं लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा राज्य सरकार जो सुझाव देगी उसमें, माननीय सदस्य जो जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी हम जरूर विचार करेंगे।

एक शब्द मैं और कहना चाहता हूं, जो सुझाव आपने दिया है, उसमें खाली फालो-अप करने की बात नहीं है, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ही ठीक आपने कहा है। बहुत-सी चीजों में, ट्रांस्पोर्ट में, वे-साइड फैसिलिटीज में, एन्वायर्मेंट में बहुत-सी रिलीजस प्लेसेज हैं, उनके इर्द-गिर्द रास्तों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उनमें स्टेट गवर्नमेंट से कहा जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा। यदि हमारी पालिसीज में आता है तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

**श्री ए० चार्ल्स** : शंखुमुगम समुद्र तट देश में सबसे सुन्दर समुद्र तटों में से है तथा शंखुमुगम से कोवालम तक 12 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र भी देश का सबसे सुन्दर हिस्सों में से है तथा इस 12 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र को मेरीन ड्राईव की तरह विकसित करने का प्रस्ताव था। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या इसे केन्द्रीय क्षेत्र में लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जायेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : सभी रास्ते कोवलम को जाते हैं।

[हिन्दी]

**श्री एच० के० एल० भगत** : जैसा मैंने पहले कहा है कि जो सुझाव और स्कीम स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से आते हैं, उस पर विचार करेंगे और अगर आनरेबल मेम्बर भी लिखते हैं तो हम स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे कि विचार करे। उसके बाद फाइनेन्स को देखते हुए कितना रुपया दे सकते हैं, इन चीजों पर विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। यह पूरा हो गया।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न—श्रीमती विभा घोष गोस्वामी ··

श्री काली प्रसाद पांडेय···

श्री अमर सिंह राठवा···

अगला प्रश्न—प्रो० के० वी० थामस।

**प्राकृतिक रबड़ का आयात**

*179. **प्रो० के० वी थामस†**
**श्री अमर सिंह राठवा**
} : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ का तत्काल आयात करने के लिए प्राधिकार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष प्राकृतिक रबड़ का कितनी मात्रा में आयात किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या रबड़ उत्पादकों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) से (ग) जी, हां। 1985-86 में प्राकृतिक रबड़ के सम्भावित आयात लगभग 29,000 मै०टन हो सकते हैं घरेलू कीमतों को स्थिर स्तरों पर जो कि उत्पादकों के लिए लाभकारी है, बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयातित रबड़ की मात्रा, समय निर्धारण रिलीज कीमत के बारे में निर्णय लिए जाते हैं।

(घ) रबड़ बोर्ड उपज कर्ताओं के लिए उपदान, विस्तार परामर्श समर्थन, वर्षा सुरक्षा सामग्री, अधिक फसल, रोपण सामग्री आदि प्रदान कर रहा है और देश में रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से रबड़ की खेती के विभिन्न पहलुओं पर भी अनुसंधान कार्य कर रहा है।

**प्रो० के० वी० थामस** : माननीय मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण से पता चलता है कि 1985-86 में प्राकृतिक रबड़ का सम्भावित आयात लगभग 29,000 मीट्रिक टन हो सकता है। नारियल के तेल का औद्योगिक तेल के रूप में तथा 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत आयात करने से केरल के नारियल कृषकों की कमर ही टूट गई है। इसी प्रकार से प्राकृतिक रबड़ के आयात के निर्णय से केरल के रबड़ उत्पादकों को बहुत ही धक्का लगेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे यहां के प्राकृतिक रबड़ की पैदावार इस वर्ष तथा अगले वर्ष देश की जरूरत को पूरा करने में पर्याप्त होगी। अगर यह जानकारी सही है तो क्या सरकार के इस निर्णय पर पुनः विचार किया जायेगा और अगर आप रबड़ आयात करते ही हैं तो क्या आयातित रबड़ को सुरक्षित भंडार की तरह रखा जाएगा।

**श्री खुर्शीद आलम खां** : हमारे यहां निश्चित रूप से रबड़ की कमी है तथा उत्पादन और वास्तविक आवश्यकता में 30,000 मी० टन का अन्तर है। परन्तु मैं माननीय सदस्य से अवश्य ही सहमत हूं कि इस आयातित रबड़ की बिक्री तभी की जाए जब देशी रबड़ बाजार में उपलब्ध न हो या फिर इसकी कीमत 16,500 रुपये प्रति टन से ज्यादा हो जायें।

**प्रो० के० वी० थामस** : पिछले सत्र में प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा के दौरान सदन में इस

बात का आश्वासन दिया गया था कि बागानों, विशेष रूप से केरल के रबड़ बागानों को रबड़ बोर्ड तथा अन्य वस्तु बोर्डों द्वारा सहायता दी जायेगी जिन्हें तबाही, बरसात, भूस्खलन आदि के कारण काफी नुक्सान हुआ था। परन्तु अब हम देखते हैं कि उस आश्वासन को पूरा नहीं किया। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवाएंगे ?

**श्री खुर्शीद आलम खां** : जहां तक आश्वासन का सम्बन्ध है, काफी कार्य पूरे किए गए हैं और अगर मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊं तो सदन का काफी वक्त लगेगा। अतः मैं इसे माननीय सदस्य को दे देता हूं।

**श्री सुरेश कुरूप** : मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार को रबड़ के आयात के सम्बन्ध में देश के टायर निर्माता संघ का कोई ज्ञापन मिला है और यदि हां, तो उन्होंने रबड़ की कितनी मात्रा आयात करने की मांग की है ?

**श्री खुर्शीद आलम खां** : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्पादन तथा कुल आवश्यकता में लगभग 29,000 मी० टन का अन्तर है।

**श्री सुरेश कुरूप** : महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार को टायर निर्माताओं का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

**श्री खुर्शीद आलम खां** : वे भी रबड़ के उपभोक्ता हैं अतः स्वाभाविक ही है कि वे रबड़ की मांग करेंगे।

**श्री सुरेश कुरूप** : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार को टायर निर्माताओं का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

**श्री खुर्शीद आलम खां** : महोदय' ज्ञापन के बारे में मुझे देखना पड़ेगा।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : महोदय अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं एक बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। नहीं। मैं अगले प्रश्न पर आ रहा हूं। आज मैं नियम में कोई ढिलाई नहीं दूंगा अन्यथा इससे मुझे नुक्सान होगा।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : अगली बार। आज आप एक बार पूछ चुके हैं।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : महोदय कल और आज के हमारे अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए एक दिन में पूछे जाने वाले अधिकतम मौखिक प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सूची समाप्त हो गई है। मैं एक बार फिर से इस सूची को पढ़ूंगा ताकि

जो सदस्य पहले अनुपस्थित थे, वो अगर इस समय मौजूद हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं······मैं देखता हूं कि उनमें से कोई भी सदस्य नहीं है। अब हम अगले मद को लेंगे।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

### स्वर्ण आभूषणों का निर्यात

*162. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में अब तक कितने स्वर्ण आभूषणों का निर्यात किया गया है;

(ख) स्वर्ण आभूषणों के विश्व बाजार में भारत का योगदान कितना है; और

(ग) विश्व बाजार में स्वर्ण आभूषणों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भारत से स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :** (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1985 के दौरान भारत से स्वर्ण आभूषण के निर्यात 51.13 करोड़ रु० होने का अनुमान है।

(ख) स्वर्ण आभूषण के भारतीय निर्यात कीमती धातुओं के आभूषण में विश्व व्यापार में नगण्य अंश है।

(ग) स्वर्ण आभूषण के निर्यात उत्पादन को शासित करने वाली नीतियों के उदारीकरण के अलावा स्वर्ण आभूषण निर्यातों के लिए उत्पाद तथा बाजार विकास इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये महत्त्वपूर्ण कदमों में से कुछ हैं।

[अनुवाद]

### यात्री-सामान संबंधी रियायत का दुरुपयोग

*164. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद को लोक लेखा समिति ने "वाहक" यातायात "कैरियर" ट्रैफिक के प्रसार से यात्री सामान नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली रियायत का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे ध्यान में रखते हुए इस देश से पड़ोसी देशों को ऐसा सामान ले जाने

तथा वहां से इस देश में ऐसा सामान लाने के लिए, जिससे इस देश में तथा विदेशों के मूल्यों में अन्तर होने के कारण काफी मुनाफा होता है, पड़ौसी देशों की बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा इन नियमों के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) आठवीं लोक सभा में प्रस्तुत की गई लोक लेखा समिति की सातवीं रिपोर्ट में समिति ने यह अनुरोध किया था कि सरकार को एक ऐसी पद्धति तैयार करनी चाहिए जिसमें असबाब नियमों के दुरुपयोग को रोकते हुए यात्रियों की शीघ्र निकासी की व्यवस्था की जाए।

(ख) श्रीलंका और मालदीव से आने वाले यात्रियों के लिए असबाब को निःशुल्क लाये जाने की जो सुविधा थी, उसे कम कर दिया गया था, क्योंकि यात्रा-लागत कम होने की वजह से उसका दुरुपयोग हो रहा था। नेपाल से आने वाले यात्रियों को निःशुल्क सामान लाये जाने की सुविधा नहीं दी जाती है। यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अन्य देशों की उच्च यात्रा लागत के कारण ऐसे आवागमन की गुंजाइश कम हो जाएगी। ये नियम केवल वास्तविक असबाब के लिए हैं और सीमा शुल्क अधिकारी अब वाहकों को रोकने के साथ-साथ उनमें रखे गए माल को जब्त करने के लिए भी सशक्त हैं। हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुविधाओं की कमी की वजह से और इस ख्याल से कि वास्तविक यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, हवाई अड्डे पर स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों को वाहकों पर प्रतिबन्ध लगाने में रुकावट होती है, किन्तु सीमा शुल्क के नए टर्मिनलों के बन जाने से सीमा शुल्क अधिकारी इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली बन सकेंगे।

## सिंथेटिक रबड़ का आयात

*165. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक रबड़ की तरह सिंथेटिक रबड़ का आयात सरकारी एजेंसी के माध्यम से न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत सिंथेटिक रबड़ के आयात के कारण ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा देश में इसकी भरमारी कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो विदेशों द्वारा बहुत कम दामों पर सिंथेटिक रबड़ की इस प्रकार की जाने वाली भरमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) सरणीकरण या तो खाद्य तेलों जैसी अन्तर्ग्रस्त मद की संवेदनशीलता की वजह से सरकारी नीति के कारणों या ठोस वाणिज्यिक कारणों से अर्थात् कीमत का लाभ उठाने के लिए बल्क खरीदारी के कारण बेहतर व्यापार शर्तों के लिए या जहां आयातों को विनियमित तथा मानिटर करना आवश्यक समझा जाए, किया जाता है। सरकार ने सिंथेटिक रबड़ का सरणीकरण न करना उपयुक्त समझा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा किए जाने वाले निर्यात में कमी**

*167. **श्री मोहनभाई पटेल**
**श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा किन-किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है और वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितने मूल्य के माल का निर्यात किया गया;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं तथा आज तक कितने मूल्य के माल का निर्यात किया गया है; और

(ङ) निर्यात में वृद्धि करने और वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) राज्य व्यापार निगम की निर्यात की मुख्य मदें हैं पटसन माल, काफी, तम्बाकू, चाय, अरण्डी का तेल, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद जिसमें फूटवियर और इसके संघटक शामिल हैं, सूती वस्त्र तथा सिले सिलाये परिधान, चीनी तथा सीरा तथा अफीम।

राज्य व्यापार निगम द्वारा 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः 796 करोड़ रु० और 720 करोड़ रुपये के निर्यात किए गए।

(ख) और (ग) 1982-83 की तुलना में राज्य व्यापार निगम के निर्यातों में 1983-84 के दौरान 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1984-85 के दौरान राज्य व्यापार निगम के निर्यात में वर्ष के दौरान चीनी के निर्यात में तीव्र गिरावट और चमड़ा 1 लाख दाने के गैर-सरणीकरण के कारण गिरावट आई।

(घ) और (ङ) 1985-86 के लिए राज्य व्यापार निगम का निर्यात लक्ष्य 716 करोड़ रु० है। अप्रैल-85, अक्तूबर, 85 के दौरान 125 करोड़ रुपये के निर्यात हुए। 1985-86 के लिए निर्धा-

रित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) प्रतिष्ठित विनिर्माताओं और सप्लायरों को नामांकित करके सप्लाई आधार को मजबूत किया जा रहा है।

(2) राज्य व्यापार निगम की खरीद शक्ति को प्रतिकारी व्यापार सौदों के द्वारा अधिकतम निर्यात करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

**गोपाल टावर्स, दिल्ली के फ्लैट मालिकों के बीमा दावों के निपटान में विलम्ब**

*168. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि गोपाल टावर्स, दिल्ली के जिसमें वर्ष 1983 में आग लगी थी, फ्लैट मालिकों को अभी तक उनके बीमे के दावों की राशि नहीं दी गई है;

(ख) कितने फ्लैट मालिकों को बीमे के दावों का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि इनमें से कुछ और फ्लैटमालिक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक हैं और उक्त विलम्ब के कारण वे बुरी तरह कुप्रभावित हुए हैं; और

(घ) उनके दावों का शीघ्र भुगतान कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) क्योंकि इस इमारत की बीमा पालिसी ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से यूनाइटेड टावर्स इंडिया, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ली गई थी न कि इमारत में फ्लैटों के व्यक्तिगत मालिकों के नाम से, इसलिए इन फ्लैटों के व्यक्तिगत मालिकों को बीमा दावों की कोई अदायगी नहीं की जा सकती थी।

(ग) सरकार को इस संबंध में अन्यों के साथ-साथ गोपाल टावर फ्लैट ऑनर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(घ) ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अब अन्य बातों के साथ-साथ फ्लैट ऑनर्स एसोसिएशन के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, बीमित द्वारा दायर किए गए दावे की देनदारी को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है और उसने क्षति का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षकों की नियुक्ति कर दी है।

**चीन को लौह अयस्क का निर्यात**

*169. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया था और देश में खनिजों के

निर्यात के लिए विभिन्न सुविधाओं के बारे में जांच पड़ताल की थी;

(ख) क्या इस प्रतिनिधिमण्डल ने चीन को लौह अयस्क के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उड़ीसा का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा का दौरा करने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही;

(घ) क्या चीन सरकार ने भारत से लौह-अयस्क का आयात करने की इच्छा प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रतिनिधिमंडल भारतीय लौह अयस्क की क्वालिटी से प्रभावित हुआ है।

(घ) जी हां।

(ङ) चीन द्वारा वर्ष 1986 के दौरान भारत से 1 से 1.5 मिलियन मी० टन लौह अयस्क आयात करने की संभावना है।

### सूती से भिन्न कपड़े पर मूल्य अंकित करना

*171. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती से भिन्न कपड़े पर मूल्य अंकित करने की योजना लागू करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब कार्यान्वित करने का विचार है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) और (ख) सरकार को सूती कपड़े पर कीमत की मोहर लगाने की वर्तमान योजना को गैर सूती वस्त्रों तक बढ़ाने के संशोधित वस्त्र नियंत्रण आदेश प्राप्त हुए हैं। नियंत्रण आदेशों को अंतिम रूप देने के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

### खनन उद्योग के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम

*173. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनन उद्योग के आधुनिकीकरण के बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां; तो प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने से सम्बन्धित ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि चूंकि ऊर्जा, इस्पात और सीमेंट के खनिज उत्पादों पर अत्यधिक निर्भर हैं, खनन लागत को कम करना पड़ेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्थव्यवस्था में सामान्य मुद्रास्फीति न होने पाये ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) से (ग) खनन पद्धतियों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। खनन के बारे में किये गये उपाय आमतौर पर खनन परियोजना के अभिन्न अंग होते हैं। इस विभाग के अधीन सरकारी उपक्रमों की खानों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में तैयार किये गये हैं। सरकारी उपक्रमों अर्थात् हिन्दुस्तान कापर लि०, हिन्दुस्तान जिंक लि०, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०, भारत गोल्ड माइंस लि० आदि की खानों के लिए उनकी अपनी आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं। विभाग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अनुसार, सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय लगभग 65 करोड़ रुपये का है। इसमें समुन्नत कार्यचालन प्रणालियां, समुन्नत संसाधन प्राप्ति, बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकासोन्मुख समारंभ, उत्पादकता और पर्यावरण नियंत्रण में सुधार, अयस्क शोधन हेतु सुविधाएं बढ़ाना आदि की योजनाएं शामिल हैं।

सातवीं योजना के दौरान कोयले की खानों के बारे में विशाल क्षमता वाले खुदाई उपकरण लगाना, मशीनीकरण, आधुनिक बिजली सपोर्ट लौंगवाल उपकरण, टेलीमॉनिटरिंग प्रणाली आदि की व्यवस्था का विचार है। इसी प्रकार अलौह धातुओं का उत्पादन करने वाले सरकारी यूनिटों की खानों में जहां संभव है, वहां आधुनिक उपकरण और तकनीकें आरंभ की जा रही हैं।

सरकार द्वारा आधुनिक उपकरण और मशीनरी लगाने के साथ-साथ खनन कार्यों में आधुनिक तकनीकी जानकारी के आयात के लिए संभव व्यावहारिक सीमा तक प्रयास किये जा रहे हैं ताकि खनिजों की उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी की जा सके। बिजली, इस्पात और सीमेन्ट आदि जैसे खनिजों पर आधारित उद्योगों के लिए अपेक्षित खनिजों का सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में खनन किया जा रहा है। लागत कम करने के लिए सरकारी और साथ ही गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रयत्न करने पड़ेंगे। यद्यपि इस दिशा में किन्हीं विशिष्ट उपायों का उल्लेख करना कठिन है, फिर भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से जोर देकर कहा जा रहा है कि वे अपने लागत ढांचों की समीक्षा करेंगे और लागत में कमी लाएं ताकि उनके उत्पाद कीमत की दृष्टि से प्रतियोगी बन सकें।

**आटोमैटिक लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव**

*175. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
**श्री मुकुल वासनिक** } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु और मध्यम निर्यातक परिषद् ने सरकार से अनुरोध किया है कि वास्तविक प्रयोक्ताओं को किसी जटिल प्रक्रिया का सामना किए बिना मूल सामग्री प्राप्त करने की

सुविधा देने हेतु आटोमैटिक लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की जाये;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय लघु और मध्यम निर्यातक परिषद के अभ्यावेदन की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (घ) ऐसे कुछ अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें सरकार से आटोमैटिक लाइसेंसिंग प्रणाली आरम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया है किन्तु इस सुझाव से सहमत होना संभव नहीं हो पाया है। तथापि, इस मामले की अभी भी जांच की जा रही है।

**देहरादून-मसूरी में चूना पत्थर का खनन/उत्खनन**

*177. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून-मसूरी में चूना-पत्थर के खनन/उत्खनन के बारे में जांच करने के लिए श्री डी० एन० भार्गव की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

रिपोर्ट की मुख्य बातें यह हैं कि प्रत्येक वर्ष 1.1 मि० टन से 1.5 मि० टन के उत्पादन के लिए 40 कि० मीटर विस्तार में 1000 है० क्षेत्र में खनन किया जा रहा है, जो बहुत अधिक है। कार्यकारी दल ने "ओपनकास्ट" खनन को दो श्रेणियों में बांटा है। 20 खनि पट्टों वाली प्रथम श्रेणी खनन प्रयोजनों के उपयुक्त पायी गई है। तथापि पट्टाधारियों को खानों के व्यवस्थित कार्यचालन, उपयुक्त एवं योग्य तकनीकी कार्मिकों आदि की भर्ती के बारे में कुछ अपेक्षाओं को पूरा करने को कहा गया है। दूसरी श्रेणी में 46 खनि पट्टे हैं, जिनको समाप्त करने की कार्यकारी दल ने सिफारिश की है। उद्यमियों को पूर्वेक्षण लायसेंस लिए बिना, गवेषण किये बिना तथा खनिपट्टा आवेदन-पत्र के साथ खनन

योजना संलग्न किए बिना किसी क्षेत्र के लिए सीधे नये खनन पट्टे न दिए जाएं। चूना पत्थर के लिए गौण-खनिज के रूप में पट्टा न दिया जाए। भारतीय खान ब्यूरो तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय को सुदृढ़ बनाया जाए।

कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर सचिवों की समिति द्वारा विचार किया गया था। समिति ने विद्यमान कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने, विदोहन योजना तैयार करने, भारतीय खान ब्यूरो तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय को सुदृढ़ करने की सिफारिश की थी। इसी बीच, रूरल लिटीगेशन एंड एन्टाइटलमैंट केन्द्र, देहरादून, ने देहरादून तथा मसूरी क्षेत्र में चूना पत्थर के खनन के विषय में एक रिट याचिका दायर कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12 मार्च, 1985 के आदेश द्वारा कुछ खानों को बन्द करने तथा खनन पट्टों को समाप्त करने का निदेश दिया है। कुछ अन्य खनन पट्टों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री डी० बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है, जो उनको चालू रखने की वांछनीयता की जांच करेगी। कुछ अन्य खानों को चलाने की अनुमति दे दी गई है, बशर्ते कि वे नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करें। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों में संशोधन विचाराधीन हैं। भारतीय खान ब्यूरो में कर्मचारी संख्या में वृद्धि की गई है। जिन क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार खनन बन्द किया गया है, वहां भूउद्धार तथा भूसंरक्षण के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण टास्क फोर्स का गठन किया है।

[हिन्दी]

**रुग्ण औद्योगिक एककों से ऋण की वसूली**

*178. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्रों को दिये गए ऋणों का लगभग 8 प्रतिशत भाग रुग्ण औद्योगिक एककों के पास है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों से यह ऋण वसूल करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए हैं;

(ग) रुग्ण औद्योगिक एककों से ऋण की राशि वसूल करने के लिए अब तक किये गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त उपायों के परिणामस्वरूप अक्तूबर 1985 तक कितनी राशि वसूल की गई ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :** (क) दिसम्बर 1984 के अन्त में (सबसे हाल के उपलब्ध) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि उनके कुल अग्रिमों का 7.8 प्रतिशत बैठती है।

(ख) और (ग) बैंकों द्वारा औद्योगिक एककों को दिये गए ऋणों को वसूल करना उनकी जिम्मेदारी है। रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एककों की अर्थक्षमता (वायबिलिटी) का पता लगाएं और सम्भावित अर्थक्षम एककों को स्वस्थ बनाने के लिए वित्तीय सहायता दें ताकि अंततोगत्वा उनकी बकाया रकमें वसूल हो सकें। गैर-अर्थक्षम (नान-वायबल) एककों के मामले में, वे बकाया अग्रिमों की रकमें वापस मांग सकते हैं और अपनी बकाया रकमों को वसूल करने के लिए कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं।

(घ) बैंकों के साथ किसी औद्योगिक एकक का खाता निरन्तर चलता रहने वाला खाता होता है और वित्तीय सहायता आवृर्ती (रोल-ओवर) आधार पर दी जाती है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों से उन्हें कितनी रकम वसूल हो चुकी है।

[अनुवाद]

### काफी बोर्ड का कार्यकरण

*180. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अक्तूबर 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ग्रोअर्स" ए सेल वर्किंग आफ काफी बोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्नाटक उत्पादक संघ की धमकी पर ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में किस प्रकार से सुधार लाने का सरकार का विचार है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) हाल में गठित काफी बोर्ड उद्योग से संबंधित विभिन्न हितों के लिए सन्तुलित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। बोर्ड अन्य कृषि वस्तुओं की अपेक्षा काफी उत्पादकों के लिए अधिक लाभकारी तथा नियमित मुद्रा प्राप्तियां सुनिश्चित करने में सफल रहा है। इसने अत्यधिक विदेशी आय भी अर्जित की है और स्थायी घरेलू कीमतें सुनिश्चित कर ली है। निर्यातों के पिछले वर्ष में हुई 67,000 मे० टन से बढ़कर 97,000 मे० टन तक बढ़ जाने की आशा है। घरेलू रिलीजों में भी वृद्धि की गई है।

### पटसन का मूल्य कम होने के कारण पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादक किसानों द्वारा आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया जाना

1709. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादक किसानों की कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य 800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग को नजर अन्दाज कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप किसान गंभीर संकट में हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का उन्हें वर्तमान आर्थिक संकट से छुटकारा दिलाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) और (ख) इस मौसम में कच्चे पटसन की भरपूर फसल की पैदावार से कीमतें लगभग सभी देहाती बाजारों में समर्थन स्तर तक गिर गई। पटसन उपजकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने कृषि लागत तथा कीमत संबंधी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1985-86 मौसम के लिए कच्चे पटसन की न्यूनतम कानूनी कीमत की घोषणा कर दी है। भारतीय पटसन निगम ने पहले कभी किए गए स्तर से बड़े स्तर पर कीमत पर कीमत समर्थन कार्य का उत्तरदायित्व लिया है। भारतीय पटसन निगम किसानों को यह सलाह देने के लिए भी प्रचारतंत्र का उपयोग कर रहा है कि नकली व्यापारियों को न्यूनतम कानूनी कीमतों से नीचे की कीमतों पर आपात बिक्री न करें तथा अपने उत्पादित माल को जे० सी० आई० — सहकारी खरीद केन्द्रों पर लाएं।

## लघु एककों के लिए वर्ष 1980 से 1985 तक इस्पात की मांग

1710. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) लघु औद्योगिक एककों के लिए राज्य-वार वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक वर्षवार इस्पात की कितनी मीट्रिक टन मांग थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितना इस्पात आवंटित किया गया था; और

(ग) उक्त अवधि के ही दौरान राज्य वार तथा वर्षवार वास्तविक रूप से कितना इस्पात दिया गया था ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) लोहे और इस्पात की मांग का राज्य-वार अनुमान नहीं लगाया जाता है। लघु उद्योग एकक लोहे और इस्पात की सप्लाई राज्य लघु उद्योग निगमों और मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों से प्राप्त करते हैं। ये एकक लोहे और इस्पात की सप्लाई कारखानों से सीधे भी प्राप्त करते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1980-81 से 1984-85 की अवधि में लोहा और इस्पात नियन्त्रक द्वारा लघु उद्योग निगमों को किए गए आवंटन और मुख्य उत्पादकों द्वारा की गई वास्तविक सप्लाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

## विवरण

**वर्ष 1980-81 से 1984-85 की अवधि में राज्य लघु उद्योग निगमों को किए गए इस्पात सामग्री के आवंटन तथा सप्लाई**

(आंकड़े : टनों में)

| क्र० सं० | राज्य लघु उद्योग निगम का नाम | 1980-81 | | 1981-82 | | 1982-83 | | 1983-84 | | 1984-85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | सप्लाई | आवंटन | सप्लाई | आवंटन | सप्लाई | आवंटन | सप्लाई | आवंटन | सप्लाई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 29,500 | 21,488 | 30,399 | 24,712 | 29,243 | 13,367 | 27,7 0 | 13,938 | 29,100 | 15,022 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1,100 | 200 | 1,147 | 293 | 1,325 | 72 | 1,400 | — | 1,400 | 175 |
| 3. | आसाम | 12,000 | 4,896 | 11,063 | 4,455 | 11,410 | 2,260 | 11,700 | 288 | 12,000 | 728 |
| 4. | बिहार | 15,260 | 14,150 | 15,757 | 7,616 | 13,485 | 2,020 | 14,400 | 935 | 10,600 | 3,150 |
| 5. | चण्डीगढ़ | 13,400 | 14,985 | 13,648 | 7,681 | 13,803 | 3,594 | 13,700 | 5,022 | 14,600 | 17,357 |
| 6. | दादर, नागर तथा हवेली | 1,000 | 465 | 1,120 | 421 | 1,157 | 270 | 1,400 | 55 | 1,400 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | दिल्ली | 45,150 | 36,433 | 45,343 | 24,650 | 45,278 | 14,669 | 44,600 | 271 | 33,500 | 20,674 |
| 8. | गोवा | 5,000 | 1,417 | 4,797 | 1,684 | 5,617 | 1,815 | 4,900 | 472 | 5,400 | 174 |
| 9. | गुजरात | 53,350 | 40,671 | 55,306 | 33,709 | 54,703 | 17,823 | 48,400 | 13,540 | 53,000 | 14,525 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 4,500 | 4,824 | 4,976 | 1,427 | 4,720 | 360 | 5,200 | 2,015 | 6,000 | 2,232 |
| 11. | हरियाणा | 40,750 | 26,783 | 42,178 | 27,936 | 42,799 | 8,529 | 38,800 | 11,928 | 41,000 | 24,114 |
| 12. | जम्मू व कश्मीर | 21,015 | 16,646 | 22,013 | 8,988 | 20,429 | 2,914 | 22,000 | 4,117 | 13,600 | 6,328 |
| 13. | कर्नाटक | 29,000 | 27,231 | 30,654 | 15,201 | 30,325 | 7,883 | 28,000 | 3,393 | 29,900 | 13,107 |
| 14 | केरल | 28,325 | 27,188 | 27,179 | 13,494 | 24,237 | 4,370 | 26,000 | 981 | 14,400 | 653 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 21,300 | 17,273 | 23,467 | 13,693 | 22,785 | 11,315 | 21,300 | 9,606 | 21,500 | 2,760 |
| 16. | महाराष्ट्र | 55,550 | 58,067 | 51,501 | 37,780 | 50,109 | 25,134 | 49,700 | 12,049 | 45,700 | 25,210 |
| 17. | मणिपुर | 1,300 | 200 | 1,115 | 237 | 1,164 | — | 1,350 | — | 1,400 | — |
| 18. | मेघालय | 200 | 166 | 299 | 162 | 407 | 129 | 370 | — | 800 | 164 |
| 19. | मिजोरम | 350 | 67 | 307 | 250 | 543 | 124 | 380 | 296 | 1,300 | 95 |
| 20. | नागालैण्ड | 1,000 | 577 | 1,076 | 1,118 | 1,433 | 264 | 1,800 | — | 1,520 | 400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | उड़ीसा | 16,050 | 11,154 | 16,592 | 10,879 | 16,508 | 5,149 | 14,600 | 5,975 | 16,600 | 9,275 |
| 22. | पांडिचेरी | 2,300 | 927 | 2,696 | 1,019 | 2,842 | 680 | 2,500 | 353 | 3,510 | 777 |
| 23. | पंजाब | 50,550 | 58,670 | 49,157 | 33,851 | 48,966 | 18,817 | 50,000 | 11,621 | 47,000 | 21,366 |
| 24. | राजस्थान | 25,150 | 24,014 | 27,176 | 17,279 | 26,579 | 5,318 | 24,700 | 1,985 | 26,900 | 7,450 |
| 25. | तामिलनाडु | 29,585 | 28,148 | 30,908 | 19,449 | 28,777 | 7,340 | 28,000 | 6,189 | 28,100 | 12,732 |
| 26. | त्रिपुरा | 1,250 | 222 | 1,256 | 462 | 1,057 | 26 | 1,400 | 44 | 3,300 | 150 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 43,975 | 30,234 | 47,490 | 27,043 | 45,489 | 10,481 | 46,300 | 3,399 | 28,000 | 11,632 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 36,400 | 20,436 | 35,886 | 19,147 | 30,723 | 7,247 | 35,400 | 1,302 | 30,000 | 6,66 |
| | कुल : | 584,310 | 487,622 | 594,506 | 354,627 | 575,924 | 171,971 | 566,000 | 109,780 | 529,214 | 226,946 |

## सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान करना

1711. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करने वाले उनके सहयोगियों को मिलने वाले वेतन की तुलना में कम वेतन दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी सरकारी परियोजनाएं अधिकांशतः सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाती है;

(ग) क्या यह भी सच कि सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतन के बराबर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) सहकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों से अलग हैं।

(ख) जी नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लगभग 82 प्रतिशत वित्त पोषण सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया गया।

(ग) और (घ) सहकारिता राज्यों का विषय है। अधिकतर राज्यों में सहकारी समिति अधिनियमों में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की अहर्ताएं, परिलब्धियां, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को विनियमन करने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित होती हैं। इसलिए सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का विनियमन करने के किसी प्रस्ताव का केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

## सिगरेट निर्माता कम्पनियों की ओर उत्पादन शुल्क की बकाया राशि

1712. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड और वजीर सुल्तान टोबेको इंडस्ट्रीज, गाडफे फीलिप्स इंडिया लिमिटेड, गोल्डन टोबेको लिमिटेड तथा अन्य सिगरेट निर्माता कम्पनियों पर करोड़ों रुपए का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का प्रबन्ध करने वालों के विरुद्ध कदाचारों के आरोप**

1713. **प्रो० रामकृष्ण मोरे**
**श्री मोहम्मद महफूज अली खां** } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित कतिपय मिलों का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जिनके विरुद्ध कदाचार के गम्भीर आरोप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित कितने मिलों (नाम सहित) का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं;

(ग) क्या इन मिलों का प्रबन्ध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का विचार है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) और (ख) महाप्रबन्धकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों के आरोप की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती हैं। इस समय 9 ऐसी मिलें हैं। अहमदाबाद जुपिटर मिल्स, अहमदाबाद और इण्डिया युनाइटिड मिल्स संख्या 2, बम्बई के मामले में सम्बन्धित महाप्रबन्धक पर जुर्माना डाला गया है। शेष मामलों में जांच/कार्यवाही लम्बित है और मिलों के नाम बताना लोकहित में नहीं होगा। प्रत्येक मामले में आरोपों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सभी 9 मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो या विभागीय जांच के अन्तर्गत आते हैं। दो मामलों में जांच पूरी हो गई है और मामूली जुर्माने डाले गए। तीन अन्य मामलों में जांच पूरी हो गई है और एन० टी० सी० द्वारा उचित कार्यवाही की प्रोसेसिंग की जा रही है।

**विवरण**

**आरोपों की सूची**

1. कच्चे माल की कमी पाई गई।

2. परिवहन के आर्डर देने में अनियमितताएं।

3. देर से अदायगी में नकद छूट देना, बिक्री में कुछ पार्टियों का पक्ष लेना आदि।

4. छपाई मशीन की देर से डिलीवरी के लिए जुर्माने के खण्ड पर आग्रह न करना।

5. स्टोर की चीजों की अनियमित खरीद।

6. अपनी पहली नौकरी में कथित झूठे यात्रा भत्ते दावे।

7. कोटेशन बिना मांगे मशीनों की खरीद, स्टाफ कार का दुरुपयोग आदि।

8. रंगों, रसायनों की खरीद, आस्तियों का अर्जन आदि।

9. भुगतान प्राप्त किए बिना दस्तावेजों की कपटपूर्ण डिलीवरी।

**विभिन्न करों आदि की वसूली की कुल लागत**

1714. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) आय कर, (2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, (3) सीमा शुल्क जैसे विभिन्न करों की वसूली की कुल लागत कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी नीति तैयार करने का है जिसके द्वारा सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के उपाय के रूप में करों की वसूली की लागत को कम किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है और ये उपाय किस स्तर पर कार्यान्वित किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राजस्व की वसूली की लागत में कमी करने के तरीकों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए आय कर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क के सम्बन्ध में वसूली की लागत का प्रतिशत अनुपात निम्न प्रकार से है।

| कर/शुल्क | वसूली की लागत का प्रतिशत अनुपात (वित्तीय वर्ष 1984-85) |
|---|---|
| 1. प्रत्यक्ष कर | 2.17% |
| 2. सीमा शुल्क | 0.04% (अनंतिम) |
| 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | 0.64% |

(ख) से (घ) इस प्रकार राजस्व वसूली को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना और उसकी वसूली

पर व्यय को न्यूनतम सीमा तक कम करना और इस प्रकार विभिन्न करों की वसूली लागत को कम करना एक अनवरत कार्यवाही है। तदनुसार, लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के राजस्व वसूली के आंकड़ों और उनकी वसूली व्यय पर सतत निगरानी रखी जाती है। केन्द्रीय सरकार का अपने गैर-योजना व्ययों में कुल 5 प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य है जिसमें राजस्व विभाग और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या को, जहां सम्भव हो, घटाना शामिल है जो कार्यक्षमता और अतिरिक्त राजस्व वसूली अभियान के अनुरूप हैं।

## नीलाचल इस्पात निगम को पारादीप से दैतारी ले जाया जाना

1715. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात परियोजना (उड़ीसा) को क्रियान्वित करने के लिए पूर्णरूप से केन्द्र सरकार के स्वामित्व में 27 मार्च, 1982 को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी लगाई गई थी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कुछ समय बाद इसका स्थान पारादीप से दैतारी बदलने का निर्णय लिया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि पारादीप का प्रतिकूल मौसम और स्थल परिस्थितियां इसके लिए उपयुक्त नहीं होंगी; और

(ग) यदि हां, तो इसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मिट्टी की जांच तथा कच्चे माल का परीक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा जल की उपलब्धि के बारे में अध्ययन भी कर लिए गए हैं। समर्थकारी कार्यों के हिस्से के रूप में स्थल के समीप 16.74 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जल की अस्थायी रूप से आपूर्ति की सुविधाओं सहित एक भण्डारण शेड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अविवाहितों तथा परिवारों के लिए बैरक के रूप में 50 क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। जल-आपूर्ति, गन्दे पानी की निकासी की योजना तथा बिजली की सप्लाई सम्बन्धी कार्य हाथ में लिया गया है।

## सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

1716. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कौन-सी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन वस्तुओं की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी हां, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1985-90 के दौरान निर्यात की मात्रा में लगभग 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) यह प्रस्ताव है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों, परम्परागत तथा अपरम्परागत क्षेत्रों से होने वाले निर्यातों में वृद्धि की जाए। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में होने वाले निर्यातों की तुलना में 1989-90 के लिए चुनिन्दा उत्पादों/उत्पाद समूहों के सम्बन्ध में निर्यातों के अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

(1984-85 कीमतें करोड़ रुपये)

| उत्पाद/उत्पाद समूह | 1984-85 (प्राक्कलित) | 1989-90 (अनुमानित) |
|---|---|---|
| चाय | 718 | 770 |
| काजू गिरि | 217 | 312 |
| समुद्री उत्पाद | 388 | 446 |
| लौह अयस्क | 438 | 608 |
| सूती वस्त्र | 380 | 440 |
| सिले-सिलाए परिधान | 875 | 1336 |
| इंजीनियरी माल | 870 | 1862 |
| रासायनिक और सम्बद्ध उत्पाद | 760 | 1224 |
| रत्न तथा आभूषण | 1367 | 1663 |

**कृष्णा जिले (आन्ध्र प्रदेश) के इब्राहीम पटनम में आंध्र बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखाएं खोलना**

1717. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र बैंक और सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने इब्राहीम पटनम जिला कृष्णा, आंध्र

प्रदेश ने अपनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) इब्राहीम पत्तनम के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दोनों बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कब तक अनुमति दी जाएगी ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, इब्राहीम पत्तनम जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश मे शाखा खोलने के लिए केवल आंध्र बैंक ने आवेदन किया है। वर्ष 1982-85 का शाखा विस्तार कार्यक्रम पूरा हो चुका है और सभी सम्बद्ध तथ्यों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त आवेदन को व्यपगत मान लिया है।

(ख) 5370 जनसंख्या वाले इब्राहीम पत्तनम केन्द्र की बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकताएं इस समय भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा द्वारा पूरी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मत है कि इस केन्द्र में बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त हैं और इस समय एक अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है।

## भारतीय स्टेट बैंक की सिंगापुर शाखा को क्षति

1718. **डा० बी० एल० शैलेश**
**श्री सनत कुमार मंडल** } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगापुर में वित्तीय संस्थानों के सम्बन्ध में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार क्या भारतीय स्टेट बैंक की सिंगापुर शाखा को वर्ष 1984 में 24 करोड़ रुपये का निवल घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस 24 करोड़ रुपये के घाटे का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशों में उन शाखाओं के नाम क्या हैं जिनमें इसी प्रकार का घाटा हुआ है; तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इस प्रकार के घाटे को कम करने और विदेश में अलाभप्रद शाखाओं को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) बैंकिंग परिचालनों में कुछ ऋणों के अशोध्य हो जाने का खतरा बना ही रहता है। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों सहित, वाणिज्यिक बैंक प्रति वर्ष अपनी वार्षिक आय में से अपने लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की अपनी देनदारी को पूरा करने के लिए व्यवस्था करते हैं और उनके प्रबन्ध द्वारा अन्ततोगत्वा वसूली के योग्य न समझे जाने वाले ऋणों को इस प्रकार की गई व्यवस्था के मुता-

बिक बट्टे खाते डाल देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने भी सिंगापुर शाखा के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों सहित अपनी देनदारी पूरी करने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत निर्धारित तुलन पत्र तथा लाभ-हानि विवरण के प्रपत्र और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अशोध्यऔर संदिग्ध ऋणों जिनके लिए बैंकों द्वारा अपने लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई होती है, ब्यौरा प्रकट नहीं किया जाता। इसे देखते हुए इस सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। भारतीय रिजर्व बैंक ने, फिर भी, सूचित किया है कि उसने पहले ही भारतीय स्टेट बैंक को सिंगापुर शाखा में हुई विभिन्न ऋण को हानियों की जांच करने और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक की कुछेक अन्य शाखाओं और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों को वर्ष 1984 में हुई ऋण हानियों की सूचना मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ऐसा कुछ बड़े ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋणों के डूब जाने और कुछ देशों से भुगतानों के विदेशी मुद्रा में न बदलने की समस्या के कारण हुआ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशी शाखाओं के कार्य निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जाती है। बैंकों को सभी विदेशी शाखाओं के कार्यकरण को मजबूत करने और अलाभप्रद शाखाओं को यदि वे अर्थक्षम नहीं हैं, बन्द करने के अनुदेश पहले ही जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

**महाप्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा की गई धोखाधड़ी**

1719. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के महाप्रबन्धक के विरुद्ध 20 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) बैंकों में इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस मामले में शामिल 13 बैंक अधिकारियों के विरुद्ध रिजर्व बैंक की सिफारिश के आधार पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(ग) सभी बैंकों में अपना-अपना आंतरिक निरीक्षण और सतर्कता तंत्र होता है। बैंकों के

निरीक्षक समय-समय पर सभी शाखाओं का निरीक्षण करते हैं। जब कभी अनियमितताएं ध्यान में आती हैं तब बैंकों के सतर्कता तंत्र द्वारा निरीक्षण/जांच भी की जाती है। जब कभी किसी बैंक की धोखाधड़ी का पता चलता है, या धोखाधड़ी उसके ध्यान में लाई जाती है तो बैंक प्रारम्भिक जांच करता है और बैंक निष्कर्षों के आधार पर एक सम्पूर्ण विभागीय जांच करने का निर्णय लेता है या मामले स्थानीय पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा पुलिस अथवा आंतरिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर बैंक अपने उन कर्मचारियों को सजा देता है जो धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं या जिनकी चूक अथवा लापरवाही से धोखाधड़ी हुई होती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी निरीक्षणों और विवरणियों के माध्यम से बैंकों के कार्य पर नजर रखता है। बैंकों से अपने नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा गया है जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा/नियंत्रण तंत्र भी शामिल हैं। उनसे इस तंत्र को और प्रभावशाली बनाने के लिए भी कहा गया है ताकि धोखाधड़ी और कदाचारों की गुंजाइश न रहे। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को समय-समय पर चतुर प्रकार की धोखाधड़ियों को परिचारित करता रहता है और उन्हें आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने का परामर्श देता है। बैंकों के बोर्डों की बैठकों में भी धोखाधड़ियों की समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष जांच कक्ष स्थापित किया गया है जो बड़ी-बड़ी धोखाधड़ियों के सम्बन्ध में कार्य करता है और उन पर नजर रखता है तथा अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

### बैंक अधिकारियों की हड़ताल

1720. **श्री सरफराज अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक अधिकारियों ने 13 अगस्त, 1985 को सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उन्हें हड़ताल न करने की चेतावनी दी थी; और

(ग) यदि हां, तो हड़ताल में शामिल होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और हड़ताल में कितने अधिकारियों ने भाग लिया था ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) यह सच है कि विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों में कार्यरत बैंक अधिकारियों को छोड़कर कुछ बैंक अधिकारियों ने जो बैंक अधिकारी संगठन के अखिल भारतीय महासंघ के सदस्य हैं, महासंघ द्वारा किए गए आह्वान पर दिनांक 13 अगस्त, 1985 को एक दिन की हड़ताल की थी।

(ख) सरकार द्वारा बैंकों के अधिकारियों को आन्दोलन अथवा हड़ताल का मार्ग न अपनाने के लिए अपील जारी की गई थी, क्योंकि इससे जनजीवन में काफी बाधा आएगी और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया था कि हड़ताल के दिन बैंक खुले रहें और सभी अनिवार्य सेवायें चलती रहें। बैंकों को अपने अधिकारियों को हड़ताल पर जाने के नतीजों, जिनमें पूरे दिन के

वेतन की कटौती और उनके खिलाफ की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई भी शामिल हैं, के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था।

(ग) भारतीय बैंक संघ के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार तकरीबन सभी बैंकों ने दिनांक 13 अगस्त, 1985 को हड़ताल पर गये सभी अधिकारियों का उस दिन का वेतन काट लिया था। चूंकि बाद में बैंक अधिकारी संगठन के अखिल भारतीय महासंघ ने आन्दोलन कार्यक्रम वापस ले लिया था और अधिकारियों के वेतन संशोधन संबंधी मामले का, जिसके हड़ताल का आह्वान किया गया, मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था। अतः बैंकों ने आमतौर पर अधिकारियों के विरुद्ध कोई और कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। भारतीय बैंक संघ के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त हड़ताल में लगभग 62832 अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।

## ऋण मेलों के बारे में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सरकारों की शिकायतें

1721. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सरकारों ने यह शिकायत की है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा उनके राज्यों में आयोजित ऋण मेलों के संबंध में उनका सहयोग प्राप्त नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में वस्तुस्थिति क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा आवास और पट्टे के लिए धन देने का प्रस्ताव

1722. **श्री के० एस० राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट आवास और पट्टे के लिए सीधे धन दिए जाने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 1985 में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट को आवासन तथा लीजिंग के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष वित्त पोषण का कारबार कर सकने के योग्य बनाने के लिए व्यवस्था की गई है।

**संपदा शुल्क के विचारार्थ पड़े मामले**

1723. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1985 को संपदा शुल्क के विचारार्थ पड़े मामलों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या बकाया मामलों की संख्या कम करने के लिए एक निश्चित वित्तीय सीमा तक संक्षिप्त निर्धारण प्रणाली आरम्भ करना संभव नहीं है;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) 1 जुलाई, 1985 की स्थिति के अनुसार सम्पदा-शुल्क के 26711 मामले अनिर्णित थे।

(ख) से (घ) जिन मामलों में विवरणी में दिखाया गया मूल मूल्य 3 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, उनमें संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना लागू करने की बाबत सरकार अनुदेश जारी कर चुकी है।

**दैनिक अल्प बचत संग्रहकर्ताओं की सेवा शर्तें नियमित करना**

1724. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगाए गए दैनिक अल्प बचत संग्रहकर्त्ताओं की सेवा की शर्तें नियमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) चूंकि अल्प बचत संग्रहकर्त्ता केवल अल्प बचतों का संग्रह करने के प्रयोजन से एजेंट के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए उन्हें संबंधित बैंक और उनके बीच हुए समझौते के अनुसार केवल कमीशन मिलता है। सेवा शर्तें केवल बैंक कर्मचारियों के लिए होती हैं और चूंकि अल्प बचत संग्रहकर्त्ता बैंक कर्मचारी

नहीं हैं, इसलिए उनकी सेवा शर्तों को नियमित करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

### उत्तरी बंगाल की चाय कम्पनियों के समक्ष संकट

1726. **श्री रेणुपद दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकार द्वारा लगाये गये कुछ निर्बन्धनों के कारण उत्तरी बंगाल की चाय कम्पनियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए अब तक क्या उपाय किए हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### 25,000 रुपये से अधिक आय वाली कंपनियों और न्यासों और 1,00,000 रुपये से अधिक वाली अन्य निर्धारितियों की संख्या

1727. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों और न्यासों की संख्या क्या है जिनकी घोषित कुल आय पिछली बार फाइल किये गये विवरण के अनुसार 25,000 रुपये से अधिक है; और

(ख) न्यासों और कंपनियों के अतिरिक्त उन अन्य निर्धारितियों को कुल संख्या क्या है जिनकी कुल घोषित आय पिछली बार फाइल किये गये विवरण के अनुसार 1,00,000 रुपये से अधिक है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जिन कंपनियों और न्यासों की विवरणीगत आय 31.3.1984 की स्थिति के अनुसार 25,000.00 रुपये से अधिक थी, उनकी संख्या क्रमशः 14,428 और 10,054 थी।

(ख) न्यासों और कम्पनियों के अलावा जिन कर निर्धारितियों की विवरणीगत आय 31.3.1984 की स्थिति के अनुसार 1,00,000.00 रुपये से अधिक थी उनकी संख्या 90,101 थी।

### पटसन मिलों का बन्द किया जाना

1728. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितनी पटसन मिलों में तालाबन्दी है अथवा लगातार बन्द पड़ी हुई हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मिलों के तालाबन्दी तथा इनके बन्द होने के कारण कुल कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) इन मिलों को फिर से खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) और (ख) इस समय, देश में कुल 6 पटसन मिलें, जिनसे लगभग 19,700 श्रमिक प्रभावित हैं, बन्द/तालाबंद पड़ी हैं। इनमें से 18,700 श्रमिकों को प्रभावित करने वाली 5 मिलें पश्चिम बंगाल में हैं तथा लगभग 1000 श्रमिकों को प्रभावित करने वाली एक मिल असम में है। (उपरोक्त आंकड़ों में पश्चिमी बंगाल में लगभग 6,900 श्रमिकों को प्रभावित करने वाली 3 स्थायी रूप से बन्द पड़ी पटसन मिलें, जिनकी पुनः खुलने की आशा नहीं है, शामिल नहीं हैं)।

(ग) चूंकि यह विषय संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार में आता है इसलिए मामले में उन्हीं को ही समुचित कार्यवाही करनी होती है।

**चाय की निर्यात नीति में परिवर्तन**
**किये जाने के पीछे उद्देश्य**

1729. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चाय की निर्यात नीति में परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और प्रत्येक अवसर पर किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक अवसर पर किये गए नीति संबंधी परिवर्तनों के क्या कारण थे और उनके उद्देश्य क्या थे;

(घ) क्या वे उद्देश्य पूरे हुए; और

(ङ) यदि हां, तो मात्रा और मूल्य के रूप में लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाले विस्तृत विवरण का ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ङ) विगत में चाय उद्योग में स्थिर कीमतें बनी रही हैं और बहुत छोटी-छोटी अवधियों के लिए कीमतों में तीव्र वृद्धि या गिरावट आई। 1982 के मध्य से लेकर स्थिति असाधारण रही है।

1983 में विश्व उत्पादन में लगभग 95 मिलियन कि०ग्रा० की वृद्धि और साथ ही भारतीय उत्पादन में 22 मिलियन कि०ग्रा० वृद्धि के बावजूद चाय की कीमतों में बहुत ही तीव्र वृद्धि हुई। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से तथा भारत में यह सम्भावना थी कि उच्च कीमतें लम्बे समय तक उच्च स्तर पर नहीं बनी रहेंगी और 1984 में उनमें गिरावट आएगी। जनवरी से मार्च तक कम उत्पादन वाले महीनों में कमी की सम्भव स्थिति पर काबू पाने के लिए 23 दिसम्बर, 1983 को सी० टी० सी० चाय के निर्यात पर रोक लगाई गई। सी० टी० सी० चाय की खपत भारत में आमतौर पर सबसे अधिक है। स्वयं चाय बहुत ही सस्ता और सबसे अधिक लोकप्रिय पेय है और इसे अत्यावश्यक वस्तु घोषित किया गया है। इसका घरेलू कीमतों में तेजी से गिरावट लाने में तत्काल प्रभाव पड़ा।

रोक को मई 1984 में हटा दिया गया, जबकि नये मौसम का उत्पादन बाजार में आना शुरू हो गया था और भारत तथा अन्य उत्पादक देश दोनों में चाय के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि की संभावना थी। तथापि, निर्यात मांग में कोई कमी नहीं आई।

कीमतों में वृद्धि को अगस्त तक सहन किया गया और उस समय सर्वोत्तम निर्यात कीमतों की चाय का बाजार में प्रवेश हुआ। क्वालिटी अवधि की समाप्ति पर 3 सितम्बर 1984 से घरेलू कीमतों को नियन्त्रण में रखने के लिए निर्यात प्रतिबन्धों को फिर से लागू करने का निश्चय किया गया।

तथापि इस बात की सावधानी बरती गई कि 215 मिलियन कि०ग्रा० का पूर्व घोषित लक्ष्य पूरा हो जाए, हमारी सभी वचनबद्धताएं पूरी हो जाएं और हमारे मुख्य व्यापार भागीदारों के निर्यात पिछले वर्ष के स्तर से तुलनीय हों।

1984 की स्थिति भी अप्रत्याशित थी, क्योंकि विश्व में चाय का उत्पादन 141 मिलियन कि०ग्रा० बढ़ा, जबकि खपत में सामान्य अनुमानित वृद्धि 40 मिलियन कि०ग्रा० की हुई। अधिक सप्लाई से कीमतों में तीव्र गिरावट आनी चाहिए थी। चाय की कीमतों के अस्थिर व्यवहार को देखते हुए ऐसा महसूस किया गया कि 1985 में निर्यात को पूरे वर्ष इस प्रकार विनियमित किया जाए ताकि घरेलू कीमतें स्थिर बनी रहें और विदेशी मुद्रा की आय अनुकूलतम हो। ऐसा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की गई विभिन्न किस्मों की चाय की तिमाही आधार पर न्यूनतम निर्यात कीमतों और निर्यात कोटों की व्यवस्था द्वारा करने की कोशिश की गई। इस नीति से 1985 की पहली छमाही में अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में बहुत ही तीव्र गिरावट आने के बावजूद निर्यातों पर उच्च इकाई मूल्य वसूली बनाए रखने में सफलता प्राप्त हुई। घरेलू कीमतों में कमी लाने का उद्देश्य भी पूरा हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय अधिशेष स्थिति के पैदा होने और कीमतों के गिरने को देखते हुए चाय विपणन योजना के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष निर्यात प्रतिबंधों में उत्तरोत्तर ढील दी गई है। यह देखा जा सकता है कि सरकार ने इस अवधि के दौरान चाय की परिवर्तनशील और अप्रत्याशित स्थिति के प्रति लचीले ढंग से और शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की तथा इस स्थिति में घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखते हुए तथा विदेशी मुद्रा की अनुकूलतम आय करते हुए उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्यों को काफी हद तक पूरा किया गया है।

भारतीय उत्पादन और निर्यातों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|---|
| 1. उत्पादन (मिलियन किग्रा० में) | 561 | 587 | 645 | 660** अपेक्षित |
| 2. निर्यात (मिलियन किग्रा० में) | 189 | 209 | 215 | 220** निर्धारित लक्ष्य |
| 3. निर्यातों पर इकाई मूल्य वसूली (प्रति किग्रा०) | 18.72 | 24.79 | 34.69 | 33.82 (जनवरी से अक्तूबर) |

## नीलामी से पूर्व की चाय का अवैध भंडारण

1730. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नीलामी से पूर्व की चाय के अवैध भण्डारण तथा पंजीकृत गोदामों द्वारा अन्य गोदामों के लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शिकायत की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) नीलामी से पूर्व चाय के अनधिकृत भण्डारण के बारे में नीलामी नियमों का उल्लंघन करने तथा चाय भण्डारण (लाइसेंसिंग) आदेश, 1980 के अधीन जारी की गई लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कलकत्ता में एक पंजीकृत भण्डागार के खिलाफ जून, 1985 में एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत को चाय बोर्ड द्वारा कलकत्ता टी ट्रेडर्स एसोसियेशन को, जो कलकत्ता में सार्वजनिक चाय नीलामियों की आयोजक तथा पूर्व-नीलामी भण्डागारों को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत है, भेज दी गई है। एसोसियेशन ने मामले की जांच पड़ताल की और स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की।

## मद्रास में स्कूलों में युवा संसद

1731. श्री एन० डेनिस : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने स्कूलों में युवा संसद चलाने के लिए शिक्षा निदेशालय (स्कूल) मद्रास के साथ सहयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें नियमित रूप से चलाया जाता है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी हां। तीन विभिन्न अवसरों पर केन्द्रीय संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों ने, मद्रास शहर में युवा संसद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यालयों के अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों को युवा संसद का प्रशिक्षण दिया। तमिलनाडु सरकार के दो अधिकारियों ने भी इस विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(ख) राज्य सरकारों को, सिवाय इसके कि जब उन्हें वित्तीय सहायता लेनी होती है, अपने विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं के संचालन के संबंध में इस विभाग को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजना होता है।

तथापि, तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए दो वर्षों अर्थात् 1980-81 और 1982-83 के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की।

## गांव पीर सलुही (जिला कांगड़ा) में हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखा खोलना

1732. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला कांगड़ा में गांव पीर सलुही में हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने की स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह शाखा कब तक खोल दी जाएगी और इसमें बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## भारतीय कपास निगम द्वारा गुंटूर और प्रकाशम जिलों के कपास उत्पादकों के पास पड़ी कपास की खरीद

1733. **श्री सी० सम्बु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुंटूर और प्रकाशम जिलों के कपास उत्पादक किसानों के पास कपास की एक लाख से अधिक गाठें पड़ी हैं;

(ख) भारतीय कपास निगम द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद न किए जाने और इस प्रयोजन के लिए नये केन्द्र न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गुंटूर और प्रकाशम जिलों के किसानों के इस सम्बन्ध में सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) ऐसा बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, गुंटूर और करनूल जिलों में किसानों के पास लम्बी रेशे की कपास की लगभग 1 लाख गांठें पड़ी थीं।

(ख) भारतीय रुई निगम उस स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतों पर खरीदारियां करता है जहां कहीं कीमतों का रुख न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे गिरता है। तथापि, न्यूनतम समर्थन कीमतें कपास की मध्यम औसत क्वालिटी के संदर्भ में निर्धारित की जाती हैं। क्वालिटी अन्तर के कारण, जहां आवश्यक हो, निगम द्वारा उचित कटौतियां की जानी अपेक्षित हैं। निगम अनेक बातों जैसे विनियमित बाजारों का उचित रूप से चलना, पर्याप्त प्रोसेसिंग और भण्डारण सुविधाएं और प्रस्तावित केन्द्रों और उसके पास के क्षेत्रों में कपास की अनुमानित आवकों पर विचार करने के पश्चात नए खरीद केन्द्रों को खोलता है।

(ग) इस सम्बन्ध में उठाए गए कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) विनियमित बाजारों के कार्य को सुव्यवस्थित करना।

(2) आन्ध्र प्रदेश में सी० सी०आई० की अवस्थापना को सुदृढ़ करना।

(3) किसानों के पास 1984-85 मौसम के बिना बिके कपास के स्टाकों के विपणन के लिए विशेष उपाय।

(4) रुई की खरीद के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखने के लिए आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक केन्द्रीय दल का भेजना।

(5) 1985-86 रुई मौसम के लिए रुई की विभिन्न किस्मों की न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा करना।

(6) भारतीय रुई निगम को कीमत समर्थन कार्यों का उत्तरदायित्व लेने के लिए प्राधिकृत करना।

(7) चालू रुई मौसम के दौरान निर्यात के लिए रुई की रिलीज करना।

**हथकरघों को पश्चिम बंगाल में अपनी बिक्री बढ़ाने हेतु सहायता**

1734. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में हथकरघा कपड़ों को प्रिय बनाने और वहां इसकी बिक्री बढ़ाने हेतु हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर छूट की अनुमति देने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) हथकरघा कपड़े को लोकप्रिय बनाने और उसकी बिक्रियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार 1975-76 से और आगे के लिए हथकरघा उत्पादों की बिक्री पर विशेष छूट की एक योजना चलाती रही है। छूट, जो 20 प्रतिशत तक सीमित है, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से वहन की जाती है। वर्ष 1985-86 के दौरान, भारत सरकार ने 45 दिनों की अवधि के लिए और साथ ही हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा अनुमोदित तथा आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों के लिए हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट की योजना की अनुमति दी। इस योजना की अन्य मुख्य बातें निम्नलिखित अनुसार हैं : —

(1) छूट हथकरघा कपड़े की उन्हीं बिक्रियों पर लागू होगी जो बुनकर सहकारिताओं की शीर्ष संस्थाओं/हथकरघा विकास के प्रभारी राज्य हथकरघा विकास निगमों, खुदरा बिक्री केन्द्र रखने वाली बुनकर सहकारी समितियों और हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित किए गए तथा उसमें अन्तर्ग्रस्त ऐसे अन्य राज्य निकायों के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर की जाएगी।

(2) अलग-अलग राज्य वर्ष के दौरान किसी समय पर छूट योजना चलाने के लिए स्वतंत्र हैं और छूट की अवधि प्रत्येक 7 दिनों से अन्यून की समयावधियों में विभाजित किया जा सकता है।

(3) अनुमोदित छूट अवधियां अथवा दिन प्रत्येक विशेष राज्य के अन्तर्गत वही होनी चाहिए। तथापि, ये अवधियां स्थानीय त्यौहारों आदि पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न हो सकती हैं।

(4) खुदरा बिक्रियों पर छूट में केन्द्रीय सरकार का अंश सूती हथकरघों की बिक्री के मामले में 50 रु०/रेशम हथकरघों के मामले में 100 रु०/ऊनी हथकरघों के मामले में 150 रु० अथवा एक खुदरा सौदे के मूल्य के 10 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, सीमित होगी।

(5) छूट जनता कपड़े और सिले सिलाए परिधानों की बिक्रियों के सम्बन्ध में प्रयोज्य नहीं होगी।

(6) छूट केवल नियमित बिक्री केन्द्रों अर्थात् वर्ष भर चलने वाले बिक्री केन्द्रों और साथ ही

हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित तथा अनुमोदित राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों में होने वाली बिक्रियों के सम्बन्ध में ही लागू होगी।

उपरोक्त योजना वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर है और पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना को इसके प्रारम्भ से ही चला रही है।

## भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ की निर्यात में वृद्धि की सम्भावना

1735. श्री दिनेश सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ ने निर्यात में लगभग 18 प्रतिशत वृद्धि करने की संभावना बताई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां। फिक्की के अनुमानों के अनुसार, 1984-85 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान आयातों में 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से मिश्रित वृद्धि होगी। उनके विचार से इतने बड़े आयात बिल को पूरा करने के लिए निर्यातों में स्थायी कीमतों पर लगभग 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करनी होगी।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पंचवर्षीय अवधि (1985-90) में 1984-85 की कीमतों के आधार पर निर्यातों में लगभग 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि होने का अनुमान है।

## विमान चलाने का प्रशिक्षण देने हेतु विमान खरीदने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

1736. श्रीमती इन्दुमति भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से विमान चलाने का प्रशिक्षण देने हेतु विमान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा दिए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) विदेशी मुद्रा देने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य राज्यों में विमान चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए

विमान खरीदने हेतु दी गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, बेहाला के लिए एक केसना 152 एरोबेट हवाई जहाज के आयात के लिए 4,73,450/-रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए अनुरोध किया है। विदेशी मुद्रा संसाधनों की तंगी के कारण इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है।

(ङ) पिछले 2 वर्षों में किसी भी अन्य राज्य को उड़ान सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए हवाई जहाज खरीदने के वास्ते कोई विदेशी मुद्रा जारी नहीं की गई है।

**भारत पर्यटन विकास निगम के योजना और गैर-योजना बजट प्राक्कलन और वास्तविक व्यय**

1737. **श्री सोडे रामैय्या** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और 30 सितम्बर, 1985 तक भारत पर्यटन विकास निगम के योजना और गैर-योजना बजट प्राक्कलन क्या थे और वास्तविक व्यय कितना हुआ तथा तत्सम्बन्धी शीर्षवार ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

विवरण -1

गत 3 वर्षों और सितम्बर, 1985 तक के दौरान योजनागत (पूंजीगत) अनुमान और शीर्षवार वास्तविक खर्च

| क्रम सं० | स्कीम का नाम | 1982-83 | | 1983-84 | | 1984-85 | | 1985-86 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमानित राशि | वास्तविक व्यय | अनुमानित राशि | वास्तविक व्यय | अनुमानित राशि | वास्तविक व्यय | अनुमानित राशि | वास्तविक व्यय 30 सितंबर 85, तक (अनुमानित) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | (लाख रुपयों में) | | |
| | योजनागत स्कीमें | | | | | | | | |
| 1. | चालू स्कीमें | 190.00 | 314.70 | 205.00 | 117.46 | 59.00 | 35.10 | 76.00 | 24.65 |
| 2. | नई स्कीमें | | | | | | | | |
| | (क) संयुक्त उद्यम | 75.00 | 17.89 | 71.00 | 75.00 | 85.00 | 72.00 | 30.00 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की स्कीमें | 833.00* | 791.65 | 227.00 | 192.34 | 167.00 | 147.76 | 159.00 | 46.24 |
| 3. | विस्तार स्कीमें | 35.00 | 3.17 | 68.00 | 11.99 | 142.00 | 61.69 | 165.00 | 14.57 |
| 4. | बर्तमान होटलों/पथिक निवासों में वृद्धि/परिवर्तन | 130.00 | 82.14 | 100.00 | 39.21 | 160·00 | 103.73 | 310.00 | 118.74 |
| 5. | भारत तथा विदेशों में पर्यटन परियोजनाओं में निवेश | 5.00 | — | — | — | 2.00 | -- | — | — |
| 6. | परिवहन एककों की स्थापना तथा विस्तार | 400.00 | 365.13 | 35.00 | 3.00 | 100.00 | 96.83 | 30.00 | 0.01 |
| 7. | नैम/चोगम/डब्ल्यू० टी० ओ० आदि | 220.00 | 157.87x | 407.00 | 332.70 | 55.00 | 82.46 | — | — |
| 8. | अन्य स्कीमें | 186.00 | 155.13 | 37.00 | 23.16 | 30.00 | 19.18 | 30.00 | 1.99 |
| | जोड़ : | 2074.00* | 1887.68x | 1150.00 | 794.86 | 800.00 | 618.75 | 800.00 | 206.20 |

x पर्यटन विभाग/राज्य सरकारों की ओर से खर्च किए गए 46.57 लाख रुपयों सहित।

* वित्तीय संस्थानों से 713 लाख रुपये के ऋण सहित।

## विवरण

**गत तीन वर्षों और सितम्बर, 85 तक के दौरान गैर-योजनागत (पूंजीगत) अनुमान और शीर्षवार वास्तविक खर्च**

(लाख रुपयों में)

| क्रम सं० | स्कीम का नाम | 1982-83 | | 1983-84 | | 1984-85 | | 1985-86 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमानित राशि | वास्तविक व्यय | अनुमानित राशि | वास्तविक व्यय | अनुमानित राशि | वास्तविक व्यय | अनुमानित राशि | सितम्बर, 1985 तक वास्तविक व्यय (अनुमानित) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | गैर योजनागत | | | | | | | | |
| 1. | ऋण की वापसी | 263.69 | 263.69 | 332.82 | 532.82* | 349.60 | 349.59 | 387.20 | 224.73** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | फर्नीचर, मशीनरी कम्प्यूटर आदि | 21.50 | 60.75 | 21.50 | 42.54 | 16.40 | 23.19 | 56.80 | 8.90 |
| 3. | सिविल, सफाई व बिजली कार्य | 18.50 | 12.63 | 18.50 | 8.78 | 10.00 | 17.55 | 15.00 | 2.91 |
| 4. | कर्मचारियों को पेशगी | 35.00 | 21.96 | 30.00 | 16.19 | 30.00 | 25.27 | 30.00 | 13.93 |
| 5. | आवासीय फ्लैटों की खरीद | — | — | — | — | 15.00 | 31.00 | 15.00 | — |
| | जोड़ : | 338.69 | 359.03 | 402.82 | 600.33 | 421.00 | 446.60 | 504.00 | 250.47 |

* इसमें संशोधित बजट अनुमानों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थानों को ऋण की वापसी के रूप में दिए गए 200 लाख रुपये शामिल हैं।

** इसमें बजट अनुमानों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थानों को ऋण की वापसी के रूप में दिए गए 100 लाख रुपये शामिल हैं।

## गुजरात के कस्बों में कम मूल्य के सिक्कों की कमी

1738. **श्री यू० एच० पटेल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के बलसार, बड़ोदरा, सूरत, खेड़ा और आनन्द जिलों में कम मूल्य के सिक्कों और नोटों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कस्बों और नगरों तथा विशेष रूप से गांवों में लोग इस सम्बन्ध में भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्हें और अधिक कम मूल्य के सिक्के तथा नोट उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त जिलों में विभिन्न बैंकों तथा अन्य वितरक एजेन्सियों को कम मूल्य के कुल कितने सिक्के और नोट दिए गए ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (जनार्दन पुजारी)** : (क) गुजरात राज्य के इन जिलों से छोटे सिक्कों और कम मूल्य वर्ग के नोटों की कमी के सम्बन्ध में रिपोर्टें हुई हैं।

(ख) राज्य में मार्च-जुलाई, 1985 की अवधि के दौरान कानून और व्यवस्था की असंतोषजनक परिस्थितियों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्कों और नोटों के लाने ले जाने में बाधा आई थी। कमी की अवधि के दौरान जनता के बीच सिक्कों और नोटों की जमाखोरी की प्रवृत्ति ने भी समस्या को गम्भीर बना दिया।

(ग) और (घ) यद्यपि छोटे सिक्कों और कम मूल्य वर्ग के नोटों की कम पूर्ति के कारण गांवों और छोटे नगरों के लोगों, विशेष रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों, को पेश आई कठिनाइयों के सम्बन्ध में विगत में रिपोर्टें हुई हैं, किन्तु पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य में कमी वाले सभी उप-क्षेत्रों की पूर्ति में सुधार हुआ है। नवम्बर, 1985 के पहले सप्ताह तक, राज्य में करेंसी चेस्टों/छोटे सिक्के के डिपुओं के लगभग 70 प्रतिशत को नोट/सिक्के मुहैय्या कर दिए गए हैं।

(ङ) कैलेन्डर वर्ष 1985 में अब तक प्रश्न में उल्लिखित जिलों में करेंसी चेस्टों/छोटे सिक्के के डिपुओं को छोटे मूल्य वर्ग के नोटों और सिक्कों की पूर्ति के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :

(मूल्य लाख रुपयों में)

| क्र० सं० | जिला | 2 रुपए के नोट | 1 रुपए के नोट/सिक्के | छोटे सिक्के |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बलसार | 60.00 | 20.71 | 4.73 |
| 2. | बड़ोदरा | 226.00 | 50.56 | 8.66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | खेड़ा (आनन्द नगर को छोड़ कर) | 70.00 | 29.66 | 6.12 |
| 4. | आनन्द नगर | 30.00 | 9.92 | 4.4 |
| 5. | सूरत | 122.00 | 33.47 | 7.72 |

**बिक्री कर समाप्त करने के कारण केरल को हुआ राजस्व घाटा**

1739. **श्री के० मोहन दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ मदों, जिन पर अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया है, पर बिक्री कर समाप्त करने के कारण केरल को हर वर्ष कितनी आर्थिक हानि हुई है ;

(ख) क्या इसमें योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने में प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस घाटे को पूरा करने के लिए राज्य को विशेष सहायता देने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिसम्बर, 1956 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में चीनी, तम्बाकू तथा वस्त्रों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय वित्त आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार राज्यों में वितरित कर दी जाती है। यह अधिनियम राज्य सरकारों का इन जिन्सों पर बिक्री कर लगाने के लिए रोकता नहीं है। लेकिन, इसमें ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई राज्य सरकार इन जिन्सों पर बिक्री कर लगाती है तो उस राज्य को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से उसका हिस्सा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक केन्द्र सरकार अन्यथा निदेश न दे। इस योजना के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार ने सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक स्थायी समीक्षा समिति गठित की है, जिसमें राज्यों के वित्त/राजस्व सचिव तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। स्थायी समीक्षा समिति द्वारा गठित की गई उप समिति ने, जिसमें केरल राज्य सहित केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं, इस योजना के कार्यचालन में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1970 में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वियन की समस्याओं तथा पद्धतियों का अध्ययन किया था और स्थायी समीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट के अनुसरण में कई कदम उठाए हैं तथा स्थायी समीक्षा समिति ने सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में जून, 1983 तथा 30 सितम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठकों में,

जिनमें केरल राज्य सहित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, स्थिति की समीक्षा की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**नई कपड़ा नीति के परिणामों की पुनरीक्षा**

1740. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में घोषित नई कपड़ा नीति से बेरोजगारी की नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या नई कपड़ा नीति के परिणामों की निगरानी पुनरीक्षा करने का कोई विचार है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नियमित आधार पर नीति के कार्यान्वयन तथा समीक्षा के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

**तस्करी में अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों और व्यक्तियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के बारे में नीति**

1741. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कम्पनियों और व्यक्तियों के विरुद्ध कड़े उपाय और प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई नीति तैयार की है, जो तस्करी, विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी करने और कर अपवंचन में अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) तस्करी रोधी पक्ष की ओर से तस्करी क्रियाकलापों में अन्तर्ग्रस्त व्यष्टियों/कम्पनियों के खिलाफ विभागीय तथा न्यायालयों में

मुकदमें चलाकर कड़ी कार्यवाही की जाती है। तस्करी माल के अभिग्रहण तथा वैयक्तिक अर्थदंड लगाने के अलावा, उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत निवारक नजरबन्दी का भी सहारा लिया जाता है। कर्मचारियों तथा उपस्करों में वृद्धि करने के अलावा मुखबिरों/विभागीय अधिकारियों के लिए पुरस्कार नीति को भी उदार बनाया गया है। सरकार ने सभी आर्थिक अपराधों, जिनमें समन्वित तरीके से तस्करी भी शामिल है, से निपटने के लिए एक केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो का भी गठन किया है। तस्करी-रोधी उपायों को तेज किए जाने के परिणामत: वर्ष 1985 के प्रथम 10 महीनों के दौरान पकड़े गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य 159.13 करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 1984 की संगत अवधि के दौरान पकड़े गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य 82.3 करोड़ रु० था तथा 1984 के सम्पूर्ण कैलेण्डर वर्ष के दौरान यह रकम 101 करोड़ रुपए थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1985 के प्रथम 10 महीनों के दौरान 2084 व्यक्ति (अनन्तिम) गिरफ्तार किए गए थे तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 623 व्यक्ति (अनन्तिम) नजरबन्द किए गए थे।

विदेशी मुद्रा विनियमनों के उल्लंघन के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की संवीक्षा की गई थी तथा 1973 में आवश्यक परिवर्तन किए गए थे, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी-निवारण अधिनियम में 1984 में उपयुक्त संशोधन किये गये थे तथा 1982 में क्रेश कार्य योजना तैयार की थी तथा प्रधान मन्त्री के संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 19 के अनुसरण में लागू की जा रही है। इन उपायों के परिणामत: अक्तूबर, 1985 तक विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी-निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 392 विदेशी मुद्रा के जालसाजों को नजरबन्द किया गया है तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजी गई रकम 1974 में 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 1985 में 7,000 करोड़ रुपये हो गई। केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अनुरूप आसूचना तंत्र में सुधार किये जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की और फैक्ट्रियों पर निवारक जांच और उत्पादन शुल्क नियन्त्रण को तेज कर दिया गया है। उन एककों को लाइसेंस नियन्त्रण में लाने के लिए विशेष अभियान चलाये गए हैं जो तथ्यों को छिपाकर शुल्क के भुगतान से गलत छूट प्राप्त कर रहे हैं, टायरों और हस्त निर्मित रेशों/सूत एककों पर वास्तविक नियन्त्रक पद्धति पुन: प्रारम्भ की गई है। इन उपायों के परिणामत: जनवरी से अक्तूबर, 1985 के दौरान लगभग 189.90 करोड़ रु० की रकम का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अनुमानित कर-अपवंचन से अन्तर्ग्रस्त 5355 मामलों का पता लगाया गया है।

प्रत्यक्ष करों की और कर अपवंचन और काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए समय-समय पर सभी संभव उपाय, जिनमें प्रशासनिक, विधायी तथा संस्थात्मक प्रयास शामिल हैं, किये जा रहे हैं। दीर्घावधि वित्तीय नीति तैयार करने के लिए 'भारत में अवैध अर्थ-व्यवस्था के पहलू' पर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान की रिपोर्ट में निहित सुझावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस दिशा में अब तक किए गए उपायों से अच्छे परिणाम निकले हैं और कर-निर्धारितियों की संख्या और राजस्व वसूलियों में उर्ध्वगति हुई है।

### चित्रकूट का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

1742. **श्री अजीज कुरैशी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि हजारों लोग चित्रकूट की यात्रा करते हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भूमि कहा जाता है और जहां पर भगवान राम ने भी अपने बनवास के दिन बिताये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या चित्रकूट और उसके आस-पास के क्षेत्रों को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से चित्रकूट के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पर्यटन विभाग द्वारा वित्त-पोषित एक पंजीकृत सोसाइटी भारतीय यात्री आवास विकास समिति ने चित्रकूट में 14.00 लाख रु० की लागत पर 100 व्यक्तियों की क्षमता वाली एक यात्रिका का निर्माण किया है।

### देश में विकसित पर्यटन स्थल

1743. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पिछले तीन वर्ष के दौरान विकसित पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(एक) इन स्थानों और राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(दो) उनके लिए किए गए वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(तीन) प्रत्येक स्थल के विकास आदि पर खर्च की गई वार्षिक धनराशि कितनी है; और

(चार) उक्त स्थलों में से प्रत्येक स्थल के शासी निकाय का नाम क्या है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : पर्यटन के विकास के लिए निधियों का आवंटन राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई स्कीमों और खर्च की गई राशि दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1553/85]** जिन सुविधाओं का सृजन किया गया है उनका रख-रखाव और परिचालन संबंधित राज्य सरकार के एक अभिकरण द्वारा या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है।

### भारतीय कपास निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कपास की खरीद

1744. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम के कपास का न्यूनतम मूल्य कितना निर्धारित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कपास निगम आन्ध्र प्रदेश में न्यूनतम मूल्य पर कपास नहीं खरीद रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) रुई की विभिन्न किस्मों की न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि भारतीय रुई निगम द्वारा। भारतीय रुई निगम प्रचलित बाजार कीमतों पर, तथा जब कभी बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों से गिर जाती हैं, तब सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन कीमतों पर रुई की खरीद करता है। निगम रुई उपजाने वाले सभी राज्यों के रुई बाजारों में पहले ही प्रवेश कर चुका है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश शामिल है तथा इसकी खरीदारियां चल रही हैं।

**गेहूं के निर्यात के लिए नए बाजार**

1745. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के प्रत्येक देश द्वारा गेहूं के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनने का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयासों से भारत द्वारा विदेशों को गेहूं के निर्यात पर निकट भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय गेहूं के लिए नए बाजारों का पता लगाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) अनुमान लगाया जाता है कि 1984 के दौरान विश्व गेहूं उत्पादन 523.2 मिलियन टन बढ़ा था जबकि उत्पादन स्तर 1983 के दौरान 495.3 मिलियन टन था। 1985 में विश्व गेहूं उत्पादन 513.3 मिलियन टन के लगभग होने का अनुमान है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय चालू कीमतें कम हैं और उन्होंने भारतीय गेहूं को अप्रयोगी बना दिया है। तथापि, गेहूं के निर्यात के लिए बाजारों का पता लगाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

**'पावरलूम फिलामेंट यार्न' क्षेत्र को कर मुक्त पालिएस्टर फाइबर की सप्लाई**

1746. **श्री श्रीहरि राव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'पावर-लूम फिलामेंट यार्न' क्षेत्र ने यह दावा किया है कि यदि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की तरह इस क्षेत्र को भी कर मुक्त पालिएस्टर फाइबर की सुविधा दी जाती है तो वे बहुत कम दरों पर साड़ियां सप्लाई कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**जूट से बने बोरों आदि का उत्पादन तथा खपत**

1747. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 और 1985 के दौरान जूट से बने बोरों, हसियन क्लाथ तथा कारपेट पेकिंग क्लाथ आदि का पृथक-पृथक कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में जूट से बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं और उनकी खपत कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि जूट मिल मालिकों ने स्वयं अपनी मिलें बन्द कर दी हैं और इसके परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) 1981 तथा 1985 (सितम्बर 1985) के दौरान पटसन उत्पादों की विभिन्न मदों का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :—

**मात्रा : हजार मे० टन में**

| **अवधि** | **हैसियन** | **टाट** | **सी० बी० सी०** | **अन्य** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 (जनवरी-दिस०) | 354.2 | 738.2 | 89.9 | 182.9 | 1365.2 |
| 1985 (जनवरी-सित०) | 205.1 | 509.3 | 26.4 | 140.7 | 881.5 |

(ख) पटसन उत्पादों की परम्परागत मदें हैं : हैसियन (कपड़ा तथा थैले दोनों) टाट (अधिकांशतः थैले), कारपेट बैकिंग क्लोथ, तथा अन्य अनेक मदें जैसे डी०डब्ल्यू० तिरपाल का कपड़ा, कन्वैस, कपड़े के थैले, ऊनी पैक आदि। कुछ विविधीकृत मदों में शामिल हैं, सजावटी वस्त्र, वाल कवरिंग्स, पटसन/एच० डी० पी० ई० ब्लैंडिड फैबरिक्स आदि।

1984-85 के दौरान पटसन के सामान की खपत निम्नोक्त प्रकार थी।

मात्रा हजार मे० टन में

| वर्ष | हेसियन | टाट | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1984-85 (अप्रैल-मार्च) | 124.5 | 739.1 | 171.1 | 1034.7 |

(ग) और (घ) यह सही है कि अनेक कारणों से कई पटसन मिलें बन्द हो गई हैं। इन मिलों के प्रबन्ध द्वारा तालाबन्दी और बंद करने के लिए जारी नोटिसों के अनुसार बन्द करने के कारण थे; श्रम अशांति, वित्तीय हानियां, निम्न श्रम लाभ प्रदता, निधियों का अभाव, उत्पादन की उच्च लागत, अपर्याप्त बाजारों का अभाव, आदि। सरकार द्वारा संगठित कार्यवाही और कच्चे पटसन की कीमतों में कमी के परिणामस्वरूप बहुत सी बन्द मिलें अब फिर से खुल गई हैं। मई, 1985 में बन्द मिलों की कुल संख्या 20 से घट कर 6 मिल तक आ गई है। (उपरोक्त आंकड़ों में तीन स्थायी रूप से बन्द पटसन मिलें, जिनकी पुनः खुलने की आशा नहीं है, शामिल नहीं हैं)।

[अनुवाद]

## अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में ऋण नीति में छूट

1749. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में अपनी ऋण नीति में हाल ही में दी गई छूट का ब्योरा क्या है;

(ख) 22 नवम्बर, 1985 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात पुनर्वित्तसारों में किए गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों (बाह्य खातों) के लिए सांविधिक नकदी अनुपात 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप लगभग 360 करोड़ रुपये समायोजित हो जाएंगे क्योंकि अधिसंख्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे जाने वाले सांविधिक नकदी अनुपात के सम्बन्ध में दोषी है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीति में दी गई इस छूट के परिणामस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास कितनी धनराशि उपलब्ध होगी ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ग) वर्ष 1985 के अधिक कामकाज के मौसम के शुरू होने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणनीति की समीक्षा की थी और 25 अक्तूबर 1985 को कुछ परिवर्तनों की घोषणा की थी जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मुख्य रूप से रियायतें दी गई हैं :—

(1) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 14 जनवरी, 1977 और 31 अक्तूबर, 1980 के बीच की अवधि में मांग और सावधि देयताओं में हुई वृद्धि के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त नकद प्रारक्षित निधि रखेंगे। अक्तूबर-दिसम्बर, 1984 में इन राशियों के 1/5 भाग के जारी किये जाने को छोड़कर शष राशियां बराबर अवरुद्ध हैं और इन अवरुद्ध नकद राशियों का एक तिहाई भाग 26 अक्तूबर, 1985 को जारी किया गया।

(2) अनिवासी (वाह्य) रुपया खातों के लिए सांविधिक नकदी अनुपात 26 अक्तूबर, 1985 से 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया और इसे विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों पर लागू अनुपात के बराबर ले आया गया इससे बैंकों की सांविधिक नकदी अपेक्षाओं में लगभग 360 करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी।

(3) बैंकों के लिए 230 करोड़ रुपये से अधिक की अल्पावधिक विवेकाधीन पुनर्वित्त व्यवस्था की गई।

(ख) शतप्रतिशत निर्यात पुनर्वित्त के आधार को 22 नवम्बर, 1985 से 1983 के मासिक औसत स्तर से आगे बढ़कर 1984 तक लाया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त (1) (2) में वर्णित उपायों से बैंकों की 855 करोड़ रुपये की नकद राशि उपलब्ध हो जायेगी जबकि उपर्युक्त (ख) में वर्णित उपायों से शुरू में बैंकों के पास निर्यात पुनर्वित्त के लिए लगभग 380 करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी। इस प्रकार प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं में किये जाने वाले परिवर्तनों से बैंकों के साधनों में वृद्धि हो जायेगी। इन उपायों के परिणामस्वरूप बैंकों को होने वाले शुद्ध लाभ अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग होंगे जो अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों के पुनर्वित्त के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करेंगे और इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली निवल आंकड़ों को बताना उचित नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेंकों से प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं को बनाये रखने के लिए आने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए पहले अपने साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

**कारों का आयात**

1750. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी कारें आयात की गईं; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को ये कारें खरीदने के लिए बाध्य किया गया ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) 1984-85 के दौरान कारों के आयात के लिए 2673 आयात लाइसेन्स/सीमा शुल्क क्लियरेन्स परमिट जारी किए गए।

(ख) जी नहीं।

## राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक-सेवा

1751. **श्री बृजमोहन महन्ती**
**श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी** } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध मे कोई समीक्षा की गई है;

(ग) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक ग्राहकों की कठिनाइयों तथा शिकायतों की जांच करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन कर रहे हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उपर्युक्त रीति से ग्राहकों की कठिनाइयों को दूर करने की यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंकों की शाखाओं में भी अपनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे की ग्राहकों की सेवा में सुधार किया जा सके। दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में वहां के ग्राहकों की शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए ग्राहक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। इस प्रकार के केन्द्र सभी राज्यों की राजधानियों में भी खोलने का प्रस्ताव है। दिल्ली के पहले ग्राहक सेवा केन्द्र के कार्य के संबंध में ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद (नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च), नई दिल्ली के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया था। अध्ययन से पता चला है कि 86 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने योजना को उपयोगी बताया है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से यह कहा गया है कि वे ग्राहक सेवा सुधारने और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए कारगर तंत्र तैयार करने, विशिष्ट सेवा कार्यों को पूरा करने के लिए समय के मानदंड निर्धारित करने और शाखाओं में ग्राहकों की सूचना के लिए उन्हें मोटे मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करने और ग्राहक सेवा को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनाने में व्यक्तिगत रुचि लें।

बैंकों से सभी स्तरों पर ग्राहकों से सम्पर्क बढ़ाने के लिए कहा गया है। मुख्य कार्यपालक और वरिष्ठ बैंक अधिकारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अपने दौरों के दौरान ग्राहकों से भी मिलते हैं। उन्हें यह कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं द्वारा किए गए काम की क्वालिटी की भी तसल्ली करें। शाखा स्तर पर शाखा प्रबन्धकों से यह कहा गया है कि हर महीने एक निर्धारित दिन बैंकों के विभिन्न वर्गों के ग्राहकों से मिलें। बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए की जा रही कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है।

[हिन्दी]

## जाली करेंसी नोटों का मुद्रण करने वाले एक गिरोह का पता लगाना

1752. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री विष्णु मोदी
श्री सोमनाथ रथ
श्री आर० एम० भोये
श्री अमर सिंह राठवा
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई में जाली करेंसी नोट और डालर छापने वाले एक गिरोह का पता चला है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने गिरोहों का पता चला है और इस बारे में क्या कारंवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया है कि इन सभी मामलों के पीछे एक संगठित गिरोह कार्य कर रहा है जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है; और

(घ) जारी करेंसी नोटों के छापने के खतरे को पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

## सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन और भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में नियम और मार्ग निर्देश

1753. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन और भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में भिन्न नियम और मार्ग निर्देश हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा निगमों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में अंतर के प्रश्न पर इस समय चौथे वेतन आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) यद्यपि वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करने वाली सामान्य शर्तें (आचरण नियमावली, अनुशासन नियमावली आदि) मोटे तौर पर एक जैसी ही हैं, फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कम्पनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसी विभिन्न संस्थाओं के वेतन और भत्तों में अन्तर है। इस अंतर के ऐतिहासिक कारण हैं और वास्तव में बात यह है कि इन संस्थाओं के कार्यों का स्वरूप अलग-अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पूरी तरह से एक समान नही हो सकते।

चौथे वेतन आयोग से, (I) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों—औद्योगिक और गैर-औद्योगिक, (II) अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिको और (III) संघ राज्य क्षेत्र को सरकारों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे और सेवा की शर्तों की जांच करने और सरकार को अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया है। आयोग सिफारिश करते समय अन्य सम्बन्धित राज्यों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों आदि के वर्तमान वेतन ढांचे और देश की आर्थिक स्थिति, केन्द्र सरकार के साधनों आदि जैसी अन्य बातों को भी ध्यान में रखेगा। आयोग, अलबत्ता, केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों तथा सेवा की शर्तों पर अपनी सिफारिशें देगा।

### नकद क्षतिपूरक समर्थन योजना

1754. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यातकों को विश्व बाजार में उनके उत्पादों की प्रतियोगी स्थिति में सुधार करने में सहायता देने के लिए नकद क्षतिपूरक समर्थन योजना को सार्थक बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को विदेशी बाजार में प्रतियोगिता का मुकाबला करने और विपणन क्षमता में विकास करने के योग्य बनाना था ;

(ग) यदि हां तो क्या उक्त उद्देश्य प्राप्त हो गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (घ) नकद मुआवजा सहायता निर्यातों के संवर्धन के लिए एक साधन के रूप में तथा निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में मुआवजा देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना की समय-समय पर समीक्षा की गई है और फिलहाल यह 31 दिसम्बर, 1985 तक वैध है। सरकार ने इस तारीख के बाद भी इस योजना को जारी रखने के लिए कदम उठाये हैं।

**पर्यटक स्थल पर पर्यटक बंगलों का निर्माण**

1755. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा एक प्रमुख पर्यटन उद्योग का विकास कर रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सारे राज्य में फैले विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटक बंगलों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

**मध्य प्रदेश के मांडला जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण**

1756. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मांडला जिले में पिछले दस वर्षों के दौरान कितनी बार भूगर्भीय सर्वेक्षण कराए गए और इस प्रकार किये गये प्रत्येक सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या इस वर्ष मांडला जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मलाजखंड के निकट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सोना पाए जाने की संभावना है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) मध्य प्रदेश के मांडला जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 15 भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए हैं जिनमें एक बाक्साइट अन्वेषण एक क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण, एक भूतापीय, दस भूतकनीकी तथा दो जीवाश्म अन्वेषण शामिल हैं। ग्रेड-I से लेकर ग्रेड-II तक की किस्म के 2.4 मि० टन सम्भावित

बाक्साइट भंडारों का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस अवधि के दौरान 5 इंजीनियरिंग परियोजनाओं को परामर्श भी दिया है। मांडला, सिवनी तथा जबलपुर जिलों में 1500 वर्ग कि० मीटर क्षेत्र के भूवैज्ञानिक मानचित्रण के फलस्वरूप दक्षिणी पठार के परत विन्यास पर अतिरिक्त आंकड़े तैयार हुए हैं।

(ख) और (ग) अब तक किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार तत्काल कोई अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, 1985-86 के फील्ड सत्र कार्यक्रम में दो अनन्तिम भूतकनीकी मदों को शामिल किया गया है, बशर्ते कि एम० पी० ई० बी० इन्हें प्रायोजित कर दें।

(घ) कान्हा किसली क्षेत्र में कोई प्राथमिक स्वर्ण भंडार होने का संकेत नहीं है। परन्तु कान्हा किसली क्षेत्र में बहने वाली बंजार नदी की बालू में स्वर्ण के कुछ लघु कण हैं जिनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है।

[अनुवाद]

**राष्ट्रीय चैक क्लीयरिंग प्रणाली आरम्भ करना**

1757. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का अद्यतन माइक्रो प्रौद्योगिकी की सहायता से शीघ्र ही एक राष्ट्रीय चैक क्लीयरिंग प्रणाली आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कम्प्यूटरीकरण से शोषण के भय को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बैंक की खाता बहियों को अद्यत रखने, शाखाओं के बीच कारोबार में सामंजस्य रखने आदि जैसे बैंकों के अन्य कार्यकलापों को भी धीरे-धीरे यंत्रीकृत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह स्कीम कब तक लागू की जायेगी ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क)** जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में मशीनों द्वारा चैकों के संबंध में एम० आई० सी० आर० टैक्नालाजी शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। यह प्रक्रिया शुरू में 4 महानगरों में लागू की जाएगी और बाद में इसे राज्यों की राजधानियों और बड़े नगरों में लागू किया जाएगा। इससे बाहरी चैकों और स्थानीय चैकों के अंतरनगर समाशोधन (राष्ट्रीय समाशोधन) और स्थानीय चैकों के समाशोधन में भी सहायता मिलेगी।

(ख) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतरनगर समाशोधन (राष्ट्रीय सामशोधन) बम्बई, दिल्ली

और मद्रास के बीच 31 मार्च, 1986 तक शुरू कर दिया जाएगा।

(ग) भारतीय बैंक संघ और कर्मचारियों के संघ के बीच मशीनरीकरण और कम्प्यूटरीकरण के बारे में हुए समझौते के उपबंधों के अनुसार मशीनों/कम्प्यूटरों के लगाये जाने के परिणामस्वरूप स्टाफ में कोई छंटनी नहीं होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) तैयार किये गए एक्शन प्लान के अनुसार, 31 मार्च, 1986 तक लगभग 1000 शाखाओं में भी मशीनें लगा दी जाएंगी।

## राज्य-वार विदेशी मुद्रा अर्जन

1758. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय विदेशी मुद्रा अर्जन के राज्य वार आंकड़े रखता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## विदेशों के साथ व्यापार करार

1759. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विदेशों के साथ किये गये व्यापार करारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन वस्तुओं का आयात और किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा; और

(ग) इन सौदों से देश को क्या लाभ होने की संभावना है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान, भारत से चैकोस्लोवाकिया तथा जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के साथ व्यापार करारों का पुनः नवीकरण किया है चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार करार पर 28.9.84 को हस्ताक्षर किए गए तथा 1.1.85 को वह लागू हुआ। जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के साथ करार पर 1.11.85 को हस्ताक्षर किए गए तथा 1.1.86 को लागू होगा।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) व्यापार करार दोनों देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने में सहायक होंगे।

**विवरण**

चैकोस्लोवाकिया तथा जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य से आयात तथा उनको निर्यात की जाने वाली मुख्य मदें निम्न प्रकार से हैं :—

| चैकोस्लोवाकिया से आयात | जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य से आयात |
| --- | --- |
| इस्पात तथा इस्पात उत्पादन, सीवन हीन पाईप, ट्यूबें तथा आवरण, मशीनी औजार, बाल-बीयरिंग्स डीजल जेनेरेटिंग सेट्स कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन वस्त्र मशीनरी जूता तथा चमड़ा बनाने की मशीनें आदि। | उर्वरक, मशीनी औजार, फोटो फिल्में वेल्लित इस्पात उत्पाद, डीजल जेनेरिटिंग सेट्स छपाई मशीनें और अन्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपकरण। |

| चैकोस्लोवाकिया को निर्यात | जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य को निर्यात |
| --- | --- |
| तेलरहित खाली, तम्बाकू कालीमिर्च तथा मसाले, लौह अयस्क, लौह अयस्क सान्द्रण तथा पेलट्स, सूती धागा कपास, खालें तथा चमड़ियां परिष्कृत चमड़ा, पटसन माल अभ्रक, मैंगनीज अयस्क, एरण्डी का तेल, रेलवे वैगन संघटक, जिअरोग्राफिक उपस्कर। | शू अपर्स परिष्कृत चमड़ा, लौह अयस्क, अभ्रक, खाली, एरेण्डी का तेल, पटसन माल चाय, मसाले, काजू की गिरी तम्बाकू तथा वस्त्र। |

**संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय झींगा मछली की खेप का रद्द किया जाना**

1760. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय झींगा मछली के प्रेषण को रोके जाने और रद्द किए जाने के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने भारतीय निर्यातकों को काली सूची में रखा गया है; और

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली झींगा मछली की गुणवता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सहित विभिन्न देशों की श्रिम्पों को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जांच-पड़ताल के लिए रोक सूची में रखा जाता है।

| वर्ष | सूची में रखे गए निर्यातकों की संख्या |
|---|---|
| 1982-83 | 81 |
| 1983-84 | 94 |
| 1984-85 | 93 |

(घ) संयुक्त राज्य अमरीका को तथा अन्य देशों में भारतीय श्रिम्पों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है (1) पीलिंग शेडों को अपग्रेड करने तथा प्रोसेसिंग संयंत्र में छोटी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सहायता (2) क्वालिटी नियंत्रण उपायों में तीव्रता लाना (3) (अमरीकी एफ० डी० ए० प्रयोगशालाओं में प्रोसेसिंग संयंत्रों में टैक्नोलाजिस्टों का प्रशिक्षण (4) फ्रीजिंग संयंत्रों के आधुनिकीकरण तथा (5) भारत को रोक सूची में से हटाने के लिए अमरीकी एफ० डी० ए० के साथ बातचीत/सम्पर्क।

## इलायची के मूल्यों में गिरावट

1761. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इलायची के मूल्यों में भारी गिरावट आ रही है;

(ख) क्या इससे किसानों को काफी दुःख पहुंचा है;

(ग) क्या इलायची उत्पादकों द्वारा इलायची का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो मांग ब्यौरा क्या है और इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (घ) इलायची की कीमत में गिरावट तथा फलस्वरूप न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित करने की जरूरत के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि,

गत कुछ वर्षों में हुए उत्पादन तथा मासिक औसत नीलामी कीमतें नीचे दिए गए अनुसार :—हैं

(रु० प्रति किग्रा०)

| मास | 80-81 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 |
|---|---|---|---|---|---|
| अगस्त | 93.41 | 89.70 | 146.79 | 264.86 | 221.00 |
| सितम्बर | 101.19 | 109.93 | 142.67 | 258,82 | 233.85 |
| अक्तूबर | 102.31 | 118.78 | 142.98 | 310.64 | 258.59 |
| नवम्बर | 108.60 | 115.65 | 162.64 | 415.85 | 222.14 |
| दिसम्बर | 100.16 | 108.95 | 183.88 | 452.76 | 206.17 |
| | उत्पादन टनों में | | | | |
| | 4400 | [illegible]100 | 2900 | 1600 | 3900 |

यह देखा जा सकता है कि सूखे के कारण पिछले वर्षों में कम उत्पादन के कारण 1983-84 तथा 1984-85 में कीमतें असाधारण रूप से ऊंची रहीं। 1984-85 के दौरान उत्पादन सामान्य हो जाने से कीमतें 1985-86 में भी सूखा अवधि से पूर्व प्रचालित सामान्य स्तर तक गिर गईं अध्यक्ष, इलायची बोर्ड को छोटे उपजकर्ताओं द्वारा की गई इलायची की खेती के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कराने का निदेश दिया गया है। लाभप्रदता बढ़ाने तथा खेती की लागत कम करने की योजनाएं एक साथ कार्यान्वित की जा रही हैं।

**सातवीं योजना के दौरान बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना**

1762. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) बिहार सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से 1985-90 की अवधि की (जो सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के साथ समाप्त होती है) शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते उपयुक्त केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा गया है। बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नई शाखाएं खोलने के विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार से पता लगाए गए केन्द्रों की सूची प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

## गैर-पारम्परिक वस्तुओं के निर्यात के संबंध में भारत की असंतोषजनक छवि

1763. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घटिया किस्म, असंतोषजनक सेवा और संवर्धन के कम प्रयासों जैसे प्रमुख तथ्यों के कारण गैर पारम्परिक वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत की निर्यात छवि सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) क्या भारत द्वारा प्रस्तुत अन्य कुछ देशों द्वारा प्रस्तुत मूल्यों से कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विशेषज्ञों के विचार जाने गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (घ) जी नहीं। अपरम्परागत मदों के भारत के निर्यातों में वर्षों से लगातार वृद्धि होती रही है।

## सातवीं योजना के दौरान राजस्थान में पर्यटन विकास

1764. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए इस वर्ष कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राजस्थान के सीमावर्ती जिलों, बाडमेर तथा जैसलमेर में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए सेंट्रल सैक्टर (पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम) में 138.68 करोड़ रु० की कुल राशि प्रदान की गई है।

(ख) विभाग ने 1985-86 के दौरान राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं शामिल की हैं :—

(i) रामगढ़ झील में कुटीर

(ii) जय समन्द में पर्यटक बंगला

(iii) जोधपुर में पर्यटक परिसर

(iv) तालछप्पर में आवास

(v) सामधानी में आवास निर्माण

(vi) पर्यावरण संबंधी विकास और पुष्कर घाटों का पुनरुद्धार

(vii) भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा अजमेर में यात्रिका

(ग) बाड़मेर के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग को राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जैसलमेर के संबंध में विभाग ने (i) 8.00 लाख रु० मूमल पर्यटक बंगले के विस्तार के लिए, (ii) 3.40 लाख रु० गदीसर तालाब और सूर्यास्त प्वाइंट के विकास के लिए, (iii) 8.00 लाख रु० राष्ट्रीय मरुउद्यान के लिए तथा (iv) 5.00 लाख रु० पोखरन में मिडवे सुविधाओं के लिए प्रदान किए हैं।

**हिंदुस्तान जिंक लि० के टुन्डु एकक का विस्तार**

1765. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान जिंक लि० के टुन्डु एकक में सिलवर, जिंक और लैड के उत्पादन के लिए कच्चे माल और हार्ड कोक की कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस एकक का विस्तार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

**खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) हिन्दुस्तान जिंक लि० के टुन्डू सीसा प्रद्रावक ने जुलाई से अक्तूबर, 1985 में लक्ष्य के 103% तक सीसा धातु का उत्पादन किया। इस वर्ष अक्तूबर, 1985 तक समग्र लक्ष्य प्राप्ति 93.1% रही है। कम्पनी की खानों से कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा और कोल इंडिया की समीपवर्ती कोयला खानों से कोक कोयले की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित की गई है ताकि उपलब्धियों के इस उच्च स्तर को बनाये रखा जा सके। सिलिका का उत्पादन जो सीसा का उप-उत्पाद है, सन्तोषजनक रहा है। टुन्डू प्रद्रावक जिंक का उत्पादन नहीं करता है।

(ख) इस प्रद्रावक का विस्तार इष्टतम स्तर तक कर दिया गया है।

**एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र**

1766. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र की स्थापना की जांच करने वाले खान विभाग के अधिकारियों के एक दल ने यह केन्द्र अम्बाजारी टैंक कैचमैंट क्षेत्र, नागपुर में स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक पूंजीनिवेश बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) क्या केन्द्र की स्थापना के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव का अभी लोक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

(ग) और (घ) सवाल नहीं उठता।

### केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने में असमानता

1767. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम**
**श्री के० कुनजम्बु**
**श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को इस समय एक समान बोनस का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विभिन्न असमानताओं को दूर करने तथा बोनस के भुगतान को और अधिक सम्यक् बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी बोनस अधिनियम के अन्तर्गत बोनस के रूप में एक महीने के वेतन का भुगतान किये जाने और जहां कहीं सम्भव हो वहां अधिक बोनस का भुगतान किये जाने की मांग कर रहे हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यिक और उत्पादकता मूलक क्षेत्रों जैसे रेलवे, डाक, दूरसंचार, रक्षा एककों आदि के कर्मचारियों को उनके अपने-अपने संगठनों में लागू उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस योजनाओं के अनुसार बोनस दिया जाता है। उत्पादकता से सम्बद्ध किसी भी बोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिया जाता है।

(ख) पैरामीटरों और मानदंडों के व्यापक एक समान ढांचे, जो वस्तुतः श्रम उत्पादकता को

दर्शाता हो, पर विचार करने के लिए वित्त, रेलवे, रक्षा, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति, दूरसंचार, डाक, कार्मिक और प्रशिक्षण और श्रम मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अन्तर-मंत्रालय समिति का गठन किया जा रहा है।

(ग) उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस योजनाओं के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस की हकदारी में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए व्यक्तियों और कर्मचारी संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी को विनियमित करने के लिए बोनस अदायगी अधिनियम लागू नहीं होता। सरकार ने अब लेखाकरण वर्ष 1984-85 के लिए तदर्थ बोनस को 18 दिन से बढ़ाकर 23 दिन करने की घोषणा की है।

**मारुति के बीमा दावों में घोटाला**

1768. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
**श्री बाला साहेब विखे पाटिल**
**श्रीमती किशोरी सिन्हा**
**डा० बी० एल० शलेश**
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम के सर्वेक्षण ने हाल में ही दुर्घटना दावों में बड़े पैमाने पर घोटाले का पता लगाया है, जिसमें बीमा कर्मचारियों तथा मारुति उद्योग लिमिटेड के बम्बई स्थित डीलरों का कथित हाथ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसा काम देश के अन्य भागों में न हो?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) सरकार ने इस बारे में छपी खबरों को देखा है और इस मामले में जांच करवाई है। जांच कराने पर इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं पाया गया। फिर भी, इस बारे में पूरी सावधानी बरती जा रही है।

**बिहार में सातवीं योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना**

1769. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जाएगा ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सातवीं योजना में इस्पात का आयात कम करने के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि**

1770. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने और इसका आयात कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में कितने इस्पात का आयात किया गया और सातवीं योजना में इसका आयात कितना कम किये जाने की सम्भावना है;

(ग) सातवीं योजना में इस्पात उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) और (ख) छठी योजनावधि के दौरान इस्पात के लगभग 108 लाख टन आयात की तुलना में योजना आयोग द्वारा गठित लोहे तथा इस्पात के लिए कार्यकारी दल ने पता लगाया है कि सातवी योजनावधि के दौरान देश में तैयार इस्पात की सम्भावित मांग तथा उपलब्धि में लगभग 58 लाख टन का अन्तर है। अतः छठी योजनावधि की तुलना में सातवीं योजनावधि के दौरान इस्पात का कम आयात करने की सम्भावना है।

(ग) योजना आयोग द्वारा गठित लोहे तथा इस्पात पर कार्यकारी दल ने सातवीं योजनावधि के दौरान विक्रेय इस्पात के उत्पादन के प्रक्षेपण का अनुमान लगाया है, जो इस प्रकार है :—

(लाख टन)

| | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने | 76.4 | 83.5 | 87.0 | 96.5 | 103.1 |
| गौण उत्पादक | 22.2 | 23.3 | 24.4 | 25.7 | 27.1 |
| स्क्रेप पुनर्बेलक | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| | 102.2 | 110.4 | 115.0 | 125.0 | 133.8 |

(घ) सातवीं योजनावधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे। सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के बेहतर रख-रखाव, उनके आधुनिकीकरण तथा उनके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। मालिक-मजदूर सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाने तथा इस्पात क्षेत्र में कार्य का नया माहौल बनाने के बारे में भी प्रयास किए जा रहे हैं। संयंत्र आधुनिकीकरण के बारे में बनाई जा रही विभिन्न योजनाओं से कच्चे माल के बेहतर सम्मिश्रण, ऊर्जा की खपत को कम करने, बेहतर उत्पादकता तथा क्षमता का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी। इन सभी उपायों से भारतीय इस्पात उद्योग को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा उत्पादन लागत में वृद्धि पर काबू पाने में मदद मिलेगी।

लघु इस्पात क्षेत्र तथा पुनर्बेलकों को कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने तथा उनकी बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

### शत-प्रतिशत निर्यात एकक योजना

1771. **श्री बी० वी० देसाई**
**श्री दिनेश सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 में आरम्भ की गई शत-प्रतिशत निर्यात एकक योजना अब तक अर्थ-व्यवस्था पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव डालने में विफल रही है;

(ख) क्या मंजूर किए गए 440 यूनिटों में से लगभग 15 यूनिटों ने योजना से अलग होने का निर्णय किया है; और यदि हां, तो क्या कुछ और यूनिटों के अलग होने की सम्भावना है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने और इसके कारणों का पता लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कारण पता चले हैं; और

(ङ) योजना में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ङ) 15 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार, शत-प्रतिशत निर्यात-अभिमुख एककों की योजना के अन्तर्गत अनुमोदित एककों में से 453 एककों के पास वैध अनुमोदन-पत्र थे। ऐसे 80 एकक बताए गए हैं जिनमें सत्यापन हो रहा है और 1981 में इस योजना के आरम्भ होने से जून, 1985 तक उनके अनुमानित निर्यात 254 करोड़ रु० मूल्य के हुए।

कतिपय अनुमोदित एककों में उनके प्रति क्रय हेतु सहयोग प्रबन्धों के टूट जाने आदि जैसे विभिन्न आधारों पर योजना के अनुरूप किए जाने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है। मुक्त किये

जाने हेतु अनुरोधों पर अन्य बातों के साथ-साथ, एककों द्वारा पहले से उपयोग में लाई गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है।

100% निर्यात-अभिमुख एकक योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इस योजना के अन्तर्गत काम कर रहे एककों का कुशल कार्यचालन सुनिश्चित किया जा सके। योजना के अधीन विभिन्न अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जैसे आयात लाइसेंस पर उत्पादन के 25% भाग तक स्वदेशी बिक्री, विश्वव्यापी निविदाओं पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को बिक्री आदि।

**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वसूल की जा रही ब्याज की ऊंची दरें**

1772. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने गत वर्ष में 150 करोड़ रुपये का भारी लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लाभ किसानों को नुकसान पहुंचा कर कमाया गया है जिन्हें उनके द्वारा लिए गए ऋणों पर ऊंची दरों पर ब्याज का भुगतान करने को बाध्य किया गया; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास और ग्रामीण विकास बैंक की ब्याज की दरों में कटौती करने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 184 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

(ख) और (ग) विभिन्न ऋणों पर किसानों से ली जाने वाली ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। किसानों और अन्य छोटे ऋणकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली ब्याज दरें अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित ब्याज दरों से कम होती हैं। अपनी स्थापना से लेकर, नाबार्ड द्वारा ग्राहक बैंकरों से वसूल की जाने वाली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है जबकि धनराशियों की लागत बढ़ गई है। नाबार्ड अपने लाभ का अधिकांश भाग ऋण प्रदान करने के अपने कार्यों के लिए राष्ट्रीय निधि में लगा देता है। फिलहाल नाबार्ड का अपनी ब्याज दर कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**भारत और मलयेशिया के बीच व्यापार करार**

1773. **डा० कृपासिंधु भोई**
**श्री गुरुदास कामत** } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया के विदेश मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और मलये-

शिया के बीच व्यापार सम्बन्धों में सुधार करने के बारे में कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**मादक द्रव्यों की तस्करी**

1774. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान मादक द्रव्यों की तस्करी के कुल कितने मामले पकड़े गए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) वर्ष 1985 (सितम्बर तक) के दौरान नशीले पदार्थों (शराब) की तस्करी के जितने मामले पकड़े गये, उनकी संख्या एवं अभिगृहीत किए गए पदार्थों का मूल्य निम्नलिखित है :—

| मामलों की संख्या | मूल्य (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 270 | 6.93 |

आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) तस्करी के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है। सीमा शुल्क विभाग की निवारक और गुप्तचर्या मशीनरी सामान्यता तस्करी की गतिविधियों के साथ-साथ तस्करी के आकर्षण की वस्तुओं के प्रति भी सतर्क रहती है : तस्करी के तौर-तरीकों और पकड़े गए माल की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल स्थापित करके यथापेक्षित उपचारी कार्यवाही की जा सके।

तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के साथ-साथ न्यायालय में मुकदमें चलाकर भी सख्त कार्रवाई की जाती है। अन्तर्ग्रस्त माल के जब्त किए जाने और व्यक्तिगत जुर्माने लगाए जाने के अतिरिक्त, उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबन्दी की कार्रवाई भी की जाती है।

## काला बाजारियों के घरों में छापे

1775. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी
श्री जी० भूपति
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री कमला प्रसाद रावत
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालाबाजारियों के घरों पर छापे मारने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न शहरों में अब तक कितने घरों पर छापे मारे गए;

(घ) यदि नहीं, तो छापे न मारने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) एकत्रित या अन्यथा प्राप्त सूचना के आधार पर, आयकर विभाग समय-समय पर कालाबाजारियों सहित कर अपवंचकों के परिसरों में तलाशियां लेता है। चालू वित्तीय वर्ष (1-4-1985 से 31-10-1985 तक) के दौरान, आयकर विभाग ने 3851 तलाशियां लीं और प्रथमदृष्ट्या लगभग 2220.85 लाख रुपये मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ीं।

## [राष्ट्रीय वस्त्र निगम में लाभ/घाटा और कपड़े का उत्पादन

1776. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम में कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) निगम द्वारा वर्ष 1981 से 1984 तक वर्षवार कुल कितने मीटर कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ग) उक्त निगम का इन वर्षों के दौरान वर्षवार लाभ अथवा घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि घाटा हुआ हो तो उसके क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम में 31-3-1985 तक 932.85 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।

(ख) 1981 से 1984 तक के वर्षों के दौरान एन० टी० सी० मिलों द्वारा वर्षवार वस्त्र उत्पादन नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | मिलियन मीटरों में कपड़े का उत्पादन |
|---|---|
| 1981-82 | 903.50 |
| 1982-83 | 760.50 |
| 1983-84 | 902.00 |

(ग) वर्ष 1981 से 1984 के दौरान लाभ/हानि का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है : —

| वर्ष | | एन० सी० सी० मिलों के घाटे (करोड़ रु०) |
|---|---|---|
| 1981-82 | — | 71.24 |
| 1982-83 | — | 78.05 |
| 1983-84 | — | 137.36 |

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों में लगातार हानियों के प्रमुख कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें;

(2) अनियमित बिजली सप्लाई तथा बिजली की कमी कैप्टिव पावर की ऊंची लागत आदि के कारण सस्थापित क्षमता का कारण;

(3) रुई की कीमतों में असामान्य वृद्धि विशेष रूप से 1980-81 के मध्य से 1984-85 तक;

(4) बिजली, कोयला, डाइयों, तथा रसायनों, स्टोरों तथा अतिरिक्त पुर्जों की लागत में वृद्धि;

(5) अधिक श्रमिक बल;

(6) मजदूरियों/वेतनों में वृद्धि;

(7) कार्य के कम मानदण्ड तथा कम उत्पादकता।

## विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम के सम्पर्क कार्यालय

1777. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम के कोई सम्पर्क कार्यालय है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां ऐसे कार्यालय स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि इस प्रकार के कार्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का बम्बई जैसे प्रमुख नगर में कोई होटल है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या देश में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उतरने वाले विदेशी पर्यटकों को उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं की सूचना देने के लिए कोई अन्य प्रबन्ध किए गए हैं ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने अपनी सम्पत्तियों/सेवाओं का संवर्धन करने के लिए अभी हाल ही में आडनेर होटल रिप्रेजन्टेटिव लिमिटेट, हांगकांग और गोल्डन तुलिप वर्ल्ड-वाइड होटल्स, हालैंड के साथ ओवरसीज मार्केटिंग और रिजर्वेशन टाइ-अप्स किए हैं। इन करारों के कारण अब भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में आरक्षण कराने की सुविधाएं विश्वव्यापी आधार पर उपलब्ध हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जबकि भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली हवाई अड्डे पर अपने काउंटर हैं, पर्यटन विभाग सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर काउंटरों का संचालन करता है जो भारत पर्यटन विकास निगम और अन्य संगठनों द्वारा देश के विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई पर्यटक सुविधाओं के बारे में सूचना देते हैं।

[अनुवाद]

**भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निराशाजनक कार्य निष्पादन के कारण इस्पात का आयात**

1778. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कार्य निष्पादन पिछले छः महीने या इससे अधिक समय से निराशाजनक रहा है और क्या सरकार का विचार इस वर्ष के दौरान 15 लाख टन इस्पात आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अप्रैल-सितम्बर, 1984 के पूर्ववर्ती छः महीनों की तुलना में इस अवधि में कितने इस्पात का उत्पादन किया है और उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस्पात की मांग और सप्लाई में अनुमानित अन्तर कितना है और इस्पात के आयात से यह अन्तर कितना कम होने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार ने देश में उत्पादन बढ़ानें के लिए क्या उपाय किए हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख) अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान "सेल" के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 26.1 लाख टन हुआ जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन 22.3 लाख टन था। इस अवधि में वर्ष 1985 में उत्पादन वर्ष 984 के उत्पादन से 17 प्रतिशत अधिक रहा, जो निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत बैठता है। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गई होती यदि अप्रैल-मई में बोकारो में 38 दिन की गैर-कानूनी हड़ताल नहीं हुई होती। इस कार्य-निष्पादन को न तो निराशाजनक कहा जा सकता है और न ही असंतोषजनक।

अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान उत्पादन 26.1 लाख टन हुआ जबकि अक्तूबर, 1984 से मार्च, 1985 में उत्पादन 30.5 लाख टन हुआ था। बिजली, कोयले तथा अन्य आदानों की बेहतर उपलब्धि तथा श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण वर्ष की दूसरी छमाही में लक्ष्य तथा उत्पादन की दर ऊंची रखी गई।

(ग) वित्त वर्ष के आरम्भ में अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 1985-86 में देश में तैयार इस्पात की मांग 114 लाख टन तथा देशीय उपलब्धि 99 लाख टन होगी और देशीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग 15 लाख टन इस्पात का आयात करने की आवश्यकता होगी।

(घ) बेहतर क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए "सेल" के कारखानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के बेहतर रख-रखाव, उनके आधुनिकीकरण तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। मालिक-मजदूर सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण बनाने तथा इस्पात क्षेत्र में कार्य का एक नया माहौल बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

**लेह-मनाली राजमार्ग को पर्यटक यातायात के लिये खोलना**

1779. **श्री पी० नामग्याल : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह-मनाली सड़क को पर्यटकों के लिए बन्द रखा गया है जिससे कि आन्तरिक सीमा में सुरक्षा सड़क को नुकसान न पहुंचे;

(ख) क्या इसके कारण ऐसे पर्यटक जो श्रीनगर लेह-मनाली तथा मनाली-लेह-श्रीनगर की परिक्रमा यात्रा (राउन्डट्रिप) करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्यटक उद्योगों को नुकसान हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मन्त्रालय गृह मन्त्रालय को उक्त राजमार्ग को पर्यटन के यातायात के लिए खोलने के लिए कहेगा ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) से (ग) लेह-मनाली मार्ग पर सड़क का एक भाग यात्रियों के लिए बन्द है और इस सैक्टर में यात्रा केवल गृह मन्त्रालय द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी करके प्राधिकृत की जाती है। जम्मू और कश्मीर में उपशी के दक्षिण से लेकर हिमाचल प्रदेश में सरचू तक का सड़क का प्रतिबधित क्षेत्र पर्यटकों के लिए बिना वैध अनुमति के बन्द है। तथापि, विदेशी पर्यटकों को उपशी के दक्षिण में पड़ने वाले क्या, मिरू और रुम्तसे पर गांम्पास की यात्रा करने की अनुमति है बशर्ते कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आवश्यक अनुज्ञा-पत्र उनके पास हों, 20 व्यक्तियों के समूह में यात्रा कर रहे हों और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया एक "गाइड" उनके साथ हो। भारतीय पर्यटक राज्य प्राधिकारियों से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करके इन क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं।

इस क्षेत्र में प्रवेश करने सम्बन्धी औपचारिकताओं में ढील देने के प्रश्न पर निरन्तर विचार-विमर्श किया जाता है और जहां तक सम्भव होता है ढील दी जाती है।

**काले धन पर अंकुश लगाने हेतु सट्टा व्यापार पर नियन्त्रण**

1780. **श्री जी० भूपति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सट्टा व्यापार पर नियन्त्रण करने और काले धन के खतरे को दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का लेन-देन शेयर बाजार सम्बन्धी उप-विधियों और विनियमों द्वारा शासित होता है। लेन-देन का सही निपटान सुनिश्चित करने के विचार से, भिन्न-भिन्न मार्जिन, प्रतिबन्ध, आदि लगाने जैसे विभिन्न नियामक उपाय निर्धारित किए गए हैं। सरकार शेयर बाजारों के कार्यों पर निरन्तर ध्यान दे रही है।

कर-अपवंचन और काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए समय-समय पर सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं जिनमें वैधानिक, प्रशासनिक और सांस्थानिक उपाय शामिल हैं।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं**

1781. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखायें हैं;

(ख) क्या राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इन बैंक शाखाओं की संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मन्त्रालय द्वारा आवश्यकता के अनुसार राज्य में विभिन्न बैंकों की शाखायें खोलने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) उत्तर प्रदेश में 30 जून, 1985 को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 4150 थी। इसके अतिरिक्त उस तारीख को राज्य में अन्य वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 2896 शाखाएं कार्य कर रही थीं।

(ख) और (ग) वर्ष 1982-85 की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक जिले में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की 17 हजार की औसत आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चार जिलों के सिवाय उत्तर प्रदेश राज्य में यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित वर्ष 1985-90 की लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17 हजार की जनसंख्या का और स्थानिक दूरियों को इस प्रकार दूर करने का लक्ष्य रखा गया है कि 10 किलो मीटर के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय अवश्य हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को पहले ही उपरोक्त शाखा लाइसेंसिंग नीति के प्रकाश में शाखा खोलने के लिए केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में अधिक बैंक कार्यालय खोलने की अनुमति देने के सवाल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार से केन्द्रों की सूची प्राप्त होने और उपर्युक्त नीति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

**सिक्कों का उत्पादन और आयात**

1782. **श्री शरद दिघे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून-सितम्बर, 1985 के चार महीनों के दौरान टकसालों में सिक्कों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) एक रुपए के कितने लाख सिक्कों का आयात किया गया;

(ग) क्या देश में सिक्कों की कमी दूर कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो सिक्कों की कमी दूर करने हेतु और क्या कदम उठाने का विचार है?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) 1-6-85 से 30-9-85 की अवधि के दौरान बम्बई-कलकत्ता और हैदराबाद स्थित टकसालों के विभिन्न मूल्य-वर्गों में सिक्कों का उत्पादन 6314.22 लाख अदद था।

(ख) एक रुपए के 10,000 लाख अदद सिक्कों के आयात के लिए आर्डर दिए गए हैं। इस आर्डर के विरुद्ध अब तक 2238.8 लाख अदद सिक्के प्राप्त किए जा चुके हैं।

(ग) यद्यपि देश में सिक्कों की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा चुका है, किन्तु अभी तक देश के विभिन्न भागों से कमी की रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। आशा की जाती है कि टकसालों में

उत्पादन बढ़ने और सिक्कों के आयात से फरवरी-मार्च, 1986 के आस-पास स्थिति सुगम हो जाएगी।

(घ) सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(i) तीनों टकसालों में प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं।

(ii) तीनों टकसालों में कार्य के घंटों की संख्या प्रति सप्ताह प्रति पारी 48 घंटे से बढ़ा कर 54 घंटे कर दी गई है।

(iii) उत्पादन बढ़ाने के लिए अब बम्बई टकसाल के कार्य के घंटों की संख्या 54 से बढ़ा कर 60 घंटे प्रति सप्ताह प्रति पारी करने का निर्णय किया गया है। कलकत्ता और हैदराबाद टकसालों के भी कार्य के घंटे इसी प्रकार बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(iv) विद्यमान तीन टकसालों के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में 22 नई सिक्का ढलाई प्रेसें खरीदी गई हैं। इनमें से 18 को पहले से ही चालू किया जा चुका है और शेष 4 की स्थापना की जा रही है और इन्हें दो-तीन महीने की अवधि में चालू कर दिया जाएगा।

(v) 20 पैसे के सिक्कों को फिर से शुरू किया गया है ताकि 10 पैसे के सिक्के की मांग को कम किया जा सके।

(vi) कलकत्ता टकसाल में 28-2-1985 से दूसरी पारी शुरू की गई है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 3600 लाख अदद सिक्कों का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

(vii) प्रति वर्ष 20000 लाख अदद सिक्कों की अनुमानित क्षमता के साथ नोएडा में एक नई टकसाल स्थापित करने का निश्चय किया गया है। नई टकसाल 1988-89 तक चालू हो जाने की योजना है।

## आयात/निर्यात नीति

1783. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के प्रारम्भ में घोषित आयात/निर्यात नीति तीन वर्षों के लिए लागू होगी;

(ख) इस नीति में 31 अक्तूबर, 1985 तक कितने संशोधन किए गए;

(ग) उक्त नीति में किए गए संशोधनों का ब्योरा क्या है तथा उनकी घोषणा की तिथियां क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक संशोधन का कारण और उसका औचित्य क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयात एवं निर्यात के संशोधन पब्लिक नोटिस द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जाते हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। आयात एवं निर्यात नीति के महत्वपूर्ण संशोधन 14 आई० टी० सी० पब्लिक नोटिस और 15 ई० टी० सी० पब्लिक नोटिस द्वारा क्रमश: अधिसूचित किये गए हैं।

(घ) संशोधन सार्वजनिक हित में किये गए हैं।

**बुनकरों को सप्लाई करने के लिये रेशमी धागे की खरीद**

1784. **श्री श्याम लाल यादव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वाराणसी रेशमी कपड़ों का एक बहुत बड़ा केन्द्र है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि रेशमी धागों के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के कारण सामान्य बुनकरों को भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार ने वहां आयातित धागा सप्लाई करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1985 में रेशमी धागे की कितनी मात्रा खरीदे जाने और वहां सप्लाई किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यह कब सप्लाई किया जाएगा ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार को वाराणसी में कुछ किस्मों के रेशमी धागे की कीमतों में वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इसलिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को यह निदेश दिया गया कि वह कर्नाटक रेशम विपणन बोर्ड द्वारा वाराणसी के अपने डिपो के लिए रेशमी धागे की अतिरिक्त सप्लाई किए जाने की व्यवस्था करे। इस निदेश के अनुसरण में बोर्ड ने अगस्त/सितम्बर, 1985 में वाराणसी को 5 मे० टन रेशमी धागे भेजने की व्यवस्था की। 2 मे० टन की अतिरिक्त मात्रा वाराणसी को नवम्बर के पहले सप्ताह में भेजी गई। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अपनी स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत वितरण के लिए 25 मे० टन कच्चे रेशम के आयात के लिए पहले ही आर्डर दे दिए हैं तथा शेष के शीघ्र ही आने की आशा है।

[हिन्दी]

**पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार में भारत को घाटा**

1785. **श्री राजकुमार राय** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार में 1984-85 के दौरान भारत को 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है; जैसा कि 26 अक्तूबर, 1985 के नवभारत टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) अनन्तिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार, 1984-85 के दौरान, जर्मन संघीय गणराज्य को भारत के निर्यात तथा उससे आयात क्रमशः 455.28 करोड़ रु० तथा 1262.30 करोड़ रु० के थे। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था जहां विकासात्मक आयातों का अधिक भार है, विकसित देशों के साथ व्यापार शेष घाटे की प्रवृति है। भारत विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों तथा द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा न केवल जर्मन संघीय गणराज्य से बल्कि पश्चिम यूरोप के अधिकांश विकसित देशों के साथ व्यापार अन्तराल कम करने का लगातार प्रयत्न कर रहा है।

[अनुवाद]

**कपास उत्पादन में सुधार करने में भारतीय कपास निगम की भूमिका**

1786. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपास उत्पादन में सुधार करने, उसका विपणन निर्यात और अन्य सम्बद्ध मामलों में भारतीय कपास निगम द्वारा निभाई जा रही भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कपास निगम ने अपनी भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) भारतीय रुई निगम को सौंपी गई भूमिका की शर्तों के अनुसार, इस समय निगम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करता है :—

1. कपास की कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन कीमत स्तर पर पहुंचने की स्थिति में कीमत समर्थन कार्य।

2. राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों तथा अन्य संस्थागत खरीददारी जैसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग, राज्य वस्त्र निगम आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक खरीददारियों का उत्तरदायित्व लेना।

3. निर्यात प्रयोजनों के लिए खरीददारियां करना।

4. रुई के आयात के लिए एक सरणीकरण अभिकरण के रूप में कार्य करना।

5. रुई उपजकर्ताओं को उन किस्मों के लिए सहायता देना जिन्हें देश में आयात प्रति-स्थापनों के रूप में शुरू किया गया है।

6. रुई उपज करने वाले उन क्षेत्रों जिनमें हाल में रुई की खेती शुरू की गई है तथा जहां अवस्थापना को निगम की सहायता की जरूरत है, में विनियमित बाजारों का विकास करना।

(ख) से (घ) जून, 1985 में सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति में भारतीय रुई निगम की भूमिका और कार्यों को पुनः सूत्र बद्ध करने की व्यवस्था है ताकि रुई में कीमत स्थिरता कार्यों को शामिल किया जा सके। निगम की संशोधित भूमिका को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

**पटसन निर्यात हेतु लाइसेंस**

1787. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन के निर्यात के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का यह निर्णय कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) कच्चे पटसन का निर्यात भारतीय पटसन निगम लि० कलकत्ता की मार्फत सरणीबद्ध है। इसकी अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अन्तर्गत है। चालू पटसन मौसम 1985-86 के दौरान भारतीय पटसन निगम को अब तक मध्यम/लोअर ग्रेडों सहित कच्चे पटसन की एक लाख गांठों तक निर्यात करने को प्राधिकृत किया गया है।

[अनुवाद]

**लकड़ी का आयात**

1788. **डा० के० जी० अदियोडि** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लकड़ी के आयात के सम्बन्ध में सरकार की नई नीति के अन्तर्गत गत दस महीनों के दौरान भारत में कितनी मात्रा में लकड़ी का आयात किया गया ;

(ख) किस-किस देश से किस-किस किस्म की लकड़ी का आयात किया गया; और

(ग) क्या लकड़ी की आयातित मात्रा देश में लकड़ी की मांग के अनुरूप है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) और (ख) पिछले दस महीनों के इमारती लकड़ी के आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इमारती लकड़ी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया जा सकता है;

(ग) जी, हां।

**भारत से लौह अयस्क का आयात करने वाले देश**

1789. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कौन-कौन से देश लौह-अयस्क का आयात करते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों (वर्ष-वार) के दौरान इनमें से प्रत्येक देश ने कितनी मात्रा में लौह-अयस्क का आयात किया; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**विभिन्न देशों द्वारा भारत से लौह अयस्क का आयात**

मात्रा : मिलियन टन में
मूल्य : करोड़ रुपये में)

| | 1982-83 | | 1983-84 | | 1984-85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| जापान | 6.794 | 159.42 | 6.203 | 136.70 | 8.364 | 185.66 |
| * | 8.587 | 119.70 | 8.288 | 120.59 | 8.232 | 115.66 |
| | 15.381 | 279.12 | 14.491 | 257.29 | 16.598 | 301.32 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दक्षिण कोरिया | 2.121 | 46.65 | 2.210 | 44.54 | 2.379 | 48.99 |
| | * 0.669 | 9.20 | 0.670 | 9.98 | 0·866 | 12.63 |
| | 2.790 | 55.85 | 2.880 | 54.52 | 3.245 | 61.62 |
| **पूर्वी यूरोप :** | | | | | | |
| रूमानिया | 1.915 | 24.16 | 2.544 | 33.24 | 2.845 | 35.26 |
| हंगरी | 0.024 | 0.49 | 0.030 | 0.59 | 0.030 | 0.65 |
| चैकोस्लोवाकिया | 0.117 | 2.50 | 0.122 | 2.53 | 0.086 | 1.60 |
| जर्मन डेमो० गणतन्त्र | 0.615 | 13.33 | 0.716 | 14.03 | 0.913 | 17.41 |
| बुलगारिया | 0.017 | 2.32 | 0.106 | 2.46 | 0.100 | 2.18 |
| | 2.778 | 42.80 | 3.578 | 52.85 | 3·974 | 57.10 |
| **पश्चिमी यूरोप :** | | | | | | |
| इटली | * 0.497 | 9.24 | 0 349 | 6.80 | 0.760 | 10.27 |
| **अन्य :** | | | | | | |
| इराक | 0.098 | 1.32 | 0.127 | 2.05 | 0.126 | 2.15 |
| ताइवान | * 0.012 | 0.19 | 0.119 | 0.50 | 0.162 | 2.4 |
| आबूधाबी | 0.093 | 3.07 | — | — | 0.014 | 0.2 |
| दुबई | 0.084 | 1.39 | 0.096 | 1.57 | 0.082 | 1.51 |
| मलेशिया | 0.018 | 0.32 | 0.052 | 0.80 | 0.012 | 0.21 |
| उत्तरी कोरिया | — | — | — | — | 0.165 | 2.97 |
| पाकिस्तान | 0.146 | 3.51 | 0.131 | 3.08 | 0.173 | 4.20 |
| सऊदी अरब | 0.051 | 0.72 | 0.124 | 3.12 | 0.049 | 0.80 |
| जोर्डन | 0.022 | 0.31 | — | — | 0.007 | 0.14 |
| टरकी | — | — | 0.059 | 1.14 | — | — |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ओमान | — | — | 0.002 | 0.03 | — | — |
| चीन | — | --- | --- | — | 0.030 | 0.75 |
| | 0.524 | 10.83 | 0·710 | 12.29 | 0.820 | 15.5 |
| कुल योग : | 21.970 | 397.84 | 21.948 | 383.75 | 25.395 | 445.84 |
| एम० एम० टी० सी० | 12.205 | 259.51 | 12.522 | 245.88 | 15 375 | 304.82 |
| * प्राइवेट शिपर | 9.765 | 138.33 | 9.426 | 137.87 | 10.020 | 141.02 |

* गोआ के प्राइवेट शिपर्स द्वारा निर्यात।

इस विवरण में कुदरेमुख सांद्रण के निर्यात शामिल नहीं हैं।

### इथोपिया द्वारा भारत से खाद्यान्नों की खरीद

1790. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोपिया सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत से खाद्यान्नों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त वर्ष के दौरान इथोपिया को कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की बिक्री की गई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि सूखा प्रभावित अफ्रीकी देशों को गेहूं के एक लाख मे० टन के उपहार में से, 57,117 एम० टी० इथोपिया के लिए है।

### पर्यटन संवर्धन के कुप्रभावों का अध्ययन

1791. श्री शांताराम नायक : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी निश्चित स्थान पर पर्यटन संवर्धन के कुप्रभावों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस पहलू पर विचार करने और इस संबंध में अध्ययन करने का विचार है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन परियोजनाओं के पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले लाभप्रद और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में राज्यों के पर्यावरण विभागों, व्यावसायिक समूहों तथा पर्यावरण कार्रवाई समूहों के जरिए मामलों का अध्ययन (केस स्टडी) करने के लिए पर्यटन और पर्यावरण संचालन-समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव है और इसके बाद ऐसे दिशा-निर्देश निर्धारित करने का लक्ष्य है जिनके माध्यम से निर्णय लेने वाले पर्यटन परियोजनाओं के पर्यावरण और सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलताओं को देखते हुए उनका जायजा ले सकेंगे तथापि, अभी तक संचालन-समिति का गठन नहीं किया गया है और इसी कारण कोई अध्ययन भी नहीं कराया गया है।

## केरल को वर्ष 1985 में बाढ़ से इलायची मिर्च, रबर की फसलों के नष्ट होने के कारण हुआ नुकसान

1792. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को वर्ष 1985 में आयी बाढ़ से इलायची, मिर्च, रबर आदि जैसे नकदी फसलों के नष्ट होने के कारण कुल कितना नुकसान उठाना पड़ा;

(ख) राज्य द्वारा इन फसलों की खेती करने वालों को पुनः रोपण, पुनर्वास आदि के लिए कुल कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार ने कुल कितनी धनराशि मंजूर की है; और;

(घ) विभिन्न वस्तु बोर्डों द्वारा उक्त प्रयोजनों के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (घ) एक केन्द्रीय अध्ययन दल के मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार ने सहायता के लिए 134.79 करोड़ रु० स्वीकृत किए हैं जिनमें कृषि क्षेत्र के लिए 10.72 करोड़ रु० शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि बागान फसल से संबंधित बड़ा नुकसान इलायची फसल को हुआ था, इलायची बोर्ड के अध्यक्ष को प्रभावित क्षेत्र में पहले से स्वीकृत पुनर-

रोपण उपदान सहायता के अन्तर्गत गम्भीर प्रयास करने की सलाह दी गई। अजूकल रोग को रोकने के लिए वापर सल्फेट के छिड़काव के लिए उपदान को भी दुगना कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 61.26 करोड़ रु० मूल्य की केन्द्रीय सहायता मांगी थी।

**छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, छठे एवं सातवें निर्गम, में निवेश**

1793. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के प्रथम नौ महीनों के दौरान गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, छठी एवं सातवीं निर्गम, में राज्यवार कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) क्या जनसाधारण की छः वर्षीय बचत प्रमाणपत्रों में अच्छी दिलचस्पी को देखते हुए सरकार का विचार कोई नई बचत योजना नये प्रमाणपत्र जारी करने का है;

(ग) क्या राज्य से प्राप्त कुल धनराशि में से सम्बन्धित राज्य को भी कुछ हिस्सा प्राप्त होता है; और

(घ) यदि हां, तो उसे कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। किसी राज्य में एकत्र अल्प बचतों की निवल राशि का 66.6 प्रतिशत उस राज्य को ऋण के रूप में दिया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

| क्रम सं० | डाक मंडल का नाम | जनवरी से सितम्बर, 1984 के दौरान निवेश की गई राशि | | | | जनवरी से सितम्बर, 1985 के दौरान निवेश की गई राशि | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र छठा निर्गम | | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र सातवां निर्गम | | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र छठा निर्गम | | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र सातवां निर्गम | |
| | | सकल | निवल | सकल | निवल | सकल | निवल | सकल | निवल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | पश्चिम बंगाल (क) | 189.79 | 188.79 | 45.40 | 44.59 | 272.89 | 268.83 | 52.86 | 51.25 |
| 2. | उत्तर-पूर्व (ख) | 22.10 | 21.94 | 1.49 | 1.42 | 31.82 | 31.17 | 1.45 | 1.28 |
| 3. | बिहार | 85.74 | 84.06 | 5.74 | 4.76 | 126.43 | 121.01 | 4.57 | 3.27 |
| 4. | उड़ीसा | 19.88 | 19.77 | 1.50 | 1.42 | 32.26 | 31.70 | 1.61 | 1.47 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 230.10 | 228.36 | 13.33 | 12.78 | 344.36 | 334.70 | 15.70 | 13.83 |
| 6. | दिल्ली | 73.56 | 73.16 | 12.86 | 12.64 | 127.83 | 126.62 | 11.92 | 11.65 |
| 7. | उत्तर प्रदेश पश्चिम (ग) | 139.96 | 138.48 | 8.55 | 8.31 | 215.11 | 209.78 | 15.01 | 14.52 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 15.56 | 15.41 | 0.59 | 0.62 | 21.37 | 20.70 | 0.15 | 0.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | तमिलनाडु (घ) | 33.75 | 33.53 | 7.07 | 7.00 | 56.86 | 55.55 | 8.38 | 8.18 |
| 10. | आन्ध्र प्रदेश | 48.36 | 48.07 | 5.70 | 5.51 | 90.14 | 88.56 | 6.30 | 5.91 |
| 11. | कर्नाटक | 57.30 | 56.84 | 8.37 | 8.27 | 76.38 | 71.05 | 9.49 | 9.10 |
| 12. | केरल (ङ) | 8.05 | 8.00 | 2.74 | 2.70 | 16.22 | 16.02 | 3.48 | 3.31 |
| 13. | महाराष्ट्र (च) | 233.97 | 232.97 | 44.51 | 44.22 | 349.75 | 343.54 | 50.57 | 49.34 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 21.40 | 21.19 | 1.47 | 1.25 | 81.28 | 79.98 | 6.98 | 6.73 |
| 15. | राजस्थान | 39.16 | 38.92 | 3.26 | 3.18 | 59.84 | 58.94 | 3.48 | 3.44 |
| 16. | गुजरात | 143.66 | 142.70 | 19.78 | 19.48 | 201.34 | 196.94 | 20.81 | 20.01 |
| | जोड़ : | 1362.34 | 1352.19 | 182.36 | 178.15 | 2103.88 | 2055.09 | 212.76 | 203.41 |

(क) सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)

(ख) असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश (संघ राज्य क्षेत्र)

(ग) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)

(घ) पांडिचेरी सहित

(ङ) लक्षद्वीप और माहे (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का भाग) सहित

(च) गोवा, दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र) सहित

[हिन्दी]

## विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी

1794. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के पहले छः महीनों में विदेशी मुद्रा के भंडार में काफी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कारंवाई की जा रही है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

## बिहार में होटल स्थापित करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों का लाइसेंस

1795. **श्री राम भगत पासवान** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने पर्यटन होटल स्थापित किए गए हैं और उनमें से कितने होटल, पृथक्-पृथक्, सरकार और गैर-सरकारी लोगों द्वारा चलाये जा रहे हैं;

(ख) दिये गये कुल लाइसेंसों में से कितने प्रतिशत लाइसेंस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिये गए हैं;

(ग) क्या पर्यटन विभाग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संविधान के उपबंधों के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को होटल स्थापित करने हेतु आरक्षण अधिकार के अनुसार लाइसेंस देने की विशेष व्यवस्था करने का है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) बिहार में पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित 15 होटल हैं। इनमें से, दो पब्लिक सैक्टर में और शेष 13 प्राइवेट सैक्टर में हैं।

(ख) से (घ) होटलों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस जारी करना नहीं होता बल्कि यह प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर निर्भर करता है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जन-जाति को उचित प्रतिशतता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

**दिल्ली में तस्करों से हेरोइन का पकड़ा जाना**

1796. **श्री टी० बाल गौड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तस्करों से एक करोड़ रुपये के मूल्यों की हेरोइन पकड़ी गई थी जैसा कि 11 सितम्बर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :** (क) और (ख) प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उत्तरी जिला पुलिस के विशेष स्टाफ ने, उत्तरी रिज चबूरिया रोड, दिल्ली के निकट एक कार को रोका और उस कार में सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से एक किलोग्राम हेरोइन अभिगृहीत की। यह हेरोइन एक ब्रीफकेस के अस्तर में छिपाई हुई पाई गई थी। हेरोइन को तस्करी द्वारा हालैंड ले जाया जाना था। पकड़े गए औषध-द्रव्य का ठीक-ठीक मूल्य नहीं बताया जा सकता है क्योंकि इसका अवैध बाजार भाव पर्याप्त रूप से घटता-बढ़ता रहता है, जो औषध-द्रव्य की शुद्धता, स्थानीय मांग और पूर्ति की स्थिति आदि पर निर्भर करता है।

इसके बारे में दिनांक 10-9-1985 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 294 के तहत एक मामला दर्ज कर दिया गया है।

[हिन्दी]

**गुजरात में छोटे ढलाई उद्योगों का बंद होना**

1797. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कच्चे लोहे की कमी के कारण पिछले छः महीनों के दौरान गुजरात में छोटे ढलाई उद्योगों के बन्द होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) कच्चे लोहे के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि आयातित कच्चे

लोहे की कीमत बहुत अधिक है और छोटे ढलाई कारखाने महंगा कच्चा लोहा प्रयोग नहीं कर सकते ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) मुख्यत: वर्ष 1985-86 की प्रथम तिमाही के दौरान बोकारो इस्पात कारखाने में मालिक-मजदूर संबंधों और अन्य परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण अप्रैल-अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान "सेल" के कारखानों में विक्रेय कच्चे लोहे का वास्तविक उत्पादन 5.54 लाख टन हुआ जो इस अवधि के लिए 6.01 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ।

(ग) औद्योगिक सम्बन्धों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखकर, प्रौद्योगिकीय प्राचलों का पालन करके तथा कारखानों के बेहतर रख-रखाव द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए गए थे जिससे उत्पादिता में सुधार हो सके।

(घ) देशीय सामग्री की लागत की तुलना में आयातित कच्चे लोहे की उतरने तक की लागत लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। जी० एस० आई० सी० ने आयात शुल्क में कमी करने के लिए अनुरोध किया है।

**देश में भारतीय पर्यटन विभाग निगम द्वारा चलाए जा रहे पांच सितारा होटल**

1798. **श्री आर० एम० भोये** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस समय भारतीय पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत निर्माणाधीन, पांच सितारा होटलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में देश में पांच सितारा होटलों के निर्माण को रोक दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) भारत पर्यटन विकास निगम का कोई भी 5-स्टार होटल निर्माणाधीन नहीं है।

(ख) और (ग) मार्केट में मांग, वित्तीय व्यवहार्यता, आदि और प्रवर्तक के पास संसाधनों की उपलब्धता की शर्त के अधीन देश में 5-स्टार होटलों का निर्माण करने पर कोई रोक नहीं है।

[अनुवाद]

## दुर्गापुर स्थित मिश्रधातु इस्पात मिलों में उत्पादन का बन्द होना

1799. श्रीमती किशोरी सिंह
श्री वाई० एस० महाजन } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित मिश्रधातु इस्पात मिलों में उत्पादन बन्द हो गया है;

(ख) उक्त संयंत्र में घाटा होने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि घाटा हुआ है, तो ऐसा श्रमिकों द्वारा कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किए जाने का विरोध करने के कारण है;

(घ) क्या आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती किए बिना मिलों का विस्तार किया गया है; और

(ङ) श्रमिकों से उत्पादन शुरू कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) 3-10-85 से 29-10-85 की अवधि में दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में उत्पादन बन्द हो गया था।

(ख) हानि के मुख्य कारण हैं :—

1. बिजली तथा कोक ओवन गैस की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण क्षमता का कम उपयोग।
2. पुरानी प्रौद्योगिकी, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी तथा उत्पादन लागत में वृद्धि।
3. मिश्र इस्पात के लिए बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण अलाभकारी बिक्री-मूल्य।
4. आदानों की लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि।
5. प्रति इकाई उत्पादन के लिए श्रम लागत में वृद्धि।

(ग) इकाई में श्रम लागत में वृद्धि के लिए श्रमिकों द्वारा कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किये जाने का विरोध भी एक कारण रहा है।

(घ) श्रम-शक्ति के वर्तमान स्तर और श्रम-शक्ति की लागत को स्थिर रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त भर्ती करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(ङ) विभिन्न स्तरों पर गहराई से विचार-विमर्श करने के परिणामस्वरूप 30-10-85 से मिश्र इस्पात कारखाने में उत्पादन शुरू किया गया है।

**इंजीनियरिंग उद्योग में विश्व बैंक का निवेश**

1800. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उसमें धन निवेश करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों में स्थापित इंजीनियरिंग यूनिटों के विकास के लिए राज्यों को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है तथा इस संबंध में राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) विश्व बैंक ने औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरिंग वस्तुओं) परियोजना के लिए 25.00 करोड़ डालर के एक ऋण का अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य निर्यात की जाने वाली तथा विनिर्मित वस्तुओं की, विशेष रूप से इंजीनियरिंग उप-क्षेत्र की वस्तुओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने से संबंधित भारत सरकार के कार्यक्रम में उसकी सहायता करना है, इस ऋण की निकासी जनवरी, 1986 से जून, 1989 की अवधि के दौरान की जाएगी। इस परियोजना के निम्नलिखित चार घटक हैं :—

**भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) को ऋण** :

(i) उप-परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए 16.00 करोड़ डालर की राशि जिसमें 10.00 करोड़ डालर इंजीनियरिंग उप-परियोजना के लिए रखे गये हैं।

**भारत सरकार का ऋण** :

(ii) विस्तार तथा उन्नयन के संबंध में चुने हुए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहायक उपकरण बनाने वाली इंजीनियरिंग फर्मों को दिये गये ऋणों की विदेशी मुद्रा लागतों के वित्तपोषण के लिए 7 करोड़ डालर की राशि।

(iii) जिन गतिविधियों का उद्देश्य वस्तुओं की किस्म तथा संयंत्र की उत्पादकता में सुधार करना हो, उनकी लागत के 50 प्रतिशत तक वित्तपोषण करने के संबंध में एक उत्पादकता कोष की स्थापना करने के लिए एक करोड़ डालर की राशि; और

(iv) इंजीनियरिंग उद्यमों द्वारा आरम्भ की गई उपयुक्त विकासात्मक गतिविधियों की लागत के 50 प्रतिशत तक का वित्तपोषण करने के लिए एक निर्यात विपणन कोष की स्थापना के लिए 1.00 करोड़ डालर की राशि।

इस राशि का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है।

**सातवीं योजना में पर्यटन की संभाव्यता के उपयोग सम्बन्धी योजना**

1801. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है कि अब तक प्रत्येक राज्य में पर्यटन की सम्भाव्यता का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य में पर्यटन की सम्भाव्यता का और अधिक उपयोग करने सम्बन्धी क्या योजनाएं हैं ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक राज्य में पर्यटन के विकास की आयोजना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधार-संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की स्कीमें हाथ में ली हैं जिनके अंतर्गत कम दरों वाले आवास, परिवहन सुविधाएं, मनोरंजन सुविधाएं, आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय विरासत के रूप में कुछ स्थानों अथवा क्षेत्रों के परिरक्षण के लिए तथा स्मारकों की प्रकाश-पुंज व्यवस्था अथवा विहार—स्थलों का विकास, आदि करते हुए आधार-संरचना के सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

**अनिवासी खातों पर ब्याज देयता**

1802. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की आगामी तीन वर्षों के दौरान अनिवासी (विदेशी मुद्रा) खातों पर कुल कितने ब्याज की देयता है;

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में इसका अनुपात क्या है; और

(ग) इस बढ़ती हुई देयता को रोकने हेतु केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) पहली जुलाई, 1984 से 30 जून, 1985 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों पर ब्याज देयता की राशि इस प्रकार थी :—

| संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर | पौंड-स्टर्लिंग |
|---|---|
| 58,725,701 | 20,156,426 |

निम्नलिखित कारणों से आगामी तीन वर्षों के संबंध में विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में जमा राशियों पर ब्याज देयता का सही अनुमान लगाना कठिन है :—

(i) इन खातों में प्राप्त होने वाली और इनमें से निकाली जाने वाली रकमों में अनिवासी जमाकर्ताओं के विवेकानुसार भारी परिवर्तन हो सकता है।

(ii) विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों पर ब्याज की दरों में भी उक्त अवधि के दौरान परिवर्तन हो सकते हैं जो कि ब्याज की दरो में होने वाली विश्वव्यापी घट-बढ़ पर निर्भर करता है।

(iii) अनिवासी अलग-अलग परिपक्वता अवधि वाली निधियों में रकमें जमा कर सकते हैं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सरकार को विदेशी मुद्रा अनिवासी खातो में जमा रकमों पर ब्याज की देयता के बारे में जानकारी है और इसका बारीकी से परिवीक्षण किया जा रहा है और उस पर निगरानी रखी जा रही है।

**अभ्रक के निर्यात हेतु वर्ष 1984-85 के लिए निर्यात लक्ष्य**

1803. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान अभ्रक के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) उक्त लक्ष्य कितना उपलब्ध हुआ है; और

(ग) यदि लक्ष्य उपलब्धि संतोषजनक नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) 1984-85 के दौरान साधित अभ्रक के निर्यात के लिए 27 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1984-85 के दौरान साधित अभ्रक (जिसमें स्क्रैप भी शामिल है) के निर्यात अनन्तिम रूप से 25.62 करोड़ रु० के हुए हैं; जो कि लगभग 95 प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि दर्शाते हैं। लक्ष्य की तुलना में निर्यात में गिरावट का कारण है साधित अभ्रक की बजाए मूल्य वर्धित रूप में अभ्रक का बराबर अधिक निर्यात करना।

## पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग के लिए गुजरात की तरह पैकेज डील लागू करना

1804. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिए गुजरात के तरह की पेकेज डील लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रणाली पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग के सम्बन्ध में भी लागू की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) और (ग) एक सी विशेषताओं वाला कोई प्रस्ताव किसी अन्य राज्य से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## दिल्ली में अनधिकृत गेस्ट हाउस

1805. **श्री अजय विश्वास** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 30 सितम्बर, 1985 को अनधिकृत गेस्ट हाउसों की संख्या कितनी थी; और

(ख) सरकार ने अनधिकृत गेस्ट हाउसों के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) और (ख) सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

## देश में छठी और सातवीं योजना के दौरान पर्यटन का विकास

1806. **श्री सत्य गोपाल मिश्र**
**श्री रेणुपद दास** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में पर्यटन के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई है, और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन संबंधी प्रस्ताव और उन पर व्यय की जाने वाली राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पर्यटन आधार-संरचना के विकास पर किए गए खर्च के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) पर्यटन के विकास हेतु धनराशियों का प्रावधान राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सेंट्रल सैक्टर में पर्यटन के लिए (पर्यटन विभाग, भारत पर्यटन विकास निगम व होटल प्रबन्ध एवं कैटरिंग टेक्नोलोजी यूनिट) आबंटन 138.68 करोड़ रु० है । सातवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों के परामर्श पर्यटक अभिरुचि के केन्द्रों पर आधार-संरचना के विकास, स्वदेशी पर्यटन के संवर्धन, समुद्र-तट विहारों के विकास, हिमालयन ट्रैकिंग और जलक्रीड़ाओं के लिए सुविधाओं के सुधार, राष्ट्रीय विरासत के क्षेत्रों के संरक्षण, स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था, बौध पर्यटन के विकास, बजट आवास मुहैया कराने के लिए यात्री-निवासों के निर्माण, तीर्थ-स्थानों पर यात्रिकाओं/धर्मशालाओं के निर्माण, स्थल परिवहन सुविधाओं के गुणों में सुधार, वन्य जीवन पर्यटन के विकास, पर्यटन और यात्रा उद्योग में सेवा की व्यावसायिकता, क्वालिटी प्रचार सामग्री के उत्पादन और विदेश में बढ़े हुए संवर्धन प्रयास एवं प्रचार के लिए एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है ।

**विवरण**

**छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा किए गये खर्च**

(लाख रुपयों में)

| क्रम सं० | राज्य का नाम | व्यय राशि (छठी योजना के दौरान) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1.94 |
| 2. | असम | 24.08 |
| 3. | बिहार | 99.96 |
| 4. | गुजरात | 14.68 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 20.56 |
| 6. | जम्मू व कश्मीर | 58.62 |
| 7. | कर्नाटक | 53.16 |
| 8. | केरल | 6.30 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 92.64 |
| 10. | महाराष्ट्र | 15.47 |
| 11. | मणिपुर | 15.18 |
| 12. | मेघालय | 13.48 |
| 13. | नागालैंड | 16.96 |
| 14. | उड़ीसा | 49.07 |
| 15. | राजस्थान | 67.58 |
| 16. | सिक्किम | 7.00 |
| 17. | तमिलनाडु | 10.62 |
| 18. | त्रिपुरा | 7.86 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 160.14 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 34.92 |
| 21. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 27.74 |
| 22. | गोआ दमन व द्वीव | 46.15 |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | 16.00 |
| 24. | दिल्ली | 10.16 |
| 25. | मिजोरम | 6.00 |

**छठी योजना (1980-85) के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किये गये राज्य-वार पूंजीगत योजना व्यय**

(लाख रुपयों में)

| क्रम सं० | राज्य का नाम | छठी योजना (1980-85) के दौरान योजना-गत व्यय |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 23.84 |
| 2. | असम | 46.91 |
| 3. | बिहार | 52.09 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 0.31 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | 17.86 |
| 6. | कर्नाटक | 128.90 |
| 7. | केरल | 22.30 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 84.12 |
| 9. | महाराष्ट्र | 115.57 |
| 10. | मेघालय | 0.20 |
| 11. | उड़ीसा | 116.65 |
| 12. | पंजाब | 0.39 |
| 13. | राजस्थान | 65.24 |
| 14. | तमिलनाडु | 100.84 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 167.33 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 69.22 |
| 17. | दिल्ली | 4289.77 |
| 18. | चंडीगढ़ | 13.24 |
| 19. | पांडिचेरी | 13.28 |
| 20. | अरुणाचल प्रदेश | 10.05 |

छठी पंचवर्षीययोजना (1980-85) के दौरान होटल प्रबन्ध-संस्थाओं और खाद्य-शिल्प संस्थाओं को प्रदान की गई सहायक-अनुदानों के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम | छठी योजना (1980 85) के दौरान योजनागत व्यय |
|---|---|---|
| 1. | चंडीगढ़ | 2.99 |
| 2. | दिल्ली | 16 .65 |
| 3. | गोआ | 37.60 |
| 4. | आंध्र प्रदेश | 24.25 |
| 5. | असम | 5.22 |
| 6. | बिहार | 17.94 |
| 7. | गुजरात | 19.72 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 9.40 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 30.62 |
| 10. | कर्नाटक | 29.37 |
| 11. | केरल | 0.22 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 12.07 |
| 13. | महाराष्ट्र | 64.62 |
| 14. | उड़ीसा | 69.01 |
| 15. | राजस्थान | 3.00 |
| 16. | तमिलनाडु | 62.85 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 17.05 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 104.81 |

[हिन्दी]

## जाले ग्रामीण विकास केन्द्र स्थित इण्डियन बैंक की शाखा द्वारा नलकूप लगाने हेतु ऋण दिया जाना

1807. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला दरभंगा (बिहार) में जाले ग्रामीण विकास केन्द्र स्थित इण्डियन बैंक की शाखा द्वारा सिंचाई के प्रयोजन के लिए नलकूप लगाने हेतु वर्ष 1982 से अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है;

(ख) क्या अब तक दिये गये ऋणों पर बैंक को राजसहायता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंकों द्वारा सिंचाई उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर विभिन्न वर्गों किसानों से किस दर पर ब्याज वसूल किया जाता है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) इंडियन बैंक की जाले शाखा ने सिंचाई प्रयोजनों के लिए नलकूप लगाने के वास्ते 22 ऋणकर्ताओं को अब तक कुल मिलाकर 3,56,608/- रुपये के ऋण मंजूर किए हैं। इनमें से 2,66,866/- रुपये का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान में कमी शुरू में प्रस्तावित नलकूपों की गहराई और ऋणकर्ताओं द्वारा वास्तव में निष्पादित कार्य के अन्तर के कारण हुई।

(ख) और (ग) बैंक ने इन सभी 22 खातों के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता का दावा किया है और उससे 18 खातों की 81,513/- रुपये की रकम प्राप्त भी हो चुकी है।

(घ) लघु सिंचाई के लिए मंजूर किए गए ऋणों के ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक है और यह सभी वर्गों के किसानों के लिए है।

[अनुवाद]

## केरल कृषि विपणन संघ को ऋण

1808. **श्री पी० ए० एंटनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केरल कृषि विपणन संघ अथवा केरल राज्य सहकारी बैंक को नारियल की खरीद करने हेतु ऋण देने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि पहले ही दी जा चुकी है और कितनी धनराशि दिए जाने की सम्भावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केरल राज्य सहकारी विपणन संघ को विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के लिए भारतीय स्टेट बैंक से 12 करोड़ रुपये की कार्यकारी पूंजी सीमा प्राप्त है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को जनवरी 1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तदर्थ सीमा मंजूर करने की अनुमति दे दी है। केरल राज्य सहकारी बैंक ने भी संघ को 5 करोड़ रुपये की सीमा की मंजूरी दी है। इस प्रकार संघ को बैंकिंग प्रणाली से कुल 22 करोड़ रुपये की ऋण सीमा प्राप्त है।

**विद्युत चालित करघों को वित्तीय सहायता और लाभ**

1809. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित नई वस्त्र नीति के अनुसार विद्युत चालित करघों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत चालित करघों को संगठित मिल क्षेत्र को उपलब्ध सभी वित्तीय सहायता मिलेंगी; और

(ग) इस अनिवार्य पंजीकरण के विस्तृत कारण क्या हैं और उसके परिणामस्वरूप विद्युत चालित करघों को क्या लाभ दिए जाएंगे ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) विद्युतकरघों के लाभप्रद विकास तथा विनियमन हेतु आवश्यक समझे गए अपेक्षित आंकड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान नीति में अनिवार्य पंजीकरण संबंधी व्यवस्था बनायी रखी गई है।

विद्युतचालित करघों के औद्योगिक प्रतिष्ठान निवेश, रोजगार आदि की दृष्टि से उनके बराबर के औद्योगिक एककों के लिए लागू नियमों तथा सहायता कार्यक्रमों के तहत नियंत्रित होंगे।

**स्टेट बैंक आफ मैसूर के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति दिखाया गया भेदभाव**

1810. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 सितम्बर, 1985 के "डेक्कन हेराल्ड" में "एस० बी० एम० बायास्ड अगेंस्ट एस० सी०/एस० टी०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अखिल भारत स्टेट बैंक आफ मैसूर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठन ने स्टेट बैंक आफ मैसूर द्वारा नियुक्तियों, प्रशिक्षण, पदोन्नतियों और

आवास सुविधा आदि देने में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रति सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) सरकार को अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ मैसूर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (पंजीकृत), बंगलौर से दिनांक 28 अगस्त, 1985 का एक परिपत्र अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि स्टेट बैंक आफ मैसूर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार के मार्गनिर्देश का अनुसरण नहीं कर रहा है। स्टेट बैंक आफ मैसूर के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों का सम्बन्ध मुख्यत: क्लर्क संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में की जाने वाली पदोन्नति से है। इस बारे में स्टेट बैंक आफ मैसूर से मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी। स्टेट बैंक आफ मैसूर ने कहा है कि उसकी पदोन्नति नीति के अनुसार, चयन की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इन्टरव्यू होता है। लिखित परीक्षा में जो कर्मचारी सामान्य उम्मीदवारों और आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए (अंकों में रियायत के साथ) निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें पदोन्नति नीति के अनुसार इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस नीति के अनुसार इन्टरव्यू के लिए सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए (रियायत के साथ) अलग-अलग न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों को आयु सेवा और लिखित परीक्षा में बैठने के अवसरों के सम्बन्ध में रियायतें भी दी जाती हैं। बकाया रिक्त स्थानों को भरने के लिए 23 जून, 1985 को केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में जो 79 उम्मीदवार बैठे थे, उनमें से 10 उम्मीदवार (क) समूह में और एक उम्मीदवार (ख) समूह में पास हुआ। सफल उम्मीदवारों के लिए 23 अगस्त, 1985 को इन्टरव्यू रखा गया। अखिल भारतीय स्टेट बैंक आफ मैसूर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने बैंक को एक ज्ञापन दिया जिसमें यह मांग की गई कि वे सभी उम्मीदवार जो इन्टरव्यू के पात्र हैं बिना इन्टरव्यू के पदोन्नत कर दिए जाएं क्योंकि रिक्त स्थान बकाया हैं और इन्टरव्यू में आने वाले उम्मीदवारों की संख्या उन स्थानों से कम है। चूंकि यह मांग पदोन्नति नीति के विरुद्ध थी इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया और सभी उम्मीदवारों ने इन्टरव्यू का बहिष्कार कर दिया। संदर्भगत समाचार की विषय वस्तु यही थी।

बैंक ने आगे यह भी कहा है कि पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। पदोन्नति से पूर्व प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं और प्रशिक्षण काल में आवास की सुविधा भी दी जाती है। आरक्षित श्रेणी के बकाया रिक्त स्थान भरने के लिए केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक और परीक्षा आयोजित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

### बंगलादेश को ऋण पर चीनी दिया जाना

1811. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलादेश को ऋण पर चीनी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बंगलादेश को कुल कितने मीटरी टन चीनी भेजने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) बंगलादेश से उनकी तत्काल जरूरतें पूरी करने के लिए प्रतिस्थापन के आधार पर 12,000 मे० टन से 24,000 मे० टन चीनी के एक या दो शिपलोडों को उधार भेजने का एक प्रस्ताव मिला था। चूंकि इस प्रकार के सौदे की वाणिज्यिक शर्तों पर एस० टी० सी० तथा बंगलादेश प्राधिकारियों के बीच कोई करार नहीं हो सका, अतः इस सौदे को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

**हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन वर्क्स लि० बन्द होने के सम्बन्ध में ज्ञापन**

1812. **श्री नारायण चौबे** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लि० को बन्द करने का है, जैसाकि कलकत्ता से प्रकाशित दिनांक 14 अक्तूबर, 1985 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कम्पनी में कितने कामगार और कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(घ) क्या कर्मचारियों ने सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया था;

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त ज्ञापन में किन मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया गया था; और

(च) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० (एच० एस० सी० एल०) को पिछले कई वर्षों से भारी घाटा हो रहा है। 31-3-85 तक इसे 80 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

(ग) 31-3-85 की स्थिति के अनुसार एच० एस० सी० एल० में कुल कर्मचारियों की संख्या 23,312 थी, जिसमें :—

| | | |
|---|---|---|
| कामगार | — | 17,050 |
| गैर-कार्यपालक | — | 4,406 |
| कार्यपालक | — | 1,856 |

(घ) जी हां, 10-10-85 को एच० एस० सी० एल० के कामगारों की संयुक्त समिति ने एच० एस० सी० एल० की अर्थ-क्षमता के बारे में सरकार को एक ज्ञापन दिया था।

(ङ) इस ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे थे :—

1. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा समस्याओं की उत्पत्ति।

2. श्रमिकों को रोजगार तथा उनकी गतिशीलता।

3. एच० एस० सी० एल० को काम न मिलना।

4. एच० एस० सी० एल० को देय बकाया राशि।

5. विदेशी कार्यों में हानि।

6. वर्तमान वित्तीय ढांचा तथा कठिनाइयां।

7. उपर्युक्त समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव।

(च) सरकार इस ज्ञापन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और एच० एस० सी० एल० के भविष्य के विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है।

### लघु उद्योग एककों के उत्पादन शुल्क की छूट-सीमा में परिवर्तन

1813. श्री डूंगर लाल बैंठा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग एककों के लिए टी० आई० 68 मदों के लिए उत्पादन शुल्क की छूट-सीमा 1980-81 से 1984-85 के वर्षों में 30 लाख रुपये थी; जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में घटाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लघु उद्योग एककों को उत्पादन औपचारिकताएं बहुत ही जटिल समय लेने वाली और अत्यधिक कठिन है और अन्ततः इनसे लघु उद्योग एककों के उत्पादन और अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) इन वर्षों के दौरान मूल्य वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार का विचार छूट-सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये करने की वांछनीयता अथवा कम से कम 30 लाख रुपये की पिछली सीमा को बनाए रखने का है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के तहत आने वाले माल का निर्माण करने वाले लघु एककों को 16 लाख रुपये के मूल्य की निकासी तक लाइसेंस सम्बन्धी नियंत्रण से छूट प्राप्त है। यदि ऐसे एककों की निकासियों का मूल्य 16 लाख रुपये से अधिक हो जाता है परन्तु 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है तो उन्हें केवल एक सरलीकृत कार्यविधि का अनुसरण करना पड़ता है। इन सरलीकरणों के परिणामतः यह आशा की जाती है कि लघु एककों को, औपचारिकताओं को पूरा करने में व्यर्थ की कोई कठिनाई नहीं होगी।

(ग) और (घ) 30 लाख रुपये की पूर्ववर्ती पूर्ण छूट को पुनः लागू किए जाने अथवा उसे 75 लाख रुपये तक बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। वर्ष 1985 के बजट में लघु योजना के तहत दी गई ढील में लघु एककों के विकास के सिलसिले में पर्याप्त संरक्षण और प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

### विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति

1814. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में अपनाई गई उदार आयात नीति के कारण भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा विदेशों में चले जाने से उत्पन्न विकट स्थिति की जानकारी है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी** : (क) से (ग) अक्तूबर, 1985 के अन्त तक उपलब्ध विदेशी मुद्रा भण्डार के आंकड़ों से समग्र विदेशी मुद्रा की स्थिति में कोई गिरावट नजर नहीं आती। भुगतान संतुलन स्थिति की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और इसकी व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए, यथावश्यक उपाय किये जाते हैं।

**[हिन्दी]**

### खाद्यान्नों के रक्षित भंडार पर बैंकों का ऋण

1815. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के रक्षित भंडार पर कितने बैंकों का कितना ऋण लगा हुआ है और इस धनराशि पर वार्षिक ब्याज के रूप में कितनी धनराशि देय है;

(ख) क्या व्यापारिक बैंक ब्याज समेत इस धनराशि को भारतीय खाद्य निगम आदि से वसूल करेंगे;

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा व्यापारिक बैंकों की कुल कितनी धनराशि दी जाएगी; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम आदि को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा तथा इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) अनाज वसूली के लिए राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण सीमाओं के अन्तर्गत 25 अक्तूबर, 1985 को कुल 5791 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी। बफर स्टाक की लागत को पूरा करने के लिए अलग से कोई नकद ऋण सीमा मंजूर नहीं की गई है। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों को प्राधिकृत खाद्य ऋण सीमाओं की मंजूरी बैंकों के पास बन्धक रखे गए अनाज के स्टाक की जमानत और मार्जिन के बदले भारत सरकार/राज्य सरकार की गारंटियों के बदले दी जाती है। ऐसी स्थिति में बैंकों द्वारा दिये गये खाद्य ऋण पूर्णत: प्रतिभूत होते है। 25 अक्तूबर 1985 को खाद्य ऋणों की बकाया रकमों के 14 प्रतिशत की दर पर ब्याज की एक वर्ष की राशि लगभग 811 करोड़ रुपये बैठती है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए अनाज की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्यों पर करता है और उस अनाज को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जारी मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी करता है। जारी मूल्य और अनाज वसूली के आर्थिक लागत, ढुलाई, अनाज के भंडारण और संवितरण के बीच अन्तर की राशि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में निगम को दी जाती है। भारतीय खाद्य निगम को भारत सरकार की ओर से रखे गये बफर स्टाक के सम्बन्ध में ढुलाई के प्रभार के लिए भी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

**पर्यटन विकास दर में गिरावट**

1816. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से पर्यटन विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गिरावट के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पर्यटन विकास में वृद्धि करने हेतु कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) और (ख) जी, नहीं। गत पांच वर्षों के दौरान पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर विदेशी पर्यटक आगमनों की वृद्धि दर इस प्रकार है :—

| वर्ष | वृद्धि दर (प्रतिशत) |
|---|---|
| 1980 | 4.6 |
| 1981 | 6.6 |
| 1982 | 0.8 |
| 1983 | 2.9 |
| 1984 | 3.6 |

1980 के दशक के प्रारम्भ में पर्यटक भेजने वाले अधिकांश देशों में आर्थिक मंदी और 1984 के दौरान भारत में हुई कुछ घटनाओं के प्रतिकूल मीडिया कवरेज ने विदेशी पर्यटकों के आवागमन को प्रभावित किया है।

(ग) और (घ) देश के लिए पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के वास्ते सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें ये शामिल हैं—उपभोक्ता विज्ञापन पर बल देते हुए प्रचार अभियान का पुनर्विन्यास, विदेशों के यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्ताओं के साथ जन-सम्पर्क बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, आंतरिक परिवहन प्रणाली का विस्तार, सांस्कृतिक पर्यटन के साथ-साथ अवकाश पर्यटन के लिए आधार-संरचना का विकास, आदि।

[अनुवाद]

### बम्बई में सोने के बिस्कुटों और विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

1817. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया कि बम्बई में 3.40 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट और एक करोड़ रुपए के मूल्य की विदेशी और भारतीय मुद्रा पकड़ी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है।

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त पाए गए तीन व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 4.77 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के सोने, विदेश. मुद्रा और भारतीय मुद्रा को भी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के तहत अभिगृहीत कर लिया गया है।

## अक्तूबर, 1985 में सिम्रोल में हुई विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वार्षिक आम बैठक

1818. **श्री आनन्द सिंह**
**श्री महेन्द्र सिंह** } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चालीसवीं वार्षिक आम बैठक सिओल में इस वर्ष अक्तूबर में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विशेष विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के सम्बन्ध में इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, हां।

(ख) जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया वे इस प्रकार थे : वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और वार्षिक लेखापरीक्षा, निवल आय का वितरण, राजकोषीय वर्ष 1986 का प्रशासनिक बजट, विकास समिति की वार्षिक रिपोर्ट, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और 1985-86 के लिए अधिकारियों और संयुक्त प्रक्रियाओं से संबंधित समिति का चयन।

(ग) जहां तक इसका भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से संबंध है, इस बैठक से कोई विनिर्दिष्ट परिणाम नहीं निकला।

## राज्यों को ओवर ड्राफ्ट की बजाए दिए गए ऋणों का प्रभाव

1819. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ओवर ड्राफ्ट की समस्या को हल करने के लिए राज्यों को 1,628 करोड़ रुपए के ऋण दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या प्रभाव हुए हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) राज्यों को अपने ओवरड्राफ्टों का भुगतान करने में सहायता करने के लिए, भारत सरकार ने 1 अक्तूबर, 1985 को

उन्हें 1628 करोड़ रुपए का मध्यावधि ऋण दिया था। तब से कोई भी राज्य 21 नवम्बर, 1985, अन्तिम तारीख जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों के ओवरड्राफ्ट की स्थिति उपलब्ध है, तक लगातार 7 दिवसों से अधिक के लिए ओवरड्राफ्ट में नहीं रहा।

**चाय निर्यात व्यापार में संकट**

1820. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय निर्यात व्यापार में आए संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी बाजार में भारतीय चाय की मांग को बढ़ाने के लिए कोई उपचारी उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि ऐसे उपाय पहले नहीं किए गए हैं, तो क्या अब ऐसे उपाय किए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ङ) जी, नहीं। हालांकि देशी विश्व सप्लाइयों ने अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को लगभग 50% कम कर दिया है, फिर भी भारत हाल के विगत वर्षों के उच्च स्तरों पर निर्यातों के सम्बन्ध में इकाई मूल्य प्राप्ति बनाए रखने में सक्षम रहा है। सरकार चाय के पुनर्रोपण के लिए उपदान, विदेशों में ब्रांड संवर्धन तथा भण्डारण सम्बन्धी सहायता तथा मूल्यवर्धित चाय पर नकद मुआवजा सहायता के रूप में प्रोत्साहन देती है। भारत अपने विदेश स्थित कार्यालयों के जरिए संवर्धनात्मक अभियान भी चलाता है।

**दिल्ली पुलिस बैंक सुरक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण**

1821. **श्री बाबुबन रियान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में की गई सुरक्षा व्यवस्था के सर्वेक्षण के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक किया जाएगा; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं करने का विचार है तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) दिल्ली में बैंकों की शाखाओं में सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाने के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में सरकारी क्षेत्र

के बैंकों के स्थानीय प्रमुखों, गृह मन्त्रालय के प्रतिनिधियों और दिल्ली के पुलिस आयुक्त की 7 अक्तूबर, 1985 को एक बैठक हुई थी। बैंकों के लिए निम्नलिखित हिदायतें दोहरायी गईं :—

(1) शाखाओं के साप्ताहिक अवकाश का दिन वह रखा जाए, जिस दिन उस इलाके का बाजार बन्द हो।

(2) प्रत्येक शाखा में एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड होना चाहिए।

(3) बैंक की प्रत्येक शाखा में दाखिल होते ही एक कोलेप्सेबल गेट होना चाहिए। जिसमें जंजीर लगी हो और ताला हो।

(4) कैशियरों के लिए जाली की एक केबिन होनी चाहिए जिसका ताला अपने आप बन्द हो जाता हो।

(5) शाखाओं में एक अलार्म की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और यह अलार्म कमजोर नहीं बल्कि ऊंची आवाज वाला होना चाहिए।

(6) बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सुरक्षा उपायों की जांच की जानी चाहिए।

दिल्ली में बैंकों की अधिकतर शाखाओं ने उपर्युक्त सुरक्षा-प्रबन्धों पर अमल कर लिया है और थोड़ी सी जिन शाखाओं में ये प्रबन्ध नहीं है, वहां पर इनकी व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

## केरल में चाय के उत्पादन में गिरावट

1822. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केरल में चाय की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ख) देश के शेष भाग की तुलना में केरल में चाय के प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रतिशतता क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) केरल में चाय के प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता संबंधी आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :

| 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|
| 1374 | 1273 | 1661 |

1984 में उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

(ख) केरल में 1984 में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1661 किग्रा० रहा जबकि संपूर्ण भारत का उत्पादन 1629 किग्रा० था।

## वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् विपणन विकास सहायता

1823. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को विपणन विकास सहायता देनी बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) अपरेल निर्यात संवर्धन परिषद केवल अपनी संहिता सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए विपणन विकास सहायता से अनुदान प्राप्त करता था। परिषद द्वारा अपनी संस्था नियमावली में कतिपय संशोधनों को कार्यान्वित करने के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू करने में असफल रहने की वजह से 1 अप्रैल, 1985 से यह सहायता बन्द कर दी गई।

## इंजीनियरिंग के सामान, मछली उत्पादों, रत्नों और आभूषणों के निर्यात में गिरावट

1824. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान इंजीनियरिंग के सामान मछली उत्पादों, रत्नों तथा आभूषणों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) अनन्तिम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1983-84 की तुलना में 1984-85 के दौरान इंजीनियरी माल और समुद्री उत्पादों के निर्यात अधिक हुए। तथापि, 1984-85 के दौरान रत्न तथा आभूषणों के निर्यातों में मामूली सी गिरावट आई।

(ख) निर्यात संवर्धन परिषद् के आंकड़ों के अनुसार 1984-85 के दौरान रत्न तथा आभूषण मदों के निर्यात 1304.90 करोड़ रु० मूल्य के हुए जबकि 1983-84 में ये 1324.45 करोड़ रुपए मूल्य के हुए थे। 1983-84 में रत्न तथा आभूषण के निर्यातों में काफी वृद्धि हुई थी जिसे 1984-85

में विशेषरूप से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मन्दी की परिस्थितियों के कारण बरकरार नहीं रखा जा सका।

(ग) रत्न तथा आभूषण निर्यात बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :

1. घटे शुल्क पर औजारों तथा मशीनों का आयात सुकर बनाकर प्रौद्योगिकी में सुधार,

2. शिल्पियों को प्रशिक्षण देना,

3. उत्पाद तथा बाजार विविधीकरण आदि।

## सीरे का निर्यात

1825. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल कितनी मात्रा में सीरे का निर्यात किया गया;

(ख) क्या चीनी उद्योग अल्कोहल उद्योग की सीरा संबंधी आन्तरिक मांग को पूरा करने में सक्षम है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्यात का क्या औचित्य है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान निर्यातित सीरे की कुल मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

| वर्ष | मात्रा (लाख एम० टी० में) | मूल्य (करोड़ रु० में) |
|---|---|---|
| 1983-84 | 5.04 | 26.79 |
| 1984-85 | 2.49 | 12.36 |

(ख) चीनी उद्योग अल्कोहल वर्ष 1983-84 (दिस०-नव०) तक अल्कोहल उद्योग की जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में था। इसके पश्चात्, केन्द्रीय सीरा बोर्ड ने 16-3-85 को हुई अपनी बैठक में अल्कोहल वर्ष 1984-85 के लिए लगभग 15 लाख मे० टन तक सीरे की अपनी कम पड़ रही मांग की उपलब्धता का मूल्यांकन किया।

(ग) चल रही कमी को देखते हुए, सरकार द्वारा चालू अल्कोहल वर्ष के दौरान सीरे के निर्यात हेतु कोई नई अनुमति नहीं दी गई।

## महानगरों में कम्प्यूटर द्वारा चैक तैयार करने की सुविधाएं

1826. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी महानगरों में कम्प्यूटर द्वारा चैक तैयार करने की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्धारित तारीख तय की है;

(ख) यदि हां, तो महानगरों में कम्प्यूटर द्वारा चैक तैयार करने की सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति की गई है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारम्भ में चार महानगरीय केन्द्रों और बाद में अन्य राज्यों की राजधानियों और बड़े-बड़े शहरों में बैंकों में मशीनों द्वारा चैकों पर कारंवाई करने की मैगनैटिक इंक करेक्टर रेकिगनीशन (एम० आई० सी० आर०) टैक्नालोजी लागू करने का एक कार्यक्रम है। इस टैक्नालोजी से बाहरी चैकों का अन्तर नगर समाशोधन (राष्ट्रीय समाशोधन) और साथ ही स्थानीय चैकों का समाशोधन, तेजी से करने में भी सुविधा रहेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 मार्च, 1986 से अन्तर नगर समाशोधन व्यवस्था बम्बई, दिल्ली और मद्रास के बीच शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम के अनुसार कलकत्ता को भी जून, 1986 के अन्त तक अन्तर नगर समाशोधन के साथ जोड़ दिए जाने का प्रस्ताव है।

समाशोधन के लिए आने वाले चैकों और अन्य लिखतों का मानकीकरण कर दिया गया है। बैंकों से तदनुसार मैगनैटिक इंक केरेक्टर रैकिगनीशन चैक जारी करने के लिए कहा गया है और अधिकांश बैंकों ने बम्बई, दिल्ली और मद्रास में ऐसे चैक जारी करने शुरू कर दिये हैं।

## शहरी सम्पत्ति का सर्वेक्षण

1827. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में काले धन का पता लगाने के एक उपाय के रूप में घर घर जाकर शहरी सम्पत्ति का सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) देश में काले धन का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) कानूनी समर्थन के अभाव में रिहायशी परिसरों का घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तथापि, अप्रैल से अगस्त 1985

तक की अवधि के दौरान, जिसके संबंध में अभी तक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, और उनके अनुसार 60643 व्यापारिक परिसरों का सर्वेक्षण किया गया था। घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करने हेतु सरकार, "भारत में अवैध अर्थव्यवस्था के पहलू" पर राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान की रिपोर्ट में निहित सुझावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। कर-अपवंचन और काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए प्रशासनिक, वैधानिक और सांस्थानिक उपायों सहित समय-समय पर हर सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

### पालिस्टर और फिलामेंट धागों का आयात

1828. श्री अमर सिंह राठवा
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मांग की पूर्ति के लिए पोलिस्टर और नाइलोन फिलामेंट धागों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना आयात किया गया और उस पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इस धागे का आयात किया गया;

(घ) फिलामेंट धागों तथा नाईलोन फिलामेंट धागों का लगभग कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(ङ) क्या मांग की पूर्ति के लिए देश में पालिस्टर और नाइलोन फिलामेंट धागों के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी हां।

(ख) और (घ) विवरण संलग्न है

(ग) मुख्य देश हैं : जापान, ताईवान तथा दक्षिण कोरिया

(ङ) और (च) नए लाइसेंसों के आवेदनों पर जब कभी प्राप्त होते हैं, गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

| वर्ष | पी० एफ० वाई० | | एन० एफ० वाई० | |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा टन में | मूल्य लाख रु० में | मात्रा टन में | मूल्य लाख रु० में |
| 1982-83 | 13350 | 3105 | 520 | 184 |
| 1983-84 | 6181 | 1309 | 2020 | 615 |
| 1984-85 | 1378 | 496 | 503 | 187 |

विभिन्न फिलामेंट का उत्पादन निम्नलिखित है

| वर्ष | पी० एफ० वाई० | एन० एफ० वाई० | वी०एफ० वाई० | ए० एफ० वाई० |
|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | 24295 | 25485 | 33185 | 1740 |
| 1983-84 | 47929 | 30402 | 35415 | 1333 |
| 1984-85 | 55223 | 34535 | 32949 | 707 |

### राष्ट्रीय कपड़ा निगम में घाटे को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम

1826. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इसकी स्थापना से आज तक कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इस प्रकार लगातार घाटे के क्या कारण हैं और राष्ट्रीय कपड़ा निगम को किस प्रकार व्यावहार्य बनाने का विचार है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को 1974-75 से सितम्बर, 1985 तक लगभग 670 करोड़ रुपये की कुल हानियां हुई हैं।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों में लगातार हानियों के प्रमुख कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(i) पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें;

(ii) अनियमित बिजली सप्लाई तथा बिजली की कमी कैप्टिव पावर की ऊंची लागत आदि के कारण संस्थापित क्षमता का कम उपयोग;

(iii) रुई की कीमतों में असामान्य वृद्धि विशेष रूप से 1980-81 के मध्य से 1984-85 तक;

(iv) बिजली, कोयला, डाइयों, तथा रसायनों, स्टोरों तथा अतिरिक्त पुर्जों की लागत में वृद्धि;

(v) अधिक श्रमिक दल;

(vi) मजदूरियों/वेतनों में वृद्धि;

(vii) कार्य के कम मानदण्ड तथा कम उत्पादकता।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए, सीमित साधनों के अन्तर्गत उठाए गए/उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नोक्त प्रकार हैं: –

(1) विभिन्न उपबन्ध स्रोतों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं;

(2) नकद हानियों को पूरा करने में लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है;

(3) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सृजित क्षमता उपलब्ध कराई गई है;

(4) सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए परिणाम अभिमुखी लाभ प्राप्त करने हेतु चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाए गए हैं;

(5) सभी स्तरों पर उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए लागत नियन्त्रण उपाय लागू किए गए हैं;

(6) गैर-प्रचालनीय प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(7) अपेक्षाकृत ऊंची उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(8) लागतों को कम करने के लिए, कार्यक्षमता तथा क्वालिटी में सुधार लाने के लिए एन० टी० सी० के कार्य निष्पादन को ध्यानपूर्वक मानीटर किया जा रहा है।

**नियंत्रित कपड़ा और जनता कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य में वृद्धि**

1830. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब वर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए नियन्त्रित कपड़े और जनता कपड़े के पहले से निर्धारित 605 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े के उत्पादन लक्ष्य में वृद्धि करने का

निर्णय किया गया है, यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जबकि एक ओर खरीददारों की कमी के कारण नियन्त्रित कपड़े का भण्डार इकट्ठा हो गया है दूसरी ओर इस प्रकार के कपड़े की काफी मांग पूरी की जानी बाकी है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति के क्या कारण हैं;

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम और गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न मिलों के लिए इस प्रकार के कपड़ों का उत्पादन करने के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में और अधिकतर गरीब लोगों में नियन्त्रित कपड़े के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंट्रोल के कपड़े तथा जनता कपड़े का उत्पादन लक्ष्य 650 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़ाकर 700 मिलियन वर्ग मीटर करने का निर्णय लिया है।

(ख) एन० टी० सी० की मिलों अथवा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से, जोकि वितरक अभिकरण है, कंट्रोल के कपड़े के स्टाक के जमा होने के कोई समाचार नहीं मिले हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन पूर्ण रूप से राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों द्वारा किया जा रहा है। 1985-86 वर्ष के लिए इन मिलों को आबंटित कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य 280 मिलियन वर्गमीटर है।

(ङ) कंट्रोल के कपड़े का वितरण मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, इसके वितरण को सुव्यवस्थित करने तथा उसके दूसरे प्रयोग में लिए जाने को रोकने की दृष्टि से, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे खुदरा एजेन्सियों के पास कंट्रोल के कपड़े के आने के बारे में पर्याप्त प्रचार करें तथा निरीक्षण व जांच की उचित प्रणालियां आरम्भ करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, वितरण प्रबन्धों को मजबूत बनाएं तथा उनका विस्तार करें।

## अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा भारत को रियायती दरों पर सहायता देना बन्द करना

1831. **श्री महेन्द्र सिंह**
**श्री आनन्द सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का योजनाबद्ध आर्थिक विकास के मामले में विकासशील देशों की सहायता के लिए आई० डी० ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत जैसे कुछ विकासशील देशों को रियायती दरों पर सहायता बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

**बम्बई में जोगेश्वरी में सोने के बिस्कुटों का पकड़ा जाना**

1832. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 सितम्बर, 1985 को राजस्व आसूचना प्रधिकारियों द्वारा बम्बई में जोगेश्वरी में 3.40 करोड़ रुपये के मूल्य के विदेशी मार्के वाले सोने के बिस्कुट और एक करोड़ रुपये के मूल्य की भारतीय विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मामले के बारे में जांच परिणाम क्या है; और

(ग) क्या इसमें तस्करों के किसी गिरोह के सक्रिय होने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) राजस्व गुप्तचर्या के बम्बई जोनल एकक के अधिकारियों ने दिनांक 13-9-1985 को नं० 10, पटेल बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम), बम्बई स्थित परिसरों की तलाशी ली और 3.35 करोड़ रुपए के मूल्य के 14,000 तोले के वजन के विदेशी मूल के सोने के 1400 बिस्कुट, और 1.21 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा और 21 लाख रु० की भारतीय मुद्रा अभिगृहीत की। इन अभिग्रहणों का कुल मूल्य 4 77 करोड़ रु० है। इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

चूंकि मामला अभी भी जांच पड़ताल के अधीन है, इसलिए इस स्थिति में और अधिक ब्यौरा देना उचित नहीं होगा।

**विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये खाद्यान्नों का निर्यात**

1833. **श्री चिंतामणि जेना**
**श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय निर्यात संगठन संघ के अध्यक्ष ने खाद्यान्नों का निर्यात करने देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) क्या देश में अतिरिक्त खाद्यान्न है और वह निर्यात की स्थिति में है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है;

(घ) कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात किये जाने की संभावना है; और

(ङ) खाद्यान्नों का निर्यात किन-किन देशों को किये जाने का प्रस्ताव है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत बासमती चावल के निर्यात की अनुमति है। गेहूं तथा गेहूं से बने उत्पादों जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा रागी के निर्यात की अनुमति समय-समय पर अधिकतम सीमा एम० ई० पी० आदि जैसी विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी जाती है गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं है।

(घ) तथा (ङ) इस स्तर पर यह सम्भव नहीं है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापार खाद्यान्नों की मात्रा का निर्यात तथा उन देशों के नाम बताए, जिन्हें कि निर्यात किया जाना है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्थितियों पर निर्भर करेगा। तथापि, सूखा-ग्रस्त अफ्रीकी देशों को 1 लाख मे०टन गेहूं के उपहार के अलावा सोवियत संघ को 5 लाख मे० टन गेहूं, वियतनाम को वस्तु ऋण के रूप में 50,000 मे० टन गेहूं की बिक्री हेतु संविदाएं सम्पन्न की गई हैं।

## अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन में भारतीय काफी निर्यात का कोटा

1834. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा अधिक कोटा निर्धारित किये जाने की सम्भावनाओं के विपरीत इस वर्ष भारतीय काफी के निर्यात कोटा में कटौती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कटौती की गई है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) काफी वर्ष 1985-86 के लिए भारत का वार्षिक काफी निर्यात कोटा विश्व कोटे का 1.23% है जो कि पिछले वर्ष जितना ही है। पिछले वर्ष के 41,403 मे० टन की तुलना में काफी वर्ष 1985-86 के लिए अब तक भारत का निर्यात कोटा 41,907 मे० टन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## विकासशील देशों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति

1835. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकासशील देशों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति पर भारत की चिंता व्यक्त की है और इस ओर ध्यान दिलाया है कि ऐसे अनेक देश "कड़े समायोजन प्रयास" आरम्भ करने हेतु विवश हुए हैं;

(ख) क्या भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था को सरल बनाने हेतु तैयार की गई भारत की कार्य योजना के बारे में उल्लेख किया है; और

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेते समय विश्व बैंक में प्रस्तुत किए गए भारत के सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अप्रैल, 1985 में अन्तरिम समिति की हुई बैठक में भारत ने एक न्यूनतम ठोस कार्यक्रम का सुझाव दिया था, जिसके मुख्य घटक इस प्रकार हैं; (i) व्यापार में संरक्षणवादी अवरोधों को हटाना (ii) विकासशील देशों को दी जाने वाली सरकारी विकास सहायता (ओ० डी० ए०) में बड़ी मात्रा में वृद्धि करना; (iii) विशेष आहरण अधिकारों का बड़े पैमाने पर नए सिरे से आबंटन करना; और (iv) नीतियों में सामंजस्यता और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वित्तीय प्रणाली को पुनर्गठित करना। सियोल में 6 अक्तूबर, 1985 को हुई बैठक में भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था के सतत सुधार के लिए कार्रवाई कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया।

[हिन्दी]

## कच्चे पटसन का वसूली मूल्य

1836. **डा० ए० के० पटेल**
**श्री सी० जंगा रेड्डी**
**श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन का उत्पादन करने वाले राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पटसन उत्पादकों को उनके पटसन का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है और उनके पास भारी मात्रा में पटसन अन-बिका पड़ा है;

(ख) पटसन का वसूली मूल्य इस वर्ष क्या है तथा गत वष क्या था; और

(ग) किसानों की सहायता करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) इस मौसम में कच्चे पटसन की भरपूर फसल की पैदावार के कारण कच्चे पटसन की कीमतें अत्यधिक दबाव के अधीन है तथा वे लगभग सभी देहाती बाजारों में समर्थन स्तर तक गिर गई हैं। भारतीय पटसन निगम राज्य सहकारी समितियों के सहयोग मे पहले कमी किए गए स्तर से बड़े स्तर पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कानूनी कीमतों पर कच्चे पटसन की खरीद कर रहा है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

(ख) चालू पटसन मौसम 1985-86 और गत पटसन मौसम 1984-85 के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की अधिप्राप्ति की राज्यवार अधिप्राप्ति कीमत श्रेणी नीचे दी जाती है : —

**कीमत रु० प्रति क्विंटल में**

| राज्य | ग्रेड | 1984-85 | | 1985-86 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम |
| असम | डब्ल्यू-5 | 575.00 | 920.00 | 215.00 | 240.00 |
| बिहार | ,, -5 | 600.00 | 910.00 | 225.50 | 251.00 |
| मेघालय | मेस्ता बी० ओ० टी० | 650.00 | 820.00 | 189.00 | 189.00 |
| उड़ीसा | डब्ल्यू-5 | 595.00 | 965.00 | 231.00 | 256.00 |
| प० बंगाल | टी० डी०-5 | 612.50 | 980.00 | 235.50 | 273.00 |
| आंध्र प्रदेश | बिमली बी० ओ० टी० | 570.00 | 800.00 | 201.00 | 201.00 |

(ग) पटसन उपजकर्ताओं के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :—

1. भारतीय पटसन निगम को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतों पर कच्चे पटसन की बड़ी मात्रा में खरीदारियां करने का निदेश दिया गया है;

2. कीमत समर्थन कार्य को करने के लिए भारतीय पटसन निगम के अधिकार में पर्याप्त ऋण रखा गया है;

3. निजी क्षेत्र में कार्य कर रही समस्त पटसन मिलों को पटसन आयुक्त द्वारा 6-9-85 को एक निदेश जारी किया गया है जिसमें तिथि स्तरों के कच्चे पटसन के स्टाकों को बढ़ाने को कहा गया है ताकि मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीदारियों को बढ़ाया जा सके;

4. भारतीय पटसन निगम को कच्चे पटसन की एक सीमित मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

**मलयेशिया को किए गए निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा**

1837. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मलयेशिया को किन विभिन्न वस्तुओं का निर्यात किया जाता है;

(ख) उससे गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार मलयेशिया को किए जाने वाले निर्यात में विविधिकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्ष 1985-86 में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) मलयेशिया को निर्यात की प्रमुख मदें हैं :— मसाले, फल तथा सब्जियां, पशुचारा, रुई, लौह अयस्क, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, वस्त्र यार्न फैब्रिक्स तथा सम्बद्ध उत्पाद, गैरधात्विक, खनिज धातु विनिर्माण मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर, सिनेमेटोग्राफिक फिल्में आदि।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मलयेशिया को निर्यात के आंकड़ें निम्न प्रकार हैं :—

| | (करोड़ रु० में) |
|---|---|
| 1982-83 | 58.78 |
| 1983-84x | 60.48 |
| 1984-85x | 68.94 |

(x 1983-84 तथा 1984-85 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ग) जी हां।

(घ) 1985-86 के दौरान मलयेशिया को निर्यात परियोजना निर्यातों तथा विनिर्मित मदों के निर्यातों द्वारा, प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान तथा सरकारी तथा व्यापारिक स्तर पर व्यापक अन्त: कार्यवाही द्वारा प्रत्यावर्तित किए जाएंगे।

## पश्चिम बंगाल में ऋण जमाराशि अनुपात में अन्तर

1838. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में ऋण जमाराशि अनुपात में जो कलकत्ता में 74 प्रतिशत में से कुछ अधिक है और राज्य के कुछ जिलों में 26 प्रतिशत तक कम अन्तर है तथा कलकत्ता महानगर क्षेत्र में भी देश के अन्य तीन महानगरों की तुलना में उक्त अनुपात बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य की ऋण उपयोग क्षमता विशेषकर पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन के लिए जिलों में उद्यमों सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) दिसम्बर 1984 के अन्त में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जिलावार ऋण जमा अनुपात से यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में यह अनुपात 24 परगना जिले में 18.9 प्रतिशत से कलकत्ता में 74.6 प्रतिशत के बीच है। कलकत्ता का ऋण जमा अनुपात मद्रास से (118.4 प्रतिशत) और बम्बई (110.9 प्रतिशत) से कम है जबकि यह दिल्ली में (59.8 प्रतिशत) से अधिक है।

क्षेत्र में ऋणों का उपयोग कई बातों पर निर्भर करता है जैसे आधारभूत सुविधाएं, उपयुक्त योजनाओं की उपलब्धता, वसूली की युक्तियुक्त प्रत्याशा, अर्थव्यवस्था के विकास की सामान्य स्थिति आदि। दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियों का स्तर कई बातों से प्रभावित होता है जैसे परिवहन और बिजली जैसी सुविधाओं की उपलब्धता, कच्चे माल के स्रोतों का इकट्ठा होना, विपणन के लिए पहुंच और स्थानीय उद्यमशीलता आदि।

फिर भी, बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऋणों के उपयोग में व्यापक क्षेत्रीय विषमताओं से बचना चाहिए। जिला ऋण आयोजनाओं और वार्षिक कार्य आयोजनाओं को अमल में लाने से वांछित क्षेत्रों में ऋणों के प्रवाह के बढ़ जाने की आशा है।

पश्चिमी बंगाल की राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा राज्य में ऋण जमा अनुपात के कम होने के कारणों का गहराई से पता लगाने, इसमें सुधार करने के उपायों का सुझाव देने के लिए कृतक बल का गठन किया गया था। इस कृतिक बल ने कृषि और लघु उद्योगों के विकास के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है। इनमें खरीफ और रबी के मौसमों से पहले सिंचाई कमान क्षेत्रों में जोरदार अभियान

शुरू करना, उत्पादन ऋणों के संवितरण को प्रोत्साहन देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना, विस्तार एजेंसी द्वारा निवेश वस्तुओं की समय पर पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना, बागवानी और बागान की फसलों के विकास की संभावनाओं का पता लगाना, बारानी खेती, सामाजिक और वाणिज्यिक बानिकी पिछड़े और कम विकसित क्षेत्रों में उद्योग लगाना, सभी जिलों में एक ही स्थान से सहायता दिये जाने की व्यवस्था का विस्तार किया जाना, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की सुनिश्चित सप्लाई वाले क्षेत्रों में बिजली पर आधारित लघु उद्योग स्थापित करना, सहायक एकक लगाने के लिए सरकारी एजेंसी की स्थापना करना शामिल है।

**करों की बकाया राशि**

1839. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री देश में करों की बकाया राशि के बारे में 16 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3786 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों, व्यक्तियों, हिन्दू आदिमजाति परिवारों और अन्य लोगों के नाम क्या हैं जिनके पास इस समय 1 करोड़ रुपये और अधिक आयकर की धनराशि बकाया है;

(ख) उन कम्पनियों और औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं जिन पर इस समय 1 करोड़ रुपये और अधिक उत्पादन शुल्क/सीमा शुल्क की धनराशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापारियों द्वारा ऐसे मामलों में न्यायालयों में अपील कर जो कभी-कभी वर्षों तक अनिर्णीत रहती हैं, राजस्व की जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) इन बकाया करों की वसूली करने के लिए इस समय क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जिन कर-निर्धारितियों की तरफ 30-6-85 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की आयकर मांग बकाया थी, उनके नाम सभा पटल पर रखे विवरण-पत्र—I में दिए गए हैं।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—1554/85]

(ख) जिन कर-निर्धारितियों की तरफ 30-6-85 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की मांग बकाया थी, उनके नाम सभा पटल पर रखे विवरण-पत्र—II में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—1554/85]

(ग) और (घ) आयकर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क की बकाया की वसूली एक अनवरत कार्य है तथा ऐसे उपाय (प्रशासनिक, कानूनी तथा अन्य उपाय जो मनवाने वाले तथा अवपीड़क हों), जिन्हें आवश्यक समझा जाता है, समय-समय पर किए जाते हैं। आयकर के सम्बन्ध में, किए जाने वाले उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलीय प्राधिकारियों से अनिर्णीत पड़ी अपील का शीघ्र निपटान करने का अनुरोध करना तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226(3) तथा 179 के अन्तर्गत कार्यवाहियों का सहारा लेना तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

222 के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी को वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के बाद चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की करना शामिल है। व्यापारी वर्ग द्वारा अपील करके राजस्व को अवरुद्ध करने से रोकने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से सतत आधार पर कर पीठें गठित करने का तथा महत्वपूर्ण मुद्दों वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया गया है। जिन मामलों में स्थगन आदेश दिया जाता है उनमें आदेश को रद्द करने अथवा आदेश में परिवर्तन करवाने के लिए अथवा मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए निवेदन किया जाता है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क के सम्बन्ध में किए जाने वाले विशिष्ट उपायों में, स्थगन आदेशों को शीघ्र रद्द करवाने के लिए विभिन्न न्यायालयों तथा अपीलीय प्राधिकारियों को समावेदन करने, स्थगन आदेशों को रद्द करवाने तथा महत्वपूर्ण मामलों में सरकार के हित की सुरक्षा करने के लिए श्रेष्ठ वकील नियुक्त करने के लिए समाहर्ता को अनुदेश जारी करना शामिल है।

## राष्ट्रीय रबड़ उत्पादन

1840. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान कुल कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया; और

(ख) देश में रबड़ का कितना उत्पादन हुआ है और उसमें केरल की प्रतिशतता कितनी है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) 1984-85 के दौरान आयातित रबड़ की मात्रा 32408 मे० टन थी जिसमें 8001 मे० टन की मात्रा शामिल थी जो वित्त वर्ष 1983-84 में आई थी परन्तु जो पोत तथा गोदी के श्रमिकों की हड़ताल के कारण केवल 1984-85 में क्लीयर हो सकी।

(ख) 1984-85 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 186450 मे० टन का था जिसमें से केरल का भाग 92 प्रतिशत का था।

## कोवलम समुद्र-तट पर्यटन स्थल में पर्यटकों की संख्या में कमी

1841. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भयंकर बीमारी "ए० आई० डी० एस०" के भय से केरल में कोवलम में समुद्र तट पर्यटन स्थल पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में भारी कमी हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने उन पर्यटकों का पता लगाने का कोई प्रयास किया है जो इस प्रकार के भयंकर और असाध्य रोग को लेकर आते हैं ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान विदेशी व्यापार से भारत को हुई राष्ट्रीय आय

1842. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत आय विदेशी व्यापार से हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अधिकतम योगदान करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उसके लिए जिम्मेदार प्रमुख उत्पाद कौन से हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के तुरन्त अनुमान के अनुसार, वर्ष 1983-84 के दौरान भारत का निवल राष्ट्रीय उत्पाद (संघटक लागत पर) वर्तमान मूल्यों पर, 1,59,598 करोड़ रुपये था। 1984-85 के लिए निवल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। 1983-84 के दौरान 9,872.10 करोड़ रु० के मूल्य के भारत के कुल निर्यात वर्ष के दौरान निवल राष्ट्रीय उत्पाद का 6.19 प्रतिशत बैठते हैं।

(ख) और (ग) राज्यवार आधार पर विदेश व्यापार आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

## खाड़ी के देशों के साथ व्यापार

18 ¹3. **श्री के० एस० राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों के साथ किए जा रहे व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी के देशों को निर्यात की गई वस्तुओं और वहां से आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात और आयात की विभिन्न मदों पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(घ) खाड़ी के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ग) खाड़ी के देशों के साथ भारत के व्यापार के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारत से खाड़ी के देशों को होने वाले प्रमुख निर्यात हैं : –

1. फल तथा सब्जियां
2. मांस
3. चावल
4. चाय
5. मसाले
6. इंजीनियरी माल
7. परिवहन उपस्कर
8. वस्त्र
9. रसायन
10. स्वर्ण आभूषण

11. तम्बाकू

12. पटसन की बोरियां

खाड़ी के देशों से भारत को होने वाले प्रमुख आयात हैं :—

1. खनिज तेल
2. उर्वरक
3. सल्फर
4. अमोनिया
5. खजूर
6. तांबा छीजन

(घ) खाड़ी के देशों के साथ हमारे व्यापार में सुधार करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में से महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :–

1. भारतीय माल के लिए एक नई निर्यात संवर्धन और विपणन नीति बनाई गई है। गहन निर्यात संवर्धन प्रयासों के लिए मांग के बाजारों के रूप में चुनिन्दा खाड़ी के देशों का पता लगाया गया है।
2. इसी प्रकार जिन वस्तुओं/उत्पाद समूहों की मांग है, उनका पता लगाया गया है और खाड़ी के देशों को उनके निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष उपायों के प्रस्ताव किए गए हैं।
3. वर्तमान नीति के ढांचे के अन्तर्गत आयातों के साथ निर्यातों को जोड़ने वाले सम्बद्ध सौदों का पता लगाया जा रहा है।
4. खाड़ी के देशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना। कुछ खाड़ी के देशों में पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी-सह-बिक्री का आयोजन किया जा रहा है।
5. इस क्षेत्र में परियोजना निर्यातों के संवर्धन के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
6. इन देशों में भारतीय और स्थानीय पार्टियों के बीच संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना।

**विवरण**

**खाड़ी के देशों के साथ भारत का व्यापार**

(मूल्य करोड़ रु० में)

| देश | वर्ष | निर्यात | आयात | व्यापार शेष | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| बहरीन | 1982-83 | 32.13 | 141.37 (—) | 109.24 | 173.50 |
| | 1983-84 | 53.30 | 55.60 (—) | 2.30 | 108.90 |
| | 1984-85 | 50.43 | 259.46 (—) | 209.03 | 309.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुवैत | 1982-83 | 129.01 | 282.43 (—) | 153.42 | 411.44 |
| | 1983-84 | 114.88 | 247.10 (—) | 132.22 | 361.98 |
| | 1984-85 | 114.59 | 285.82 (—) | 171.23 | 400.41 |
| ओमान | 1982-83 | 49.92 | 0.54 (+) | 49.38 | 50.46 |
| | 1983-84 | 59.96 | 1.66 (+) | 53.30 | 56.62 |
| | 1984-85 | 55.34 | 167.53 (+) | 112.19 | 222.87 |
| कतार | 1982-83 | 29.70 | 26.84 (+) | 2.86 | 56.54 |
| | 1983-84 | 21.69 | 18.44 (+) | 3.25 | 40.13 |
| | 1984-85 | 30.01 | 51.44 (—) | 21.43 | 81.45 |
| सऊदी अरब | 1982-83 | 220.29 | 196.24 (—) | 1268.95 | 1723.53 |
| | 1983-84 | 239.99 | 1127.71 (—) | 887.72 | 1367.70 |
| | 1984-85 | 243.23 | 1247.94 (—) | 1004.71 | 1491.17 |
| सं० अ० | 1982-83 | 219.21 | 365.50 (—) | 145.91 | 584.33 |
| अमीरात | 1983-84 | 224.66 | 229.97 (—) | 5.31 | 454.63 |
| | 1984-85 | 266.29 | 394.82 (—) | 128.53 | 661.11 |

नोट: 1984-85 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

**सीमेंट, इस्पात, कोयला, चीनी, खाद्य तेलों, जी० बी० सी० रेजिन के आयात पर प्रतिबंध का प्रस्ताव**

1844. **श्री के० एस० राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट, इस्पात, कोयला, चीनी, खाद्य तेलों, जी० बी० सी० रेजिन आदि ऐसी मदों के आयात पर जिनका हमारे देश में ही अपेक्षित स्तर तक उत्पादन हो सकता है प्रतिबंध लगाने का कोई विचार है;

(ख) क्या देश में कमी वाली मदों का पता लगाने और उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) पी० वी० सी० रेजिन तथा नारियल तेल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनकी जांच कर दी गई है। इस समय, यह विनिश्चय किया गया है कि यथापूर्व स्थिति कायम रखी जाए।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**कोणार्क में होटल का निर्माण**

1845. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोणार्क में उड़ीसा पर्यटक विकास विभाग के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में होटल के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के पास राज्य सरकार के सहयोग से कोणार्क में एक संयुक्त उद्यम कुटीर परिसर के निर्माण का प्रस्ताव था। उपयुक्त स्थान के अभाव में प्रस्ताव फलीभूत नहीं हो सका।

**भारतीय कपास निगम द्वारा निर्धारित किया गया कपास का मूल्य**

1846. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम द्वारा अब तक आंध्र प्रदेश से कितने क्विंटल कपास खरीदी गई है और किस मूल्य पर;

(ख) क्या सरकार ने कपास उत्पादकों को पेश आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो समस्याओं का ब्यौरा क्या है और इनका किस तरह समाधान किया जाएगा; और

(घ) क्या भारतीय कपास निगम का विचार कपास की सारी मात्रा यदि वह मण्डियों में लाई जाती है, खरीदने का है?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) भारतीय रुई निगम ने

18.11.85 तक आन्ध्र प्रदेश से रुई की 11700 गांठों के आसपास की मात्रा की खरीद की है। निगम द्वारा कपास की विभिन्न किस्मों के लिए अदा की गई कीमतें 421/-रु० तथा 500/-रु० प्रति क्विंटल के बीच रहीं। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतें रुई की सामान्य औसत क्वालिटी के संदर्भ में है। घटिया क्वालिटी की रुई के मामले में उपयुक्त कटौतियां करनी अपेक्षित होती हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रुई निगम ने उन गांवों को जहां किसानों के पास अनबिके स्टाक पड़े होने की सूचना दी गई है, निगम और राज्य सरकार के कृषि विभाग के प्रतिनिधियों वाले तीन दल भेजे। आन्ध्र प्रदेश में रुई के संबंध में मुख्य समस्या घटिया क्वालिटी विशेषत: निम्न माइक्रोनेया, उच्च स्तर पर मिश्रण और घटिया बीज की रही है। तथापि, उक्त दलों ने बड़ी संख्या में गांवों का दौरा किया और लगभग 40000 क्विंटल कपास के संबंध में कार्य किया और इस प्रकार बेहतर कीमतें प्राप्त करने में रुई उपजकर्ताओं की मदद की। भारत सरकार ने रुई की खरीद और अन्य संबद्ध मामलों के लिए आन्ध्र प्रदेश में किये गये प्रबंधों की जांच पड़ताल करने के लिए एक अन्त:मंत्रालय दल भी भेजा।

(घ) भारतीय रुई निगम इसके खरीद केन्द्रों पर लाई जाने वाली सभी रुई को समर्थन कीमतों पर खरीदेगा।

### भारत और अफगानिस्तान के बीच फलों के आयात के लिए समझौता

1847. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात और भारत से गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के लिए एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता कितनी अवधि के लिए है और किस किस्म के फलों का आयात किया जायेगा तथा किस प्रकार के गैर परम्परागत किस्म के सामान का निर्यात किया जायेगा;

(ग) समझौते में कुल कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त है और प्रत्येक देश द्वारा किस प्रकार भुगतान किया जायेगा;

(घ) भारत को इससे कितना लाभ मिलेगा; और

(ङ) उन राज्यों के नाम विशेषरूप से आंध्र प्रदेश सहित क्या हैं जहां से गैर परम्परागत सामान का निर्यात करने का प्रस्ताव है?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी हां। भारत द्वारा अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात और अफगानिस्तान को गैर-परम्परागत माल के निर्यात के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच 20 अक्तूबर, 1985 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) यह काम 19.10.86 तक वैध है। अफगानिस्तान से आयात होने वाले ताजा फलों की किस्मों में शामिल हैं : अंगूर, अनार (कन्धारी), अनार (बेदाना), और तरबूज। भारत से निर्यात की जाने वाली मदें ये हैं—औषधियां, भेषज, रसायन, रंजक तथा रोगन, हस्पताल संबंधी उपस्कर, टायर तथा ट्यूबें, मुर्गीपालन की मदें, सभी प्रकार की मशीनरी तथा पूंजीगत माल, बिजली-उपस्कर, कृषि मशीनरी तथा उपस्कर, सौन्दर्य प्रसाधन अंगराग सामग्री तथा डिटरजेन्ट, कीटनाशक तथा पेस्टिसाइड्स, रेयन वस्त्रों सहित वस्त्र मदें, बाइसिकलों, सिलाई मशीनों, डीजल इंजिनों, पम्प सेटों आदि सहित उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सेनिटरी माल तथा स्नानागार फिटिंग्स चमड़ा तथा चमड़े का माल और सिगरेट।

(ग) इस करार के अन्तर्गत 4.74 करोड़ रु० तक के कुल आयात हो सकेंगे। भारत में अफगानिस्तान से ताजे फलों के सी० एण्ड एफ० मूल्य निर्यात के 90% भाग जमा करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक, लन्दन में एक विशेष निलम्ब लेख खाता चलाया जाएगा। इस खाते का प्रयोग अफगानिस्तान में भारतीय माल के आयात के वित्त पोषण मात्र के लिए होगा।

(घ) तथा (ङ) ऐसी आशा है कि इस प्रबंध के फलस्वरूप भारत से अतिरिक्त गैर-परम्परागत निर्यात करने में सहायता मिलेगी। इन निर्यातों में आन्ध्र-प्रदेश तथा अन्य राज्यों से निर्यात होने वाली ऐसी भी मदें शामिल हैं जो दोनों पक्षों को वणिज्यिक दृष्टि से स्वीकार्य होंगी।

**गेहूं ज्वार, मक्का तथा फलों के रस के निर्यात की संभावना**

1848. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बासमती चावल, फल और सब्जियों के अतिरिक्त गेहूं, ज्वार तथा मक्का के निर्यात की अच्छी संभावना है;

(ख) क्या हाल में दिल्ली में हुई कृषि उत्पादन आयोग की बैठक में कृषि उत्पादों को बढ़ाने की संभावना और उनके निर्यात की संभाव्यता के ब्यौरों पर चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की ऐसी नई यूनिटें हैं जो फलों का रस निकालती हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या वे घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में पूर्णतः समर्थ हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या इसके निर्यात का पता लगाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी हां। तथापि खाद्यान्नों के लिए वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें आकर्षक नहीं हैं।

(ख) और (ग) कृषि निर्यातों संबंधी कृषि उत्पादन आयुक्तों के 8 अक्तूबर, 1985 को हुए

तीसरे सम्मेलन ने बासमती चावल, फलों तथा सब्जियों, साधित खाद्यपदार्थों और समुद्री उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए उत्पादन बढ़ाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इसने इन उत्पादों की पैकेजिंग तथा परिवहन से संबंधित समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया।

(घ) और (ङ) जी हां।

(च) कुछ एककों ने निर्यात सीधे ही व साथ ही व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से करने शुरू कर दिए हैं। एकक अधिक निर्यात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

**अलाभप्रद मूल्यों के कारण कपास उत्पादकों को घाटा**

1849. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों को वर्ष 1984-85 में कपास के अलाभप्रद मूल्यों के कारण वर्ष 1984-85 में घाटा उठाना पड़ा; और

(ख) क्या भारतीय कपास निगम अथवा कृषि मूल्य आयोग ने वर्ष 1984-85 में कपास के बाजार में आई मन्दी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच करवाई थी और क्या उत्पादक अगस्त और सितम्बर, 1985 में नई फसल के आने से पहले अपने उत्पादन अथवा कपास के भंडार को बेचने में सफल हो गए थे ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) 1984-85 का रुई वर्ष उत्कृष्ट वर्ष साबित हुआ। मौसम के अन्त में रुई का उत्पादन अनुमानतः लगभग 101.50 लाख गांठ हुआ जबकि 1983-84 के रुई मौसम में अनुमानतः 75.16 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। इससे पिछले वर्ष चल रही कीमतों की तुलना में कीमतों में गिरावट आई। तथापि कीमतें सामान्यतः न्यूनतम समर्थन स्तर से ऊपर रहीं। 1984-85 के मौसम के अन्त में पिछला स्टाक चालू मौसम की नई आवकों के पहले उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तीन महीनों की आवश्यकता के अपेक्षित मानदंड के बराबर समझा गया।

[हिन्दी]

**कपड़ा नीति को उदार बनाया जाना**

1850. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्थेटिक कपड़ों का निर्माण रोकने और हथकरघा उद्योगों का विकास करने की दृष्टि से हथकरघा/विद्युत करघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई कपड़ा नीति को और उदार बनाने हेतु सरकार का उसमें संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का वर्तमान नीति में संशोधन करके एक उदार नीति कब तक लाने का विचार है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) कोई संशोधन आवश्यक नहीं समझा जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

**विद्युत चालित करघा मालिकों और बिचौलियों के बीच संबंध को तोड़ना**

1851. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि सूत की सप्लाई के लिए विद्युत चालित करघों मालिकों और बिचौलियों के बीच वर्तमान संबंध तोड़ दिया जाए तो अधिक लाभ मिल सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (घ) यार्न की सप्लाई की समस्या का समाधान बिचौलियों के अतिरिक्त, अन्य विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त सप्लाइयां उपलब्ध करा कर ही किया जा सकता है। इस समय यार्न का उत्पादन काफी पर्याप्त है और यदि कोई स्थानीय कमियां हैं, तो उनमें कुछ एन० टी० सी० मिलों सहित मिलों से सम्पर्क करके तेजी से सुधार किया जा सकता है।

बिजली करघों के मालिकों को सीधी बिक्री को सुकर बनाने के लिए एन०टी०सी० ने भिवन्डी में एक यार्न बुकिंग डिपो भी खोला है।

**बिहार और पश्चिम बंगाल में पटसन के मूल्यों में गिरावट**

1852. **श्री सुभाष यादव**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल में पटसन के मूल्यों में भारी गिरावट आई है;

(ख) इससे उन राज्यों के पटसन उत्पादकों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए उन राज्यों में पटसन के मूल्यों में गिरावट को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) इस मौसम में कच्चे पटसन की भरपूर फसल की पैदावार से कीमतों में न केवल बिहार व बंगाल में गिरावट आई है बल्कि सभी देहाती बाजारों में गिरावट आई है। पटसन उपजकर्त्ताओं के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से निम्नोक्त उपाय किए गए हैं :—

1. भारतीय पटसन निगम को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतों पर कच्चे पटसन की बड़ी मात्रा में खरीदारियां करने का निदेश दिया गया है;

2. कीमत समर्थन कार्य को करने के लिए भारतीय पटसन निगम के अधिकार में पर्याप्त ऋण रखा गया है;

3. निजी क्षेत्र में कार्य कर रही समस्त पटसन मिलों को पटसन आयुक्त द्वारा 6.9.85 को एक निदेश जारी किया गया है जिसमें विशिष्ट स्तर के कच्चे पटसन के स्टाकों को बढ़ाने को कहा गया है ताकि मिलों द्वारा कच्चे पटसन की खरीददारियों को बढ़ाया जा सके;

4. भारतीय पटसन निगम को कच्चे पटसन की एक सीमित मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

### अमेरिका को निर्यात किए गए टायर

1853. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान भारत से अमेरिका को कुल कितने मूल्य के टायरों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या टायर वस्तु यानान्तरण के लिए भाड़ा दरों में कोई छूट दी गई; और

(ग) क्या टायर उद्योग भाड़ा दरों में किसी प्रकार की छूट मिले बिना विदेशों के टायर निर्माता उद्योग के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकेगा ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान सं०रा० अमेरिका को निर्यात किए टायरों और ट्यूबों का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | निर्यात |
|---|---|
| 1983-84 | 3.6 |
| 1984-85 | 15.1 |

(ख) भाड़ा प्रभार शिपिंग कम्पनियों द्वारा तय किए जाते हैं। सरकार ने टायर माल के निर्यात के लिए रियायती दरें निर्धारित करने का निदेश नहीं दिया है।

(ग) उद्योग द्वारा उठाए जाने वाली विभिन्न हानियों की जिनमें अधिक भाड़ा प्रभारों के कारण होने वाली हानि भी शामिल है, क्षति पूर्ति करने के लिए मोटर गाड़ियों से टायरों और ट्यूबों के निर्यात पर 15 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता दी जाती है। भारत से टायरों और ट्यूबों के निर्यातों में वृद्धि का रुख रहा है।

[हिन्दी]

**भारत आने वाले विदेशी पर्यटक**

1854. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष कितने विदेशी पर्यटकों के भारत आने का लक्ष्य था और वास्तविक उपलब्धि कितनी रही;

(ख) क्या यह सच है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है; और

(ग) पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :** (क) से (ख) पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को छोड़कर वर्ष 1984 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन 852,503 था जबकि इसकी तुलना में 1983 के दौरान पर्यटक आगमन 884,731 था।

(ग) अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन स्कीमों को कार्यान्वित करने का विचार है उनमें समुद्र-तट-विहार का विकास, हिमालयन ट्रेकिंग के लिए सुविधाओं में सुधार, राष्ट्रीय विरासत क्षेत्रों का परिरक्षण, बौद्ध परिपथों पर सुविधाओं का विकास, पर्यटक केन्द्रों पर बजट पर्यटकों के लिए आवास की व्यवस्था, आदि शामिल हैं।

**दिल्ली में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत युवकों को ऋण देना**

1855. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस वर्ष स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों ने ऋण के लिए आवेदन दिये हैं तथा कितने बेरोजगार युवकों को ऋण मंजूर किए गए हैं;

(ख) शेष आवेदनों को ऋण मंजूर न करने के विस्तृत कारण क्या हैं; और

(ग) स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत युवकों को ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :** (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना वर्ष 1983-84 में शुरू की गई थी। यह योजना 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को छोड़कर देश में सभी जगह लागू हो गई है। चूंकि दिल्ली की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, अतः यह स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत नहीं आता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत युवकों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उचित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इनके अनुसार बैंक को ऋण के लिए मार्जिन राशि या संपाश्विक प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में मालिक के अंशदान की मांग नहीं करनी चाहिए। बैंक के लिए प्रतिभूति बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से निर्मित परिसंपत्तियां होंगी। बैंकों को योजना के अंतर्गत प्रायोजित मामलों के सम्बन्ध में शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त विवेकाधीन अधिकार देने के लिए कहा गया है ताकि वे उच्च अधिकारियों को संदर्भ किए बिना ऋण मंजूर कर सकें। प्राप्त आवेदन पत्रों पर कारंवाई करने और बैंकों की शाखाओं को उचित मामलों की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक जिले में एक कृतिक बल का गठन किया गया है। शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण प्रस्ताव को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के अन्दर-अन्दर निपटाना होता है।

**[अनुवाद]**

**बिदरी उद्योग और बिदरी शिल्पियों की स्थिति**

1856. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिदरी कलात्मक वस्तुओं की मांग देश में कम होने और उनके घटते हुए निर्यात के कारण बिदरी उद्योग बुरी स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिदरी शिल्पियों की समस्याओं और इस प्राचीन कला का सर्वेक्षण किया है; और

(ग) बिदरी कला और इसके शिल्पियों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) बिदरी वस्तुओं की घरेलू बिक्री के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बिदरी वस्तुओं के निर्यात 1980-81 में 7 00 लाख रु० 1981-82 में 18-56 लाख रु० और 1982-83 में 11.76 लाख रु० मूल्य के हुए।

(ख) 1981 में चुनिन्दा केन्द्रों पर धातु कलात्मक वस्तु उद्योग का एक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था जिसमें बिदरी वस्तुएं भी शामिल थीं।

(ग) 1. गत तीन वर्षों के दौरान बिदरी शिल्पियों को मद्रास, त्रिवेन्द्रम,कालीकट, बम्बई, कलकत्ता तथा बंगलौर में हुए उत्पाद संवर्धन कार्यक्रमों तथा बाजार सम्मेलनों में ले जाया गया।

2. बिदरी शिल्पियों को काम की बेहतर दशाएं प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा बिहार में वर्कशेड सह-हाउसिंग कम्पलैक्स स्थापित किया जा रहा है।

**भारतीय उद्योग विकास बैंक से कोला घाट ताप विद्युत परियोजना के लिए ऋण**

1858. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम ने भारतीय उद्योग विकास बैंक से अन्य कार्यों के अतिरिक्त कोलाघाट विद्युत परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये के ऋण के लिए अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण मंजूर हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब मंजूर किया जाएगा ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम (डब्ल्यू० बी० पी० डी० सी०) ने कोलाघाट ताप बिजली संयंत्र के दूसरे चरण का वित्तपोषण करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से तीन सौ करोड़ रुपये के सावधि रुपया ऋण का प्रस्ताव किया है। डब्ल्यू० बी० पी० डी० सी० ने अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता की भी मांग की है। वित्तीय संस्थायें ऐसा तदर्थ संवितरण नहीं करतीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के परामर्श से परियोजना का मूल्यांकन करने का काम हाथ में ले लिया है।

## सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों के लिए निर्यात योजना

1859. **श्री मोहनभाई पटेल**
**श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को आगे अपने कुल उत्पादन के एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत निर्यात करना होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों से अपने उत्पादन के निर्यात के बारे में विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मन्त्री श्री (अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) इंजीनियरी के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों की एक बैठक में उपक्रमों से उपक्रमों के समग्र समष्टि योजना के भाग के रूप में निर्यात योजनाएं तैयार करने के लिए और उत्पाद-श्रृंखला, निर्यात अधिशेष तथा उत्पाद के लिए निर्यात मांग पर निर्भर करते हुए कुल उत्पादन की कुछ प्रतिशतता का निर्यात करने का प्रयास करने के लिए कहा गया है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है।

## वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीयकरण के लिए चुनी गई कपड़ा मिलें

1860. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
**श्री अमर राय प्रधान** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1985-86 में कुछ और कपड़ा मिलों को राष्ट्रीयकरण के लिए चुना है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उक्त कपड़ा मिलें स्थित हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी वस्त्र मिल का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया।

(ख) सरकार का आमतौर पर और अधिक वस्त्र एककों के राष्ट्रीयकरण हेतु नए अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**काले धन के बारे में राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा दिए गये सुझावों पर संसद सदस्यों के विचार**

1861. **श्री सुभाष यादव**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर अपवंचन को रोकने तथा काले धन का पता लगाने के बारे में राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा दिए गए सुझावों का संसद सदस्यों से अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके सुझाव प्राप्त हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में काले धन का पता लगाने के लिए इन्हें कहां तक कारगर समझा गया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) "भारत में अवैध अर्थ-व्यवस्था के पहलू" नामक रिपोर्ट में राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार ने संसद सदस्यों की राय मांगी थी और काफी बड़ी संख्या में संसद सदस्यों से उत्तर-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इस संबंध में माननीय संसद सदस्यों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है जिसे दीर्घावधि वित्तीय नीति तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

**ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स में धोखाधड़ी**

1862. **श्री सुभाष यादव**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को यह सूचना मिली है कि वर्ष 1978 से वर्ष 1980 की अवधि के दौरान ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, जो कि (एक राष्ट्रीयकृत बैंक), में किसी व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) एक विदेशी मुद्रा

व्यापारी ने वर्ष 1980 के आरम्भ में ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के साथ विदेशी मुद्रा के कुछ लेनदेन किये थे जो बैंक के लिये प्रतिकूल रहे और उनसे बैंक को हानि हुई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज आरोप-पत्र में बताया गया है कि इन लेनदेनों से बैंक को लगभग 467 लाख रुपये की हानि हुई।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, जिसने मामले की जांच की थी, उक्त व्यापारी और अन्य के विरुद्ध मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में अक्तूबर और नवम्बर 1982 में दो आरोप-पत्र दर्ज करवाए थे। बताया जाता है कि उक्त व्यापारी हांगकांग में है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

**सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने के लिए उपाय**

1863. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में प्रस्तुत जून, 1985 तक की अपनी रिपोर्ट में सरकार को इस बात से सावधान किया है कि यदि निर्यात नहीं बढ़ाया गया तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त तथ्य ध्यान में रखते हुए निर्यात बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा निर्यातकों को हाल ही में उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधायें क्या हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) 1984-85 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है :

"भुगतान सन्तुलन स्थिति सातवीं योजना अवधि के दौरान कुछ दबाव के अन्तर्गत आ सकती है। प्रथम, रियायती ग्राह्य सहायता की संभावनाएं अच्छी नहीं है। दूसरे चूंकि छठी योजना अवधि के स्तर के बराबर कच्चे तेल के उत्पादन में आगे बड़ी वृद्धि की अल्पकालिक संभावनाएं सुस्पष्ट नहीं हैं अत: तेल क्षेत्र से भुगतान सन्तुलन पर दबाव हो सकता है। तथापि, विश्व तेल बाजार की वर्तमान नरमी और अमरीकी डालर, जिसमें तेल की कीमतें लगाई जाती हैं, के क्रमिक रूप में कमजोर पड़ना अल्पीकरण कारण सिद्ध हो सकते हैं। तीसरे ऋण सेवा बाध्यताएं, विशेषत: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, पर्याप्त होंगी। सातवीं योजना की निवेश संबंधी जरूरतों से आयात बिल में भारी वृद्धि होगी। इन संभावनाओं को देखते हुए भुगतान सन्तुलन की स्थिति निर्धारित करने में निर्यात विकास एक गंभीर कारण होगा। विशेषत: खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापना की संभावनाएं भी इस संदर्भ में समान रूप में संगत होंगी। इसके अतिरिक्त, हालांकि स्वदेशी सप्लाइयों में अन्तरालों को दूर करने और कीमतों को नियन्त्रण में रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आयात सहायक

रही हैं, परन्तु आगे चलकर आयातों का इतने बड़े पैमाने पर सहारा लेते रहने के लिए भुगतान सन्तुलन की सीमाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है।"

भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए नीति उपायों का बराबर पता लगाया जा रहा है। इसमें शामिल है उत्पादन बढ़ाने तथा विविधीकरण करने, अपने निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाने, अधिक मूल्य प्राप्ति के लिए अपने उत्पादों तथा संसाधन वस्तुओं के लिए नए बाजारों को पता लगाने के उपाय। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन उपायों को और अधिक गति प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे।

(ख) सरकार ने व्यापार नीतियों औद्योगिक नीतियों तथा राजकोषीय नीतियों के क्षेत्र में अनेक नीति संबंधी पहल की हैं। वर्तमान आयात-निर्यात नीति जो कि 1985-88 तीन वर्ष की अवधि के लिए है, विदेश व्यापार योजनाएं बनाने में क्रमबद्धता तथा स्थिरता का वातावरण तैयार करने के लिए बनाई गई है; इसका उद्देश्य घरेलू खपत तथा निर्यात दोनों के लिए उत्पादन बढ़ाने और प्रभावशाली आयात प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं के लिए बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना है। सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए उन क्षेत्रों का भी पता लगाया है जिनसे निर्यातों में मध्यम अवधि में वृद्धि होने में पर्याप्त योगदान मिलेगा। निर्यात प्रयासों में अधिक भागीदारी के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आयात योग्य वस्तुओं, विशेष रूप से बल्क आयातों के मामले में, घरेलू उत्पादन के बढ़ाने के बारे में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

**दिया-सलाई के निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी**

1864. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दियासलाई निर्माताओं ने दियासलाइयों के निर्माण हेतु अनेक लघु यूनिटों का विस्तार किया है किन्तु वे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भुगतान से बचने हेतु ऐसी प्रत्येक यूनिट में कोई खाते नहीं रखते हैं;

(ख) क्या ऐसी दियासलाइयों में, जिनमें बाहर गत्ता लगा हो, अन्दर गत्ता लगाना अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे उसकी किस्म में सुधार हो सके;

(ग) क्या दियासलाइयों में अपेक्षित संख्या में पचास तीलियां नहीं होती हैं; और उनमें अधिकांश टूटी हुई तथा मसाला रहित तीलियां होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग से यह अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव है कि कारखानों से दियासलाई की खेपों को निकालते समय पहलुओं की जांच की जाये ताकि सरकारी शुल्क पूरा वसूल किया जा सके और कर-अपवंचन तथा दियासलाइयों की किस्म पर निगरानी रखी जा सके।

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के तहत, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों द्वारा राजस्व के हित को देखते हुए दियासलाइयों की डिब्बियों की अन्तर्वस्तु की नमूना-जांच किया जाना अपेक्षित है।

**पश्चिम बंगाल में सूत बैंक**

1865. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक सूत बैंक खोला है;

(ख) यदि हां, तो यह बैंक कहां पर स्थित है; और

(ग) कितने बुनकरों ने इस बैंक का लाभ उठाया है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने पश्चिम बंगाल में कोई यार्न बैंक नहीं खोला है। तथापि, राज्य अभिकरणों/एपेक्स सहकारी सोसायटियों को मिल कीमतों पर सीधी सप्लाइयां आफर करके एन०टी०सी० हथकरघा क्षेत्र की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, एन०टी०सी० की तीन सहायक कम्पनियों ने कलकत्ता में यार्न की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यार्न डिपो खोले हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**डीघा पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में होटल खोलने**

1866. **डा० फूल रेणु गुहा**
**श्री रेणुपद दास** } : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में डीघा पर्यटकों के आकर्षण का एक स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां सरकारी क्षेत्र में एक होटल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) से (ग) जी, हां। सातवीं योजना में भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम का पश्चिम बंगाल के

अंतर्गत डीघा में होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों में महिला अधिकारी**

1867. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी महिला अधिकारी हैं; और

(ख) सीधे भर्ती और पदोन्नत की गई महिला अधिकारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**भारत तथा मारिशस के बीच व्यापार आदान-प्रदान और संयुक्त उद्यमों में वृद्धि**

1868. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा मारिशस के बीच व्यापार करने तथा संयुक्त उद्यमों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) दोनों देशों के बीच नौवहन सेवा कब शुरू की जाएगी ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) भारत-मारिशस व्यापार तथा संयुक्त उद्यमों के संवर्धन के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण कदम हैं, मारिशस को रियायती ऋण सुविधा प्रदान किया जाना; पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन करना; मारिशस में भारतीय निवेश व संयुक्त उद्यमों के संवर्धन में मदद करने के लिए भारतीय अभिकरण के रूप में भारतीय निवेश केन्द्र का नामांकन, प्रतिनिधि-मण्डलों का नियमित आदान-प्रदान और भारत-मारिशस संयुक्त आयोग की आवर्ती बैठकें।

(ख) भारतीय नौवहन निगम द्वारा भारत और मारिशस के बीच एक नियमित मासिक नौवहन सेवा पहले ही चलाई जा रही है।

**भारतीय स्टेट बैंक में सेवाशर्तों और अन्य लाभों में एकरूपता**

1869. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप और उसके सहायक बैंकों के लिए लिपिकों के चयन के लिए भर्ती का कार्य बैंकिंग सेवा आयोग द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक आफ मैसूर जैसे उसके सहायक बैंकों के कर्मचारियों के वेतन, वेतन वृद्धि की दर और पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के मामलों में सौतेला व्यवहार किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों के लिए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया एक समान है, क्या सरकार का विचार भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों के बीच कर्मचारियों की सेवा शर्तों, सेवा निवृत्ति लाभ और अन्य लाभों में एकरूपता लाने के लिए कार्रवाई करने का है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों में अब तक लिपिकीय स्टाफ की भर्ती भारतीय स्टेट बैंक समूह के क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों द्वारा की गई है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों के वेतनमान, भत्ते और सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय बैंक संघ द्वारा, बैंकों की मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय यूनियनों के साथ किये गये औद्योगिक स्तरीय पंचाटों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार नियन्त्रित की जाती है। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक और इसके केवल एक अनुषंगी बैंक अर्थात स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में ही पैंशन योजना लागू है।

(ग) चूंकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिपिकीय स्टाफ की सेवा सम्बन्धी शर्तें अनेक पंचाटों के उपबन्धों और द्विपक्षीय समझौतों द्वारा नियन्त्रित की जाती है। अत: इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

## सातवीं योजनावधि में पर्यटन विकास के लिए कर्नाटक को अधिक राशि का आबंटन

1870. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर**
**श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार** } : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या कर्नाटक के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य राज्यों में व्यय की गई धनराशि की तुलना में कम धनराशि आबंटित की गई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक धनराशि आबंटित करने का है; और

(घ) कर्नाटक सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पर्यटन विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत योजना का ब्योरा क्या है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) छठी पंचवर्षीय

योजना में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मैसूर में यूथ होस्टल, वृन्दावन गार्डन के पुन: प्रदीप्तिकरण और हम्पी में एक रेस्तरां परिसर के लिए 61.25 लाख रुपये की कुल राशि मंजूर की है। इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम ने हसन में होटल के विस्तार, होटल अशोक, बंगलौर के विस्तार, मैसूर में ललित महल पैलेस होटल के विस्तार और बंगलौर में परिवहन एकक के विस्तार पर 128.60 लाख रुपये खर्च किए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि विभाग धनराशियों का राज्यवार आबंटन नहीं करता। यह राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए परियोजना प्रस्तावों की गुणवत्ता के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कर्नाटक सरकार से 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए अपनी विभिन्न अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। तथापि, राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

### कर्नाटक में ऋण मेलों के माध्यम से ऋण देना

1871. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में 1 जून, 1985 से 31 अक्तूबर, 1985 तक ऋण मेलों के माध्यम से कितनी धनराशि वितरित की गई;

(ख) उन जिलों के क्या नाम हैं जहां ऋण दिया गया है;

(ग) इस अवधि में दक्षिण कर्नाटक में कितनी धनराशि वितरित की गई;

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है; और

(ङ) लाभ प्राप्तकर्ताओं को ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी नीतियों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवास को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति में कभी-कभी ऋणों का वितरण सार्वजनिक समारोहों में भी किया जाता है जो बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किये जाते हैं और जो इस सम्बन्ध में स्थानीय पहल और जनता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे समारोहों की संख्या और आकार, वितरित राशि आदि पर नजर रखना न तो व्यवहार्य है और न ही आवश्यक समझा गया है। जहां तक देश में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को अग्रिम दिये जाने का सवाल है मार्च, 1985 के अन्त में 150.08 लाख ऋणकर्त्ता खातों के अन्तर्गत 4072.19 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

## जम्मू और काश्मीर में पहलगाम में चेयर लिफ्ट सुविधाएं

1872. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहलगाम, जो बड़ी संख्या में स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, जम्मू और काश्मीर के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थलों में से एक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गुलमर्ग की तरह पहलगाम में भी चेयर लिफ्ट सुविधाएं प्रदान करने का है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार से यह पता चला है कि पहलगाम से अमरनाथ तक एक केबल-कार स्थापित करने के लिए उन्होंने प्राइवेट सैक्टर से आफर आमन्त्रित की हैं।

[हिन्दी]

## सिंडिकेट बैंक में हड़ताल

1873. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 1985 के दैनिक "जनसत्ता" में "सिंडिकेट बैंक में जबरन हड़ताल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को किन कारणों से हड़ताल पर जाना पड़ा;

(ग) इसके कारण बैंक और ग्राहकों को पृथक-पृथक कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के कर्मचारियों को समय-समय पर शाखा के कार्य के समय का कड़ाई से पालन करने का परामर्श दिया जाता है। इन अनुदेशों के बावजूद आसफअली रोड शाखा के 29 स्टाफ सदस्य 11 अक्तूबर, 1985 को लगभग 45 मिनट देर से शाखा में पहुंचे। मुख्य प्रबन्धक ने इन कर्मचारियों को हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने की इजाजत नहीं दी और उन्हें यह भी बताया कि वे "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के अनुसार वेतन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों सहित शाखा के अन्य स्टाफ सदस्यों की सहायता से शाखा अपना सामान्य काम कर सकी थी। उसी दिन उन कर्मचारियों ने जो कर्मचारी दफ्तर देर से आये थे

चार घण्टों के लिए मुख्य प्रबन्धक का घेराव किया था। 29 स्टाफ सदस्यों द्वारा 11 अक्तूबर, 1985 को हड़ताल पर रहने के कारण बैंक और ग्राहकों की कोई हानि नहीं हुई क्योंकि बैंक में सामान्य रूप से काम चलता रहा और सभी लेन-देन किए गए। बैंक के "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के अनुसार बैंक की नियमों के मुताबिक हड़ताली कर्मचारियों के वेतन में से उस दिन का वेतन काट लिया था।

[अनुवाद]

## सांपों की तस्करी

1874. श्री एस० एम० भट्टम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन सीमा-शुल्क विभाग द्वारा हाल ही में सांपों की विशाल खेप बरामद की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बम्बई और मद्रास के रास्ते बड़ी मात्रा में सांपों की तस्करी हो रही है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सजीव-सांपों के सिलसिले में भारत से तस्कर निर्यात किए जाने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है। शायद, माननीय सदस्य का संकेत हाल ही में कोचीन में पकड़े गये सर्प—चर्मों की ओर है जिसके तथ्य निम्नोक्त है :—

दिनांक 7 सितम्बर, 1985 को सीमा-शुल्क समाहर्तालय, कोचीन के अधिकारियों ने 15 लाख रुपये के मूल्य के सर्प-चर्मों के 56,813 पीसों का अभिग्रहण किया था। ये सर्प चर्म मै० जया कैश्यू कारपोरेशन, क्विलोन द्वारा काजू की गिरियों के 325 कार्टनों की एक निर्यात-खेप के गत्ते के 181 कार्टनों में छिपाये हुए पाये गए थे। उक्त खेप को सिंगापुर भेजा जाना था। इस सिलसिले में दिनांक 10 सितम्बर, 1985 को सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) सरकार को मिली सूचना से यह पता चलता है कि सर्प-चर्म भारत से तस्कर निर्यात की जाने वाली आकर्षण की मद रही है।

## छठी योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता

1875. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य योजना से बाहर केन्द्रीय सेवा की योजनाओं के लिए सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता की तुलना में राज्य सरकार द्वारा किया गया वास्तविक व्यय कितना है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## सातवीं योजना के दौरान बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना

1876. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों तथा कमजोर वर्ग सहित प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को दिए जाएं। इस नीति के अनुसार बैंकों को उनके कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना होता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में वास्तव में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों में काफी वृद्धि हो जाएगी क्योंकि बैंकों से अग्रिमों और जमा राशियों में निरन्तर वृद्धि की अपेक्षा बनी रहती है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कहा गया है कि मार्च, 1987 तक वे प्रत्यक्ष कृषि ऋणों के मामले में अपने कुल अग्रिमों के 16 प्रतिशत प्रत्यक्ष वित्त का स्तर प्राप्त करें। समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों की राशि उनके कुल ऋणों का 10 प्रतिशत होनी चाहिए। विभेदी ब्याज दर योजना के अनुसार बैंकों को इस योजना के अन्तर्गत राशि गत वर्ष के अन्त में अपने कुल बकाया अग्रिमों के एक प्रतिशत से अधिक रखनी है।

## सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात से विदेशी मुद्रा में आय

1877. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक आय का सम्बन्ध है इन दिनों पूर्वी यूरोप के देशों को सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह कहां तक सहायक रहा है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) से (ग) जी हां। पूर्वी-

यूरोपीय देशों को हुए परिधान तथा निटवियर निर्यातों में प्रगति दर्शायी है। निर्यात-मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

| | (करोड़ रु० में) |
|---|---|
| 1983 | 84.40 |
| 1984 | 118.63 |
| जन०-सितम्बर, 84 | 73.11 |
| जन०-सितम्बर, 85 | 127.31 |

(स्रोत : अपैरेल निर्यात संवर्धन परिषद)

**निर्यात के लिए अधिक कीमत की चाय तथा घरेलू उपभोग के लिए कम कीमत की चाय**

1878. **श्री श्रीहरि राव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की निर्यात के लिए अधिक कीमत की चाय तथा घरेलू उपभोग के लिए कम कीमत की चाय का आबंटन करने सम्बन्धी दोहरी नीति से भारतीय चाय के निर्यात को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सामान्य चाय के परम्परागत खरीददारों ने अन्य बाजारों से चाय खरीदनी शुरू कर दी है जिसके परिणामस्वरूप इनके 307 ग्रेड इकट्ठे हो गए हैं तथा चाय की कीमतों में भारी गिरावट आई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य भारतीय चायों के परम्परागत खरीददारों से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (घ) फरवरी, 1985 में सरकार द्वारा घोषित चाय विपणन नीति में 1985 के दौरान निर्यातों को 220 मिलि० किग्रा० तक सीमित रखने की व्यवस्था थी ताकि चाय की शेष मात्रा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो सके। इस नीति का उद्देश्य न्यूनतम निर्यात कीमत की व्यवस्था द्वारा उच्च मूल्य की चाय का निर्यात करके 220 मिलि० किग्रा० के निर्यात कोटे का उपयोग करना था जिससे सस्ते किस्म की चाय घरेलू बाजार के लिए बनी रहे। इस नीति से जनवरी से लेकर अक्तूबर 1985 तक भारत 33.82 रुपये प्रति किग्रा० की अनुमानित इकाई मूल्य वसूली बनाए रख सका, जबकि बावजूद इसके कि विश्व कीमतों में बहुत ही तेजी से गिरावट आई (अवधि के दौरान लगभग 50 प्रतिशत)। 1984 की उसी अवधि में इकाई मूल्य वसूली 34.54 प्रति किग्रा० थी। 12-8-1985 की न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त हटा ली गई,

क्योंकि चाय के अधिशेष विश्व उत्पादन और साथ ही भारत में सुविधाजनक स्थिति के कारण निर्यात प्रतिबन्धों का उत्तरोत्तर हटाया जाना आवश्यक हो गया।

स्टाक अनुचित रूप से जमा नहीं हुए हैं। जनवरी-अक्तूबर, 1985 में 1984 की उसी अवधि की तुलना में भारतीय नीलामियों में लगभग 75 मिलि० किग्रा० अधिक चाय बेची गई यद्यपि केवल 20 मिलि० किग्रा० ही अधिक उत्पादन हुआ। निर्यात लाइसेंस के आंकड़ों से पता चलता है कि निर्यात पिछले वर्षों से तुलनीय हैं। जनवरी से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के लिए अनुमानित मूल्य 560 करोड़ रुपये है जो पिछली अवधि से अर्थात् 1982 के 356 करोड़ रुपये और 1983 के 517 करोड़ रुपये से तुलनीय है यद्यपि यह 1984 में 745 करोड़ रुपये की रिकार्ड आय से कम है।

**ब्रांच लाइसेंसिंग पालिसी के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में कमियां**

1879. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए बनाई गई ब्रांच लाइसेंसिंग पालिसी का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 17000 की जनसंख्या के लिए औसतन एक बैंक कार्यालय खोलना था;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त नीति के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में यदि कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) वर्ष 1982-85 की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक जिले में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की 17 हजार औसत आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का था। पश्चिम बंगाल के तीन जिलों सहित विभिन्न राज्यों के 30 जिलों के अतिरिक्त देश के सभी जिलों के सम्बन्ध में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इन तीस जिलों में उद्देश्य प्राप्त न कर सकने का मुख्य कारण आधारभूत ढांचे की सुविधाओं की कमी होना, उपयुक्त स्थानों तथा भवनों का उपलब्ध न होना, आशंका वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का काफी न होना है।

**प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए मंजूर की गई पूरी धनराशि को अनुदान के रूप में मानना**

1880. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए मंजूर की गई धनराशि को अनुदान के रूप में माना जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार विशेष मामले के रूप में, राज्य के उपलब्ध सीमान्त धन से ऊपर बाढ़ राहत के लिए व्यय की अधिकतम सीमा के 88 प्रतिशत तक (75 प्रतिशत के स्थान पर जो बाढ़ राहत के लिए सहायता की सामान्य पद्धति है) योजना भिन्न अनुदान देने के लिए सहमत हुई है।

### रबड़ की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए योजना

1881. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने रबड़ की खेती का क्षेत्र और प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) जी हां। रबड़ बोर्ड अनेक योजनाओं अर्थात् उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागानों के त्वरित विकास की परियोजना, रबड़ बागान विकास योजना, अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में रबड़ की खेती के संवर्धन के लिए तकनीकी अवस्थापना का विकास आदि का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, रबड़ बोर्ड उपजकर्ताओं के लिए उपदान राशियों, विस्तारण सलाहकारी सहायता, वर्षा से रक्षा करने वाली सामग्री, उच्च उपज देने वाली रोपण सामग्री आदि प्रदान कर रहा है और देश में रबड़ के उत्पादन से वृद्धि करने के उद्देश्य से रबड़ की खेती की विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसंधान भी कर रहा है।

### कोचीन बैंक के जमाकर्ताओं को पूरी राशि की अदायगी

1882. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन बैंक में जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई पूरी राशि की अदायगी करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) भूतपूर्व बैंक आफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन का भारतीय स्टेट बैंक के साथ 26 अगस्त, 1985 से समामेलन कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने भूतपूर्व बैंक आफ कोचीन लिमिटेड के जमाकर्ताओं की जमाराशियों का पूरा भुगतान करना स्वीकार कर लिया है।

### चाय के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य

1883. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चाय के निर्यात के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य समाप्त करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह भी मांग की गई है कि चाय बागान को अपनी अतिरिक्त चाय निर्यात करने की अनुमति दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) चाय सम्बन्धी न्यूनतम निर्यात कीमत को 12 अगस्त, 1985 से समाप्त कर दिया गया है। निर्यातों पर अन्य पाबन्दियों जैसे कुल निर्यातों पर मात्रा सम्बन्धी सीमा और विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादित चाय की विभिन्न किस्मों के लिए कोटों को भी समाप्त कर दिया गया है।

**"क्वार्टर स्टील कम्पनी और अरब आयरन एण्ड स्टील कंपनी, बहरीन को कुद्रेमुख पैलेट संयंत्रों से लौह अयस्क पैलेट सप्लाई किये जाने के लिए करार"**

1884. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतर स्टील कम्पनी और अरब आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बहरीन को कुदरेमुख पेलिट संयंत्रों से लोह अयस्क के पेलिट की सप्लाई के लिए भारत द्वारा एक ठेके पर बातचीत की जा रही है;

(ख) कुदरेमुख संयंत्र में पेलिट का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) लोह अयस्क के पेलिट की सप्लाई के लिए इससे पहले किन देशों के साथ समझौता हो चुका है; और

(घ) क्या कुदरेमुख के एक दल ने इस संबंध में बहरीन का दौरा किया है ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) कुदरेमुख आयरन ओर कंपनी लि० अपने मंगलौर स्थित पैलेट बनाने के संयंत्र में उत्पादित लौह-अयस्क के पैलेटों की बिक्री के लिए कतार स्टील कम्पनी से बातचीत कर रही है। यह कम्पनी बहरीन की अरब आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को पहले से लौह-अयस्क सांद्रण का निर्यात कर रही है। इस समय बहरीन को लौह-अयस्क के पैलेटों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) मंगलौर स्थित पैलेट बनाने के संयंत्र की वार्षिक स्थापित क्षमता 30 लाख टन है। इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन के अप्रैल, 1986 से शुरू हो जाने की संभावना है।

(ग) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० ने पैलेटों की बिक्री के लिए मलेशिया और इंडो

नेशिया से आशय-पत्र/समझौता ज्ञापन प्राप्त कर लिया है।

(घ) लौह अयस्क सांद्रण की बिक्री के सम्बन्ध में कुद्रेमुख के दल ने बहरीन का दौरा किया है।

**पिछड़ा क्षेत्र एकीकृत योजना के अन्तर्गत नरम इस्पात पिण्ड (एम० एस० इन्गाट) स्ट्रोक छड़ों (स्ट्रोक बिलिट), के निर्माण के लिए जारी किये गये लाइसेंस**

1885. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़ा क्षेत्र एकीकृत योजना के अन्तर्गत नरम इस्पात पिण्ड और स्ट्रोक छड़ों (स्ट्रोक बिलिट) के निर्माण के लिए राज्यवार कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) ये लाइसेंस बिना मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत जारी किए गए; और

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि पिण्डों के निर्माण की क्षमता 30,000 टन तक सीमित करके और पिछड़ा क्षेत्र एकीकृत योजना के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों, जिनके पास प्रतिवर्ष 10,000 टन से 1:,000 टन की चल क्षमता है, को प्रोत्साहन न देकर बड़ी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जाए ?

**इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) वर्तमान पुनर्बेलन इकाइयों के लिए पिछड़ा क्षेत्र एकीकृत योजना के अन्तर्गत अब तक साधारण इस्पात पिण्ड (एम० एस० इन्गट)/बिलटों के उत्पादन के लिए कुल 9 आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | इकाइयों की संख्या |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1 |
| चण्डीगढ़ | 1 |
| दिल्ली | 2 |
| महाराष्ट्र | 1 |
| पंजाब | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 2 |
| तमिलनाडु | 1 |

(ख) ये आशय पत्र/लाइसेंस उद्योग मन्त्रालय, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 23 जनवरी, 1984 के प्रेस नोट संख्या 2 (1984 शृंखला) में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत जारी किए गए थे। प्रेस नोट की प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है।

**[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० —1555/85]**

(ग) सरकार की यह नीति नहीं है कि बहु-राष्ट्रीय इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाए। परन्तु इस्पात का उत्पादन करने वाली इकाइयों की बिजली की खपत में कमी करने के लिए यह आवश्यक है कि उन स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाए जिनमें ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रकार की इकाइयों में क्षमता का अधिकतम उपयोग होना चाहिए।

**खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातु के बिक्री मूल्य में वृद्धि**

1886. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने अलौह धातुओं के बिक्री मूल्य में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है और मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सरकार की वृद्धि से बाजार पर विशेषकर अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) किन-किन धातुओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है और मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) पिछले 6 महीने में बाजार स्थिति को देखते हुए पिग लैंड की बिक्री कीमत में की गई मामूली वृद्धि के सिवाय खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं की बिक्री कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। पिग लैंड की बिक्री कीमतों में वृद्धि की सीमा तथा ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

| | जून, 1985 में कीमत | नवम्बर 1985 में कीमत | कीमत में वृद्धि |
|---|---|---|---|
| पिग लैड (99.97%) | 11,250 | 11,500 | 250 |
| पिग लैड (99.99%) | 11,450 | 11,700 | 250 |

(ग) चूंकि वृद्धि मामूली हुई है और केवल पिग लैंड के सम्बंध में हुई है अत: ऐसी ऐसी संभावना नहीं है कि इसके बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा इसके परिणामस्वरूप अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी।

(घ) अलौह धातुओं की बिक्री कीमतें, जो बढ़ी हैं और उसके कारणों का उल्लेख भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में किया गया है।

**सीमेंट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक से ऋण**

1887. श्री वी० तुलसीराम
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 नवम्बर, 1985 के "इकानामिक टाइम्स" में "सीमेंट इण्डस्ट्री माडर्नाईजेशन्ज वर्ल्ड बैंक आफर 200 मिलियन डालर्स" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन सीमेंट यूनिटों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके मन्त्रालय ने इस धनराशि का उपयोग करने के लिए चुना है;

(ग) इस आधुनिकीकरण से ऊर्जा की कितनी बचत होगी और स्वदेशी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी;

(घ) ऋण की शर्तें क्या हैं और उसका किस प्रकार वापसी भुगतान करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या उसमें से आन्ध्र प्रदेश स्थित किसी सीमेंट यूनिट को वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, हां।

(ख) ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के विचार से आर्द्र से शुष्क प्रक्रिया में रूपान्तरित करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित एककों को चुना गया है :—

(i) ए० सी० सी०—मदुकरै और शाहबाद,

(ii) इंडिया सीमेंट—शंकर नगर;

(iii) बिरला जूट—सतना;

(iv) के० सी० पी० लि०—मछेरला;

(v) सी० सी० आई०—मंधर।

और एककों को चुनने तथा ऋण की राशि, जो कि 17.5 करोड़ अमेरिकी डालर से 20 करोड़ अमेरिकी डालर तक होगी, के मामले पर बैंक के साथ अभी बातचीत चल रही है।

(ग) प्रौद्योगिकी का आर्द्र से शुष्क प्रक्रिया में रूपान्तरण करके 10 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। शुष्क प्रक्रिया में, सीमेंट का बड़ी मात्रा में उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्व-निस्तापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रक्रिया से उत्पादन में 100 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है।

(घ) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश में मेसर्स के० सी० पी० लिमिटेड के मछेरला संयंत्र का इस ऋण के अन्तर्गत वित्तपोषण किया जाएगा। सभी उप-परियोजनाओं के लिए संवितरित की जाने वाली राशि के बारे में अभी बातचीत जारी है।

## एल्यूमिनियम अनुसंधान प्रौद्योगिकी

1888. श्री वी० तुलसी राम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशेषज्ञ एल्यूमिनियम अनुसंधान प्रौद्योगिकी में ठोस प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत को एल्यूमिनियम के मामले में अग्रणी बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग कब तक किए जाने की संभावना है?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय विशेषज्ञों द्वारा ऊर्जा संरक्षण, एलोए विकास, ढलाई तथा गढ़ाई, वेल्डिंग तकनीकों, उष्मा शोधन तथा धातु फिनिशिंग, उपोत्पादों की वसूली, एल्यूमिनियम एलोए आदि के लिए नई प्रयुक्तियों के विकास के क्षेत्र में एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के समेकित प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर एक "एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास तथा डिजाइन केन्द्र" की स्थापना का प्रस्ताव बनाया गया है। यह केन्द्र स्थापित हो जाए तथा पूर्ण रूप से कार्यचालन करने लगे तो इससे भारत के एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की आशा है।

[हिन्दी]

## राजस्थान में तांबे की खानें

1889. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तांबे की खानों की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं और उनका दैनिक उत्पादन (कच्चा तांबा) कितना है;

(ख) इन खानों में इस समय कितने श्रमिक काम करते हैं और क्या सरकार का विचार इन खानों का विकास करके और अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भावी योजना क्या है ?

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) राजस्थान में हिन्दुस्तान कापर लि० की चालू तांबा खानों के स्थान तथा 1984-85 के दौरान उनमें प्रतिदिन अयस्क उत्पादन औरकार्यरत कामगारों की संख्या नीचे दी गई है :—

| खान का नाम | स्थान | अयस्क उत्पादन (मि० टन प्रतिदिन) | कार्यरत कामगारों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. खेतड़ी | झुन्झुनु जिला | 2090 | 2773 |
| 2. कोलिहान | ,, | 1765 | 1479 |
| 3. चान्दमारी | ,, | 350 | 292 |
| 4. दरीबा | अलवर जिला | 88 | 160 |

हिन्दुस्तान कापर लि० ने खेतड़ी तथा कोलिहान खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए खान विकास तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को मुहैया करने की कार्रवाई पहले ही कर दी है। इन खानों की जनशक्ति में सीमान्त वृद्धि की सम्भावना है जिसे पुनर्तैनाती से पूरा किया जाएगा। चान्दमारी तथा दरीबा में ज्ञात भंडार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त हो जाने की संभावना है तथा इसलिए यहां जनशक्ति में वृद्धि के कोई अवसर नहीं हैं।

## राजस्थान के राष्ट्रीयकृत बैंकों में आरक्षित रिक्त पदों को भरना

1890. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ख) इन बैंकों में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा इनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं;

(ग) क्या यह सच है कि लगभग इन सभी बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या आदेश जारी किए गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए इस्पात का कोटा**

1891. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों का संयंत्र-वार कुल वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) इस्पात के वितरण के सम्बन्ध में क्या नीति है;

(ग) इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) वर्ष 1984-85 तथा चालू वर्ष (अक्तूबर, 1985 तक) के दौरान देश में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में हुए विक्रेय इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

| इस्पात कारखाना | विक्रेय इस्पात का उत्पादन | |
|---|---|---|
| | वर्ष 1984-85 के दौरान | अप्रैल—अक्तूबर, 1985 के दौरान |
| 1 | 2 | 3 |
| भिलाई | 1810 | 1060 |
| दुर्गापुर | 621 | 365 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| राउरकेला | 1013 | 518 |
| बोकारो | 1450 | 897 |
| "इस्को" | 380 | 273 |
| "टिस्को" | 1714 | 960 |

(ख) इस्पात वितरण की नीति में इस्पात की सप्लाई में वास्तविक उपभोक्ताओं (लघु क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं) को प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिरक्षा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इंजीनियरी सामान के निर्यातकों जैसे राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## यूगोस्लाविया से सिगरेटों का आयात

1892. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया द्वारा लगभग 1,600 मीटरी टन सिगरेटों का भारत को निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" इसका क्या औचित्य है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) इस मन्त्रालय को इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

## कृषकों के लिए "पावर बांड" की योजना

1893. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषकों को "पावर बांड" जारी करने का है जिन पर आयकर नहीं लगेगा;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या यह योजना कृषि क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता से संबंधित होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) दूरसंचार और विद्युत क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांड जारी किए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा लोक सभा के दिनांक 22 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1048 के उत्तर में दिया गया है। ग्रामीण बचतें जुटाने के लिए और उन लोगों को असुविधा से बचाने के लिए जो कि इन बांडों में अभिदान करने के इच्छुक हैं, परन्तु अन्यथा कराधान योग्य नहीं है, मार्ग-निर्देशों में पहले से ही वह व्यवस्था है कि मिलने वाले ब्याज में से स्रोत पर कर की कटौती नहीं होगी, और उसके साथ ही आय कर अधिनियम की धारा 80 ठ के अन्तर्गत भी कर से छूट मिलेगी।

(ग) और (घ) केवल कृषकों को पावर बांड जारी किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**मुद्रा प्रणाली के कार्यकरण सम्बन्धी चक्रवर्ती समिति**

1894. **डा० बी०एल० शैलेश**
**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
**श्री अमर राय प्रधान**
**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 1982 में गठित सुखमय चक्रवर्ती समिति ने ब्याज दरों के पुर्निर्धारण, ऋण मूल्य निर्धारण प्रणाली गैर-मुद्रास्फीति के तरीके अपना कर योजना को आर्थिक सहायता देना तथा केन्द्रीय बजट घाटे को पुन:परिभाषित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों की जांच की है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वर्तमान आर्थिक नीति को नया रूप देने के लिए विशेषकर मूल्यों में स्थिरता लाने की दृष्टि से उनके मन्त्रालय द्वारा क्या विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रत्युत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक सरकार से परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई करेगा। अन्य बातों के साथ-साथ, समिति की सिफारिशों की, मुख्य रूप से कार्यान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचनात्मक बारीकी से जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कृतिक बल की नियुक्ति पहले ही कर दी है।

**दक्षिण महाराष्ट्र में केन्द्रीय प्रशासित पर्यटक केन्द्रों और होटलों की स्थापना**

1895. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में, विशेषकर दक्षिण महाराष्ट्र में केन्द्रीय प्रशासित कोई नए पर्यटन केन्द्र और होटल स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास समुद-तट (बीच) की भांति रतनगिरी समुद्र-तट (बीच) का विकास किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) और (ख) ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**बैंकों में सुरक्षा की कमी**

1896. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि बैंकों में सुरक्षा की कमी को सहन नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में उनके मन्त्रालय ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं का कितनी बार निरीक्षण किया;

(ग) क्या निरीक्षण तन्त्र द्वारा कोई सुरक्षा अनियमितताएं पाई गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं। वे सुरक्षा मामलों में बैंक प्रबन्धकों को सलाह देते हैं। बैंक प्रबन्धक अपने विवेकानुसार जहां कहीं आवश्यक होता है, उपचारात्मक उपाय करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार बैंकों के सामान्य कार्यों की, जिसमें सुरक्षा प्रबन्ध शामिल हैं, समीक्षा कर रहे हैं। मंत्रालय में अलग से कोई निरीक्षण तन्त्र नहीं है।

**इस्पात संयंत्रों के लिए स्वदेशी कोकिंग कोयले की सप्लाई में कमी**

1897. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने उसके एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए स्वदेशी कोकिंग कोयले की सप्लाई में कमी आने पर चिन्ता प्रकट की है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने इस मामले को कोयला विभाग के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना कोयला आवंटित किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस्पात संयंत्रों में कोयले की कमी को पूरा करने और इस्पात के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोयला नियंत्रक द्वारा "सेल" को आवंटित कोयले की मात्रा तथा कोयले की वास्तविक प्राप्ति का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(आंकड़े : हज़ार टनों में)

| वर्ष | कोयला नियंत्रक द्वारा किया गया आवंटन | "सेल" के कारखानों में वास्तविक प्राप्ति |
|---|---|---|
| 1982-83 | 13,911 | 11,276 |
| 1983-84 | 13,653 | 11,526 |
| 1984-85 | 13,742 | 11,112 |

(घ) सरकार ने "सेल" के कारखानों में कोककर कोयले की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) दामोदर घाटी निगम से कहा गया है कि कोल इंडिया की कोयले की खानों, शोधनशालाओं आदि को बिजली की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करे।

(2) दामोदर घाटी निगम/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने कोल इंडिया में स्थापित बिजली सप्लाई करने वाले मुख्य फीडरों में रुकावटों को कम करने की दिशा में विशेष उपाय किए हैं।

(3) रेलवे से कहा गया है कि कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त वैगनों की व्यवस्था की जाए।

(4) आन्तरिक स्रोतों से कोककर कोयले की कमी को पूरा करने के लिए "सेल" को पर्याप्त मात्रा में कोककर कोयला आयात करने की अनुमति दी गई।

विक्रेय इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बढ़िया क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। मालिक-मजदूर सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाने तथा इस्पात क्षेत्र में कार्य का एक नया माहौल बनाने, प्रौद्योगिकीय प्राचालों के आसंजन, बेहतर रख-रखाव तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। अप्रैल-अक्तूबर, 1985 के दौरान "सेल" के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से 17 प्रतिशत अधिक रहा है।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापन दिये जाने पर प्रतिबन्ध**

1898. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापन दिये जाने पर मार्च, 1984 में प्रतिबन्ध लगाया गया था और समय-समय पर उक्त प्रतिबन्धों को बढ़ाया जाता रहा;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः मार्च, 1984 से मार्च, 1985 तथा अप्रैल, 1985 से सितम्बर, 1985 तक की अवधि में उक्त बैंकों के व्यय में इस कारण हुई बचत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रतिबन्ध में अब ढील दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रतिबन्ध से बैंकों के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता है; और

(च) विज्ञापनों पर इस व्यय के दुरुपयोग अथवा अवांछित उपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :** (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का प्रचार, जन सम्पर्क आदि पर 1984 में 3.13 करोड़ रुपया खर्च हुआ जबकि 1983 में यह राशि 8.79 करोड़ रुपये थी। 1985 के दौरान बैंकों द्वारा किये गये खर्चे से संबंधित सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) इस संबंध में कुछ ढील दी गई है ताकि बैंक ग्राहकों को शिक्षित करने और जनता तक उन उपायों की जानकारी पहुंचने के लिए सीमित प्रचार अभियान चला सकें जो बैंक ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए कर रहे हैं। बैंकों को अक्तूबर, 1985 में, 1985 की बाकी अवधि के लिए 1983 की अपनी प्रचार बजट व्यवस्था का 15 प्रतिशत तक उपयोग करने की छूट दे दी गई है।

(ङ) सरकार यह नहीं समझती कि प्रतिबन्ध का बैंकों के कार्यकरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(च) सरकार ने बैंकों पर इस बात का जोर दिया है कि प्रचार का समूचा लक्ष्य बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार करने की दिशा में होना चाहिए।

**"सेल चीफ फार प्राइज फ्रीज टू पेप डिमांड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

1899. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 अक्तूबर, 1981 के "इकनोमिक टाइम्स" में "सेल चीफ फार प्राइज फ्रीज टू पेप डिमांड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत पांच वर्षों में इस्पात की मांग स्थिर रही है और सभी देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत न्यूनतम रही जबकि गत कुछ वर्षों के दौरान अनेक बार मूल्य वृद्धि होती रही है; और

(ग) सरकार द्वारा इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उनके मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी, हां।

(ख) मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति ने पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्पात की मांग के बारे में अनुमान लगाया था, जो इस प्रकार है :—

(लाख टन)

| वर्ष | मांग |
|---|---|
| 1980-81 | 102 |
| 1981-82 | 105 |
| 1982-83 | 98 |
| 1983-84 | 99 |
| 1984-85 | 90 |

भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 17 किलोग्राम है और यह खपत सब देशों की खपत की तुलना में न्यूनतम नहीं है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य उत्पादकों के लिए मूल्य प्राप्ति में 7 बार वृद्धि की गई थी।

(ग) उत्पादन संयंत्र की हालत, उपयुक्त क्वालिटी के आदानों और बिजली की पर्याप्त उपलब्धि और बाजार की आवश्यकताओं जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। उपयुक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ताकि कारखाने अपने-अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें। मालिक-मजदूर संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने, कार्य का नया माहौल बनाने, प्रौद्योगिकीय प्राचलों का पालन करने, बेहतर रख-रखाव और उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। दीर्घावधि उपाय के रूप में, वर्तमान कारखानों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करके और नये इस्पात कारखाने लगाकर देश में इस्पात के उत्पादन में भी वृद्धि की जाएगी।

मूल्य भी, आदानों की लागत, मजूरी और वेतन, रेल-भाड़े, शुल्कों और करों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। उत्पादन की लागत पर काबू पाने के लिए प्रयास किए गए हैं। उत्पादन और उत्पादिता में वृद्धि करके, क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके, बेहतर प्रौद्योगिकीय मानदण्डों, ऊर्जा के उपयोग में बचत और श्रम लागतों पर काबू पाकर उत्पादन लागत पर नियन्त्रण किए जाने की आशा है। प्रौद्योगिकीय उन्नयन, बेहतर रख-रखाव और संयंत्र की अड़चनों को दूर करके सातवीं योजना में इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा।

**कपास का आयात तथा इसका स्वदेशी बाजार में प्रभाव**

1900. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मौसम के दौरान कितनी कपास का आयात किया गया तथा इस कपास का कपड़ा मिलों को किये गये वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कपास के आयात से स्वदेशी बाजार में कपास मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मौसम में विभिन्न प्रकार की कपास का उत्पादों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) :** (क) भारतीय रुई निगम ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खाते पर रुई की 75,000 गांठों की मात्रा का आयात किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार द्वारा कपास की विभिन्न किस्मों की न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा कर दी गई है और भारतीय रुई निगम को निर्देश किए गए हैं कि वे जब कभी कीमतें समर्थन स्तर से नीचे आने लगें तब कीमत समर्थन कार्य करें। सरकार ने चालू रुई सीजन के दौरान निर्यात हेतु काफी मात्रा भी रिलीज की है।

## वैयक्तिक कराधान के बारे में उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय

1901. श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव
श्री मानिक रेड्डी
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वैयक्तिक कराधान के ढांचे में सुधार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए हाल में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं, और उनकी संख्या कितनी है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) सरकार ने व्यष्टियों और अन्य गैर-निगमित निकायों के प्रगामी कराधान के लिए व्यय को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आधार बनाने की वांछनीयता का अध्ययन करने और व्यय पर कर लगाने के प्रभाव की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।

(ख) समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार होंगे :—

(i) राजस्व की विवशता तथा प्रशासन और अनुपालन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, व्यष्टियों तथा अन्य गैर-निगमित निकायों के प्रगामी कराधान के लिए व्यय को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आधार बनाने की वांछनीयता का अध्ययन करना;

(ii) आयकर प्रणाली में इस प्रकार के सुधार के प्रभावों को, उसके सभी पहलुओं से, विशेष रूप से निगमित क्षेत्र के कराधान के सम्बन्ध में, तथा अन्तर्राष्ट्रीय कर संगतीकरण की समस्याओं की जांच करना;

(iii) बचतों को शामिल नहीं करने की व्यवस्था करने के लिए यदि आयकर आधार का सुधार वांछनीय तथा व्यवहार्य समझा जाए, तो संक्रमणकालीन समस्याओं के संभावित स्वरूप और परिमाण का जायजा लेना तथा उसका हल सुझाना;

(iv) सम्बन्धित मामलों की जांच करना।

(ग) समिति में छः सदस्य होंगे जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | डा० राजा जे० चेल्य्या | — | अध्यक्ष |
| 2. | श्री सी० के० तिक्कू | — | सदस्य |
| 3. | डा० अमरेश बागची | — | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | प्रो० पुलिन नायक | — | सदस्य |
| 5. | श्री पी० ए० नैयर | — | सदस्य |
| 6. | श्री आर० एन० बारा | — | सदस्य-सचिव |

## खाद्यान्नों के निर्यात हेतु ओपन जनरल लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में राज्यों के आवेदन

1902. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों के निर्यात हेतु ओपन जनरल लाइसेंस जारी किए जाने के बारे में किए गए आवेदनों पर विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक किन-किन राज्यों ने ओपन जनरल लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; और

(ग) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य सरकारों को ऐसा कोई ओपन लाइसेंस जारी किया है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) किसी भी राज्य सरकार से खाद्यान्नों के निर्यात हेतु खुले सामान्य लाइसेंसों के लिए अनुमति हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया है। खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले अनुमत निर्यात सभी श्रेणियों के निर्यातकों को, जिनमें राज्य सरकारें तथा साथ ही निजी व्यापार भी शामिल हैं, को कवर कर लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, बासमती चावल के निर्यात की अनुमति न्यूनतम निर्यात मूल्य तथा लदान निरीक्षण के अध्यधीन, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत थी। 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत जौ के निर्यात की भी अनुमति थी।

## सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिकूल व्यापार शेष

1904. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 5000 करोड़ का व्यापार असन्तुलन रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भुगतान शेष की स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 34,7000 करोड़ रु० या प्रतिवर्ष औसतन लगभग 7000 करोड़ रु० का व्यापार असन्तुलन रहने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं कि सातवीं पंचवर्षीयवधि के दौरान भी भुगतान

शेष की स्थिति लगातार चिन्ताजनक बनी हुई है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या उपचारी उपाय कर रही है ?

**वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत का व्यापार घाटा शेष हर वर्ष लगभग 5,500 करोड़ रु० था।

(ख) से (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना—1985-90 की पांच वर्ष की अवधि के लिए व्यापार घाटे शेष का अनुमान 34,700 करोड़ रु० का है (1984-85 की कीमतों पर) जिसका अभिप्राय होगा 6,940 करोड़ रु० की वार्षिक औसत। रियायती सहायता प्रवाह में कमी, विदेशी ऋण की कठिन शर्तों, आदि का सातवीं पंचवर्षीय, योजनावधि के दौरान हमारी भुगतान शेष स्थिति पर कुछ भार पड़ सकता है। सरकार देश की भुगतान शेष स्थिति में सुधार करने के लिए ठोस प्रयास करती रही है।

## राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों का लाभ बढ़ाने के लिए कदम

1905. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अप्रैल-जून, 1985 की अवधि की प्रथम तिमाही में चहुंमुखी सुधार का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके अनुसार वर्ष 1984-85 में मात्र 18 मिलों के सकल लाभ की तुलना में अगस्त में 50 मिलों में सकल लाभ हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1984-85 के एक महीने में हुई 7.7 करोड़ रुपए की औसत हानि सितम्बर, 1985 में कम होकर 1.35 करोड़ रुपये रह गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इसमें और सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)**: (क) अप्रैल-जून, 1985 की अवधि के दौरान एन० टी० सी० ने उपयोग उत्पादकता और लाभ की दृष्टि से अपने कार्य-निष्पादन में सुधार किया है। 1984-85 की औसत हानियों की तुलना में अप्रैल-जून 1985 के लिए सकल हानि राष्ट्रीयकृत मिलों के संबंध में 5.79 करोड़ रु० प्रतिमाह तथा प्रतिबन्धित मिलों के संबंध में 1.07 करोड़ रु० प्रति माह कम हो गई।

(ख) अगस्त, 1985 में 52 मिलों को सकल लाभ हुए जबकि वर्ष 1984-85 के दौरान 21 मिलों को ही सकल लाभ हुए थे।

(ग) सितम्बर, 1985 में राष्ट्रीयकृत मिलों की औसत मासिक सकल हानियां घटकर 2.64 करोड़ हो गई है जबकि वर्ष 1984-85 के दौरान ये 7.99 करोड़ रु० की थीं। जहां तक प्रतिबन्धित मिलों का संबंध है, सितम्बर, 85 में औसत मासिक सकल हानियां घटकर 1.7 करोड़ रु० रह गई है जबकि वर्ष 1984-85 में यह 2.11 करोड़ रु० की थी।

(घ) एन० टी० सी० अपनी हानियां रुई-कीमतों में कमी, बेहतर प्रबन्ध उत्पाद विकास, कामगारों के आधिक्य में कमी और सुधरी कार्य प्रणाली के फलस्वरूप कम करने में सक्षम रहा है।

(ङ) एन० टी० सी० के अधीन मिलों के निष्पादन में सुधार करने के लिए सीमित संसाधनों के भीतर किए गए/किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रुई की समय पर वसूली के लिए व्यवस्था की जा रही है;

(2) नकद हानियों की पूर्ति के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति कर दी गई है;

(3) विद्युत की कमी दूर करने के लिए स्वजनित्र क्षमता की व्यवस्था की गई है;

(4) सीमित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए परिणाम-अभिमुख लाभों के लिए चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाए गए हैं;

(5) सभी स्तरों पर उत्पादन-लागत में कमी लाने के लिए लागत नियन्त्रण पद्धतियां आरंभ की गई हैं;

(6) गैर-प्रचालक संबंधी प्रशासनिक खर्चों में कमी लाने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(7) अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध योजना में बुनकर सहभागिता योजना प्रोत्साहित की जा रही है?

**रूस की वस्त्र प्रौद्योगिकी लागू करना**

1906. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की आधुनिकतम वस्त्र प्रौद्योगिकी पहली बार भारत में आई है;

(ख) क्या अभी तक भारतीय कपड़ा मिल पूर्णतया स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, इटली और पश्चिम जर्मनी द्वारा दी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर है;

(ग) रूसी प्रौद्योगिकी अन्य देशों की प्रौद्योगिकी से किस प्रकार भिन्न है; और

(घ) यदि हां, तो इस नई वस्त्र प्रौद्योगिकी से भारत में हथकरघा उद्योग के कार्य निष्पादन में कितना सुधार हुआ है?

**वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी, नहीं। सोवियत संघ से पहले भी वस्त्र मशीनें आयात की जा रही हैं।

(ख) जी, नहीं। वस्त्र मशीनें अन्य देशों से भी आयात की जाती रही हैं।

(ग) इस स्थिति में विशिष्ट तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी को अभी तक बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया गया है।

(घ) भारत सरकार को भारत स्थित हथकरघा क्षेत्र को ऐसी प्रौद्योगिकी के किसी आवेदन-पत्र की जानकारी नहीं है।

## हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा निर्यात

1907. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड वर्षानुवर्ष अपना निर्यात बढ़ाने के उस वायदे को पूरा करने में असफल रही है जो उसने 51 प्रतिशत विदेशी पूंजी रखने की अनुमति मिलने पर किया था; और

(ख) यदि हां, तो 1982 से लेकर अब तक इसके अपने उत्पादों और अन्य उत्पादों के निर्यात की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को 51 प्रतिशत अनिवासी शेयरधारिता बनाए रखने की अनुमति अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर दी गई थी कि कम्पनी अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करेगी, और प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे निर्यात की कारखाना निकलती लागत (उत्पाद-शुल्क को घटाकर, यदि कुछ हो तो) सम्बद्ध वर्ष के दौरान इसके कुल उत्पादन की कारखाना निकलती कीमत (उत्पाद-शुल्क को घटाकर—यदि कुछ हो, तो) के 10 प्रतिशत मात्रा से कम नहीं होगी। संलग्न विवरण में दी गई जानकारी से पता चलेगा कि कम्पनी ने वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान निर्यात सम्बन्धी इस दायित्व का निर्वहन किया है। कम्पनी ने वर्ष 1982, वर्ष 1983 तथा वर्ष 1984 के दौरान क्रमशः 1290 लाख रुपए, 336 लाख रुपए और 974 लाख रुपए के मूल्य के अन्यों द्वारा विनिर्मित उत्पादों का निर्यात किया है।

**विवरण**

| वर्ष | कम्पनी के कुल उत्पादन की कारखाना निकलती लागत | अपने उत्पादन में से निर्यात किए गए उत्पादकों की कारखाना निकलती लागत | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1982 | 37,089.2 | 3,709.9 | 10.00 |
| 1983 | 41,325.21 | 4,409.81 | 10.67 |
| 1984 | 43,344.28 | 5,207.51 | 12.01 |

**बैंक अधिकारियों की शिकायतों पर की गई कार्यवाही**

1908. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक अधिकारियों ने पिछले चार महीनों में हड़ताल की थी और अपनी शिकायतों के बारे में प्रदर्शन भी किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनकी शिकायतों को पूरा कर दिया गया है अथवा उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) जी, हां। आल इंडिया कंफैडरेशन आफ बैंक आफिसर्स आर्गेनाइजेशन से सम्बद्ध अधिकारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 13 अगस्त, 1985 को हड़ताल की थी। उनकी मांग सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन संशोधन से अधिक वेतन पाने आदि की मांग थी। भारतीय बैंक संघ ने जो बैंकों के प्रबन्धकों का प्रतिनिधित्व करता है अधिकारियों के सम्बद्ध संघों के साथ इन मांगों पर चर्चा की थी और सरकार को एक संशोधित प्रस्ताव पेश किया था। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और अब यह मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है।

**सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात**

1909. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(ग) इस अवधि के दौरान कितने मूल्य के सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया; और

(घ) किन देशों को सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया और देश वार कितने मूल्यों के सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया ?

**वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी-सितम्बर, 1985 की अवधि के दौरान 839 करोड़ रु० मूल्य के 20 करोड़ अदद परिधानों का निर्यात किया गया।

(घ) जनवरी-सितम्बर, 1985 के दौरान उन मुख्य देशों की सूची जिन्हें परिधान निर्यात

किए गए और निर्यात-मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

| देश | मूल्य (करोड़ रु०) |
|---|---|
| सं० रा० अमरीका | 301.44 |
| ई० ई० सी० सदस्य देश | 255.72 |
| सोवियत संघ | 116.25 |
| कनाडा | 45.68 |
| जापान | 37.99 |
| स्विटजरलैंड | 14.23 |
| स्वीडन | 13.85 |
| आस्ट्रेलिया | 13.51 |

(स्रोत : अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद)

[हिन्दी]

**भारत में उद्योग स्थापित करने वाले सिंगापुर के उद्यमी**

1910. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर के उद्यमियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस संबंध में अपनी इच्छा प्रकट की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उन्होंने इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग तथा समुद्री इंजीनियरी में रुचि दर्शायी है।

**भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को ऋण**

1911. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने गत वर्ष अधिकांशतः पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को ऋण स्वीकृत किया था;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों में स्वीकृत किए गए ऋणों की तुलना में यह ऋण कितना अधिक है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) जुलाई 1984 से जून 1985 की अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में लगाई गई/लगाई जाने वाली 216 परियोजनाओं को 232.58 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की थी। यह राशि इस अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 410 परियोजनाओं को मंजूर की गई कुल 394.08 करोड़ रुपए की ऋण सहायता का 59.0 प्रतिशत बैठती है।

(ग) आवश्यक सूचना नीचे दी गई है :—

| | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 (जुलाई-जून) |
|---|---|---|---|
| **अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूर की गई ऋण सहायता** | | | |
| परियोजनाओं की संख्या | 145 | 187 | 216 |
| राशि (करोड़ रुपए) | 139.78 | 202.15 | 232.58 |

**तालों के निर्यात में कमी**

1912. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तालों के निर्यात में निरन्तर कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कमी को दूर करने के लिए कोई उपाय करने के लिए कोई उपाय करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी हां। गत कुछ वर्षों में तालों और पैड लोकों के

निर्यात में गिरावट आयी है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट होती है।

| वर्ष | निर्यात (लाख रु० में) |
|---|---|
| 1981-82 | 56.77 |
| 1982-83 | 47.53 |
| 1983-84 (अनन्तिम) | 45 00 |
| 1984-85 (अनन्तिम) | 44 50 |

(ख) से (घ) नकद मुआवजा सहायता जैसे अन्य प्रोत्साहन देने के अलावा सरकार ने तालों और पैड लौकों का निर्यात बढ़ाने के लिए इन पर शुल्क वापसी की दर बढ़ा दी है।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांडों का जारी किया जाना**

1913. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बांड जारी करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो बांड जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन बांडों पर सम्पत्ति कर नहीं लगेगा ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) आर्थिक विकास के लिए सरकारी क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका और इसकी वृद्धि के लिए अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, खास तौर पर, दूरसंचार और विद्युत क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के चुने हुए उपक्रमों द्वारा बांड जारी किए जाने की एक नई योजना शुरू की है। इससे संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रकाशित किए जा चुके हैं और इन मार्गदर्शी सिद्धांतो की प्रतियां लोक सभा के 22 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1048 के उत्तर के साथ प्रस्तुत कर दी गई थीं।

(ग) इन बांडों पर बिना किसी सीमा के धन कर से छूट दी जाएगी।

**मसूरी में "पार्क हाउस" का पर्यटन स्थल के रूप में नवीकरण**

1914. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जार्ज एवरेस्ट ने मसूरी में भूमि का सर्वेक्षण कार्य करने के लिये वर्ष 1827 में एक

"पार्क हाउस" का निर्माण किया था, जो इस समय टूटी फूटी हालत में है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस भवन का नवीकरण करने का है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का स्थल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और यह स्थान कब तक एक आकर्षक पर्यटक स्थल बनकर तैयार हो जायेगा ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार का इस भवन के नवीकरण का प्रस्ताव है और उसने 1985-86 के दौरान नवीकरण तथा पार्क हाउस के विकास के लिए 15.50 लाख रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सरकार का 23.00 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर आस-पास के क्षेत्रों के नवीकरण, विकास और सौंदर्यकरण का एक अन्य प्रस्ताव भी है जिसे भूमि का अधिग्रहण कर लेने के बाद दो चरणों में प्रारम्भ किया जाना है।

## अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की ऋण देने की कठोर शर्तें

1915. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत**
**श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने ऋण देने की शर्तें कठोर कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

## सातवीं योजना के दौरान सस्ते दामों पर कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदम

1916. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को सस्ते दामों पर अधिक कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का क्या अतिरिक्त कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार द्वारा हाल ही में सिंथेटिक धागे और मिश्रित कपड़े पर दी गई राज-सहायता से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है;

(ग) क्या इससे कपड़ों के मूल्यों में गिरावट आई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) सरकार द्वारा जून, 1985 में घोषित वस्त्र नीति में लोगों को उचित कीमतों पर स्वीकार्य क्वालिटी के कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों की व्यवस्था है। इन उपायों में शामिल हैं नए एककों द्वारा क्षमता सृजन पर प्रतिबन्ध समाप्त करना और वर्तमान एककों द्वारा क्षमता विस्तार, वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण, मानव-निर्मित फाइबरों पर वित्तीय लेवी का यौक्तिकीकरण, हथकरघों की उत्पादकता बढ़ाना और कन्ट्रोल का कपड़ा हथकरघा क्षेत्र को अन्तरित करना।

(ख) से (घ) सरकार ने अगस्त, 1985 में कतिपय मानव-निर्मित फाइबरों पर करों में छूट की घोषणा की। इस छूट से कुल मिलाकर, फाइबर उत्पादकों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को लाभ दिए गए हैं। इन करों में छूट का उपभोक्ताओं के लिए कपड़े की कीमतों पर पूरा प्रभाव बताना अभी उचित नहीं है। तथापि, सामान्य कीमत स्थिति से अप्रत्यक्षतः गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है।

### राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट में कमी

1917. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्यों ने ओवर-ड्राफ्ट को कम करने के लिए अपने साधनों का उपयोग किया है अथवा उन्होंने ओवर-ड्राफ्ट को कम करने के लिए विकास संबंधी गतिविधियां बिल्कुल बंद कर दी हैं, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : केन्द्र ने राज्यों के ओवरड्राफ्ट समाप्त करने में सहायता करने के लिए 28.1.1985 की स्थिति के अनुसार राज्यों के ओवरड्राफ्ट के 90 प्रतिशत के बराबर 1628 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण दिए थे। केन्द्र और राज्यों द्वारा किए गए संसाधनों के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर सातवीं योजना और 1985-86 की वार्षिक योजना को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है और यथा-अनुमोदित योजना को पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाता है। इसलिए, ओवरड्राफ्टों का सहारा लिए बिना राज्यों को अपने विकास कार्यों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

**[अनुवाद]**

### हथकरघा/विद्युत करघा तथा कम्पोजिट मिलों के बारे में नई कपड़ा नीति का कार्यान्वयन

1918. **श्री शरद दिघे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा/विद्युत करघा तथा कम्पोजिट मिलों के बारे में नई कपड़ा नीति में बताए गए उपायों को कार्यान्वित करने में सरकार ने कहां तक प्रगति की है; और

(ख) उनमें से आश्वासन दिये गये किसी उपाय को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जून 1985 में घोषित वस्त्र नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति अभी तक संतोषजनक रही है। नीति में सुझाए गए विभिन्न उपाय किए जा चुके हैं। किए गए कतिपय महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) मानव निर्मित तथा सूती वस्त्रों के बीच पूरे रेशा लचीलेपन की अनुमति दी गई है;

(2) औद्योगिक विकास की समग्र नीति के अन्तर्गत उद्योग के कताई तथा बुनाई क्षेत्रों में विद्यमान क्षमताओं के विस्तार तथा नई क्षमताओं के सृजन की अनुमति दी गई है।

(3) कतिपय मानव निर्मित रेशों पर राजकोषीय लेवियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

(4) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने देश में हथकरघा बुनकरों के लिए धागे तथा अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों को सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए कुछ डिपो खोले हैं।

(5) हथकरघा बुनकरों के लिए, अंशदायी बचत निधि तथा वर्कशेड सह-हाउसिंग योजनाएं मंजूर की गई हैं।

(6) शक्ति चालित करघों का अनिवार्य पंजीकरण पूरा करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता :

[हिन्दी]

**दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया मादक पदार्थ और घड़ियां**

1919. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 6 नवम्बर, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में छपी खबर के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर 5 नवम्बर, 1985 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने 20 कि०ग्रा० मादक पदार्थ और 3000 घड़ियां पकड़ी थीं जिनका मूल्य लगभग 33 लाख रुपये था;

(ख) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की तस्करी की गतिविधियां रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)**: (क) दिनांक 5-11-85 को सीमा शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली के अधिकारियो ने दो पैकटों को रोककर उनकी जांच की। ये दोनों पैकेट हांग-कांग से आए थे और इन्हें काबुल के लिए पोतान्तरित किया जाना था। जांच किए जाने पर, 13.57 लाख रुपये के मूल्य की 3392 कलाई घड़ियों को और सफेद रंग के 20 कि०ग्रा० पाउडर को बरामद करके अभिग्रहीत कर लिया गया। प्रारम्भिक परीक्षण किए जाने पर यह पता चला कि उक्त पाउडर मूलत: एक औषध-द्रव्य है।

(ख) इस सिलसिले में, अब तक, चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ग) तस्करी के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है! सीमाशुल्क विभाग की निवारक और गुप्तचर्या मशीनरी सामान्यतया तस्करी की गतिविधियों के साथ-साथ तस्करी के आकर्षण की वस्तुओं के प्रति भी सतर्क रहती हैं। तस्करी के तौर तरीकों और पकड़े गए माल की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ट ताल-मेल स्थापित करके यथापेक्षित उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जा सके।

तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के साथ-साथ न्यायालय में मुकदमें चलाकर भी सख्त कार्रवाई की जाती है। अन्तर्ग्रस्त माल के जब्त किए जाने और व्यक्तिगत जुर्माने लगाए जाने के अतिरिक्त, उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबंदी की कार्रवाई भी की जाती है।

## वित्तीय वर्ष बदलने के लिये योजना आयोग की सिफारिश

1920. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च के स्थान पर 31 अक्तूबर को समाप्त होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि इसे कार्यान्वित नहीं किया जायेगा, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## उत्तर प्रदेश को आबंटित ऋण और अनुदान की राशि

1921. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को 31 मार्च 1985 को समाप्त हुए वर्ष तक पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि का अनुदान आबंटित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का ऋण आबंटित किया गया; और

(ग) अनुदान और ऋण के बीच क्या अनुपात था ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को दिए गए ऋण और अनुदान की राशि और उसके पारस्परिक अनुपात को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(लाख रुपये में)

| वर्ष | ऋण | अनुदान | अनुपात ऋण | अनुपात अनुदान |
|---|---|---|---|---|
| 1982-83 (लेखा) | 47248 | 47660 | 1 | 1.0087 |
| 1983-84 (संशोधित अनुमान) | 55886 | 55466 | 1 | 0.9925 |
| 1984-85 (बजट अनुमान) | 54019 | 58006 | 1 | 1.0738 |

[अनुवाद]

**रेशम तथा रेशम उत्पादों का उत्पादन और निर्यात**

1922. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन स्थानों पर रेशम का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या भारत उच्च स्तर के रेशम तथा रेशम उत्पादों का उत्पादन करता है और विदेशों में भारतीय रेशम की बहुत मांग है; और

(ग) विदेशों में मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) रेशम कीट पालन तथा रेशम का उत्पादन केरल, हरियाणा तथा गोवा को छोड़कर अधिकांश सभी राज्यों में होता है।

(ख) विश्व में रेशम उत्पादक देशों में भारत तीसरा बड़ा देश है किन्तु देश में उत्पादित रेशम की क्वालिटी अधिकांशतः बहुचक्रीय है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मानक अभी प्राप्त करना है इस पर भी, विदेशी बाजारों में भारतीय रेशम तथा रेशम उत्पादों की अच्छी मांग है और इनके निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ग) कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने और देश में उत्पादित रेशम तथा रेशम माल की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना जैसी गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजनाएं, मूंगा बीज विकास परियोजना और पश्चिमी बंगाल में गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना आदि क्रियान्वित करता रहा है। क्वालिटी में सुधार लाने के लिए उच्च क्वालिटी उत्पाद के शहतूती किस्मों, रेशम-कीट-जातियां तैयार करने हेतु अनुसंधान कार्य गहन कर दिए गए हैं और बंगलौर में एक रेशम प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। इसी प्रकार, राज्य सरकार भी उत्पादन विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित करती रही है। उच्च क्वालिटी रेशम की उपलब्धता में वृद्धि से निर्यातों में वृद्धि होने की आशा है।

[हिन्दी]

## दिल्ली में बैंक डकैतियां

1923. श्री विजय कुमार यादव
श्री मोहम्मद महफूज अली खां
प्रो० के० वी० थामस
श्रीमती किशोरी सिंह
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी
श्री कृष्ण प्रताप सिंह
श्री साइमन तिग्गा

: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के आरम्भ से अब तक दिल्ली में महीनेवार कितनी बैंक डकैतियां हुई हैं और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) इन डकैतियों के सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों में, विशेषकर रिहायशी कालोनियों में कार्यरत छोटी शाखाओं में खतरे की चेतावनी देने वाली कोई व्यवस्था तथा पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो बैंक डकैतियां रोकने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी खतरे की चेतावनी देने वाली आधुनिक व्यवस्था और पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यवस्था है, तो वह क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वर्ष 1985 के दौरान घटी डकैती/लूटपाट की घटनाओं के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी एक कार्यकारी दल का गठन किया था। इस दल ने बैंकों में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई उपायों की सिफारिश की थी। इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकारी क्षेत्रों के 28 बैंकों को भेज दी गई थी ताकि वे इस दल की सिफारिशों पर अमल करें। शाखाओं में पहले से अधिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए बैंक कार्यकारी दल की सिफारिशों में बताए गए उपायों पर विभिन्न चरणों में अमल कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में हुई प्रगति की बैंकों के बोर्डों और मुख्य कार्यपालकों द्वारा समीक्षा की जाती है। सरकार ने 7 अक्तूबर, 1985 को दिल्ली में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के स्थानीय प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें दिल्ली के बैंकों की शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था। इस बैठक में नीचे दिए परामर्श को फिर से दोहराया गया :

(1) शाखाओं के साप्ताहिक अवकाश का दिन वह रखा जाए, जिस दिन उस इलाके का बाजार बन्द हो।

(2) प्रत्येक शाखा में एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड होना चाहिए।

(3) बैंक की प्रत्येक शाखा में दाखिल होते ही एक कोलेप्सेबल गेट होना चाहिए जिसमें जंजीर लगी हो और ताला हो।

(4) कैशियरों के लिए जाली की एक कैबिन होनी चाहिए जिसका ताला अपने आप बन्द हो जाता है।

(5) शाखाओं में एक अलार्म की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और यह अलार्म कमजोर नहीं बल्कि ऊंची आवाज वाला होना चाहिए।

(6) बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सुरक्षा उपायों की जांच की जानी चाहिए।

## विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1985 में
दिल्ली में हुई लूटपाट/डकैतियों की घटनाएं

| | बैंक का नाम | घटनाओं की तारीख | अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये) | गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय स्टेट बैंक (सायंकालीन शाखा) ग्रेटर कैलाश, दिल्ली सर्कल, दिल्ली। | 14-3-85 | 4.19 | — |
| 2. | यूनियन बैंक आफ इंडिया आनन्द निकेतन शाखा, दिल्ली। | 4-3-85 | 0.45 | — |
| 3. | बैंक आफ इंडिया, न्यू फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली। | 21-5-85 | शून्य | — |
| 4. | विजया बैंक, चांदनी, चौक, दिल्ली। | 4-6-85 | शून्य | 1 |
| 5. | न्यू बैंक आफ इंडिया, मस्जिद मौठ, पंचशील इंक्लेव, नई दिल्ली। | 10-7-85 | 3.02 | — |
| 6. | बैंक आफ इंडिया, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली। | 21-8-85 | 4.19 | — |
| 7. | इंडियन बैंक, सफदरजंग इंक्लेव, नई दिल्ली। | 4-10-85 | 2.88 | — |

[अनुवाद]

## भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच सहयोग

1924. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक नीतियों में उदारता तथा विदेशी निवेश के प्रति सरकार के व्यावहारिक रुख से जर्मन कम्पनियों को भारत में अपने व्यापार में वृद्धि करने में प्रोत्साहन मिला है;

(ख) यदि हां, तो भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) दोनों देशों के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) भारत जर्मन संघीय गणराज्य व्यापार जो 1983 84 में 1443 करोड़ रुपये का था बढ़कर 1984-85 में .617 करोड़ रुपये (अनन्तिम) हो गया। हाल में भारतीय उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यमों सहित प्रौद्योगिकी के अन्तरण और औद्योगिक सहयोग की सम्भावनाओं और उनके अवसरों का पता लगाने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य जैसे देशों ने काफी रुचि दिखाई है। भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में अब तक मशीनरी रसायन तथा भेषज जैसे उत्पाद समूह शामिल हैं।

## ग्रामीण विकास के संवर्धन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गिरिजन बस्ती के विकास का कार्य हाथ में लेना

1925. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत ग्रामीण विकास के संवर्धन हेतु गिरिजन बस्तियों के विकास का कार्य अपने हाथ में लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो गिरिजनों को दी गई सहायता की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें दिए गए ऋण पर ब्याज की दर क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी बस्तियों के विकास का कार्य हाथ में लिया गया ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा गिरिजन बस्तियां अंगीकार किये जाने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों की ग्राम अंगीकरण योजना अंगीकृत ग्रामों का गहन वित्तपोषण करने के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत गिरिजन बहुसंख्यक बस्तियों का गहन वित्तपोषण भी आ जाता है। गिरिजन, विभेदी ब्याज दर योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यद्यपि ब्याज की सामान्य दर 10 प्रतिशत

है, लेकिन विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र हिताधिकारियों से विभेदी ब्याज दर की योजना के अनुसार 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है। बैंकों ने समाज के कमजोर वर्गों को अधिकाधिक ऋण देने के प्रयोजन से जो कुछ उपाय किये हैं वे ये हैं : आवेदन पत्रों के फार्म सरल बना दिए गए हैं, मार्जन और जमानत की अपेक्षाओं को उदार बना दिया गया है, ऋण देने के बाद उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके कुल बकाया अग्रिमों का 10 प्रतिशत हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिए।

**क्रोम अयस्क पर निर्यात शुल्क हटाने का प्रस्ताव**

1926. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों से क्रोम अयस्क निर्यात शुल्क हटाने तक के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनसे ऐसे प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) 17 मार्च, 1985 से क्रोम अयस्क और सांद्रण पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अतः क्रोम अयस्क पर निर्यात शुल्क समाप्त करने के सम्बन्ध में किसी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त होने का और उस पर सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया करने का प्रश्न नहीं उठता।

**खाड़ी के देशों को हस्तशिल्प वस्तुओं, कालीनों और जवाहरात का निर्यात**

1927. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों को सिल्क, हस्तशिल्प वस्तुओं, कालीनों, जवाहरात आदि का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, देश-वार कितने मूल्य का ऐसा निर्यात किया गया और उनका मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन देशों को निर्यात बढ़ाने तथा निर्यात की मदों में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए

जा रहे हैं तथा निर्यातकों को यदि कोई विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जी हां।

(ख) 1982-83 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए विवरण—एक और विवरण—दो संलग्न हैं।

(ग) खाड़ी देशों को निर्यात करने वाले निर्यातकों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिए जाते हैं। तथापि, इन देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(i) हाथ से बुने गए कालीनों सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए सम्भाव्य बाजार का पता लगाने के लिए फरवरी, 1982 के दौरान एक बिक्री-सह-अध्ययन दल ने सऊदी अरब, बहरीन और दुबई का दौरा किया।

(ii) 1984 के दौरान दोहा में हस्तशिल्प की वस्तुओं की एक विशेष प्रदर्शनी हुई। हस्तशिल्प वस्तुओं की दूसरी प्रदर्शनी अक्तूबर, 1985 में कुवैत में हुई। इन प्रदर्शनियों में रेशम के सुप्रसिद्ध, दुपट्टे, तथा जरी को भी प्रदर्शित किया गया और बेचा गया।

(iii) गत तीन वर्षों में कुवैत, दुबई, दोहा, आबूधाबी में स्वर्ण आभूषण प्रदर्शनियां की गईं।

## विवरण—एक

वर्ष 1980-81 के दौरान महत्वपूर्ण खाड़ी देशों को रेशम के सामान का निर्यात

(मूल्य लाख रुपये में)

| क्रमांक | देश | वर्ष | सहतूत रेशम माल | टसर रेशम माल | मिश्रित ब्लडिड रेशम माल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | यू० ए० ई० | 1980-81 | 146.89 | 0.55 | 4.36 |
| | | 1981-82 | 179.48 | 3.23 | 1.83 |
| | | 1982-83 | 280.62 | 4.79 | 4.62 |
| 2. | कुवैत | 1980-81 | 53.53 | 1.20 | 0.80 |
| | | 1981-82 | 95.14 | 6.81 | 1.0[illegible] |
| | | 1982-83 | 87.45 | 1.92 | 0.70 |
| | दक्षिण ओमन | 1980-81 | 31.98 | शून्य | 30.14 |
| | | 1981-82 | 35.20 | " | 34.39 |
| | | 1982-83 | 40.96 | " | 53.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | यमन (वाई० ए० आर०) | 1980-81 | 10.57 | शून्य | शून्य |
| | | 1981-82 | 19.39 | " | " |
| | | 1982-83 | 22.20 | " | " |
| 5. | बहरीन | 1980-81 | 5.73 | " | " |
| | | 1981-82 | 9.55 | " | " |
| | | 1982-83 | 13.08 | " | " |
| 6. | दोहा कत्तर | 1980-81 | 5.49 | " | " |
| | | 1981-82 | 15.55 | " | " |
| | | 1982-83 | 11.17 | " | " |
| 7. | सऊदी अरब | 1980-81 | 105.86 | " | 1.52 |
| | | 1981-82 | 157.87 | " | 0.38 |
| | | 1982-83 | 265.64 | " | 1.25 |

## विवरण—दो

वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान महत्वपूर्ण खाड़ी देशों को हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात

(मूल्य लाख रुपयों में)

| क्रमांक | देश | वर्ष | हाथ से बुने ऊनी कालीन आदि | अन्य हस्तशिल्प की वस्तुएं | आभूषण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बहरीन द्वीप समूह | 1980-81 | 0.82 | 52.43 | 8.25 |
| | | 1981-82 | 4.51 | 76.52 | 34.02 |
| | | 1982-83 | 13.38 | 96.39 | 113.00 |
| 2. | कुवैत | 1980-81 | 5.82 | 296.60 | 715.00 |
| | | 1981-82 | 35.46 | 3[illegible]7.61 | 19[illegible]1.71 |
| | | 1982-83 | 45.30 | 326.49 | 2092.94 |
| 3. | कत्तर | 1980-81 | 3.39 | 78.61 | 40.59 |
| | | 1981-82 | 9.90 | 98.52 | 237.85 |
| | | 1982-83 | 12.94 | 6[illegible].56 | 267.43 |
| 4. | सऊदी अरब | 1980-81 | 53.92 | 2227.97 | 138.18 |
| | | 1981-82 | 3[illegible].88 | 2268.20 | 209.46 |
| | | 1982-83 | 27.16 | 2316.98 | 322.56 |

**देशीय पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्यम दर्जे के होटलों का निर्माण करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन**

1928. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत देशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्यम दर्जे के होटलों का निर्माण करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) पर्यटन विभाग के पास पर्यटकों के लिए उपयोगिता की दृष्टि से होटल परियोजनाओं को अनुमोदित करने की एक स्कीम है। अनुमोदित होटल परियोजनाएं, जिनमें स्वदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने सम्बन्धी वे परियोजनाएं शामिल हैं जिनकी मीडियम होटल के रूप में आयोजना की जाती है, वित्तीय संस्थानों से टर्म-बेसिस पर रियायती दरों पर ब्याज सहित उन विभिन्न प्रोत्साहनों की पात्र होती हैं जो होटल उद्योग के लिए उपलब्ध होते हैं।

(ख) अनुमोदित होटलों को उपलब्ध प्रोत्साहनों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

(i) **टैक्स हालीडे** : धारा 80-1 के अधीन, 31-3-1981 के बाद और 1-4-1990 से पहले खोले गए अनुमोदित होटलों के मामले में, भारतीय कम्पनी को होटल व्यवसाय से अर्जित लाभ और फायदों पर आठ वर्ष की अवधि के लिए आय-कर से 25 प्रतिशत छूट है। पहले यह रियायत केवल 1-4-1985 तक के लिए थी लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ा कर 1-4-1990 तक कर दी गई है।

(ii) **प्रारम्भिक मूल्य ह्रास** : धारा 32 (1) (V) के अधीन, अनुमोदित होटल चलाने वाली एक कम्पनी को कर-योग्य लाभ की संगणना करते समय एक होटल भवन की वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत की दर पर प्रारम्भिक मूल्य ह्रास घटाने की अनुमति है।

(iii) **अतिरिक्त मूल्य ह्रास** : आय-कर नियम 1962 के परिशिष्ट-I में खंड I के उप-खंड-II की मद (III) के अधीन, एक भारतीय कम्पनी द्वारा एक अनुमोदित होटल में लगाए गए यंत्र और संयंत्र के मामले में सामान्य भत्ते के आधे के बराबर राशि घटाने की अनुमति है।

(iv) **उच्चतर मूल्य ह्रास** : होटल के फर्नीचर और जुड़नार के सम्बन्ध में, आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट-I के खंड-I के उप-खंड-II में मद (2) के अधीन 10 प्रतिशत की सामान्य दर के मुकाबले मूल्य ह्रास की 15 प्रतिशत उच्चतर दर पर व्यवस्था की गई है।

(v) **पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होटल** : आय-कर अधिनियम की धारा 80-एच० एच० के अधीन, विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होटल के व्यवसाय से होने वाले लाभों और फायदों के 20 प्रतिशत को 10 वर्ष की अवधि तक कुछ खास शर्तों के अधीन कर-योग्य आय में से कम कर लेने की व्यवस्था है।

(vi) **पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को केन्द्रीय इमदाद** : 1-1-1977 से विनिर्दिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थापित होटल सेन्ट्रल आउटराइट ग्रांट और सब्सिडी स्कीम 1971 के तहत केन्द्रीय निवेश इमदाद की मंजूरी के पात्र हैं।

(vii) **संस्थागत ऋण** : अनुमोदित होटल परियोजनाएं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) और अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ऋण की मंजूरी के पात्र हैं। इस ऋण पर 1 प्रतिशत की ब्याज-इमदाद दी जाती है।

(viii) **विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा** : अनुमोदित होटल विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटे के पात्र हैं जिसका निर्धारण उनकी प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आय के 10 प्रतिशत की दर से किया जाता है। यह कोटा सम्बन्धित होटलों को अनिवार्य मदों के आयात, विदेशों के संवर्धनात्मक दौरों, प्रचार और विज्ञापन आदि के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

(ix) टेलीफोन/टैलेक्स कनेक्शनों, एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) आदि का आवंटन करने के लिए प्राथमिकता से विचार किया जाता है।

(x) इसके अलावा, होटल गैर-रिहायशी भारतीयों द्वारा प्रवर्तक कम्पनियों की इक्विटी पूंजी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन पूंजी-निवेश के पात्र हैं।

(xi) 1985 के बजट में प्राइवेट लिमिटेट कम्पनियों को कुछ प्रोत्साहन/रियायतें दी गई थीं। चूंकि अधिकांशतः होटल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के रूप में निगमित होते हैं, उन्हें भी इस रियायत का लाभ मिलेगा

**"सीजर ग्राफ गोल्ड एण्ड गोल्ड ग्रारनामेन्ट्स इन बाम्बे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार**

1929. **श्री मानिक रेड्डी**
**श्री एम० रघुमा रेड्डी**
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 1985 के "फ्री प्रैस जनरल" (बम्बई) में प्रकाशित

हुए समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बम्बई में सोने के कुछ व्यापारियों के परिसरों से 22,61,801/—रुपये के मूल्य का सोना और सोने के आभूषण पकड़े गए हैं, जिनमें विदेशी मार्क वाला सोना भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) जी, हां।

(ख) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के मामले में सीमा शुल्क (निवारक) समाहर्तालय, बम्बई के स्वर्ण नियंत्रण स्कंध द्वारा अचानक ली गई तलाशियों के परिणामस्वरूप दो स्वर्ण व्यापारियों की दुकान तथा कार्य परिसरों, चार स्वर्णकारों तथा एक गैर व्यापारी से कुल 22,61,801/-रुपये मूल्य के 11640.000 ग्राम के सोने के जेवरात, 598.000 ग्राम शुद्ध सोना तथा विदेशी मार्क का 15,000 ग्राम सोना बरामद तथा जब्त किया गया था।

(ग) और (घ) जांच पड़ताल चल रही है तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

## तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि

1930. प्रो० चन्द्रभानु देवी
डा० पी० वल्लल पेरुमन } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान तस्करी की गतिविधियों में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का तस्करी द्वारा लाया गया माल पकड़ा गया; और

(ग) तस्करी को दृढ़ता से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से और पकड़े गए माल के तौर-तरीकों से यह पता चलता है कि कतिपय जिन्स, जैसे सोना, घड़ियां, संश्लिष्ट फैब्रिक, इलैक्ट्रानिकीय माल, अनिष्टकर औषध-द्रव्य भारतीय/विदेशी मुद्रा आदि वस्तुएं लगातार तस्करी के आकर्षण की केन्द्र बनी हुई हैं।

वर्ष 1982, 1983, 1984 और 1985 (अक्तूबर तक) के दौरान अभिगृहीत किए गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य निम्नोक्त है :—

| वर्ष | मूल्य (करोड़ रु० में) |
|---|---|
| 1982 | 66.39 |
| 1983 | 89.92 |
| 1984 | 101.09 |
| 1985 (अक्तूबर तक) | 159.13 (अनन्तिम) |

(ग) तस्करी के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमा शुल्क विभाग को निवारक तथा आसूचना तन्त्र, सामान्य रूप में तस्करी की गतिविधियों के विरुद्ध और तस्करी के आकर्षण वाली जिन्सों के विरुद्ध सतर्क बना रहता है। तस्करी के तौर-तरीकों और पकड़े गए माल की सतत समीक्षा की जाती है ताकि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके यथापेक्षित समुचित उपचारी कार्यवाही की जा सके।

तस्करी की गतिविधियों के सिलसिले में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ न्यायालयों में मुकदमें चलाकर सख्त कार्यवाही की जाती है। अन्तर्ग्रस्त माल के जब्त किए जाने के अलावा उचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबन्दी की कार्यवाई भी की जाती है।

[अनुवाद]

**नाइजीरिया औषध निर्माण एकक की स्थापना**

1931. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स यूनीक फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कोनाइजीरिया में एक औषध निर्माण एकक की स्थापना की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को भारत से निर्यात होने वाले औषधों के नाइजीरिया में बनने से कितनी विदेशी मुद्रा का नुकसान उठाना पड़ेगा ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) विदेशी मुद्रा की हानि करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संयुक्त उद्यमों की स्थापना में नाइजीरिया को भारतीय दवाइयों के निर्यात को हटाने की व्यवस्था नहीं थी।

## राज्यों की ओवरड्राफ्ट स्थिति

1932. श्री टी० बाल गौड़
श्री प्रकाश वी० पाटिल } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा ओवरड्राफ्ट लेने के संबंध में स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें पिछले वर्ष अपनी तात्कालिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) 21-11-1985, अन्तिम तारीख जिसके लिए सूचना उपलब्ध है, को कोई भी राज्य ओवरड्राफ्ट में नहीं था।

(ख) 22 नवम्बर, 1984 से 21 नवम्बर, 1985 तक के पिछले एक वर्ष के दौरान, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़कर, सभी राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया था। जम्मू तथा काश्मीर और सिक्किम का भारतीय रिजर्व बैंक में खाता नहीं है।

## राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का विकेन्द्रीकरण

1933. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण करने तथा उन्हें परस्पर प्रतियोगिता करने की अनुमति देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इन मिलों से प्रतियोगी एवं सक्षम बनने की अपेक्षा कैसे करती है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) जबकि व्यक्तिगत एककों को बल्क खरीद/बिक्री अर्थात् कच्चे माल और मशीनों की खरीद तथा डी० जी० एस० एण्ड डी० तथा निर्यात के लिए बिक्री के संबंध में एकल परिवार के होने का लाभ मिलता है, लाभ केन्द्रों पर मिलती-जुलती शक्तियों के साथ-साथ अधिक उत्तरदायित्व डाला जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## सस्ता कपड़ा तैयार करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को राज सहायता

1934. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र ने सस्ता कपड़ा योजना के अन्तर्गत कपड़ा तैयार करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक कितना कपड़ा तैयार किया गया है और हथकरघों को राज सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) हथकरघा क्षेत्र कपड़े का उत्पादन करता रहा है जिसकी बिक्री कीमत पर अक्तूबर, 1976 से जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत उपदान दिया जाता है।

(ख) आरम्भ से लेकर मार्च 1985 के अन्त तक 2050 मिलियन वर्गमीटर का उत्पादन हुआ। आरम्भ से लेकर 1984-85 तक दिया गया कुल उपदान 261.13 करोड़ रु० बैठता है।

**नारियल के तेल का आयात**

1935. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितना नारियल का तेल आयात किया गया;

(ख) आयात पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) घरेलू उत्पादन से नारियल के तेल की कितने प्रतिशत मांग पूरी हुई; और

(घ) घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा नारियल के तेल का आयात बिल्कुल समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम ने 1982 तथा 1983 के दौरान नारियल के तेल का आयात नहीं किया है। नारियल के तेल की स्वदेशी कीमतों पर दबाव को कम करने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा अप्रैल, 1984 में लगभग 12 लाख रु० मूल्य की केवल लगभग 9000 मे० टन मात्रा का ही आयात किया गया है (नारियल के तेल के सीधे आयात की अनुमति निर्यात उत्पादन के लिए प्रतिपूर्ति/अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंसों के आधार पर दी जाती है। इस श्रेणी के अन्तर्गत आयात की मात्रा नगण्य है।

(ग) नारियल के तेल की सम्पूर्ण मांग घरेलू उत्पादन द्वारा पूरी की जाती है सिवाय इसके कि राज्य व्यापार निगम द्वारा एक बार के कार्यक्रम के रूप में अप्रैल, 1984 में लगभग 9,000 मे० टन की मात्रा का आयात किया गया। निकट भविष्य में और नियमित आधार पर कोई आयात करने का विचार नहीं है।

(घ) सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन बढ़ा रही है जिनमें रोग-मुक्त संकर पौधों तथा अन्य उच्च उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन तथा वितरण, समुन्नत खेती पद्धतियों को लोक प्रिय बनाने के प्रदर्शन, रोगग्रस्त तथा अनुत्पादक नारियल जोतों का नवीकरण, उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता आदि-आदि अन्तर्ग्रस्त हैं।

**थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट**

1936. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गिरावट का खुदरा मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में मूल्य की कमी का खुदरा मूल्यों पर प्रभाव लाने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क) और (ख) पिछले छः महीने के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970—71=100) में घटबढ़ के आंकड़ें नीचे दिए गए हैं :—

| अन्तिम सप्ताह को | | सूचकांक |
|---|---|---|
| मई | 1985 | 354.0 |
| जून | 1985 | 358.0 |
| जुलाई | 1985 | 365.0 |
| अगस्त | 1985 | 360.0 |
| सितम्बर | 1985 | 356.7 (अ) |
| अक्तूबर | 1985 | 360.2 (अ) |
| नवम्बर | 1985 (9वीं) | 357.7 (अ) |

(अ) अनन्तिम

(ग) और (घ) खुदरा मूल्य औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्रकट होते हैं, जो कि मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर थोक मूल्य सूचकांक का प्रभाव सामान्य रूप से कुछ समय के पश्चात ही दृष्टिगोचर होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो कि अप्रैल, 1985 में 6.3 प्रतिशत थी कम होकर सितम्बर, 1985 (अद्यतन उपलब्ध) में 5 प्रतिशत हो गई।

**पोलिस्टर पर उत्पादन शुल्क में की गई कमी का कपास उत्पादकों पर प्रभाव**

1937. **श्री पी० कुलन्दईवेलू** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिस्टर पर उत्पादन शुल्क 45 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 25 रु० प्रति किलोग्राम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कपास उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) क्या उत्पादन शुल्क में की गई कमी के परिणामस्वरूप, कपास उत्पादकों को कपास उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचनी पड़ती है ?

**वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : (क) पोलिएस्टर स्टेपल रेशे पर उत्पाद शुल्क 28-8-85 से 45 रु० प्रति किग्रा० से घटाकर 25 रु० प्रति किग्रा० कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) लगाया गया अनुमान ठीक तरह नहीं लागू हो पाया।

**बिक्री कर समाप्त करने का प्रस्ताव**

1938. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिक्री कर समाप्त करने का प्रस्ताव को त्याग दिया है और वर्तमान बिक्री कर के स्थान पर एक सूत्री कराधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का एक सूत्री कर प्रणाली को कब कार्यान्वित करने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : (क)से (ग)कुछेक वर्गों से बिक्री कर समाप्त करने और उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की मांग की जाती रही है। चूंकि बिक्री कर मुख्यतया राज्य कराधान का विषय है, इसलिए सितंबर, 1980 तथा फिर फरवरी, 1981 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया था। उसके बाद वनस्पति, औषधियों और दवाइयों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर भी बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की योजना लागू करने से होने वाले वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करने एवं यह देखने के लिए कि राज्यों के वित्तीय हितों की किस प्रकार रक्षा की जा सकती है, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, इस प्रकार प्रस्ताव बिक्री करके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने का था, न कि पांच जिन्सों पर बिक्री कर समाप्त करने का। श्री कमलापति त्रिपाठी, संसद सदस्य की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने 20 जनवरी 1983 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट को, जिसमें समिति की सिफारिशें निहित थीं, 29 अप्रैल, 1983 को सदन के दोनों पटलों पर रखा गया था। 2 नवम्बर 1983 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में त्रिपाठी समिति की सिफारिशों

*पर विचार विमर्श किया गया था। अनेक मुख्य मन्त्रियों ने त्रिपाठी समिति द्वारा बिक्री करके स्थान पर* अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की प्रस्तावित योजना पर सिद्धांतत: अपनी सहमति प्रकट की थी। तथापि, कुछ मुख्य मन्त्रियों ने बताया कि वे त्रिपाठी समिति द्वारा प्रस्तावित योजना को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। मुख्य मन्त्रियों ने यह प्रस्ताव पारित किया कि इन मुद्दों पर राज्य सरकारों के बीच मतैक्य प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखे जाएं। चूंकि बिक्री कर मुख्यत: राज्य कराधान का विषय है, इसलिए बिक्री कर प्रणाली में कोई सुधार केवल राज्यों से परामर्श करके और उनके सहयोग से ही किया जा सकता है। अब तक किए गए प्रयासों से मतैक्य प्राप्त नहीं किया जा सका है।

**निर्यातोन्मुख उद्योग**

1939. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के निर्यातोन्मुख उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन उद्योगों को क्या छूट और अन्य सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) क्या कीमती पत्थर और मोती भी इस निर्यातोन्मुख उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) :** (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा है जिसमें 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना के अन्तर्गत 15 सितम्बर, 1985 तक अनुमोदित एककों की सूची दर्शाई गई है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० — 1556/85**]

(ख) और (ग) अनुमोदित 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को उपलब्ध रियायतें, सुविधाएं तथा उन उद्योगों की निदर्शी सूची, जिन पर 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है आयात तथा निर्यात नीति (खण्ड 1) के परिशिष्ट 23 तथा उससे सम्बन्धित में दी गई है।

**भारतीय कम्पनियों द्वारा नाइजीरिया में औषध निर्माता एकक स्थापित करना**

1940. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारत के औषध निर्माता एकक नाइजीरिया में औषध निर्माण एकक स्थापित करेंगी;

(ख) क्या उक्त गैर-सरकारी कम्पनियों ने इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार की मंजूरी ले ली है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या किसी अन्य भारतीय कम्पनी ने भी नाइजीरिया में औषध निर्माण संयंत्र स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उनके भारतीय प्रवर्तकों ने ऐसा बताया है कि चार भारतीय संयुक्त उद्यम परियोजनाएं अभी भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 73.75 लाख है।

(घ) तथा (ङ) एक भारतीय कम्पनी नाइजीरिया में औषध तथा भेषज विनिर्माण संयंत्र पहले ही स्थापित कर चुकी है। तथापि, यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है।

---

11.47 म० पू०

## सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

**भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा; इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण; काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, एरणाकुलम का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा**

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[श्री खुर्शीद आलम खां]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1514/85]

(3) (एक) काजू निर्यात संवर्धन परिषद, एरणाकुलम, कोचीन, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) काजू निर्यात संवर्धन परिषद, एरणाकुलम, कोचीन, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०— 1515/85]

**सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण**

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिबेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक बिवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1516/85]

**बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम; जीवन बीमा नियम अधिनियम; विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम; सिक्का निर्माण अधिनियम; सीमा-शुल्क अधिनियम; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) (तीसरा संशोधन) योजना, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 25 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 783(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1517/85]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवा के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 26 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 990 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1518/85]

(3) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 79 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 30 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० –1519/85]

(4) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सिक्का-निर्माण (अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985" की स्मृति में निर्मित 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जस्ता वाले एक सौ रुपये के, 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले दस रुपये के और एक रुपये के सिक्कों का मानक भार और उपचार) नियम, 1985, जो 11 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 665(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का-निर्माण (श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में निर्मित) 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल, और 5 प्रतिशत जस्ता वाले (एक सौ रुपये) 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले (बीस रुपये के, पांच रुपये के और पचास पैसे के स्मरणात्मक सिक्कों का मानक वजन और उपचार) नियम, 1985, जो 8 अक्तूबर, 1985 को भारत के

[श्री जनार्दन पुजारी]

राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 735 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1520/85]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० का० नि० 855(अ), जो 20 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 अक्तूबर, 1985 की अधिसूचना संख्या 308—सी० शु० के अधिलंघन में जापानी येन को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को जापानी येन में बदलने की पुनरीक्षित दर के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 858(अ), जो 21 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से उस स्थिति से छूट देने के बारे में है जब गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित नोएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन में निर्यात माल के निर्माण के संबंध में इस्तेमाल के प्रयोजनार्थ भारत में उसका आयात किया जाए।

(तीन) सा० का० नि० 859(अ), जो 21 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिनके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 158—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि 21 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना संख्या 339—सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके।

(चार) सा० का० नि० 864(अ), जो 22 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 39/85—सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1986 तक बढ़ाई गई है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1521/85)

(6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 848(अ), (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति, जो 15 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा

1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 75/84 —के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि अधिसूचना में यथोपबन्धित छूट की पात्र कच्ची नेफ्था की मात्रा के निर्धारण के प्रयोजनार्थ न केवल विनिर्दिष्ट रसायनों के निर्माण के लिए अभिप्रेत कच्ची नेफ्था की मात्रा को अलग किया जा सके, जिसे इस तरह के प्रयोग के बाद उसी रिफाइनरी में वापिस भेज दिया जाता है, जहां से कच्ची नेफ्था प्राप्त हुई थी, बल्कि कच्ची नेफ्था को भी अलग किया जा सके, जिसे इस तरह के प्रयोग के पश्चात् किसी घोषित रिफाइनरी में वापिस भेजा जाता है ताकि तैयार पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में फिर से संसाधन तथा/अथवा मिश्रण की प्रक्रिया की जा सके।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1522/85]

**खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 21 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 877 में प्रकाशित हुए थे, को सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1523/85]

———

11.48 म० पू०

## प्राक्कलन समिति

### 16वां प्रतिवेदन

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर)** : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—औषध मानकों के संबंध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 60वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

11.49 म० पू०

## लाहौर, पाकिस्तान, में कुछ कनाडावासी सिखों द्वारा दो भारतीय राजनयिकों पर किए गए हमले के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्)** : सदन को यह सूचना देते हुए मुझे खेद है कि 26 नवम्बर, 1985 को 14.30 बजे (स्थानीय समय) लाहौर में डेरा साहिब गुरुद्वारा में कुछ कनाडियाई सिखों ने इस्लामाबाद स्थित हमारे राजदूतावास के दो वरिष्ठ राजनयिक परामर्शदाता श्री जैन और प्रथम सचिव के० के० खन्ना पर हमला किया था। ये दोनों अधिकारी उस भारतीय यात्री के शव को भारत भेजने की व्यवस्था में सहायता देने के लिए लाहौर गए थे जो हृदय गति रुक जाने से एक दिन पहले मर गया था। हमारे इन दोनों अधिकारियों के सिर में चोट लगी है और उन्हें लाहौर के अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब वे खतरे से बाहर हैं। हमले की खबर मिलते ही पाकिस्तान में हमारे राजदूत इन लोगों को अस्पताल में देखने लाहौर गए।

पाकिस्तान सरकार के समक्ष हमने अपनी गम्भीर चिन्ता अलग-अलग अवसरों पर इस्लामाबाद और दिल्ली में व्यक्त की है। इस्लामाबाद में हमारे राजदूत पाकिस्तान के विदेश कार्यालय तथा लाहौर स्थित वरिष्ठ प्रान्तीय अधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के राजदूत को कल विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और विदेश मंत्रालय के सचिव ने उनसे इसके सम्बन्ध में अपनी निराशा, चिन्ता और क्षोभ व्यक्त किया था। पाकिस्तान की सरकार से बलपूर्वक यह बात कही गई कि पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों, अधिकारियों और तीर्थ-यात्रियों की सुरक्षा और हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी सरकार की है और अपराधियों को पकड़कर उन्हें सजा देने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। सदन को याद होगा कि पिछले वर्ष 10 नवम्बर को लाहौर में इसी गुरुद्वारे में एक भारतीय अधिकारी पर हमला करने वाले लोगों पर न तो अभी तक मुकदमा चलाया गया है और न उन्हें सजा दी गई है। इस तरह की कार्रवाइयों से उग्रवादी तत्वों को प्रोत्साहन ही मिला है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरे देशों के कुछ बलवाइयों को इस तरह की भारत विरोधी कार्रवाई करने दी गई।

राजनयिक स्तर पर हमारी ओर से की गई कार्रवाई के उत्तर में पाकिस्तान की सरकार ने हमें सूचित किया है कि भारतीय राजनयिकों पर हमला करने वालों में से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन हमलावरों को शीघ्र उचित दण्ड दिया जाएगा और पाकिस्तान की सरकार तत्काल ऐसे कदम उठाएगी कि भविष्य में भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की कोई आपराधिक कार्रवाई न हो।

---

11.51 म० पू०

## सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 2 दिसम्बर, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) विधेयक, 1985 पर आगे विचार और पारित करना।

3. बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1985 और बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1985 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा और बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार और पारित करना।

4. वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और वायुयान (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार और पारित करना।

5. फतुहा-इस्लामपुर लाईट रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1985 पर विचार और पारित करना।

6. वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान।

7. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना : —

    (क) प्रत्यायोजित विधान प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 1985

    (ख) बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) संशोधन विधेयक, 985

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा रानी तोमर (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मेरे निम्नलिखित विषय को अगले हफ्ते की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए :—

अलीगढ़ का ताला भारत में ही नहीं विश्व में भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। कलई वाला ताला आज भी अलीगढ़ की शान है। इस उद्योग में विश्व मानचित्र में अलीगढ़ का अपना स्थान है।

[श्रीमती ऊषा रानी तोमर]

उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ के लिए बजट में अतिरिक्त प्रावधान कर इसे ताला नगर उद्योग के रूप में विकसित करने का निश्चय किया है। यह नगर तालों के अतिरिक्त अन्य लघु तथा कुटीर उद्योगों में भी निरन्तर प्रगति कर रहा है। अलीगढ़ का यह ताला उद्योग अब बड़े-बड़े कारखानों की चारदीवारी में सिमटता जा रहा है। कारखानेदारों को माला-माल बनाने वाले इस उद्योग में लगे श्रमिक दिन-रात बैठे-बैठे कार्य करने के कारण अधिकतर आंतों के मरीज बन जाते हैं और काफी लोग तो टी० बी० जैसी छूत की बीमारी के शिकार होकर अल्प आयु में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। ये लोग अपना इलाज इ० एस० आई० के अस्पतालों में भी नहीं करा सकते। बीमा मजदूर पालिसी भी इनके लिए लागू नहीं है।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल हेतु शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरे निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

दक्षिण के कॉफी उत्पादकों ने इस महीने की 28 तारीख को बंगलौर स्थित कॉफी बोर्ड के कार्यालय के समक्ष धरना दिया। कॉफी उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे उत्पादकों, जो कुल उत्पादकों का 90 प्रतिशत हैं, की दशा वास्तव में शोचनीय है। पिछले कई वर्षों से वे लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और अब वे सत्याग्रह करने के लिए बाध्य हुए हैं। उनकी मुख्य मांगें ये हैं : —

(1) कॉफी के बीजों का न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाए।

(2) कॉफी पर निर्यात शुल्क हटाया जाए।

(3) कॉफी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में कॉफी उत्पादकों का बहुमत हो।

(4) कॉफी अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जाए।

चूंकि उनकी सभी मांगें उचित हैं इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कॉफी उत्पादकों के प्रतिनिधियों से बात करे और उनकी मांगों का समाधान करें।

**श्री बाला साहेब विखे पाटिल** (कोपरगांव) : मेरा सुझाव है कि मेरे निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए : –

(1) राजधानी में हाल ही में राष्ट्रीय खेलों से देश में खेलों का महत्व बढ़ा है और पुरुष तथा

महिला खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिला है। वर्ष 1990 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए अभी से पूरी लगन के साथ तैयारियां शुरू कर दी जानी चाहिए। तथापि यह समाचार मिला है कि विभिन्न राज्यों में अभी भी खेल के मूल ढांचे और अन्य सुविधाओं की कमी है। पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को उपयुक्त प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय खेल प्राधिकरण तथा विभिन्न खेल संगठनों के कार्यकरण का और प्रशिक्षण प्रबंधों का पुनरीक्षण किया जाये और वहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं।

(2) सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग का नाम हाल में बदल कर कृषि लागत और मूल्य आयोग रख दिया गया है। तथापि आयोग द्वारा विचारणीय विषयों और उसके कृत्यों आदि में कोई अंतर नहीं आया है। आयोग की सिफारिशों पर सरकार ध्यान नहीं देती और उनकी अधिकतर सिफारिशें स्वीकार ही नहीं करती। आयोग द्वारा किए जा रहे अध्ययन में भी कमियां हैं और उनके द्वारा जो मानदंड अपनाया जाता है उसके गलत परिणाम निकलते हैं। अतः लोक हित के लिए आवश्यक है कि आयोग के विचारणीय विषयों और कार्यों के संबंध में सभा में शीघ्र चर्चा की जाए।

**श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** (हिन्दूपुर) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

यह सर्वविदित है कि आंध्र प्रदेश के भीषण सूखा पीड़ित जिले अनन्तपुर में लोगों को कई वर्षों से सूखे का सामना करना पड़ रहा है।

श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु यह बहुत जरूरी है कि औद्योगिक दृष्टि से इसका विकास किया जाए। इस जिले में भारी मात्रा में लोहा, सोना और 'एस्बेस्टॉस' आदि खनिज उपलब्ध हैं। इस जिले में मूंगफली और शहतूत का उत्पादन भी काफी मात्रा में किया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि यहां कृषि और खनिज पर आधारित उद्योग खोले जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। केन्द्र सरकार द्वारा इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस क्षेत्र में यथासंभव कई उद्योग खोलकर यहां के लोगों की सहायता करनी चाहिए ताकि वहां सूखे से उत्पन्न संकट समाप्त हो सके।

[हिन्दी]

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, निम्न विषय आगामी सप्ताह के होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के लिये निवेदन है :—

(1) राजस्थान सरकार के लगातार प्रयास और कोशिश के उपरान्त भी भाखड़ा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड राजस्थान को रावी, व्यास और सतलुज नदियों से अपने हिस्से का पूरा पानी दिलाने में असफल रहा है। वास्तव में इन नदियों का नियंत्रण पंजाब सरकार के पास में है जो राजस्थान को आवश्यकता के समय में पूरे हिस्से का पानी नहीं देता है और आवश्यकता नहीं होती है तो पानी देकर फसलों को नष्ट कर देता है। इस

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

स्थिति को राजस्थान सरकार कभी भी पसन्द नहीं करती है। अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि अपनी शक्तियों को प्रयोग करके भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से रावी, व्यास एवं सतलुज नदियों का उसके हिस्से का पूरा पानी समय पर उपलब्ध करावे और पंजाब सरकार से आग्रह करे कि वह बोर्ड के मामले में दखलन्दाजी न करे।

(2) मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर डैम के "कैचमेंट एरिया" में सैकड़ों बांध बनाए हैं और बनाना जारी है, जिसके कारण गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर में राज्य सरकार को अपने हिस्से का पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे बिजली भी कम प्राप्त हो रही है। राजस्थान सरकार ने इस बारे में कई बार केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन भेजे। मध्य प्रदेश में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठकें भी हुईं। केन्द्र सरकार ने उनकी बैठकें भी बुलाई, परन्तु अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गांधी सागर डैम में "कैचमेंट एरिया" बांध बनाने जारी हैं।

अतः केन्द्र सरकार से पुरजोर निवेदन है कि वह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक तुरन्त बुलाए और गांधी सागर में बनने वाले बांधों के निर्माण का कार्य तुरन्त रुकवाया जाए और राजस्थान सरकार को उसके हिस्से का पूरा पानी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर में प्राप्त हो ऐसा निर्णय किया जाए।

**श्री अजीज कुरेशी** (सतना) : अध्यक्ष महोदय, कृपया संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य में निम्न विषय को जोड़ दिया जाए।

दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी और विकास की दृष्टि से दिल्ली की सीमाएं दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं। ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट और कालका-जी की ओर से मथुरा रोड जाने के लिए ओखला रेलवे स्टेशन के आगे जो रेलवे फाटक स्थापित है वह कभी एक घंटा और आमतौर पर 45 मिनट से 90 मिनट तक के लिए बन्द रहता है। कालकाजी की ओर से आने वाले लोगों को कभी होली-फैमिली हास्पिटल जाने वाले मरीजों को इमर्जेन्सी में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कभी जामा मिलिया विश्वविद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकगण को घंटों वहां मजबूरी में ठहरना पड़ता है जिससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा होती है। इसके अतिरिक्त हजारों लोग जो कालकाजी से फ्रैंड्स कालोनी या अन्य इलाकों में आते जाते हैं उन लोगों को और अनेक वाहनों को जिनमें ट्रक, बसें, कारें, स्कूटर, साईकिलें और सभी प्रकार के दूसरे वाहन होते हैं जिनसे कि रास्ता रुक जाता है और दुर्घटनाओं की भी स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि ओखला पर स्थापित इस फाटक पर तुरन्त ही रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाए और जब तक यह ओवर ब्रिज नहीं बनता उस समय तक ऐसा प्रबंध किया जाए कि उक्त फाटक कभी भी एक समय में 10 मिनट से अधिक के लिए बंद नहीं किया जाए। इसी के साथ-साथ दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जनता को सुविधा और रहत देने के लिए ओखला रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाए और इसका पूर्ण रूप से

विकास भी किया जाए और दिल्ली आने-जाने वाली वे तमाम रेलगाड़ियां जो नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर रुकती हैं ओखला स्टेशन पर भी रोकने की व्यवस्था की जाए और वहां तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जावें।

12.00 **मध्याह्न**

कृपया संसदीय कार्य मंत्री महोदय के वक्तव्य में निम्न जोड़ दिया जाए—

मध्य प्रदेश सतना लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान बिरसिंहपुर नामक नगर है जहां एक ऐतिहासिक शंकर जी का प्राचीन मन्दिर है जिसके दर्शन करने हेतु हजारों लोग दूर-दूर से आते हैं। लेकिन दुःख है कि शासन की ओर शंकर जी के इस स्थान को या बिरसिंहपुर नगर के विकास की दृष्टि से कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया है।

इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर के विकास के लिए और लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए और पर्यटन को विकास देने के लिए केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दे कि वह बिरसिंहपुर नगर का इस दृष्टिकोण से विकास करने हेतु और इस नगर को एक आदर्श नगर बनाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे और वहां आने वाले लोगों को तमाम आधुनिक सुविधाएं और उनके ठहरने के लिए उचित भवनों के निर्माण करने की व्यवस्था के भी आदेश दे। इन सब कार्यों के लिए केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता भी दे।

[**अनुवाद**]

**डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य)** : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए :

महाराष्ट्र में बम्बई, ठाणे तथा बेलापुर में श्रमिकों की किसी मांग अथवा आंदोलन के बिना ही नियोजकों ने कई कारखाने बंद कर दिए हैं। इसी तरह, बहुत से छोटे कारखाने बन्द हो गए हैं और करीब 50,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। उनकी ग्रेच्यूटी और भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया जाए। इन सभी नियोजकों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के '25(ओ)' के अनुसार इन एककों के बन्द करते समय सरकार से अनुमति नहीं ली। इन सभी कारखानों को बिजली के बिलों का भुगतान न करने पर बिजली की सप्लाई रोके जाने, श्रमिकों के वेतन का भुगतान न करने, भट्टी जलाने के लिए काम में आने वाला तेल आदि न लाने आदि के कारण बंद किया गया है। इस तरह से एककों को बंद करने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और आगामी पांच वर्षों में एककों को बंद करने की प्रवृत्ति और भी बढ़ जाएगी। इनमें से बहुत से नियोजक अन्य राज्यों में उद्योगों के लिए सभी रियायतें प्राप्त कर रहे हैं और महाराष्ट्र में पुराने एककों को बन्द करते जा रहे हैं। साराभाई ग्रुप के केलिको केमिकल्स 'डब्ल्यू० जी० फोर्ज', श्रीनिवास कॉटन मिल, 'सॉलिड कंटेनर', बोम्बे मालावंले, 'अमरडाई केमिकल्स, बोम्बे पॉटरीज आदि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण एकक हैं।

इसके अतिरिक्त, सैंकड़ों अन्य एककों के नियोजकों ने जिनमें हजारों श्रमिक काम कर रहे हैं,

[डा० दत्ता सामन्त]

सरकार से इन एककों के बन्द किए जाने अथवा श्रमिकों की छंटनी करने का आवेदन किया है और बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करने का पुराना ढंग अपनाया जा रहा है। सरकार को इन नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और उन्हें किसी दूसरे स्थान या राज्य में उद्योग शुरू करने के लिए ऋण अथवा कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

**श्री एच० के० एल० भगत** : महोदय, माननीय सदस्यों को कोई भी विषय कार्य सूची में सम्मिलित कराने के लिए सुझाव देने का अधिकार है और मैं निश्चय ही कार्य मंत्रणा समिति का ध्यान इन विषयों की ओर दिलाऊंगा। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। इस अनुरोध पर माननीय सदस्यों को विचार करना होगा। इसमें कई ऐसे विषयों को शामिल किए जाने का सुझाव दिया गया है जो मेरे विचार से दूसरे तरीके से पूछे जा सकते हैं। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे जानते हैं कि इन पर नियम 377 के अंतर्गत, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और सामान्य चर्चा आदि के दौरान चर्चा की जा सकती है। चूंकि सदन का समय सीमित होता है और कार्य मंत्रणा, समिति के सामने कई समस्याएं होती हैं अतः मैं तो आपको यह सुझाव दे रहा हूं। उन्हें सुझाव देने का अधिकार है। और मैं निश्चय ही कार्य मंत्रणा समिति का ध्यान इन विषयों की ओर दिलाऊंगा।

---

12.05 म० प०

## अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के तीसरे और चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव (—जारी)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : अब मद संख्या 19 लीजिए। सभा अब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए तीसरा और चौथा प्रतिवेदन पर आगे और चर्चा आरम्भ करेगी। मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

**कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं, जिन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा में रुचि दिखाई। कुछ माननीय सदस्यों ने मूल्यवान सुझाव दिए हैं और उनकी टिप्पणियां इस क्षेत्र में यथार्थ ज्ञान पर आधारित हैं। और इस पुनर्निवेशन से मंत्रालय को भविष्य में कार्य प्रतिपादन में सहायता मिलेगी। प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों तथा माननीय सदस्यों के सुझावों को चार वर्गों में बांटा जा सकता है। अर्थात (1) सामाजिक एवं आर्थिक विकास। लगभग सभी सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की है। मेरा विचार है कि यही मुख्य बात है।

और कुछ कहने से पूर्व, मैं कहना चाहूंगी कि पीछे बैठे एक सदस्य ने कल सुझाव दिया था कि यदि हम 3 अथवा 2 महीने में सड़क बना सकते हैं तो हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण की समस्याएं क्यों नहीं सुलझा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को नम्रतापूर्वक कहूंगी कि जब हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर विचार करते होते हैं तो उस समय हम ईंटों तथा गारे के विषय में विचार नहीं करते हैं। यह मानव समस्याएं हैं और यह हमारी सामाजिक रीति-रिवाजों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अत: सामाजिक-आर्थिक समस्याएं मुख्य समस्याएं हैं। इन्हें दो या तीन महीनों में समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमें इसके लिए कार्य करते रहना है और हमारी सरकार इस प्रकार के सभी शोषण समाप्त करने के लिए वचन-बद्ध है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास में रुकावट बन रहे हैं। अत: मैं कह रही थी कि प्रथम वर्ग में, सामाजिक तथा आर्थिक विकास आता है।

दूसरे वर्ग में शिक्षा विकास आता है। अनेक सदस्यों ने भी इस विषय में बात की है।

तीसरे वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध आते हैं।

चौथा है, नौकरियों में आरक्षण।

और इसी बीज अनुसूचित जाति आयुक्त तथा आयोग की समस्या आ गई। लगभग सभी ने इस विषय पर अपने भी विचार व्यक्त किए थे। जैसा आप जानते है कि आयोग का गठन जनता पार्टी सरकार के दौरान जुलाई 1978 में हुआ था और इसे उच्च-अधिकार प्राप्त आयोग की संज्ञा दी गई थी। इस आयोग के प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हुई थी और यह महत्त्व इस आयोग को दिया गया था। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत समय-समय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तथा उसमें किए जाने वाले अधिकारों को दिलवाने के लिए केवल आयुक्त को नियुक्त किया जाना है। अत: सांविधिक शक्तियां केवल आयुक्त को प्राप्त हैं न कि आयोग को। किन्तु दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सरकार को यह विचार करना चाहिए कि आयोग कैसे प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकता है और वास्तव में यह इस कार्य की ओर ध्यान दें।

12.10 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास का सम्बन्ध है, स्वतन्त्रता के बाद से ही हम इसके लिए कार्य करते रहे हैं; और विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा सरकार यह कार्य कर रही है। अब केन्द्र की राज्यों के प्रति विशेष संघटक योजना की युद्धनीति तथा विशेष सहायता कार्यक्रमों से इन कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या के पचास प्रतिशत को कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य था। आशा की जाती है

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में, इसके अन्तर्गत भारी जनसंख्या लाई जाएगी और केन्द्र के विशेष संघटक योजना तथा विशेष सहायता योजना ब्लाकों तथा ग्रामों में भी दिखाई देगा। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उप-योजना ऐसी दो योजनाएं थीं जो छठी योजना में आरम्भ की गई और अब हमने इन्हें पूरा किया है; और अब हम इस योजना को अधिक ओजस्विता से और विस्तृत कार्यक्रमों द्वारा पुनः जारी कर रहे हैं; मुझे आशा है कि सातवीं योजना के अन्त में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भारी संख्या गरीबी की रेखा से ऊपर उठेगे, क्योंकि अभी तक यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति के 1.3 लाख तथा 3.9 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी गई है। हम आशा करते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह और अधिक होगी।

कुछ सदस्यों ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन में शंका प्रकट की है। चूंकि हम सभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम इसकी प्रक्रिया जानते हैं और सरकार भी चाहती है कि इन कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। अतः राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर, जिला तथा तालुक स्तर पर पुनरीक्षण समितियां स्थापित की हैं और उनके कार्यान्वयन की सावधिक समीक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त के अन्तर्गत एक उच्च स्तरीय सरकारी समिति है जो सावधिक समीक्षा करते हैं। यह देखने के लिए निगरानी आवश्यक है कि क्या हमारा कार्यक्रम लागू हुआ है अथवा नहीं। मुख्य चिन्ता यह है कि जो कोई भी कार्यक्रम हम तैयार करते हैं उसको सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार नीतियां तैयार करती है, राशि देती है तथा राज्य सरकारों की सहायता करती है, और उसके पश्चात् हमारे सभी कार्यक्रमों को लागू करना राज्य सरकारों के हाथ में है। किन्तु केन्द्र सरकार जिला स्तर पर राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क में है। जिला कलेक्टर सभी विकास कार्यों का समायोजक होने के कारण पुनरीक्षा दल का मुखिया भी होता है और वह विभाग के जिला अध्यक्ष के साथ मासिक समीक्षा बैठकें भी करता है। अतः इसी प्रकार निगरानी तथा पुनरीक्षा होती रहती है, किन्तु अभी भी मैं यह नहीं कहती हूं कि निचले स्तर पर सब कुछ ठीक चल रहा है। हर समय सुधार की गुंजाइश है और हम निचले स्तर पर योजना की प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे।

हम अब यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि संघठक योजना भी विशेष सहायता से आरम्भ की जाए। यह बात नहीं कि हम इलाके में मूल ढांचा तैयार करें। परिवार को एक इकाई माना जाता है। परिवार को अब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया जाता है। अतः इस समय हम परिवार को लेते हैं और भविष्य में हम सातवीं योजना के दौरान देखेंगे कि इस पर अधिक बल दिया जाए। इतना ही नहीं कि हम इस योजना का लाभ केवल एक, दो, चार अथवा पांच प्रतिशत लोगों तक ही पहुंचा रहे हैं। किंतु हम अनुसूचित जाति तथा जनजाति परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे और इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम हल हो सकते हैं।

अधिकतर माननीय सदस्यों ने भूमि वितरण का प्रश्न उठाया है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों से सहमत हूं कि कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां यह लागू नहीं हुए हैं अथवा यह उस प्रकार नहीं चल रहे हैं जैसे यह चलने चाहिएं। मेरे पास ग्रामीण विकास मन्त्रालय से प्राप्त आंकड़े हैं, क्योंकि यह कार्य उसी मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा जुलाई, 1985 तक एकत्र की गई सूचना के अनुसार 13.53 लाख एकड़ आधिक्य भूमि अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध 12.70 लाभ-ग्राहियों में बांट दी गई है और इसमें से 5.95 लाख एकड़ 5.27 लाख अनुसूचित जाति लाभग्राहियों में बांट दी गई है। देखा गया है कि 13.53 लाख एकड़ में से 12.70 एकड़ भूमि का जुलाई, 1985 तक पहले ही वितरण किया जा चुका है और 5.95 लाख एकड़ 5.27 लाख अनुसूचित जनजाति लाभग्राहियों में बांट दी गई हैं।

एक प्रश्न पट्टे तथा भूमि के स्वामित्व के विषय में पूछा गया है। अधिकतर मामलों में सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि उन्हें तुरन्त पट्टा तथा स्वामित्व दिया जाना चाहिए। अधिकतर मामलों में ऐसा किया भी जा रहा है। अब प्रश्न यह है आया कि क्या यह उपजाऊ भूमि है, अथवा कृषि योग्य भूमि है अथवा नाम मात्र की कोई भूमि है। इन सारी बातों को जानना जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार का काम है और हम राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में भूमि वितरण के समय पुनः इस मुद्दे की ओर ध्यान देने के निर्देश देंगे कि यह केवल नाममात्र की भूमि न हो जो उनके मत्थेमढ़ी जा रही है, किंतु वह ऐसी भूमि हो जिसका उनके द्वारा उपयोग किया जा सके। जहां तक मुझे मालूम है यह अतिरिक्त भूमि ग्राम सभा, अथवा ग्राम पंचायत अथवा ग्राम मुखिया द्वारा सीमांकित की जाती है। जहां तक मुझे मालूम है, यह सभी अच्छी भूमियां है, खेती के लिए अच्छी हैं और मुझे उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है कि यह खेती-योग्य भूमियां हैं और इनमें खेती की जाती है। अतः वहां अनुसूचित जाति के कुछ परिवार हैं जो उन भूमियों पर खेती करते हैं जो उन्हें वितरित की गई अतिरिक्त भूमि से प्राप्त हुई है। मेरा विचार है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में और भूमि बांटी जा सकती है। किंतु कुछ बड़े जमींदार न्यायालय में भी गए हैं और विलंबित मुकदमों के कारण वितरण में देर हो गई है। अपितु सरकार का पक्का निश्चय है कि वह भूमिहीनों में भूमि का वितरण करे।

हम राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में भूमि वितरण के लिए समय-समय पर उनके द्वारा अपनाए जाने के लिए मार्ग निदेशक सिद्धान्त भेजते रहे हैं जिससे वे यह भी सुनिश्चित करते रहें कि यह भूमि आवंटियों से छीन तो नहीं ली गई है। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर बड़े भूमि मालिकों के अत्याचार का कोई मामला है तो उनके विरुद्ध कड़े उपाय किए जाने चाहिए और उनके साथ सख्ती बरती जानी चाहिए।

माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख किया है। जैसाकि आप जानते है अनुसूचित जाति के लोग हमारे समाज में अत्यन्त असुरक्षित अंग हैं, विशेषकर ग्रामों में। जैसे मैंने कहा, यह एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या हैं। जैसा आप जानते हैं, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति उचित मजदूरी मांगता है तो ग्रामों में उच्च श्रेणी अथवा वह वर्ग जिसके पास भूमि

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

है उचित मजदूरी देने से न केवल इन्कार करते हैं अपितु उसे धमकी भी देते हैं। इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। हमें इसके उन्मूलन के लिए कार्य करना है। यह प्रत्येक सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता का कार्य है। इसका उन्मूलन तब हो सकता है यदि समाज में इस प्रकार की जागरूकता है। हमने संविधान के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन किया है। पी० सी०आर० भी तो है। किंतु कितने लोग कचहरी में चले जाते हैं और कितने लोग साक्ष्य देने आते हैं ? यदि कुछ मामले पंजीकृत भी होते हैं और कुछ लोग न्यायालय में चले जाते हैं, कुछ समय के पश्चात् कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और साक्ष्य के अभाव के कारण उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। अनुसूचित जाति के लोगों को परेशान किया जाता है। चूंकि उसको गांव में रहना है, वह उच्च जाति के लोगों के लिए आंख का कांटा बन जाता है।

जहां तक बंधुआ मजदूरी की समस्या का संबंध है, यह भी अनुसूचित जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक समस्या से सम्बद्ध है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उड़ीसा के लोग टिहरी गढ़वाल गए हैं और वे वहां बंधुआ मजदूरों के रूप में रह रहे हैं। चूंकि वे लोग गरीब हैं ठेकेदार उन लोगों को उड़ीसा से उस स्थान पर ले गया है और उन्हें कम मजदूरी देता है। उन्होंने ठेकेदार से समझौता किया है क्योंकि उन्हें उड़ीसा में पर्याप्त मजदूरी अथवा रोजगार नहीं मिलता था। अन्य क्षेत्रों से भी लोग काम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। किंतु जैसा आप सब जानते हैं सरकार को अब बंधुआ मजदूरी की समस्या की पूरी जानकारी है। हमने इस समस्या पर पंचवर्षीय योजना में भी ध्यान दिया था और सातवीं योजना के दौरान उन बंधुवा मजदूरों को जिन्हें ठेकेदारों की गुलामी से मुक्त किया जाएगा उनका पुनर्वास किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए योजना में पर्याप्त धन रखा गया है। यद्यपि इस काम को श्रम मन्त्रालय देखता है, किंतु बंधुआ मजदूरों की पहचान उनकी मुक्ति तथा उनका पुनर्वास राज्य सरकारों का काम है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह हम सभी के लिए यह लज्जा की बात है कि बंधुआ मजदूर अभी भी हमारे देश में हैं यद्यपि कानून के द्वारा हमने बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन किया है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता, किंतु इन गरीब लोगों का अभी भी इनकी आर्थिक स्थिति के कारण ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास के प्रश्न को उठाया है। मैं यह मानता हूं कि अनुसूचित जातियों में शिक्षा का प्रतिशत कम है और अनुसूचित जनजातियों में और भी कम है। यदि हम इस वर्ग को शिक्षा प्रदान कर सकें तो केवल तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आ सकता है। सातवीं योजना में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार हो और इस उद्देश्यार्थ और अधिक विद्यालय खोले जाएं, आयुर्विज्ञान, अभियान्त्रिकी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको सफलता दिलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कक्षाएं लगाई जा रही हैं। अनेक स्थानों पर प्रशिक्षण विद्यालय और प्रशिक्षण केन्द्र हैं, परन्तु फिर भी हमे सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे कि उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। एक माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों का कोई भी प्रत्याशी प्रतियोगी परी-

क्षाओं में सफल नहीं हो सका है। अतः, हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा।

जहां तक मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति का संबंध है, हम दर को पहले ही संशोधित कर चुके हैं। अन्तिम बार दरें जुलाई 1981 में संशोधित की गईं थीं और राशि को और भी संशोधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिन बच्चों के मां-बाप सफाई करने, चमड़ा कमाने और मिट्टी के बरतन बनाने जैसे धन्धों में लगे हुए हैं, उनके लिए लड़कियों के छात्रावास बनाने, पुस्तक बैंक बनाने तथा दसवीं से पहले की छात्रवृत्तियों जैसी अन्य योजनाएं भी हैं। इनको जारी रखा जा रहा है। कुछ सदस्यों ने चर्चा के दौरान उल्लेख किया है कि आज भी मैला ढोने की प्रथा को दूर नहीं किया गया है और मल आदि भंगियों द्वारा सिर पर ढोकर ले जाया जाता है। इस संबंध में मैं सभा को सूचित करना चाहूंगी कि मेरा मंत्रालय इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाने जा रहा है। इस पर हमें कहीं अधिक धन व्यय करना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यह समस्या पूर्णतया समाप्त हो जाए, हम नगरों और कस्बों का चुनाव करेंगे तथा ध्यान केन्द्रित करके मेहतरों और सफाई करने वालों की समस्या को पूर्णतया हल करेंगे। हम यह सब चरणों में नहीं करेंगे, क्योंकि तब तो समस्या बनी रहेगी। यदि हम सारे शहर को ही लेंगे तो फिर मेहतरों और सफाई करने वालों की समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद हम दूसरे या तीसरे नगर को ले सकते हैं और इस प्रकार हम समस्या के विरुद्ध लड़ाई जारी रख सकते हैं।

हमारी सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों के बारे में पूरी तरह पता है। हमने कुछ सार्थक कदम उठाए हैं और राज्यों को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर दिए हैं, जिससे कि इसको रोका जा सके। हमने राज्यों को ये मार्गदर्शक सिद्धांत भेजे हैं कि उनको इस संबंध में सख्त और सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। गृह मन्त्री महोदय ने इस बारे में सभी मुख्य मन्त्रियों को पहले ही लिख दिया था और मैंने भी कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद 15 नवम्बर को इस बारे में सभी मुख्य मन्त्रियों को लिख दिया है और अपराधों से दाण्डिक, निवारक और पुनर्वासिक उपायों से निपटने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भेज दिए गये हैं। हमने राज्यों को यह भी सुझाव दिये हैं कि उन जिलों में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के विचार से संवेदनशील हैं, जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिक्षकों, उप-मण्डलीय अधिकारियों आदि जैसे वरिष्ट क्षेत्र पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। हमें यह देखना होगा कि राज्य सरकारें मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करें।

हमने अपराधों के शिकार बने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए और अनुसूचित जन-जातियों क्षतिपूर्ति की दरें बढ़ाने के बारे में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास भेजा है। हमने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि वे यह देखें कि जो लोग अत्याचारों से पीड़ित हैं उन्हें ऊंची दरों पर क्षतिपूर्ण की जाए।

अधिकतर राज्यों ने केन्द्र को उत्तर भेजा है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्होंने क्षतिपूर्ति की दरें बढ़ा दी हैं। मैंने प्रशासन को सबल बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, विशेषकर जिलों में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के स्तर पर, राज्य के मुख्य मन्त्रियों को व्यक्ति-

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

गतरूप से पत्र लिखा है। मैंने अधिकारियों के सही प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया है जिसमें निपुणतता प्रदान करना और इन लोगों को गलत रवैयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना भी सम्मिलित है। मन का रवैया एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। ऐसे लोग गलत रवैये के कारण हरिजनों एवं गिरिजनों के साथ ऐसे अपराध करने के आदी होते हैं। इसलिए हमें देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा जिससे कि सारा रवैया बदल जाए, उन सबको यह अनुभव करना चाहिए कि इन लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। यदि हम उनके रवैए को बदलने में सफल हो जाते हैं तो समग्र दृष्टिकोण बदल जायेगा और हम उन इस प्रकार के अपराधों को रोकने में सफल होंगे जो कि कुछ स्थानों पर हरिजनों के खिलाफ किए जा रहे हैं।

और फिर कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त का पद बहुत दिनों से रिक्त पड़ा है। यह सच है कि यह पद कुछ समय से रिक्त पड़ा है, परन्तु यह कुछेक व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण रिक्त पड़ा है। अब ये बातें हल कर ली गई है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सम्बद्ध व्यक्ति का पद के लिए चयन कर लिया गया है और शीघ्र ही वह पद ग्रहण करेंगे।

जहां तक पदों के आरक्षण का सम्बन्ध है, मैं माननीय सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि इसको खत्म करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हमने अपनी आरक्षण नीति के बारे में जो भी निर्णय लिया वह बहुत ही स्पष्ट है और हम उस पर ही चलते रहना चाहते हैं। इन समुदायों को जो कुछ भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए जाते हैं, हम चाहते हैं कि उनको वह आरक्षण दिया जाना चाहिये और इसे कठोरता से लागू भी किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में, मुझे बताया गया था कि आरक्षण का कुछ कोटा बकाया भी हो सकता है, परन्तु गत 4 या 5 वर्षों से केन्द्रीय सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिये कि ये आरक्षण कोटे पूरे भरे जाएं, पूर्ण प्रयास कर रही है और अधिकांशत: यह भरा ही जाता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का विषय है। हम भी उस विभाग से सम्पर्क बनाये रखेंगे और यह देखेंगे कि आरक्षण के सम्बन्ध में दिया गया हमारा वचन पूरा हो; सरकार के यह न करने या इसकी उपेक्षा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न यह है : जैसा कि आप जानते हैं, इस योजना के कार्यकरण में, कुछ राज्यों में कुछ समस्याएं उठ सकती हैं। वे परीक्षा लेते हैं और कोई नहीं आ सका; वे उन्हें दूसरा अवसर प्रदान करते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। इस प्रकार सबका प्रभाव यह होता है कि कोटा पूरा नहीं भरा जाता है। हमें स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिये। हम इन सब बातों के बारे में सोच रहे हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं और इन मामलों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इस सभा में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उसे ध्यान में रखूंगी।

[हिन्दी]

**श्री राम प्यारे सुमन** (अकबरपुर) : जो अधिकारी आरक्षण के मामले में उदासीनता बरत रहे

हैं, आरक्षण पूरा नहीं कर रहे हैं और लापरवाही दिखाते हैं, उनको दंड देने की आपने क्या व्यवस्था की है ?

[अनुवाद]

**डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी** : मैं सीधे ही यह तो नहीं कह सकती हूं कि कुछ प्राधिकारी इसे जानबूझकर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं कह नहीं सकती। परन्तु यदि कोई ऐसा विशिष्ट मामला है, जिसकी ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है तो हम निश्चय ही उस पर ध्यान देंगे।

मैं उन सभी सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में बढ़-चढ़कर भाग लिया है और अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं।

अब, जैसा कि आप जानते हैं इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास करना, उनकी गरीबी का उन्मूलन करना और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, 20-सूत्री कार्यक्रम में हमारा मुख्य कार्यक्रम है और उसके लिये हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। हमें अभी बहुत कुछ करना है। यह बात नहीं है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मुझे इस बारे में पता है और उसके लिए ही हम कठोर परिश्रम करेंगे। और हमें जनता के सभी वर्गों, स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य सभी का सहयोग चाहिये जिससे संयुक्त प्रयास द्वारा हम अपने समाज में व्याप्त इस सांझी समस्या को हल कर सकें। मैं यह कह रहा हूं कि सभी प्रकार के इस सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त करने के लिये, जिससे समाज पीड़ित है, हमें बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ ही अन्य आर्थिक विकास और ऐसी ही अन्य बातें उनकी स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगी।

एक बार फिर, मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लेकर अपने कीमती सुझाव दिये।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुन्टूर): उपाध्यक्ष महोदय मुझे केवल एक बात कहनी है और मैं केवल एक मिनट लूंगा।

एक के बाद एक सदस्य ने इस बात पर बल दिया है कि इन वार्षिक प्रतिवेदनों में निकाले गए निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ-साथ यह प्रतिवेदन भी दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है और मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र, प्रभारी मन्त्री महोदय, उस पर विशेष ध्यान दें और फिर यह देखें कि आज के बाद विशेषरूप से एक ओर तो प्रतिवेदन तथा निष्कर्ष हों और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही हो जिससे यह देखा जा सके कि राज्य सरकारें लम्बे समय से उपेक्षित इन लोगों के प्रति, जो राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार दोनों से ही संरक्षण के अधिकारी हैं, अपने कर्त्तव्यों को निभा रही हैं और उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गांधी शान्ति मिशन ने बंधुआ मजदूरों के बारे में बहुत पहले एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया था और उनका कहना था कि उनमें से लाखों अभी भी बन्धुएपन से पीड़ित हैं और संसदीय तथा प्रशासनिक दोनों ही ओर से ऐसे सरकारी प्रतिनिधि थे जो कि शान्ति मिशन के प्रतिवेदन

[प्रो० एन० जी० रंगा]

की निन्दा करने और फिर इसकी परिशुद्धता पर प्रश्नसूचक चिन्ह लगाने के लिए तैयार थे। अब हम पाते हैं कि उनका प्रतिवेदन कहीं अधिक सही था और इन लोगों का नकारना नितान्त गलत था। ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? इसलिए आयोग के प्रत्येक निष्कर्ष और उसके द्वारा की गई सिफारिशों पर हमें राज्य वार वर्ष-दर-वर्ष रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि इन विभिन्न राज्यों में क्या कुछ हो रहा है, कौन-सा राज्य उत्तरदायित्व निभा रहा है, कौन-सा राज्य पीछे रह गया है और किस सीमा तक आदि आदि। फिर हम इसे जनमत पर छोड सकते हैं। जैसा कि हम यहां जनमत पर निर्भर हैं, वे भी जनमत पर निर्भर हैं। इसलिए, इन लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिये हम जनमत पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस सुझाव पर, जो न केवल मैंने दिया है, बल्कि बहुत से अन्य सदस्यों ने लगभग सर्वसम्मति से दिया है गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जायेगा तथा उसे लागू किया जायेगा।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप पहले ही बोल चुके हैं। एक वरिष्ठ सदस्य ने भी सुझाव दिये हैं।

[हिन्दी]

**श्री राम प्यारे सुमन :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। बावजूद इसके कि सरकार हरिजनों और आदिवासियों के मामले में बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है और हिदायतें जारी हो रही हैं लेकिन अधिकारीगण उनका पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए माननीय सदन ने सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था, उसमें व्यवस्था थी···।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसीलिए तो मन्त्री महोदय ने इन मामलों से सम्बद्ध उपायों को लागू करने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार को लिखा है। उन्होंने इसमें रुचि ली है। वह इसके बारे में पहले ही बता चूकी हैं और पत्र भी लिख चुकी हैं तथा वह उसका अनुसरण भी करेंगी।

[हिन्दी]

**श्री राम प्यारे सुमन :** कोई राज्य सरकार उस आदेश को सुन नहीं रही है; उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है; जो अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। केवल हरिजनों के ही मामले में ऐसा हो रहा है; यह अधिक चिन्ता की बात है।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने श्रम मन्त्री महोदय को बुलाया है। वह बोलने के लिए खड़े भी हो गये हैं।

——

12 46 म० प०

## डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक

[अनुवाद]

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया)** : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय डाक श्रमिक अधिनियम 1934 और उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम; डाक कर्मकार रोजगार विनियमन, अधिनियम, 1948 और उसके अन्तर्गत बनी योजनाएं, जलयानों से सामान उतारने-चढ़ाने के काम में लगे मजदूरों की दुर्घटना से सुरक्षा के मामलों से, और ऐसे मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से सम्बन्धित हैं। साथ ही ये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय का भी ख्याल रखता है जो जलयानों में सामान चढ़ाने-उतारने के काम में लगे मजदूरों की दुर्घटनाओं से सुरक्षा से सम्बन्धित है।

1934 का अधिनियम उन मजदूरों पर लागू होता है जो जलयानों पर या जलयानों के साथ काम में लगे हों। यह बन्दरगाह और गोदी के किसी अन्य क्षेत्र में किये गये कार्य पर लागू नहीं होता। यह ऐसे मजदूरों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के उपायों की व्यवस्था नहीं करता, और फिर, यह अधिनियम उन मजदूरो पर भी लागू नहीं होता जो उस कार्य में लगे हैं जो माल उतारने-चढ़ाने के कार्य से सम्बद्ध हैं। जैसे माल लेने के लिए जलयान को तैयार करने से सम्बन्धित कार्य जिसमें परिवहन शेड, गोदाम, यार्ड, साइडिंग, सम्मिलित हैं और चिप्पी करने, रोगन करने, सफाई करने और ऐसे ही अन्य कामों में लगे मजदूरों पर भी लागू नहीं होता है। 1948 का अधिनियम जलयानों में लगे मजदूरों को छोड़कर सारे गोदी मजदूरों की सुरक्षा का प्रबन्ध करता है। यह अधिनियम छोटे बन्दरगाहों पर भी लागू नहीं होता। पिछले तीन दशकों में, माल के संचालन की प्रक्रिया में भी बहुत परिवर्तन आ चुका है। बड़े रूप में यन्त्रीकरण हो चुका है। माल की प्रकृति बदल चुकी है। ऐसे माल भी हैं जो खतरनाक एवं विषैले हैं। तेल के टैंकर, भारी मशीनें, आदि हैं।

दुर्घटनाओं की सूचना देने, जांच करवाने तथा उत्तरदायित्व को निर्धारित करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पोत मालिक, पोत मालिकों के कर्मचारी जो एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, और अन्य मुख्य नियोजक हैं। गोदी सुरक्षा निरीक्षकों के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। उन्हें ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिए कि वे कार्य-स्थल में ऐसी परिस्थितियां होने पर, जो गोदी मजदूरों के जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हों, माल को लाने ले जाने से मनाही कर सकें।

इन परिस्थितियों में सरकार ने एक ऐसे व्यापक कानून को, जो कि गोदी मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के सारे पहलुओं से सम्बद्ध हो, बनाना आवश्यक समझा; हमने इस बात का ख्याल रखा है कि कानून के उल्लंघन के लिए कठोरतम दण्ड दिया जाए। यदि यह कानून लागू किया गया तो इसका कार्यान्वयन आसान हो जायेगा, गोदी कार्य में जोखिम रोका जा सकेगा और बन्दरगाहों और गोदी में हुई दुर्घटनाओं के लिए एक उचित तन्त्र उपलब्ध हो सकेगा।

माननीय सदस्यगण निस्सन्देह इस बात को समझेंगे कि विधेयक गोदी मजदूरों के कल्याण की

[श्री टी० अंजैया]

व्यवस्था करता है और मजदूर वर्ग के हित में है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को विचारार्थ पेश करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि इसे पारित किया जाये।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि डाक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** . प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि डाक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** (हिन्दूपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि सरकार आखिरकार इस विधेयक को सदन के सामने लाई है। लेकिन मजदूरों को अधिक संरक्षण नहीं देता है। विधेयक में जो उपबन्ध हैं उनसे मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि यह पूरी तरह से किया गया प्रयत्न नहीं है। सरकार ने उनकी दशा सुधारने का पूरा प्रयत्न नहीं किया है। ऐसे कई खण्ड हैं जो बहुत ही अस्पष्ट हैं और जिन्हें तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। विधेयक से ऐसा पता चलता है कि यद्यपि मजदूरों को उनके पक्ष में कुछ अधिकार दे दिये गये हैं लेकिन साथ ही ऐसे कुछ खण्ड भी हैं जिनके उल्लंघन करने पर मजदूरों को दण्ड मिलेगा। अतः मैं इस विधेयक को थोड़ा ही समर्थन देता हूं।

इस विधेयक अर्थात् डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक से पहले दो अधिनियम थे जिनके नाम हैं : भारतीय डाक श्रमिक अधिनियम, 1934 और डाक कर्मकार रोजगार विनियमन अधिनियम 1948, और एक योजना थी जिसका सम्बन्ध मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से था। इस योजना का नाम था गोदी मजदूर (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) योजना 1961। अब सरकार इस विधेयक के द्वारा इन तीनों अधिनियमों को समेकित करने जा रही है। पहली बात, जिसका मैं सरकार से आग्रह करूंगा यही है। मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारने के लिए केवल इस तरह का कानून ही काफी नहीं है। विधेयक ये नहीं कहता कि क्या उनका पारिश्रमिक बढ़ाया जा रहा है, क्या उनकी मजदूरी बढ़ाई जा रही है, क्या कोई अस्पताल होगा जहां दुर्घटना होने पर वे इलाज करवा सकेंगे, आदि। विधेयक इन सारी बातों के विषय में कुछ नहीं कहता। उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार किये बिना मैं नहीं समझता कि यह विधेयक मजदूरों को कोई खास मदद पहुंचायेगा।

दूसरे, यह विधेयक निरीक्षकों को बड़ी शक्तियां दे देता है, यदि काम के दौरान कोई मजदूर किसी दुर्घटना में घायल होता है तो साधारणतया वह किसी न्यायालय में जाकर प्रबन्धकों के विरुद्ध अभियोग चला सकता है, लेकिन यहां खण्ड 17(2) के अन्तर्गत यह कहा गया है कि निरीक्षक की अनुमति या पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। माना कोई मजदूर

दुर्घटना का शिकार हो जाता है या कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उसका क्या इलाज है ? निरीक्षक को प्रबन्धक अपनी ओर मिला सकते हैं। ऐसी स्थिति में, जब निरीक्षक अभियोग चलाने के लिए अपनी अनुमति नहीं देता है, तो मजदूर को, इस विधेयक में क्या उपचार दिया गया है। विधेयक इस मामले में चुप है। उस हद तक, यह मजदूरों के हितों के विरुद्ध है।

फिर, दो और खण्ड हैं। खण्ड 11 और खण्ड 14 जिनके अन्तर्गत उल्लंघन के लिए मजदूर को 3 महीने तक का कारावास या 200 रुपए तक जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। यहां एक अजीब बात यह भी है कि इन दोनों खण्डों 11 और 14 की इस तरह से व्याख्या की जा सकती है कि मजदूर को किसी मजदूर संघ से सम्बन्धित गतिविधि के लिए भी सजा दी जा सकती है। यदि कोई मजदूर आगे आता है, और मजदूरों के हितों की रक्षा करना चाहता है या उन्हें संगठित करना चाहता है तो उसे दण्ड दिया जा सकता है। ये दोनों खण्ड मजदूरों के हितों के विरुद्ध हैं। इन दोनों खण्डों की इस तरह से व्याख्या दी जा सकती है कि मजदूरों को दण्ड दिया जा सके।

अब आप खण्ड 10 को लीजिए, इसमें प्रावधान है कि यदि कोई मजदूर किसी गोदी में कार्य करते समय किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है या दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो सरकार उसके कारणों की जांच करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो अपनी रिपोर्ट देगा। विधेयक इस बात पर बिल्कुल चुप है इसमें इन बातों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि उस व्यक्ति द्वारा जांच किये जाने के बाद, क्या होगा, मजदूर को क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी, मजदूरों के हितों की किस प्रकार सुरक्षा की जायेगी, मजदूर से किस प्रकार का व्यवहार होगा, उसको क्या हर्जाना दिया जायेगा। उसको अन्य अधिनियमों, जो भी विद्यमान हों, के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ सकती है। लेकिन जब आप मजदूरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक व्यापक अधिनियम बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसी विधेयक में व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी जांच रिपोर्ट दिये जाने के बाद कि किस प्रकार मजदूर बीमारी से ग्रस्त हुआ, वह दुर्घटना का शिकार कैसे बना, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की दशा में क्या किया जायेगा, क्या कार्यवाही की जायेगी, क्या हर्जाना दिया जायेगा, आदि क्यों नहीं शामिल कर देते ? यह बहुत अच्छा होता यदि ये दो बातें इस विधेयक में सम्मिलित की गई होतीं।

खण्ड 2 (छ) में कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत अजीब हैं। इसमें कहा गया है—

"किसी अभिकरण (जिसके अन्तर्गत कोई ठेकेदार है) द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित किए गए या नियोजित किए जाने वाले किसी डाक कर्मकार के सम्बन्ध में 'मुख्य नियोजक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है···"

यहां आप ठेकेदार को काफी वरीयता दे रहे हैं। वह इस ठेके का उपयोग मजदूरों को निचोड़ने में कर सकता है। प्रबन्धक यह भी कह सकता है कि यदि मजदूर ठेकेदार के माध्यम से आते हैं तो तभी वह उन्हें लेंगे अन्यथा नहीं। अतः यह हमेशा अच्छा रहेगा कि इस खण्ड में रूपभेद किया जाए। क्योंकि ठेकेदार इस तरीके से काम कर सकता है जो मजदूरों के लिए हानिकर हो।

जहां तक खण्ड-5 का सम्बन्ध है, यह एक अजीब सी चीज है। इसमें कहा गया है :—

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

"यदि निरीक्षक को यह प्रतीत हो कि कोई स्थान, जहां कोई डाक कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में है कि वह डाक कर्मकारों के जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो वह स्वामी पर या ऐसे स्थान के भारसाधक व्यक्तियों पर ऐसे स्थान में किसी डाक कार्य का तब तक प्रतिषेध करने वाले आदेश की तामील कर सकेगा जब तक कि खतरे के कारण को समाप्त करने के लिए, उसके समाधानप्रद रूप में उपाय नहीं किया जाता है।"

इस खण्ड के द्वारा आपने निरीक्षक को बहुत बड़ी शक्तियां दे दी हैं। यदि निरीक्षक समझता है कि यदि काम में कुछ खतरा है तो वह तुरन्त ही प्रबन्धक वर्ग को काम रोकने का नोटिस दे सकता है। निरीक्षक आखिर छोटे अधिकारी हैं, उन्हें शक्ति से साधा जा सकता है, उन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। यदि निरीक्षक केवल यह सोचते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है तो बात खतम हो जाती है। एकमात्र रूप से ही सम्पूर्ण अधिकारी प्रतीत होता है। खण्ड 5 द्वारा निरीक्षकों को दिये गये व्यापक अधिकारों का प्रयोग या तो प्रबन्धक वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है और यदि निरीक्षक को प्रबन्धक वर्ग अपनी ओर मिला लेते हैं तो उनका प्रयोग मजदूरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। अतः खण्ड 5 से कर्मकारों को अधिक नुकसान होता है।

अब हम खण्ड 6 पर आते हैं। यदि यह अपेक्षा की जाती है कि निरीक्षक जाये और निरीक्षण करे तो प्रबन्धक वर्ग निरीक्षण हेतु सभी पुस्तकें उसको उपलब्ध करवायेगा। यदि वह नहीं देखता है तो क्या होगा ?

खण्ड 14 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति दण्डित किया जा सकता है इसमें कहा गया है :--

"....कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा"

क्या यह पर्याप्त रूप से निवारक के रूप में कार्य करता है ? इस दण्ड से अपराध को रोकने में मदद नहीं मिलेगी। आखिर वह 5000 रुपये आसानी से चुका सकता है। जब कभी भी ऐसा वाक्य हो कि "जुर्माना या कारावास" तो न्यायालय सामान्यतः केवल जुर्माना ही करता है। वह आसानी से 5000 रुपये चुका सकता है। अतः उस दण्ड से अपराध को रोकने में मदद नहीं मिलेगी। अतः यह अच्छा होगा कि इसे थोड़ा और अधिक निवारक बना दिया जाय। दूसरे अपराध के लिए भी, यह दूनी सजा के साथ दण्डनीय है, इसका अर्थ है एक साल का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना, क्योंकि यह "या" शब्द इसमें है, कोई व्यक्ति जुर्माना देकर बच सकता है। इन परिस्थितियों में, पर्याप्त रूप से निवारक नहीं है। यह धारा किसी व्यक्ति को रोकती नहीं। किसी व्यक्ति को काम करने से रोकने के लिए निवारक के रूप में कार्य नहीं करती। माना वह 5000 रुपये चुका सकता है और निरीक्षक को वहां जाने और जलयान का निरीक्षण करने की अनुमति देता है, तो वह किताबों को उठाकर कुछ ऐसा कर सकता है जो उसके पक्ष में हो। अतः इस खण्ड को अधिक निवारक बनाया जाना चाहिए। अन्यथा यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता जिसके लिये इसे बनाया गया है।

निरीक्षक को किसी मामले पर अभियोग चलाने, संचालन करने या मामले की पैरवी करने की शक्ति दी गई है, जहां तक इन बातों का प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को किसी मामले की पैरवी करनी है या किसी मामले का संचालन करना है, क्या 4(झ) के अन्तर्गत यह देना उचित है ? मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए खण्ड 9 के अन्तर्गत एक सलाहकार समिति का गठन किए जाने पर विचार किया गया है।

1.00 म० प०

सलाहकार समिति की क्या शक्तियां हैं ? इस समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार को मजदूरों के अधिकारों के विषय में सलाह देगी और मौजूदा हालातों के बारे में तथा मजदूरों की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में सलाह देगी। अब मैं यह महसूस करता हूं कि यह सलाहकार समिति बहुत अक्षम है तथा इसे कोई निश्चित कार्य नहीं सौंपा गया है। सरकार क्या करेगी यदि सलाहकार समिति कहती है कि अमुक (गोदी) में कोई दोष है और उसे हटाया जाना है। फिर सलाहकार समिति की सिफारिशों को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा कोई खण्ड नहीं है जिसमें यह उल्लेख हो कि उनकी राय पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। जब ऐसा कोई खण्ड नहीं है तो खण्ड 9 व्यर्थ हो सकता है।

इस विधेयक में हमने प्रत्यायुक्त विधान का बहुत सहारा लिया है। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा मजदूरों के अधिकांश अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। माना कोई बात हो जाती है और गोदी मजदूर इस बात पर बड़े आवेश में आ जाते हैं और वे कुछ करने के लिए कोई रुख अपनाते हैं तो ऐसा करना सम्भव नहीं है और उनके कार्यकलापों पर भी प्रहार किया जा सकता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो प्रत्यायुक्त विधान के अन्तर्गत सरकार को खण्ड 12, 20 और 21 के अन्तर्गत नियम बनाने के व्यापक अधिकार दिये गये हैं। कार्यकारी अधिकारी को व्यापक शक्तियों से लैस कर दिया गया है। यदि कार्यकारी अधिकारी श्रमिकों के हित में नियम नहीं बनाता तो श्रमिक क्या करेंगे ?

सामान्य रूप से उन्हें 30 दिन के लिए संसद के सामने रखा जाता होता है और वे इतने दिन वहीं रखे रहते हैं तथा 30 दिनों की समाप्ति के बाद वे स्वतः कानून बन जाते हैं। जब संसद इसमें संशोधन करती है तो दोनों सदनों को मानना पड़ता है। इस प्रत्यायोजित कानून के इस पहलू पर और आगे विचार करना होगा।

एक बात और है। जहां तक धारा 22 के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशन का सम्बन्ध है यह बहुत अच्छा प्रावधान है क्योंकि कर्मकारों के अधिकारों के छीने जाने की दशा में उक्त धारा में पूर्व प्रकाशन की व्यवस्था है और वह 45 दिनों के लिए वे वहीं बने रहेंगे ताकि कर्मकार जान पाएंगे कि उसमें क्या है और यदि वे कोई अभ्यावेदन करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं तथा उनमें सुधार किया जा सकता है। अतः नियमों को बनाने से पहले प्रकाशन करने सम्बन्धी यह प्रावधान बहुत अच्छा प्रावधान है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

1.02 म० प०

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।**

---

2.10 म० प०

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.10 म० प० पर पुनः समवेत हुई।**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

## डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक (—जारी)

[अनुवाद]

**प्रो० के० वी० थामस** (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, डाक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी एक बहुत व्यापक विधेयक लाने के लिए मैं माननीय श्रम मंत्री श्री अंजैया जी को बधाई देता हूं। इस विधेयक से पिछले अधिनियमों में रह गई कई कमियों को दूर कर दिया है। माननीय मंत्री ने कई अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा बताई गई कमियों को भी पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया है।

वर्तमान विधेयक में डाक कार्य, डाक कर्मकार, नियोजक मुख्य नियोजक आदि के लिए स्पष्ट परिभाषा दी गई है। निरीक्षक और मुख्य निरीक्षक के दो नये पद भी बनाए गए हैं ताकि ये अधिकारी विभिन्न पत्तनों में जा सकें, अपनी समस्या को देख सकें तथा उपयुक्त कार्यवाही कर सकें। पत्तन से सम्बन्धित कोई भी ट्रेड यूनियन का आदमी बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि डाक कर्मकारों की मदद के लिए यह सबसे बड़ा विधान है।

मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि हमारे डॉक मजदूर बोर्ड एक बहुत गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। मुख्य पत्तनों में अधिकतर सभी डॉक मजदूर बोर्डों ने भारी वित्तीय हानियां उठाई हैं। इसके कारण वे संकट का सामना कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि हमारे पत्तनों में तीन स्तरीय प्रणाली हैं। पहला स्टीमर एजेंट है जो पोत का मालिक का प्रतिनिधित्व करता है इसके बाद जहाजी कुली एजेंट होते हैं और फिर डॉक मजदूर बोर्ड होते हैं। सामान के टन भार के आधार पर सामान भरने और उतारने के लिए जहाजी कुली एजेंट स्टीमर एजेंटों के साथ समझौता करते हैं। इसके बाद वही जहाजी कुली एजेंट मजदूरों को गेंगों के आधार पर लेते हैं और लिए गए गेंगों की संख्या के आधार पर डॉक मजदूर बोर्ड को भुगतान करते हैं। जहाजी कुली एजेंटों को माल के टन भार के आधार पर भुगतान किया जाता है तथा वे डाक मजदूर बोर्डों को लिए गए मजदूरों की संख्या के आधार पर भुगतान करते हैं। मजदूर के विरुद्ध एक गम्भीर शिकायत है कि वे चोरी-छिपे

या अधिक पैसा ले रहे हैं। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि ये जहाजी कुली एजेंट जो टन भार के आधार पर अपना कार्य तेजी से कराना चाहते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरों के पास जाते हैं तथा उन्हें कुछ और अधिक देते हैं। इसे चोरी-छिपे भुगतान या अधिक भुगतान करते हैं और वे आम लोगों से शिकायत करते हैं कि मजदूर उन्हें परेशान कर रहे हैं।

हालांकि यह आपके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। मेरा यह सुझाव है कि जहाजी कुली की इस प्रणाली को पूरी तरह समाप्त किया जाए। डॉक मजदूर बोर्ड तथा स्टीमर एजेंट के बीच समझौता होना चाहिए। पत्तन द्वारा कलकत्ता में एक निर्णय लिया गया था कि सीमेंट के आयात और निर्यात के लिए डॉक कर्मकार बोर्ड, कलकत्ता और इस जहाजी कुली एजेंसी के बीच टन भार के आधार पर समझौता किया जाना चाहिए न कि गैंगों की संख्या के आधार पर होनी चाहिए लेकिन जहाजी कुली एजेंसी सहमत नहीं हुई। अतः इन बिचौलियों अर्थात् जहाजी कुली एजेंसी को पूरी तरह से हटाना होगा। केवल तभी पत्तन की सुरक्षा होगी और अधिक माल का ढुलान होगा तथा मजदूरों को बेहतर लाभ प्राप्त होंगे।

बहुत से डॉक कर्मकार बोर्डों के मजदूर आधी रात तक अपना काम समाप्त करते हैं। इन्हें अपने घरों को वापस जाना होता है जोकि पत्तन से बहुत दूर होते हैं। परन्तु वहां यातायात की कोई सुविधा नहीं है और उनके लिए रात्रि आवास की जो व्यवस्था की गई है वे पर्याप्त नहीं हैं। जलपान की व्यवस्था भी ठीक नहीं है।

एक और समस्या है। यदि आप सर्वेक्षण करें तो आप पाएंगे कि बहुत से डॉक कर्मकार तपेदिक से पीड़ित हैं। क्या कारण है? वे धूल भरा सामान ढोते हैं और उनके मुंह में बहुत-सी धूल जाती रहती है। इसलिए उनमें से बहुत से लोग तपेदिक से पीड़ित हैं। इसके लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। परन्तु अस्पताल सुविधाओं के बारे में क्या व्यवस्था है? हालांकि पत्तन के प्राधिकारियों से सम्बन्धित कर्मकारों के लिए अस्पतालों में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, इन बोर्डों के कर्मकारों को इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं हैं। हमारे पास इन कर्मकारों के लिए कुशल तथा बेहतर अस्पताल की सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे पत्तनों में अस्पतालों की दशा का मुआयना किया जाए। आपके पास एम०बी०बी० एस० डाक्टर वहां होंगे लेकिन पत्तन क्षेत्र के अस्पतालों में कहीं भी विशेषज्ञ नहीं हैं। इसका कारण यह है कि यदि आप एक आर० सी० एस० व्यक्ति चाहते हैं या आप एक स्पेशलिस्ट चाहते हैं तो उन्हें अच्छा वेतन देना होगा; परन्तु आप अच्छा वेतन नहीं दे रहे हैं। अतः स्पेशलिस्ट नहीं आना चाहते हैं तथा पत्तन के अस्पतालों में काम नहीं करना चाहते हैं। तथा वहां कोई स्नातकोत्तर डाक्टर या स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पत्तन के अस्पतालों में स्पेशलिस्टों को लगाया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पत्तन में होने वाले रिक्तियों में डॉक कर्मकार बोर्डों के कर्मचारियों के एक आश्रित को नौकरी दी जानी चाहिए। इसी तरह नौकरी में रहते हुए मृत्यु के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सहानुभूति के साथ विचार किया जाना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोचीन पत्तन में, जो की मुख्य पत्तन है ऐसे मामले एक वर्ष से लम्बित पड़े हुए हैं। इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

[प्रो० के० वी० थामस]

दूसरी बात यह है कि प्रत्येक पत्तन पर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है इसके लिए हमने कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। पत्तनों में बहुत से नैमित्तिक मजदूर काम करते हैं। हमें इस संकट में शीघ्र ही एक वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए तथा उस अध्ययन के आधार पर जहां कहीं सम्भव हो इन नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी किया जाना चाहिए। हजारों नैमित्तिक मजदूर प्रतिदिन पत्तन में जाते हैं और उनको वहां बताया जाता है कि कोई काम नहीं है। अतः वे वापस आ जाते हैं। यह बहुत दयनीय स्थिति है। इसलिए उचित अध्ययन किया जाना चाहिए। एक वर्ष पहले श्री अब्राहम सचिव द्वारा एक अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन की सिफारिशें परिवहन तथा श्रम मंत्रालय को भेज दी गई हैं। इन सिफारिशों को अन्त तक तथा कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं जिसे माननीय मंत्री द्वारा पेश किया गया है।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आरकोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक 1985 पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं पूरे दिल से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं पुराने डॉक मजदूर अधिनियम, 1934 को निरस्त करने का भी स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि डॉक कर्मकार नियोजन विनियम अधिनियम में यथाशीघ्र संशोधन किए जाएंगे।

महोदय, डाक कर्मकार सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण योजना को 1961 में शुरू किया गया था। हालांकि यह योजना पिछले 24 वर्षों से लागू है। इसने डॉक कर्मकारों के लिए ठीक कार्य नहीं किया है। यह आम जानकारी है कि डॉक कर्मकार बड़ा कठिन कार्य करते हैं। वे भारी तथा अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरण तथा कच्चे सामान को जो देश के औद्योगिक विकास के लिए होता है उसका बोझा उतारते हैं तथा तब उसे गोदाम में ले जाते हैं। इसी तरह वे हमारे निर्यात वाले समान को भी उठाते हैं। वे जहाज को साफ रखते हैं और उसे समुद्र यात्रा के लिए हमेशा तैयार रखते हैं। मैंने उन्हें मद्रास बन्दरगाह पर इस प्रकार के कठिन कार्य करते हुए व्यक्तिगत रूप से देखा है।

हमारे पास डॉक कर्मकार बोर्ड है लेकिन दुर्भाग्यवश यह बोर्ड उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया है। कर्मचारियों की मदद से डॉक कर्मकार नियुक्त किए जाते हैं। ये ठेकेदार डॉक कर्माकरियों की मजदूरी का अधिकांश भाग हड़प जाते हैं। अधिकतर डॉक कर्मकार पत्तन के बाहर पटरियों पर सोते हैं। ये ठेकेदार उनके लिए आवास सुविधाएं नहीं देते हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए मांग करता हूं कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। पत्तन न्यास को इस प्रयोजन के लिए एक अलग से संगठन बनाना चाहिए। इस संगठन को डॉक कर्मकारों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। पत्तन न्यास को इस प्रयोजनार्थ आवश्यक धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी मालिकों के संगठन ने शिकायत की है कि हमारे देश में जहाजों को लम्बे समय के लिए रोका जाता है। एक कारण यह हो सकता है कि बन्दरगाह में जहाजों को ठहराने

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की सुविधाओं का अभाव है जिससे यह विलम्ब होता है। दूसरा कारण यह है कि डॉक कर्मकारों के लिए मुख्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण वे प्रभावी ढंग से प्रयत्न नहीं कर सकते हैं। उनके पास मकान नहीं हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उन्हें पोषणाहार नहीं मिलता है। ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। बरसात के मौसम में वे बिना किसी आवरण के सामान को उठाते तथा धरते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में 8 घण्टे काम करने के लिए आप उनसे किस प्रकार से आशा करते हो ?

यह पर्याप्त नहीं है कि उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हम मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक नियुक्त करें। पत्तनों पर आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के उपकरणों को उचित रूप से चलाया जाए। इनका लगातार पर्यवेक्षण होना चाहिए। डॉक कर्मकारों को जख्मी होने पर तुरन्त चिकित्सा मिलनी चाहिए। जो कर्मचारी काम करते हुए मर जाते हैं उनके परिवारों को अविलम्ब मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो ठेकेदार डॉक कर्मकारों को मूल सुविधाएं नहीं दे सकते उन्हें कठोरता से दण्ड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के ठेकेदारों को पत्तन न्यास की सूची से हटा दिया जाना चाहिए। उनके लिए सजा भी बढ़ाई जानी चाहिए।

हमारे माननीय श्रम मंत्री को डॉक कर्मकार दुर्घटना बीमा योजना भी बनानी चाहिए। महोदय, हमारे माननीय श्रम मन्त्री श्री अंजैया देश के मजदूरों के वास्तविक प्रतिनिधि हैं क्योंकि वह मजदूर थे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि डॉक कर्मकारों के लाभ के लिए वह इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करेंगे। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक कर्मकार देश के आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उनके रहने के लिए मूल सुविधाओं को देने के लिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए। कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, कांडला, पारादीप, मारमागोआ, विशाखापतनम, न्यू मंगलोर तथा न्यू तूतिकोरिन के प्रमुख पत्तनों में कई हजार डाक कर्मकार देश के औद्योगिक विकास के लिए अपना खून और पसीना बहा रहा है। मैं मांग करता हूं कि उनके दैनिक कार्य में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें कारगर सुरक्षा उपलब्ध करने हेतु उचित प्रयास किए जाने चाहिए। उनके कल्याण कार्यक्रमों को सरकार के हाथों में सबसे अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री अजय विश्वास** (त्रिपुरा पश्चिम) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पिछले तीन विधेयकों के उपबंधों का समावेश करना है। मेरा मुद्दा यह है कि पिछले विधेयकों में डाक कर्मकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण संबंधी उपबंध भी रखे गए थे, किन्तु वास्तव में सरकार या प्रबंधकों की उन विधेयकों को समुचित रूप से कार्यान्वित करने में रुचि नहीं थी।

यदि हम उनकी कार्य दशाओं पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां तक उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का संबंध है, इन त्रुटियों के अलावा उनके काम करने की दशायें बहुत खराब हैं। सामान्यतः

[श्री अजय विश्वास]

जहाजों पर सामान लादने और सामान उतारने का काम बिचौलियों निकासी एजेंटों, द्वारा किया जा रहा है। वे हजारों नैमित्तिक श्रमिकों को नियुक्त करते हैं और उन कर्मचारियों को बड़ी खराब दशाओं में काम करना पड़ता है। केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की है कि वह ठेका प्रणाली को समाप्त करना चाहती है किन्तु गोदी पर अभी भी यही प्रणाली लागू है। जब गोदी पर मुख्य काम बिचौलियों द्वारा किया जा रहा है तो हजारों नैमित्तिक कर्मकारों की दशा और भी खराब है। मुझे निश्चित रूप से इस विधेयक पर आपत्ति है।

सरकार द्वारा उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में, अब बिचौलिया प्रणाली और ठेका प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक अन्य विधेयक पेश करें, ताकि कम से कम डाक कर्मकारों की स्थिति में सुधार किया जा सके और बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए।

कैन्टीन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। विधेयक में ऐसा उपबंध किया जाना चाहिए जिससे डाक कर्मकारों को कैन्टीन की सुविधाएं और अन्य सुविधाएं मिल सकें। इसमें संदेह नहीं कि डाक्टरों की व्यवस्था की गई है लेकिन श्रमिकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डाक्टर डाक कर्मकारों को कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराते। प्रबंधक डाक्टरों की व्यवस्था करते हैं लेकिन वास्तव में श्रमिकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) . यदि कोई औषधालय नहीं है तो क्या किया जा सकता है?

**श्री अजय विश्वास** : औषधालय तो है, किन्तु उसमें सुविधाएं बहुत कम दी गई हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उन कर्मकारों के लिए अधिक सुविधाएं दे और अधिक औषधालय खोलकर यह सुनिश्चित करे कि डाक कर्मकारों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री शांति धारीवाल।

[हिन्दी]

**श्री शांति धारीवाल** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, डाक वर्कर्स की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो विधेयक श्रम मंत्री जी द्वारा सदन के समक्ष रखा गया है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डाक कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनकी सुरक्षा व कल्याण हेतु उन्होंने काफी परिश्रम करके यह विधेयक तैयार किया है। विधेयक के स्वागत के साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने के पूर्व उन्होंने डाक कर्मकारों की हालत जानने व उनकी सुरक्षा कल्याण व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कोई सर्वे करवाया या नहीं, अगर करवाया तो उन समस्याओं को भी विधेयक के

उद्देश्यों और कारणों के साथ बताया जाना चाहिए था। यह विधेयक काफी विलंब से लाया गया है। सन् 1934 के डाक श्रमिक अधिनियम एवं 1948 के विधेयक में काफी कमियां थीं तथा डाक कार्य और डाक कर्मकार की परिभाषा भी बड़ी संकुचित थी, जिसे इस विधेयक द्वारा व्यापक बनाया गया है, जो स्वागत योग्य है. क्योंकि इससे डाक कर्मकारों के हितों की अधिक प्रभावी रूप से रक्षा होगी तथा विधान के विरुद्ध अपराध करने वालों को समुचित दण्ड मिलेगा।

इस विधेयक में निरीक्षक एवं मुख्य निरीक्षक के आदेश की जो अपील का प्रावधान रखा गया है, वह भी प्रशंसनीय है तथा प्रशासनिक विषयों पर सलाहकार समिति का गठन भी अच्छा कदम है, लेकिन मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सलाहकार समितियों में लेबर यूनियन के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, यह अवश्य होना चाहिए।

इस बिल की क्लाज 12 में कम यातायात वाले पत्तन, डाक या घाट आदि तथा छोटे पोतों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को छूट सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना निकालने पर ही दी जा सकेगी। ऐसा न करके सर्वे द्वारा पहले मालूम किया जाना चाहिए था कि देश में ऐसे कौन से पत्तन, डाक व घाट हैं जहां डाक कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तथा जहां सिर्फ छोटे पोतों व मछली पकड़ने की नौकाओं द्वारा या कम यातायात का कार्य होता है, उन्हें इस विधेयक द्वारा ही एग्जंप्ट किया जाना चाहिए था। ऐसा न करने से इन छोटे पत्तनों, डाक व घाट पर कार्यरत लोगों को छूट हेतु सरकार के मंत्रालयों में चक्कर लगाने पड़ेंगे तथा ख्वाहमख्वाह ही परेशानियां उठानी पड़ेंगी और उन पर भी बड़े डॉक्स के कायदे-कानून लागू कर दिए जाएंगे।

अतः मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए सुझाव पर मंत्री महोदय गौर करेंगे। कुल मिलाकर मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, यह बहुत अच्छा है।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री के० एस० राव। आपके लिए बहुत समय है, क्योंकि सभी सदस्य अपना भाषण जल्दी जल्दी समाप्त कर रहे हैं।

**श्री के० एस० राव** (मछली पट्टनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह सर्वविदित है कि मंत्री महोदय श्री अंजैया ने सदन में कई अवसरों पर श्रमिकों के लिए कई विधान पेश किए हैं। अब वह डाक कर्मकारों के लिए भी यह विधेयक पेश कर रहे हैं। विशेष रूप से गोदी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में व्यापक रूप से सोचना और विधेयक में ऐसे उपबंध रखना प्रशंसनीय हैं। लेकिन मुझे केवल कुछ खंडों के संबंध में संशय है।

खंड 2 (ङ) में यह जोड़ा गया है कि डाक कर्मकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित किया गया है अथवा नियोजित किया जाना है। यदि मंत्री महोदय का इरादा उस व्यक्ति के, भले ही वह वहां का कर्मचारी है या नहीं, स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखना है, जो घायल हो जाता है या उसकी दुर्घटना हो जाती है तो यह प्रशंसनीय है। परन्तु जैसाकि

[श्री के० एस० राव]

विधेयक में कहा गया है उसके अनुसार किसी अजनबी को, यदि उसे उस क्षेत्र में आने पर किसी तरह की चोट लग जाती है, तो अनुमति प्राप्त कर या बिना अनुमति लिए हुए भी उसे मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाकर पैसा ऐंठने की कोशिश करता है तो इससे राजकोष को हानि होगी।

खंड 4 (घ) में निरीक्षकों को कोई कार्य, यदि वे समझें कि यह खतरनाक है, रोकने के पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। यह अच्छी बात है। इससे ऐसी खतरनाक चीजों या दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। लेकिन इसी खंड के परन्तुक में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध में फंसाने वाला कोई साक्ष्य देने के लिए या किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मैं नहीं समझता कि जब तक किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा तब तक वह प्रश्नों का जवाब देगा। अतः निरीक्षक को यह अधिकार भी मिलना चाहिए कि वह साक्ष्य लेने के लिए भी लोगों को मजबूर कर सके अन्यथा कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सामने नहीं आएगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर भी विचार करें।

मुझे खुशी है कि वह एक तरह से समूचे श्रमजीवी समुदाय की अत्याधिक सहायता कर रहे हैं। वह उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहते हैं। किन्तु साथ ही उन्हें दूसरी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मेरा अभिप्राय है, उन्हें ऐसे पर्याप्त उपबन्ध बनाने चाहिए जिससे श्रमिक गलत काम न कर सकें। खंड 11 (1) में यह उल्लेख है कि कोई भी कर्मकार जानबूझकर बाधा नहीं डालेगा या दुरुपयोग नहीं करेगा या उपेक्षा नहीं करेगा स्पष्ट है कि इससे कर्मकार अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे। उन्हें पता होगा कि यदि वे कोई गलत काम करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। वास्तव में सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए यह रुख अपनाना आवश्यक है। अन्धाधुन्ध किसी का समर्थन करना उचित नहीं है अपितु दोनों पक्षों को ऐसी चेतावनी दी जानी चाहिए कि यदि वे कोई गलत काम करेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा।

खंड 7 (3) में किन्हीं कानूनी उपबंधों के दोषों अथवा अनियमितताओं या उनके उल्लंघन संबंधी दी गई सूचना को गुप्त रखने के बारे में एक उपबंध है। यहां तक कि यदि कोई सरकारी एजेंसी उपबंधों के दोष या उसके उल्लंघन का पता लगाने में असफल रहती है तो इस धारा के अनुसार सरकार सूचना देने वाले व्यक्तियों से दोषों की जानकारी प्राप्त कर सकती है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह यह पता लगाए कि जो व्यक्ति उपबंधों के उल्लंघन किए जाने अथवा दोषों या अनियमितताओं के संबंध में जानकारी देते हैं, क्या उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस तरह से प्रोत्साहन दिए जाने से अधिकारियों का उनके बारे में पता लगेगा और समय पर उन दोषों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

मेरी इच्छा है कि इन उपबंधों के बारे में श्रमिकों में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि वे यह जान सकें कि कहां और कब जाना है और इसके क्या परिणाम होंगे। मात्र एक अधिनियम बनाकर और केवल नियोजकों का ध्यान ही इस ओर दिलाना पर्याप्त नहीं होगा। ये बातें प्रकाशित की जानी

चाहिए अथवा श्रमिकों में इसका प्रचार करने के लिए इन्हें सूचना पट्ट पर लगाया जाना चाहिए।

जहां तक मंत्रणा समिति का संबंध है, सरकारों, गोदी कर्मकारों और गोदी कर्मकारों के नियोजकों के लिए उपबंध बनाया गया है। वह ठीक है। लेकिन ये सारे लोग किसी न किसी रूप से गोदी के काम से संबद्ध है। यहां तक कि यदि उनके रोजमर्रा के काम में भी कोई गलती हो जाती है तो वे उन गलतियों में सुधार करने के लिए स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अतः एक ऐसे बाहरी व्यक्ति, जिसमें निष्ठा की भावना हो, विवेकशील हो तथा साहसी हो, एवं जिसे इन बातों की विशेष जानकारी हो, को मंत्रणा समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए ताकि मंत्री समिति अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

जहां तक किसी गोपनीय बात के प्रकट होने का संबंध है, गलत काम करके गोपनीयता प्रकट करने पर निरीक्षक के लिए छः मास और श्रमिक के लिए तीन मास के कारावास के दंड का प्रावधान रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि निरीक्षक या अधिकारी या नियोजक की बजाय श्रमिकों का पक्ष लिया गया है। यह अच्छी बात है कि श्रमिक को लाभ दिया जाना चाहिए किन्तु श्रमिक को इसे गंभीरता से लेना चाहिए या उन्हें यह नही समझ लेना चाहिए कि सरकार इस संबंध में गंभीरता से कार्यवाही नहीं करेगी। श्रमिकों तथा नियोजकों द्वारा इनका कड़ाई से पालन करने पर दोनों को ही लाभ होगा। इसी में दोनों का हित है। मंत्री महोदय तथा संबंधित अधिकारियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि इसके अच्छे परिणाम हों।

* **श्री आर० अण्णानम्बी** (पोल्लाची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषघम की ओर से गोदी कर्मचारी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण विधेयक, 1985 पर बोलने का अवसर दिया। महोदय हमारे माननीय श्रम मंत्री ने गोदी श्रमिकों, जो अपना खून पसीना बहाकर देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में काफी योगदान देते हैं, के कल्याण के लिए जो वचन दिए हैं, उनका स्पष्ट आभास इस विधेयक में मिलता है।

महोदय, आपको इस तथ्य की जानकारी है कि श्रमिक देश के लिए रीढ़ की हड्डी समान है और यदि श्रमिकों के हितों की उपेक्षा की जाती है तो स्वभावतः यह हड्डी कमजोर हो जाएगी जिससे समूचे देश को अपूरणीय क्षति हो सकती है। मुझे गर्व है और वास्तव में मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस विधेयक में गोदी कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सम्बन्धी प्रावधान है। हमारे माननीय श्रम मंत्री, श्री टी० अंजैया देश के श्रमिकों के सच्चे प्रतिनिधि हैं, अपना जीवन उन्होंने श्रमिक के रूप में शुरू किया था और अब वह श्रमिकों के रक्षक हैं। उन्हें इस देश के श्रमिकों की समस्याओं की जानकारी है और मुझे विश्वास है कि वह इस देश के श्रमिकों के लिए संतोष और खुशी के एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इस विधेयक से पता चलता है कि वह वास्तव में गोदी कर्मचारियों के लिए कितने चिंतित हैं।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तूतीकोरिन, विशाखापटनम, कोचीन, न्यू मंगलौर, आदि बड़े पत्तनों

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० अण्णानम्बी]

पर हजारों गोदी श्रमिक देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। हमारा आयात-निर्यात का वार्षिक व्यापार कई अरबों का होता है। इसमें डॉक कार्यकार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यदि गोदी श्रमिक हड़ताल कर दे तो देश की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां ठप्प पड़ जाएंगी। यह बात हम सब जानते हैं और कई अवसरों पर हमारा यह अनुभव रहा है।

1961 में, डाक कर्मकार कल्याण योजना शुरू की गई थी। 24 वर्षों के बाद हमने यह महसूस किया है कि इस योजना से डाक कर्मकारों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। इस कारण यह विधेयक पुरःस्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यह पता लगाने में अगले 24 वर्ष और नहीं गंवा देने चाहिए कि इस विधेयक के उपबंधों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री यह सुनिश्चित करें कि इस विधेयक के प्रशंसनीय उपबंधों को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाएगा।

हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि डाक कर्मकार बहुत जोखिम भरे काम करते हैं। बंदरगाहों पर गोदी सुविधाओं की कमी के कारण जहाजों को महासागर में लंगरगाह पर खड़ा किया जाता है। डाक कर्मकार अपनी नावों में जाकर संयन्त्र और मशीनरी उतारते हैं, जो कि देश के औद्योगिक विकस के लिए हैं। इसी तरह वे निर्यात की जाने वाली बहुमूल्य वस्तुओं को, जिनसे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, जहाजों तक पहुंचाते हैं। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि तट से समुद्र की ओर देखने पर हमें कितना भय महसूस होता है। ये लोग हर तरह से आंधी-तूफान का सामना करते हुए सामान पहुंचाते हैं।

जब पोत बंदरगाह पर लंगर डालते हैं तो क्रेन द्वारा उनसे तट पर माल के बड़े-बड़े पैकेट उतारे जाते हैं। बन्दरगाह के डाक कर्मकार उन्हें सिर और पीठ पर लाद कर गोदामों में ले जाते हैं। मैंने देखा है कि मद्रास बन्दरगाह पर ये कर्मकार लद्दू जानवर की तरह काम करते हैं। उन्हें न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिलती। उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता। रहने के लिए उनके पास पक्के मकान नहीं है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद आराम करने के लिए जगह नही है। मजबूरन उन्हें बन्दरगाह के बाहर फुटपाथों पर सोना पड़ता है। ठेकेदार भी उनका शोषण करते हैं। मेरी मांग है कि इन कर्मकारों को रोजगार देने की ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त किया जाए। पत्तन न्यास द्वारा इन कर्मकारों का हाजिरी-रजिस्टर तैयार किया जाए और सामान चढ़ाने-उतारने के इसी न्यास द्वारा काम पर उन्हें लगाया जाए। ऐसा होने पर ही उन्हें उनकी कड़ी मजदूरी के एवज में उपयुक्त मजदूरी मिलेगी। माननीय मंत्री जी को अखिल भारतीय स्तर पर एक डाक कर्मकार दुर्घटना बीमा योजना भी बनानी चाहिए। इन्हें ई० एस० आई० अस्पतालों से चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि पत्तन न्यास के अस्पताल उन्हें पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ है। उन नियोक्ताओं और कम्पनियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए जिनसे उन्हें न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू का भी उल्लेख करना चाहूंगा।

डाक कर्मकार अपनी उपयुक्त समस्याओं से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने के लिए अपने नेता को चुनते हैं। वे स्वेच्छा से संघ बना सकते हैं। बहुत से बन्दरगाहों में ऐसा ही किया जाता है। अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे सभी संघों को मान्यता दें। श्रमिक समस्या उत्पन्न होने पर इन सभी मजदूर संघों के नेताओं को वार्ता तथा समस्या के हल के लिए बुलाया जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के मद्रास बन्दरगाह पर अधिकारीगण श्रमिक समस्याओं को निपटाने के लिए अपनी मनपसन्द मजदूर संघों के कुछ गिने-चुने नेताओं को ही बुलाते हैं। यह स्वाभाविक है कि कई बार उन मजदूर संघों के कर्मचारी जिन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता, इस बात की मांग करते हैं और उनके दिलों में असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए वे हड़ताल का सहारा लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार को लाखों रुपये का नुकसान होता है। हमारे अनुभवी श्रम मंत्री, जो कि कभी कर्मचारी रह चुके हैं, जानते हैं कि श्रमिक समस्या के हल के लिए सभी मजदूर संघों के नेताओं को नहीं बुलाने से क्या परिणाम निकलते हैं। मेरी मांग है कि सभी मजदूर संघों को मान्यता दी जाए और श्रमिक समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में इनके सभी नेताओं को बुलाया जाए। तभी श्रमिक पूरी तरह सन्तुष्ट होंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय श्रम मन्त्री इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी करें ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।

हमारे माननीय मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० रामचन्द्रन राज्य के श्रमिकों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। हमारे मुख्य मंत्री एक संघ—एक उद्योग की धारणा की वकालत कर रहे हैं। इसी से कर्मचारियों के जो देश की रीढ़ है, हितों की रक्षा की जा सकती है। इस धारणा को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं स्वीकार कर लिया जाता। अगर सारे देश में एक संघ—एक उद्योग की धारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो इससे श्रमिकों में मैत्री के युग का सूत्रपात होगा, औद्योगिक शांति और श्रमिकों में सौहार्दता तथा एकता की भावना पैदा होगी जिससे राष्ट्र का हित होगा। इससे श्रमिकों के लिए एक नई श्रम नीति का उद्भव होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री शांता राम नायक** (पणजी) : महोदय, आपको याद होगा कि पिछली बार जब बाल-रोजगार से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो मैंने सुझाव दिया था कि जहां तक संभव हो हमें श्रम के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में एक समान कानून बनाना चाहिए। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा काम है। बहुत जल्दी इसे तैयार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कम से कम डाक कर्मकारों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। आप अगर विधेयक के उद्देश्यों को पढ़ें तो जान जाएंगे कि अन्ततः भारतीय डाक कर्मकार अधिनियम 1934 को रद्द कर दिया जायेगा लेकिन डाक कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 जारी रहेगा। डाक कर्मकारों के लिए यह अधिनियम है। कम से कम एक अधिनियम, एक कानून ही होना चाहिए। डाक कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम 1948 को और इस अधिनियम को अलग से बनाए रखने की जरूरत नहीं है। इन सबको एक ही अधिनियम में शामिल किया जा सकता है। इस अधिनियम को पारित करके क्या हम श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेंगे ? जी नहीं, महोदय ऐसा नहीं होगा।

खंड 21 को देखिए। इसके अनुसार—

[श्री शांताराम नायक]

(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, डाक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकेगी।

(2) ऐसे विनियम निम्नलिखित प्रयोजनों में से सभी या किन्हीं का उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात···सूची दी हुई है।

इसका मतलब है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कुछ विनियम लागू किए जायेंगे जिनमें सभी उपायों का उल्लेख किया जाएगा। तो इस अधिनियम में कुछ नहीं है। इस पर चर्चा करते हुए हमने पाया कि इसमें कुछ भी नहीं है। विनियमों में सभी सुरक्षा उपायों का उल्लेख होगा। इन विनियमों को कौन लागू करेगा? समुचित सरकार। जहां तक मुख्य पत्तनों का सम्बन्ध है समुचित सरकार, केन्द्र सरकार होगी और अन्य पत्तनों के मामले में राज्य सरकारें उपयुक्त सरकार होंगी। इसका तात्पर्य है कि 22 राज्य हैं तो विनियम भी 22 होंगे। इसके अलावा एक विनियम केन्द्र सरकार जारी करेगी। और इसके साथ ही इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये जायेंगे। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण से सम्बन्धित सभी विधि का उल्लेख इस अधिनियम में होगा। इसके अलावा 22 विनियम और केन्द्र सरकार का एक विनियम तथा अन्य नियम होंगे। तो हाल यह है। आप मुझसे सहमत होंगे —मैं श्रम मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय के बारे में नहीं कह रहा। कम से कम इस पहलू पर सभी मन्त्रालयों को विचार करना चाहिए। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में नई नीतियां बनाई जा रही हैं जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए हमें भविष्य में नये कानून बनाने होंगे। संसद के आगामी सत्र में विधि सम्बन्धी ढेरों काम करना होगा हमें विचार करना होगा कि क्या हम कानून के उसी पुराने स्वरूप का पालन करते रहेंगे या उसमें उपयुक्त परिवर्तन करेंगे। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था महत्वपूर्ण मामलों पर कानून बनाने में समर्थ नहीं है। हम यह काम नियम और विनियमों पर छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए यह जानना बहुत मुश्किल हो गया है कि सुरक्षा उपाय कौन से हैं। अगर हमें उनका पता चल जाता तो हम उस पर यहां चर्चा कर सकते थे। लेकिन उनका यहां उल्लेख नहीं है। नियमों और विनियमों में इन सब बातों की व्यवस्था है। इन उपायों के लिए विनियम बनाए जाएंगे और इसीलिए हम सही-सही नहीं जानते कि क्या उपाय किए जाएंगे और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी पहलू कौन से होंगे।

**श्री टी० अंजैया** : उन सबका यहां उल्लेख है।

**श्री शांता राम नायक** : अगर उनका यहां उल्लेख है तो फिर विनियमों की क्या जरूरत है?

**श्री टी० अंजैया** : आप विधेयक को ठीक से पढ़िये।

**श्री शांताराम नायक** : मैंने पूरा विधेयक देखा है। उनका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इन सभी

उपायों का उल्लेख नियम तथा विनियमों में है मुख्य अधिनियम में नहीं। अगर उनका उल्लेख मुख्य अधिनियम में है तो विनियमों की जरूरत नहीं है। अगर उनका मुख्य अधिनियम में उल्लेख है तो विनियमों में किसका उल्लेख किया जायेगा ? हम मुख्य-मुख्य बातों का नियमों और विनियमों में उल्लेख कर रहे हैं और अधिनियम में कुछ मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख है। मैंने बार-बार कहा है कि कानून के मुख्य भाग का उल्लेख अधिनियम में होना चाहिए और छुट-पुट बातों का उल्लेख नियमों और विनियमों में किया जाना चाहिए। मुख्य बात अर्थात 75 प्रतिशत भाग का उल्लेख अधिनियम में किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह कि जहां तक मारमागोवा पत्तन न्यास का सम्बन्ध है, यह प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों में से है। हाल ही में हमने इसकी 100वीं जयन्ती मनाई है। यह महत्वपूर्ण पत्तनों में से है। दुर्भाग्य से वहां डाक कर्मकारों के कल्याण पर कभी विचार नहीं किया जाता। 100वीं जयन्ती मनाने के लिए सैकड़ों-हजारों रुपये व्यय किये गये। लेकिन जो कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये वह उन्हें नहीं दिया जाता। उन्हें बोनस तक भी नहीं दिया गया। तो हालत यह है। कृपया इस मामले पर मेरे द्वारा दिये अन्य सुझावों पर विचार करें।

---

3.00 म०प०

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### सातवां प्रतिवेदन

**श्री राम प्यारे सुमन** (अकबर पुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा 26 नवम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।'

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 26 नवम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

3.01 म०प०

## पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प (—जारी)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री हरीश रावत द्वारा पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा

करेंगे। केवल 26 मिनट बचे हैं। मेरे विचार से चर्चा के समय को हम 2 घंटे के लिए बढ़ा सकते है। स्वयं डागाजी अधिक समय लेंगे। वे पहले से खड़े हैं।

मेरे विचार से सदन इससे सहमत होगा।

[हिन्दी]

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, योजनाएं बनाने का मकसद क्या है ? एक बड़े अधिकारी ने कहा है "क्या हम योजना बनाने के ऐसे तरीके छोड़ने को तैयार हैं जो सम्पन्न लोगों की सम्पत्ति और आमदनी को बढ़ाते हैं ? क्या हम ऐसी योजना को स्वीकार करने को तैयार हैं जो सभी लोगों को बराबरी के स्तर पर लाए ताकि आठवीं योजना के दौरान देश में कोई गरीब और कोई निर्धन न रहे ?

3.03 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

यह योजना का मकसद है। पहाड़ों की हालत क्या थी ? धनवान लोगों ने अपने बंगले और कोठियां बनाकर तमाम हिल स्टेशंस को बरबाद कर दिया है। सवाल यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार से विकास किया जाए, हमारे जो पर्यावरण मन्त्री रहे हैं, श्री वीर सेन उनका यह आर्टिकल मेरे पास है। मैं किसी छोटे आदमी का आर्टिकल नहीं पढ़ता, जो हमारे मन्त्री रहे हैं उन्हीं का आर्टिकल पढ़ना चाहता हूं। वे क्या कह रहे हैं उसको आप जरा गौर से सुनिएगा। वे कहते हैं :

[अनुवाद]

> "एक समय भारत 'मधु तथा दुग्ध की भूमि' के रूप में विख्यात था किंतु अब उसकी छवि धूमिल है। हमारे देश में वनकटाई की दर 2 हैक्टेयर प्रति मिनट है जिसके कारण देश की कुल भूमि का एक लगभग प्रतिशत प्रतिवर्ष वन रहित कर दिया जाता है। यद्यपि यह दावा किया जाता है कि देश की 22.7 प्रतिशत भूमि वनों से ढकी है, परन्तु वास्तव में वन क्षेत्र 10-प्रतिशत भूमि पर भी नहीं है।"

[हिन्दी]

हालत यह है कि दस प्रतिशत जमीन पर जंगल नहीं हैं। आपका टार्गेट जबकि 22.7 प्रतिशत था, लेकिन दस प्रतिशत जमीन पर भी जंगल नहीं हैं। उन्होंने कहा है किसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि उपजाऊ जमीन की मिट्टी समुद्र में बहकर चली गई, इससे देश के काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ है।

[अनुवाद]

1672 में लगाये गए एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 60 अरब अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी के कटाव

के साथ 60 लाख टन मिट्टी के पौष्टिक तत्त्व भी समुद्र में बह जाती हैं जिससे 7 अरब रुपयों की हानि होती है। कटाव से होने वाली यह हानि अब 10 अरब रुपये प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है।

[हिन्दी]

बे-आफ-बंगाल में इतनी मिट्टी बहकर चली जाती है। आपके जंगल नष्ट हो रहे हैं और आप हिलि-एरियाज को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम है, देश में जंगल लगाने का। मंत्री जी आप नए मंत्री आए हैं और सभापति महोदय ने इस रिजोल्यूशन पर चर्चा के लिए दो घण्टे का समय और बढ़ा दिया है, आपको पूरा मौका है, इसलिए आप सोच-समझ कर जवाब दीजिएगा। मैं यह जानना चाहता हूं, इतनी योजनाएं बनने के बाद कितने जंगल बढ़ गए, कितनी धनराशि खर्च हुई और आज कितने जंगल मौजूद हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि अरबों रुपये जंगलों के विकास पर खर्च होने के बावजूद भी काश्मीर की घाटी, दार्जीलिंग, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के हिल एरियाज में गिरावट ही आई है। इस गिरावट के बारे में उन्होंने कहा है —

[अनुवाद]

"श्री सुन्दर लाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के जन्मदाता ठीक ही कहते हैं कि हिमालय की सम्पदा नष्ट होकर बंगाल की खाड़ी में जा रही है।"

[हिन्दी]

उन्होंने साफ कहा है कि उपजाऊ जमीन की मिट्टी बे-आफ-बंगाल में जा रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि आपने हिल-एरियाज के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में विचार किया कि इनका विकास किया जाए। ट्रांसपोर्ट के मामले में हिल-एरियाज के डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनी और उसमें आपने रुपया मंजूर किया, लेकिन रुपया सही रूप में प्रयोग में नहीं लाया गया। हिल एरियाज का विकास न होने के कारण इस एप्रेजल-प्लान में दिए गए हैं। यह किताब मेरी लिखी हुई नहीं है। इसमें लिखा है कि न तो स्टेट को-आपरेट करती हैं और न सैन्टर।

[अनुवाद]

यह छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 है।

[हिन्दी]

यह जो मिड-टर्म एप्रेजल आप के प्लान का है, उसमें जो फैक्ट्स दिए हैं, वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

ये दोनों ही कार्यक्रम राज्यों के कार्यों की समीक्षा के रूप में है। वह कार्यक्रम क्या है ? वह पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है।

[श्री मूलचन्द्र डागा]

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके हैं, उनकी इकोनामिक्स तो मनीआर्डर पर निर्भर करती है। वहां पर तो केवल फौजी आदमी हैं और जवान जो फौज में भर्ती हैं, उनके कारण उनको आमदनी होती है और उस आमदनी से उनका जीवन चलता है और इस तरह से वे लोग मनीआर्डरों पर डिपेन्ड करते हैं। यह जो मिड टर्म एप्रेजल हैं, उसमें यह कहा गया है :

[अनुवाद]

यह उद्धरण छठी पंचवर्षीय योजना के 'मध्यावधि मूल्यांकन' के पृष्ठ 111 से है।

"किसी भी राज्य ने इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप तत्सम्बन्धी उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो सके और उपलब्ध जानकारी के आधार पर राज्य तथा योजना आयोग द्वारा उन पर निगरानी रखा जाना कठिन है।"

[हिन्दी]

न तो योजना भवन ने कोई योजना सोची और न राज्यों ने कोई प्लान बनाया। वह प्लान अभी तक आपके सामने नहीं है। सिक्स्थ फाइव इयर प्लान के मिड टर्म एप्रेजल में यह भी कहा गया है :

[अनुवाद]

"सभी स्तरों पर पहाड़ी क्षेत्र कार्यक्रम की प्रभावशाली निगरानी का अभाव है, और साथ ही बहु-स्तरीय योजना प्रयास में समन्वय का अभाव है जो अत्यन्त आवश्यक है।"

[हिन्दी]

सरकार का रुपया लग रहा है लेकिन स्टेट्स कोई प्लान नहीं बनाती हैं। तिवारी जी ने एच० एम० टी० का कारखाना नैनीताल में खुलवा दिया और अल्मोड़ा का कोई दूसरा आ जाएगा, तो कह देगा कि यह कर दो। अब तमिलनाडु के मन्त्री जी आ गये हैं। वे वहां पर कह देंगे कि यह खोल दो।

[अनुवाद]

यह पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि हिलि एरियाज की एकोनामी इस तरह से डवलप नहीं होगी। हिलि

एरिया के डेवलपमेंट के लिए तो आप को वहां के सौंदर्य को कायम रखना होगा, वहां की खूबसूरती को कायम रखना होगा और टूरिस्ट्स को एट्रैक्ट करना होगा। आज पहाड़ नंगे होते जा रहे हैं। पहाड़ों पर पेड़ नहीं लग रहे हैं और वहां हरे-भरे पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं बल्कि वहां पर लोग हरे-भरे हो गए हैं। पहाड़ों की जो उपज होती है, उसको भैंसे नहीं चर गई बल्कि दो पैर की भैंसे और दो पैर के जानवर चर गये हैं। चार पैरों के जानवरों ने उसको नहीं चारा है। आज जंगल के जंगल कट गये हैं। चीड़ के पेड़ों को काट कर बक्से बनाए जाते हैं और उनमें सेब आते हैं। इस तरह से जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण के मन्त्री जी भी आ गये हैं, पाटिल साहब भी यहां पर हैं। अब पर्यावरण, पर्यावरण की बात कही जाती है। पर्यावरण का तो अपहरण हो गया है और वह अपहरण लोगों ने कर दिया है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है :

[अनुवाद]

"इन क्षेत्रों के लिए अपेक्षित सम्पर्क साधनों, अनुपूरक एवं संगठनात्मक सुविधाओं का प्राय: अभाव रहता है अथवा उपलब्ध नहीं की जाती।"

[हिन्दी]

अब हिलि एरियाज के लिए आप क्या करें। हिलि एरियाज में आप की ट्रांसपोर्ट की फैसीलिटीज नहीं हैं। आप कहते हैं कि हम हिली एरियाज में और बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे और प्रोजेक्ट्स लगाएंगे लेकिन वहां कौन जाएगा। वहां पर न रोड्स हैं और न रेलें हैं और न कम्युनिकेशन्स के साधन हैं। जब ऐसी बात है, तो वहां जाने का सवाल कैसे पैदा होता है। लेकिन प्रोजेक्ट के अन्दर आज तक आपने यह नहीं सोचा कि जो रुपया सरकार ने सिक्सथ फाईव इयर प्लान में दिया है उससे कितना विकास हुआ है। हमारे मन्त्री जी जब जवाब देंगे तो मेहरबानी करके बताएंगे।

एक सवाल मैंने पहले भी रखा, फिर दुबारा रखना चाहता हूं। जो जंगल लगाने का सवाल है, सोशल फोरेस्ट्री के विकास करने का सवाल है, अगर इसका लगातार विकास नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरे वहां पर जो जानवर हैं, जो हमारा पशुधन है, उसके चरने के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। यह व्यवस्था वहां बराबर रहे नहीं तो हमारे यहां पशुधन का भी नुकसान होगा।

श्रीमन् यह जो हिलि एरिया डवलपमेंट कमेटी है, जो आप प्लान बनाते हैं उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे हरीश रावत जी ने जो संकल्प रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे यहां इस प्रकार के काम होने चाहिएं जिनसे कि हिल एरिया में विकास हो। उन एरियाज में विकास के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं।

हिल एरियाज में आवागमन के साधन बहुत कम हैं। वहां हम आसानी से आ-जा नहीं सकते। वहां पर आपको ऐसे काम शुरू करने चाहिए जिससे कि वहां के लोगों का मानसिक झुकाव तकनीकी काम सीखने की तरफ भी हो। जहां आप वहां पर लेबर ओरियेन्टेड, जोब ओरियेन्टेड प्रोजेक्ट लगाएं वहां कुछ ऐसी चीजें भी चालू करनी चाहिएं जिससे कि वहां के लोगों का मानसिक रूप से तकनीकी

[श्री मूलचन्द डागा]

विकास करने की ओर भी झुकाव हो। वे तकनीकी काम सीख कर अच्छे मैकेनिक बन सकें, और दूसरे अच्छे काम करने वाले बन सकें। आजकल उनका झुकाव इस तरफ नहीं है।

श्रीमन् आपने बैकवर्ड एरियाज में विकास करने के लिए इंडस्ट्रीज लगाने वालों को सब्सीडी देने की योजना बनाई है। आप मेहरबानी करके स्टेट की जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं उनसे भी कहिये कि वे भी जाकर हिल एरियाज में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। वहां पर पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज जाने को तैयार नहीं हैं। वे वहां जाएं और इंडस्ट्री लगाएं।

एक बात और है। जितने भी आपके प्रोजेक्ट बनते हैं, उन प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपको एन्वायरमेंट मिनिस्टर से परमीशन लेनी चाहिए। अगर आप परमीशन नहीं लेते हैं और इंडस्ट्री लगाना शुरू कर देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपके कानून आज तक नहीं बने हैं। आपने कहा तो बार-बार है कि आप वर्तमान कानून में रद्दोबदल करना चाहते हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आप देखें कि उसका पर्यावरण पर तो असर नहीं पड़ेगा। जब इस बात को देख लिया जाए तभी उस प्रोजेक्ट को लगाने की इजाजत दी जाए। इजाजत देने से पहले इस बात को अच्छी तरह से सोच लीजिए।

श्रीमन् हिल एरियाज में हमारे काफी लोग रहते हैं। हिल एरियाज में एक बहुत बड़ी बात यह है कि वहां हमारी संस्कृति फलती-फूलती है। वहां हमारे मंदिर हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं। सभी हिल एरियाज में हमारे धार्मिक स्थान हैं। चाहे गंगोत्री हो, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ हों, चाहे दार्जिलिंग हो। सभी एरियाज में हमारे तीर्थस्थान हैं। टूरिज्म विभाग की तरफ से भी कुछ पैसा उन स्थानों के विकास के लिए खर्च किया जाना चाहिए क्योंकि इन धार्मिक स्थानों के कारण टूरिज्म का भी विकास होता है। वहां पर जनता आवास गृह बनने चाहिएं, यात्री निवास बनने चाहिएं और टूरिज्म विभाग को वहां पर पैसा लगाना चाहिए।

मैं एक बात और कहूंगा कि वहां पर जो भी पोस्टिंग हो वह पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए।

यह नहीं होना चाहिए। देखा जाता है कि ऐसे आदमी को भेजें जो किसी एम० पी० का लड़का न हो, किसी पालीटीशियन का लड़का न हो, मिनिस्टर का मेहरबान न हो, उसको भेजो हिल एरियाज में, ऐसे आदमियों को वहां पर भेजना चाहिए जिनको उस क्षेत्र के बारे में लगन हो, जो वहां पर जाकर काम कर सकें, लेकिन उनको तो आप रखेंगे बम्बई में और जिन लोगों को शहरों में काम करना चाहिए, उनको आप पहाड़ पर भेज देते हैं।

इसी तरह से मैंने हमारे यहां के हिल स्टेशन माउन्ट आबू में देखा है, वहां पर सब बंगले बन गए हैं बड़े-बड़े आफिसर्स के।

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्ट्सगंज) : ब्रह्मकुमारियों का आश्रम भी है।

**श्री मूलचन्द डागा :** ब्रह्मकुमारियों की तरफ आपका ध्यान है, मेरा ध्यान दूसरी तरफ है, मेरा ध्यान ब्रह्म की तरफ है।

मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार से जो विकास के मामले हैं, हर जगह उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा और आप उस तरफ ध्यान देंगे तो विकास ज्यादा होगा।

[अनुवाद]

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी): महोदय, मन्त्री मण्डलीय स्तर का कोई मन्त्री सदन में उपस्थित नहीं है। ऐसा लगता है कि मन्त्री मंडलीय स्तर के सभी मन्त्री किसी पहाड़ी स्थान पर चले गए हैं। पीठासीन अधिकारी यह विनिर्णय दें कि सदन में मंत्रिमंडलीय स्तर का कम से कम एक मन्त्री सदा उपस्थित रहे। यदि ऐसा कोई मन्त्री नहीं है, तो आप उनमें से किसी को पदोन्नत कीजिए जो सदन में उपस्थित हैं।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : संबंधित व्यक्ति उपस्थित हैं।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : किंतु यह सदन की परम्परा है कि मंत्रिमण्डलीय स्तर का कोई एक मन्त्री सदन में अनिवार्यतः उपस्थित हो। हम अध्यक्षपीठ के किसी भी आदेश का पालन करेंगे। आप यह भी कह सकते हैं कि किसी भी कैबिनेट मंत्री को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि पीठासीन अधिकारी ऐसा विनिर्णय नहीं देंगे। हमारी इच्छा है कि अध्यक्षपीठ द्वारा यह निर्णय दिया जाये कि एक कैबिनेट मंत्री हर समय उपस्थित होना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री शान्ति धारीवाल** (कोटा) : सभापति महोदय, पर्वतीय क्षेत्र के विकास के बारे में जो यह संकल्प है, उस पर चर्चा हो रही है, मेरा पर्वतीय क्षेत्र के विकास के बाबत् यह निवेदन है मंत्री महोदय से कि जहां-जहां भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां के लिए एक डेवलपमेंट अथारटी हर जगह अलग-अलग बनाई जानी चाहिए और राज्य सरकारों को इसके लिए पाबंद करना चाहिए, जैसे राजस्थान का मसला है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल इस प्रकार की बनाई जानी चाहिए और उसको अधिकार होना चाहिए कि वह वहां की सड़कें, लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था आदि के लिए जिम्मेदार हो, हर साल उसको अलग से बजट दिया जाना चाहिए इन सब चीजों के विकास के लिए। आज हम देखते हैं कि चाहे मरुभूमि की बात हो या पर्वतीय क्षेत्र की बात हो, सबसे कम विकास होता है और राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार का सबसे कम ध्यान इनकी ओर जाता है। वन्य भूमि पर असंख्य अतिक्रमण होते हैं, पेड़ काट लिए जाते हैं। अभी डागा साहब ने बताया कि 22 परसेंट जंगल था जो कि अब 10 परसेंट रह गया है। इन बातों को रोकने के लिए जितने कानून राज्य सरकार ने और केन्द्र सरकार ने बनाए हैं और जिन अथारिटीज ने इनको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की है, वह सब अपर्याप्त रहे हैं और असफल रहे हैं। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को बदला जाएगा तभी क्षेत्र का विकास और जंगलों का विकास हो सकेगा। जंगल काटे जा रहे हैं और आप लोग

[श्री शांति धारीवाल]

देख रहे हैं। इसके परिणाम भी आप लोग देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। बारिश वक्त पर नहीं आती है, अगर आती है तो कम आती है। इसलिए यह एक समुचित वक्त है कि आज हमें इस तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो, जंगल का विकास हो।

फारेस्ट लैण्ड के बाबत मेरा निवेदन है कि जहां पर 25-30 साल से जंगल काटे जा चुके हैं और लोगों ने जमीन को कास्त के लायक बनाकर कास्त कर रहे हैं, उनको उस जमीन का अलाटमेंट होना चाहिए और जहां पर रेवायंस हैं, उसको फारेस्ट एरिया डिक्लेयर करना चाहिए और वहां पर सरकार द्वारा घने जंगल लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

यह ऐसा विषय है जो कि आधा राज्य सरकार में और आधा केन्द्र सरकार में बंटा हुआ है। कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि एक ही सरकार का इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर और खासकर जंगलों के मामले पर आधिपत्य रहे और उसी द्वारा बनाये हुए कानूनों का प्रचलन हो, जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं और छोटी-छोटी होल्डींग्स पर खेती करते हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधा न तो राज्य सरकार और न केन्द्र सरकार की तरफ से दी जाती है। ऐसे मामलों में जिनकी छोटी होल्डींग्स हों या छोटे फार्म्स हों या जिनके पास पेड़ वगैरह की व्यवस्था हो उनको सबसिडी और खाद तथा बीज की सुविधा दी जानी चाहिए। मैंने रेवाइन्स के बारे में पहले भी निवेदन किया है। अभी डागा जी ने भी बताया कि काफी उपजाऊ भूमि समुद्र में चली गई है। ये रेवाइन्स इस तरह से फैलते चले जा रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि पिछले दस-बीस सालों से जितना भी इसका बजट आता है रेवाइन्स हेतु पता नहीं कहां चला जाता है क्योंकि इसकी रुकावट पर न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार का ध्यान है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्रों के साथ-साथ वन भूमि और रेवाइंस पर खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे अधिकारी जो पूरा मन लगाकर और रुचि के साथ काम कर सकें, उनको अपाइन्ट किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री मूल चन्द डागा** : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज आधे घंटे की चर्चा होनी है और उन सदस्यों के नाम अभी तक प्रकाशित नहीं किये गए हैं जो इसमें भाग लेने वाले हैं।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : आपने यह प्रश्न इस समय उठाया है।

**श्री मूल चन्द डागा** : यदि सदस्यों को मालूम ही नहीं है तो वे ग्रन्थालय में कैसे जाएंगे और चर्चा में भाग लेने हेतु तैयारी कैसे करेंगे। नामों की सूची दो बजे सायं तक सूचना बोर्ड पर अवश्य लगा दी जानी चाहिए ताकि सदस्य ग्रंथालय में जा सकें और अपना भाषण तैयार कर सकें।

[हिन्दी]

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** (श्रीनगर) : ऑनरेबल चेयरमैन, श्री हरीश रावत ऑनरेबल मैम्बर का जो प्रस्ताव हमारे यहां सदन में जेरे-बहस लाया जा रहा है, मैं उसकी हिमायत में खड़ा हुआ

हूं। डागा जी ने अभी कहा कि इतने बड़े विशाल देश में सिर्फ दस प्रतिशत ही जंगलात हैं या उससे भी कम हैं। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी सरकार जंगलात और हिल्ली एरियाज के बारे में किस कदर दिलचस्पी ले रही है ? जिस कदर सरकार पर जिम्मेदारियां हैं हमारे पहाड़ी इलाकों और खसूसियत के साथ जंगलात को बढ़ावा देने के लिए, उसे सरकार पूरा नहीं कर रही है। इस बिन्हा पर आपके माध्यम से मैं यह कह रहा हूं कि मैं खुद एक पहाड़ी रियासत से ताल्लुक रखता हूं जिसका नाम जम्मू-काश्मीर है। जम्मू-काश्मीर के बारे में यह अर्ज करना चाहूंगा कि यह हिन्दुस्तान की धरती पर एक बहुत खूबसूरत सरजमीन है जिसके बारे में फारसी का एक शेर है :

अगर फिरदौस बररूए जमी अस्त,
तो हमीन अस्तो, हमीन अस्तो, हमीन अस्त।

अगर दुनिया में कहीं जन्नत है, स्वर्ग है तो इसी धरती पर है, इसी धरती पर है। मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी रियासत जम्मू-काश्मीर का जो पहाड़ी हुस्न है, वह खत्म हो रहा है।

जो झील और झरने हैं, वे खुश्क हो रहे हैं, हमारी झीलें, जिनकी सारी दुनिया में मशहूरी है, जिनकी वजह से विदेशों से हजारों लाखों सैयाह आते हैं देखने के लिए, जिससे आपको फारेन-एक्सचेंज मिल रहा है, लेकिन जब वे आते हैं और वहां जाकर देखते हैं, तो वे निराश होते हैं क्योंकि जो वहां पर झीलें हैं वे खुश्क हो रही हैं जिसके कारण वहां के पहाड़ों का हुस्न खत्म हो रहा है।

डागा जी ने कहा था कि गंगा और जमुना जैसी नदियां पहाड़ों की मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और खमीज बंगाल में डाल रही हैं, यह सही बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीनगर की झील जिसे झीले-डल कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, उसका जो पहाड़ों के बीच में पसमंजर है, वह इस सिल्टिंग की वजह से खत्म हो रहा है, जिससे वहां का सारा हुस्न खत्म होता जा रहा है, वहां की सारी सुन्दरता जिसकी वजह से विदेशी सैयाह आते हैं, वह खत्म होती जा रही हैं।

हमारी सरकार को, शेख अब्दुल्ला के वक्त में एक स्कीम, डल-प्रोजैक्ट इस सिल्टिंग को रोकने के लिए बनानी पड़ी और अब उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं तथा उसको बचाने के लिए हमें बाहर से एक्सपर्ट्‌स लाने पड़े हैं। वहां पर जो सिल्टिंग हो रही है जिसकी वजह से वहां का हुस्न खत्म हो रहा है, उसका आपके पास कोई इलाज नहीं है।

चेयरमैन साहब, यह बात तो मैंने आपसे झीलों की बर्बादी की कही, लेकिन यह क्यों हो रहा है, इसकी ओर भी मैं आपकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। पहाड़ों के ऊपर हजारों वर्ष से जो जंगलात खड़े थे, वे काटे गए, जंगलों की डैस्ट्रक्शन हो गई, जिसके कारण वर्षा होने पर पहाड़ों की मिट्टी उस बरसात के साथ आकर झील में जम रही है। हिमालय के ऊपर जो जंगल थे वे ठेकेदारों ने काट दिए, फारेस्ट लैसीज ने इन जंगलों को तबाह करके रख दिया जिसके कारण पहाड़ों की मिट्टी नीचे आ रही है और झीलों में जमकर उन्हें बर्बाद कर रही है तथा मैदानी भागों में जमकर वहां की जो फर्टाइल जमीन है, उसे खत्म कर रही है। हमारे कश्मीर को जो फर्टाइल लैंड है वह खत्म हो रही है। वहां की जमीन

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

बंजर बन रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर नार्थ इंडिया की सबसे ऊंची और सबसे सुन्दर जगह है। यही हाल हमारे हिमाचल प्रदेश का है, यही हाल हमारे दार्जिलिंग का है और यही हाल हमारे यू०पी० के पहाड़ों का है।

चेयरमैन साहब, यह हमारे अपने तजुर्बे की बात है कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट इन पहाड़ी प्रदेशों की काई परवाह नहीं कर रही है। इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की और मर्कज की जो जिम्मेदारी है, उसे वह पूरा नहीं कर रही है। जंगलों के अवैध कटान से वहां के फ्लोरा और फोना, वहां की एनीमल लाइफ डिस्ट्राय हो रही है जिससे मुल्क की तबाही हो रही है, और आए रोज बाढ़ आती रहती हैं, ये सब चीजें मुल्क को तबाही-बर्बाद कर रही हैं।

चेयरमैन साहब, जिस रफ्तार से जंगल कट रहे हैं उसके मुकाबले में प्लांटेशन नहीं हो रहा है, नर्सरी नहीं लग रही है। हालांकि इसके बारे में आपकी बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं, बड़े-बड़े मन्सूबे हैं, बड़े-बड़े प्लान हैं, लेकिन अमलन कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको खब दार करना चाहता हूं कि आप इसे नैशनल इश्यू समझिए, इसे आप स्टेट्स की प्राब्लम मत बनाइए। यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और यू०पी० की प्राब्लम नहीं है, यह तो पूरे नेशन की प्राब्लम है क्योंकि उसके जो नतायज हैं, उसकी जो तबाहकारी है, उसका जो भुगतान हो रहा है, वह हमें भुगतनी पड़ रही है, सारे मुल्क को भुगतनी पड़ रही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन पहाड़ी इलाकों की तरफ तवज्जुह दीजिए।

आप मैदानो इलाकों के लिए कुकिंग गैस वगैरह तकसीम करते हैं। ये फैसिलिटीज, मिट्टी का तेल आप तकसीम करते हैं मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में और जंगलात आपने जलाने के लिए छोड़ दिये हैं। करोड़ों रुपये की चीड़ और देवदार की लकड़ी आज उन जंगलात में कट रही है और ईंधन के तौर पर जलाई जा रही है। यह बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा जुल्म है। इससे बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता है और इससे बढ़कर डिस्ट्रक्शन आफ नेशनल वैल्थ नहीं हो सकता है। यह मेरा आंखों देखा हाल है।

मैं केन्द्रीय सरकार को दावत देता हूं, आप आइये, मेरी स्टेट में देख लीजिए कि औने-पौने दाम पर टन्स के हिसाब से वह लकड़ी बिक रही है, जो इमारती लकड़ी है, जिससे वहां फारेस्ट इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। मगर इसमें दोष रियासत की सरकार का ही नहीं, आपका भी है। क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों के लिए मिट्टी का तेल देना है तो आप उस मामले में बड़े माइजर हैं, आप उनको गैस देने के लिए तैयार नहीं हैं, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। जहां पर भी चीखो-पुकार है प्लेन्स में, शहरो में, बड़े-बड़े प्रान्तों में उनकी तरफ आपकी नजरें-कम जाती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में नहीं जातीं। भुगतान, उसका नुक्सान आपको उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस मुल्क में ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी कि इन पहाड़ी इलाके के लोगों को रोका जाए, उनके हाथ रोक दिए जायें कि वह इस लकड़ी को ईंधन के तौर पर न जलायें। उसके लिए आपको बाकायदा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बाकायदा प्लान बनानी पड़ेगी ताकि उन पहाड़ी इलाकों में, दूरअफतादा इलाकों में,

और जो बहुत से बैकवर्ड एरियाज हैं, उनके लिए आपको साधन जुटाना पड़ेगा जिससे वह लकड़ी न जलायें बल्कि माडर्न, आज के जमाने के मुताबिक मिट्टी का तेल, चूल्हा गैस इनको मिले, तब वहां लकड़ी बच सकती है, वरना उसका कोई अन्त नहीं है। वह लकड़ी जलती रहेगी, डिस्ट्रक्शन जारी रहेगी। मेरे ख्याल में 10 साल में जितना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, बाद में 100 बरस आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि 38 बरस में यह सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि कोयला, मिट्टी का तेल, गैस इन चीजों को ज्यादा मिकदार में इन पहाड़ी इलाकों को दे दें।

अगर चाहते हैं कि पहाड़ी इलाकों की हिफाजत हो, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज तो ठीक है, वह हमारे देश की रक्षा करती हैं, उनका काम इतना ही है, लेकिन क्या वह उन जंगलात की भी हिफाजत करेंगी, वहां पर जो हमारा यह धन है, क्या उसकी भी हिफाजत होगी ?

उसकी हिफाजत इस तरह से मुमकिन नहीं है। हमारे ट्रांस्पोर्टेशन ही नहीं हैं, उन इलाकों में जंगली रास्ते ही महूदद हैं। बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, जिनको ठेके पर जंगल दिये जा रहे हैं। किसी भी स्टेट में, वह अपने तौर पर लकड़ी काटकर आ जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वहां पर जो फारेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर्स हैं, गार्ड्स हैं और इस किस्म के छोटे मुलाजिम हैं, उनके साथ उनकी मिलीभगत होती है और इस तरह से करोड़ों रुपए की लकड़ी और काट जाते हैं। एक नई वबा फैल गई है पहाड़ी इलाकों में। पहले लकड़ी काटने वाले आदमी काम करते थे। एक देवदार को काटने के लिए 20 आदमी रहते थे और 4, 5 दिन का टाइम लगता था, लेकिन आज के जमाने में मशीन लग गई है, मैकेनाइजेशन हो गया है। मशीन की मदद से एक एक सैकेंड में एक-एक दरख्त काटा जा सकता है। इस तरह से इतनी तेजी के साथ हमारी मशीनें और टेक्नोलाजी जंगलात में आ गई है बड़े-बड़े ठेकेदारों के माध्यम से उससे इस तबाही में और बढ़ोत्तरी हो गई है, कमी नहीं हुई है।

इसलिए गुजारिश करूंगा कि यह सब एक दूसरे के साथ मामलात जुड़े हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में आपको सड़कें बनानी होंगी ताकि जंगल की रक्षा हो जाये, वहां आपको फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी ताकि उन गरीबों की तबाही न हो जाए और जंगल की लकड़ी न कटे।

आज पहाड़ी इलाकों में फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। ट्रेन हैं, वह भी प्लेन्स में जाती है, उसका फायदा वही उठायेंगे जहां ट्रेन जायेगी। अक्सर हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाके में ट्रेन नहीं जा सकती और ट्रांस्पोर्टेशन की प्राब्लम ने तबाही फैला दी है।

मैं बताऊं कि हमारी रियासत जम्मू-काश्मीर में लोगों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया फ्रूट इंडस्ट्री है। हर साल करोड़ों रुपए की मालियत का हमारा फ्रूट पैदा होता है सेब, (एपल) वहां एपल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उस एपल को लाने-ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट आदि का इंतजाम नहीं है जिससे वह वक्त पर दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े शहरों में नहीं पहुंच पाता है। दिल्ली में भी कुछ आढ़ती लोग बैठे हैं जो कि एक्सप्लायट करते हैं। इस वजह से फ्रूट ग्रोअर्स को भी ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालना होगा। हमारी यह फ्रूट इंडस्ट्री गरीब लोगों और पहाड़ी इलाकों से जुड़ी हुई है। यही उनकी आमदनी का जरिया है। इसलिए मैं फिर यही कहूंगा कि ट्रांस्पोर्टेशन सही वक्त पर न मिलने की वजह से यह गरीब तबाह हो रहे हैं।

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

टूरिज्म भी आमदनी और फारेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा जरिया है। बाहर के देशों जैसे साऊथ ईस्ट एशिया और अरब देशों में टूरिज्म को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे टूरिस्ट रिजोर्ड्स ज्यादातर बैकवर्ड और पहाड़ी इलाकों में हैं, लेकिन जहां पर भी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत और ठहरने के लिए टूरिस्ट सेंटर या होटल्स आदि का अच्छा इन्तजाम नहीं है जिससे टूरिस्ट बहुत कम संख्या में पहुंच पाते हैं। इस कारण पहाड़ी इलाकों के लोगों की हालत में भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है।

मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताऊं। श्रीनगर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें सोनमर्ग एक जगह है जिसको कि मेड़ो आफ गोल्ड कहते हैं। यह इतनी खूबसूरत जगह है अगर इसका मुकाबला गुलमर्ग से किया जाए तो वह भी पीछे रह जायेगा, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर कोई मास्टर प्लान नहीं बन पाया। राज्य सरकार की तरफ से होटल का, ठहरने का कोई बन्दोबस्त नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है कि उस क्षेत्र का विकास कर सके। उसके विकास के लिए तो करोड़ों अरबों और रुपया चाहिए। मेरी गवर्नमेंट आफ इण्डिया से गुजारिश है कि वह उसके विकास के लिए स्टेट गवर्नमेंट की हैल्प करे।

इसी तरह बड़गांव और यूसमर्ग का इलाका बहुत पसमांदा है। अगर इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाए तो टूरिस्ट इस ओर आकर्षित होंगे जिससे काफी मात्रा में फारेन एक्सचेंज मिल सकेगा। मेरी गवर्नमेंट आफ इण्डिया से यही गुजारिश है कि वह बैकवर्ड एरिया और पाकिट्स को डेवलप करे। वहां पर ट्रांसपोर्ट और रोड्स आदि का अच्छा इन्तजाम किया जाए। वहां पर इंडस्ट्री खोलने में भी राज्य सरकार की मदद करे। इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा।

अन्त में मेरी यही गुजारिश है कि आप पहाड़ी इलाकों की प्राब्लम्स को सीरियसली देखें। यह आपकी तरक्की का एक बहुत अच्छा जरिया है। अगर यह पहाड़ी इलाके डेवलप होते हैं तो देश भी तरक्की करेगा। इनके डेवलपमेंट के लिए अगर आप एक कमीशन या पार्लियामेंट की कमेटी बना दें जो कि इन पहाड़ी इलाकों में देखकर आये कि उनकी क्या प्राब्लम्स हैं। और फारेस्ट कैसे बचाया जा सकता है, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है या जो लोगों में बहुत गुर्बत पसमांदगी और बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है।

मैं आखिर में सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा कि आज पहाड़ी इलाकों की बदकिस्मती इस बात से पहचानी जा सकती है कि सिटीज से कोई डाक्टर आप वहां भेजिए तो वह नहीं जायेगा। वह मिनिस्टर या किसी और बाअसर आदमी की सिफारिश लाकर कहेगा कि मुझे जलावतन मत करो, अपनी जमीन से मत उखाड़ो। क्लर्क, चपरासी, इंजीनियर, डाक्टर कोई भी इन इलाकों में जाने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरी रियासत को लीजिए, वहां पर 80 परसेन्ट पहाड़ी इलाके हैं लेकिन सभी इंजीनियर्स, डाक्टर्स और आफिसर्स शहरों में ही रहना चाहते हैं, उन इलाकों में सर्व नहीं करना चाहते। इसलिए पहाड़ी इलाकों में आने-जाने व दूसरी सारी बातें जो इंटिकेटेड हैं उन पर आपको खास तौर से तवज्जह देनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों के लिए यहां पर यह जो प्रस्ताव लाया गया है उसकी मैं पुरजोर ताईद करता हूं।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

آنریبل چیئر مین۔ شری ہریش راوت آنریبل ممبر کا جو پرستاؤ ہمارے یہاں سدن میں زیر بحث لایا جا رہا ہے میں اس کی حمایت میں کھڑا ہوا ہوں۔ ڈاگا جی نے ابھی کہا ہے کہ اتنے بڑے وشال دیش میں صرف دس پرتیشت ہی جنگلات ہیں یا اس سے بھی کم ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہماری سرکار جنگلات اور ہلی ایریا نہ کے بارے میں کس قدر دلچسپی لے رہی ہے۔ جس قدر سرکار پر ذمہ داریاں ہیں ہمارے پہاڑی علاقوں اور خصوصیت کے ساتھ جنگلات کو بڑھاوا دینے کے لئے اسے سرکار پورا نہیں کر رہی ہے۔ اس بنا پر آپ کے مادھیم سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایک پہاڑی ریاست سے تعلق رکھتا ہوں۔ جس کا نام جموں کشمیر ہے۔ جموں کشمیر کے بارے میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہندوستان کی دھرتی پہ ایک بہت خوبصورت سرزمین ہے جس کے بارے میں فارسی میں ایک شعر ہے:۔

اگر فردوس بر روئے زمیں است
ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است

اگر دنیا میں کہیں جنّت ہے سورگ ہے تو اسی دھرتی پہ ہے اسی دھرتی پر ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر کا جو پہاڑی حُسن ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ جو جھیل اور جھرنے ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں۔ ہماری جھیلیں جن کی ساری دنیا میں مشہوری ہے جن کی وجہ سے بدیشوں سے ہزاروں لاکھوں سیاح آتے ہیں دیکھنے کے لئے جس سے آپ کو فارن ایکس چینج مل رہا ہے لیکن جب وہ آتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ نراش ہوتے ہیں کیوں کہ وہ وہاں پر جھیلیں ہیں وہ خشک ہو رہی ہیں جس کے کارن وہاں کے ان پہاڑوں کا حُسن ختم

ہو رہا ہے۔

ڈاگا جی نے کہا تھا کہ گنگا اور جمنا جیسی ندیاں پہاڑوں کی مٹی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہیں اور خلیج بنگال میں ڈال رہی ہیں یہ صحیح بات ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سری نگر کی جھیل جسے جھیل ڈل کہتے ہیں بہت ہی خوب صورت ہے اس کا جو پہاڑوں کے بیچ میں پس منظر ہے وہ اس سلٹنگ کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے جس سے وہاں کا سارا حسن ختم ہوتا جا رہا ہے وہاں کی ساری سندرتا جس کی وجہ سے ودیشی سیّاح آتے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔

ہماری سرکار کو شیخ عبداللہ کے وقت میں ایک اسکیم ڈل پروجیکٹ اس سلٹنگ کو روکنے کے لئے بنانی پڑی اور اب اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں تھا اس کو بچانے کے لئے ہمیں باہر سے ایکسپرٹس لانے پڑ رہے ہیں۔ وہاں پر جو سلٹنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں کا حسن ختم ہو رہا ہے اس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔

چیئرمین صاحب۔ یہ بات تو میں نے آپ سے جھیلوں کی بربادی کی کہی لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی اور بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہاڑوں کے اوپر ہزاروں ورشوں سے جو جنگلات کھڑے تھے وہ کاٹے گئے جنگلوں کی ڈیسٹرکشن ہو گئی جس کے کارن ورشا ہونے پر پہاڑوں کی مٹی اس برسات کے ساتھ آ کر جھیل میں جم رہی ہے۔ ہمالیہ کے اوپر جو جنگل تھے وہ ٹھیکیداروں نے کاٹ دئے۔ فارسیٹ لیسیز نے ان جنگلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا جس کے کارن پہاڑوں کی مٹی نیچے آ رہی ہے اور جھیلوں میں جم کر انہیں برباد کر رہی ہے تھا میدانی بھاگوں میں جم کر وہاں کی جو فرٹائیل زمین ہے اسے ختم کر رہی ہے۔ ہمارے کشمیر کی جو فرٹائیل لینڈ ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ وہاں کی زمین

بنجر بن رہی ہے۔ یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر نارتھ انڈیا کی سب سے اونچی اور سب سے سندر جگہ ہے۔ یہی حال ہمارے ہماچل پردیش کا ہے یہی حال ہمارے دارجیلنگ کا ہے اور یہی حال ہمارے یو۔پی کے پہاڑوں کا ہے۔

چیئرمین صاحب۔ یہ ہمارے اپنے تجربے کی بات ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ ان پہاڑی پردیشوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ اس معاملے میں سینٹرل گورنمنٹ کا اور ہر کڑی کی جو ذمہ داری ہے اسے وہ پوری نہیں کر رہی ہے۔ جنگلوں کے اوبدھ کٹان سے وہاں کے فلورا اور فونا وہاں کی اینیمل لائف ڈسٹرائے ہو رہی ہے جس سے ملک کی تباہی ہو رہی ہے اور آئے روز باڑھ آتی رہتی ہے۔ یہ سب چیزیں ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔

چیئرمین صاحب۔ جس رفتار سے جنگل کٹ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پلانٹیشن نہیں ہو رہا ہے نرسری نہیں لگ رہی ہے حالانکہ اس کے بارے میں آپ کی بڑی بڑی اسکیمیں ہیں بڑے بڑے منصوبے ہیں بڑے بڑے پلان ہیں لیکن عملاً کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے نیشنل ایشو سمجھئے۔ آپ اسے اسٹیٹ کی پرابلم مت بنائیے۔ یہ ہماچل پردیش جموں کشمیر اور یو۔پی کی پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو پورے نیشن کی پرابلم ہے کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں اس کی جو تباہ کاری ہے اور اس کا جو بھگتان ہو رہا ہے وہ ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ سارے ملک کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان پہاڑی علاقوں کی طرف توجہ دیجئے۔

آپ میدانی علاقوں کے لئے کوکنگ گیس وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ فیسلٹیز مٹی کا تیل آپ تقسیم کرتے ہیں میدانی علاقوں میں بیلینس میں اور جنگلات آپ نے جلانے کے لئے

چھوڑ دئے ہیں۔ کروڑوں روپئے کی چیڑھ اور دیودار کی لکڑی آج ان جنگلات میں کٹ رہی ہے اور ایندھن کے طور پر جلائی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا کرائم ہے بہت بڑا ظالم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا پاپ نہیں ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر ڈسٹرکشن آف نیشنل ویلتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے۔

میں کیندریہ سرکار کو دعوت دیتا ہوں آپ آیئے میری اسٹیٹ میں دیکھ لیجئے کہ اونے پونے دام پر ٹنس کے حساب سے وہ لکڑی بک رہی ہے جو عمارتی لکڑی ہے جس سے وہاں فاریسٹ انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس میں دوش ریاست کی سرکار کا ہی نہیں آپ کا بھی ہے۔ کیونکہ جب پہاڑی علاقوں کے لئے مٹی کا تیل دینا ہے تو آپ اس معاملے میں بڑے مائزر ہیں آپ ان کو گیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جہاں پر بھی چیخ و پکار ہے پلینس میں شہروں میں بڑے بڑے پرانتوں میں ان کی طرف آپ کی نظر کرم جاتی ہے لیکن پہاڑی علاقوں میں نہیں جاتی۔ بھگتان اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس ملک میں ایسی اسکیم لانی پڑے گی کہ ان پہاڑی علاقے کے لوگوں کو روکا جائے ان کے ہاتھ روک دئے جائیں کہ وہ اس لکڑی کو ایندھن کے طور پر نہ جلائیں۔ اس کے لئے آپ کو باقاعدہ پروگرام بنانا پڑے گا باقاعدہ پلان بنانی پڑے گی تاکہ ان پہاڑی علاقوں میں دور افتادہ علاقوں میں اور جو بہت سے بیک ورڈ ایریا زہیں ان کے لئے آپ کو سادھن جٹانا پڑے گا جس سے وہ لکڑی نہ جلائیں بلکہ ماڈرن آج کے زمانے کے مطابق مٹی کا تیل چولہا گیس ان کو ملے تب وہاں لکڑی بچ سکتی ہے ورنہ اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ وہ لکڑی جلتی رہے گی۔ ڈسٹرکشن جاری رہے گی۔ میرے خیال میں ۱۰ سال میں جتنا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بعد میں . . ۱ برس آپ کو رونا پڑے گا کیونکہ ۳۸ برس میں یہ سب سے زیادہ نقصان

ہوا ہے۔ اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کوئلہ مٹی کا تیل گیس ان چیزوں کو زیادہ مقدار میں ان پہاڑی علاقوں کو دے دیں۔

اگر چاہتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں کی حفاظت ہو صرف آرمڈ فورسز تو ٹھیک ہیں وہ ہمارے دیش کی رکشا کرتی ہیں ان کا کام اتنا ہی ہے لیکن کیا وہ ان جنگلات کی بھی حفاظت کریں گی۔ وہاں پر جو ہمارا یہ دھن ہے کیا اس کی بھی حفاظت ہو گی۔

اس کی حفاظت اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں ہے۔ ان علاقوں میں جنگلی راستے ہی محدود ہیں۔ بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں جن کو ٹھیکے پر جنگل دئے جا رہے ہیں۔ کسی بھی اسٹیٹ میں وہ اپنے طور پر لکڑی کاٹ کر آ جاتے ہیں۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر جو فاریسٹ ڈپارٹمنٹ کے رینجرس ہیں گارڈس ہیں اور اس قسم کے چھوٹے ملازم ہیں ان کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے اور اس طرح سے کروڑوں روپئے کی لکڑی اور کاٹ لئے جاتے ہیں۔ ایک نئی وبا پھیل گئی ہے پہاڑی علاقوں میں۔ پہلے لکڑی کاٹنے والے آدمی کام کرتے تھے۔ ایک دیودار کو کاٹنے کے لئے ۲ آدمی رہتے تھے اور ۴۔ ۵ دن کا ٹائم لگتا تھا لیکن آج کے زمانے میں مشین لگ گئی ہے میکنائزیشن ہو گیا ہے۔ مشین کی مدد سے ایک ایک سکنڈ میں ایک ایک درخت کاٹا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اتنی تیزی کے ساتھ ہماری مشینیں اور ٹیکنالوجی جنگلات میں آ گئی ہیں بڑے بڑے ٹھیکیداروں کے مادھیم سے اس سے اس تباہی میں اور بڑھوتری ہو گئی ہے کمی نہیں ہوئی ہے۔

۱۰۰۱ ... گذارش کر دوں گا کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں آپ کو سڑکیں بنانی ہوں گی تاکہ جنگل کی رکشا ہو جائے۔ وہاں آپ کو فیسلٹیز دینی پڑیں گی تاکہ ان غریبوں کی تباہی نہ ہو جائے اور جنگل کی لکڑی

نہ کٹے۔

اب پہاڑی علاقوں میں فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں۔ ٹرین ہے وہ بھی پلینس میں جاتی ہے۔ اس کا فائدہ وہی اٹھائیں گے جہاں ٹرین جائے گی۔ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑی علاقے میں ٹرین نہیں جا سکتی اور ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم نے تباہی پھیلا دی ہے۔

میں بتاؤں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر میں لوگوں کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ فروٹ انڈسٹری ہے۔ ہر سال کروڑوں روپے کی مالیت کا ہمارا فروٹ پیدا ہوتا ہے سیب ایپل۔ وہاں ایپل انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری ہے لیکن اس ایپل کو لانے لے جانے کے لئے کوئی ٹرانسپورٹ آدی کا انتظام نہیں ہے جس سے وقت پر دلی کلکتہ مدراس آدی بڑے شہروں میں نہیں پہنچ پاتا ہے۔ دلی میں بھی کچھ آڑھتی لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے فروٹ گروورس کو بھی زیادہ فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اس کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ اوش نکالنا ہوگا۔ ہماری یہ فروٹ انڈسٹری غریب لوگوں اور پہاڑی علاقوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے اس لئے میں پھر بھی کہوں گا کہ ٹرانسپورٹیشن وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے یہ غریب تباہ ہو رہے ہیں۔

ٹورزم بھی آمدنی اور فارن ایکسچینج کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ باہر کے دیشوں جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور عرب دیشوں میں ٹورزم کو کافی بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ٹورسٹ ریزارٹس زیادہ تر بیک ورڈ اور پہاڑی علاقوں میں ہیں لیکن وہاں پر بھی ٹرانسپورٹ کی وقت اور ٹھہرنے کے لئے ٹورسٹ سینٹر یا ہاسٹل آدی کا اچھا انتظام نہیں ہے جس سے ٹورسٹ بہت کم سنکھیا میں پہنچ پاتے ہیں۔ اسی کارن پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی حالت میں بھی کوئی سدھار نہیں ہو پا رہا ہے۔

میں آپ کو اپنے نر واچن شیتر کے بارے میں بتاؤں ۔ سری نگر میرا نر واچن شیتر ہے جس میں سون مرگ ایک جگہ ہے جس کو کہ میڈو آف گولڈ کہتے ہیں ۔ یہ اتنی خوب صورت جگہ ہے اگر اس کا مقابلہ گلمرگ سے کیا جائے تو وہ بھی پیچھے رہ جائے گا لیکن بد قسمتی سے وہاں پر کوئی ماسٹر پلان نہیں بن پایا ۔ راجیہ سرکار کی طرف سے ہوٹل کا ٹھہرنے کا کوئی بند وبست نہیں ہے ۔ اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس شیتر کا وکاس کر سکے ۔ اس کے وکاس کے لئے تو عربوں اور کروڑوں روپیہ چاہیئے ۔ میری گورنمنٹ آف انڈیا سے گزارش ہے کہ وہ اس کے وکاس کے لئے اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہیلپ کرے ۔

اسی طرح ٹنگاڈوں اور یوسمرگ کا علاقہ بہت پس ماندہ ہے ۔ اگر اس شیتر کا ڈیولپمنٹ ہو جائے تو ٹورسٹ اس اور آکرشت ہوں گے جس سے کافی ماترا میں فارن ایکسچینج مل سکے گا ۔ میری گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی گزارش ہے کہ وہ بیک ورڈ ایریا اور پراڈکٹس کو ڈیولپ کرے ۔ وہاں پر ٹرانسپورٹ اور روڈس آدی کا اچھا انتظام کیا جائے وہاں پر انڈسٹری کھولنے میں بھی راجیہ سرکار کی مدد کریں ۔ اس سے بے روزگار لوگوں کو روزگار ملے گا ۔

انت میں میری بھی گزارش ہے کہ آپ پہاڑی علاقوں کی پرابلمس کو سیریسلی دیکھیں یہ آپ کی ترقی کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے ۔ اگر یہ پہاڑی علاقے ڈیولپ ہوتے ہیں تو دیش بھی ترقی کرے گا ۔ ان کے ڈیولپمنٹ کے لئے اگر آپ ایک کمیشن یا پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دیں جو کہ ان پہاڑی علاقوں میں دیکھ کر آئے کہ ان کی کیا پرابلمس ہیں ۔ اور فاریسٹ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ۔ ٹورزم کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے یا جو لوگ دور میں بہت غربت پس ماندگی اور بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لئے

کیا کیا جا سکتا ہے۔

میں آخر میں صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج پہاڑی علاقوں کی بدقسمتی اس بات سے پہچانی جا سکتی ہے کہ سینٹر سے کوئی ڈاکٹر آپ وہاں بھیجئے تو وہ نہیں جائے گا۔ وہ منسٹر یا کسی اور بااثر آدمی کی سفارش لاکر کہے گا کہ مجھے جلاوطن مت کرو۔ اپنی زمین سے مت اکھاڑو۔ کلرک چپراسی انجینئر ڈاکٹر کوئی بھی ان علاقوں میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے۔ آپ میری ریاست کو لیجئے۔ وہاں پر ۸۰ پرسینٹ پہاڑی علاقے ہیں۔ لیکن سبھی انجینئرس ڈاکٹرس اور آفیسرس شہروں میں ہی رہنا چاہتے ہیں ان علاقوں میں سروس نہیں کرنا چاہیئے۔ اس لئے پہاڑی علاقوں میں آنے جانے سے وہ دوسری ساری باتیں جو اٹیگوٹیڈ ہیں ان پر آپ کو خاص طور سے توجہ دینی چاہیئے۔ پہاڑی علاقوں کے لئے یہاں پر جو پرستاؤ لایا گیا ہے اس کی میں پرزور تائید کرتا ہوں۔

(ختم شد)

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्ट्सगंज) : माननीय सभापति महोदय अभी हमारे सामने जो प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है उसके प्रस्तुतकर्ता तो यहां पर नहीं हैं, लेकिन मैं उनको हार्दिक बधाई व धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन और सदन के माध्यम से सारे देश का ध्यान देश के पहाड़ी क्षेत्रों की तरक्की की ओर दिलाया है। मुझे याद है पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने देश में 6 प्रकार के पिछले इलाकों की पहचान की थी लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन इलाकों की चर्चा नहीं हुई। उनमें एक तो हिली इलाका है, एक डेजर्ट का इलाका है। हालांकि इस साल प्लानिंग कमीशन ने डेजर्ट एरियाज के डेवलपमेंट के लिए धनराशि देने के लिए कहा है कि वह शतप्रतिशत केन्द्र से मिलेगी। इसके अलावा ड्राउट-प्रोन एरिया है, ट्राइबल एरिया है, समुद्रतटीय इलाका है, साइक्लोन से प्रभावित इलाके हैं। इस तरह से ये 6 प्रकार के इलाके हैं जिनकी मैंने चर्चा की। इनमें एक फ्लड का एरिया भी है। तो इन 6 प्रकार के इलाकों की तरक्की के लिए धनराशि देने की बात कही गई थी लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इसको भुला दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्लानिंग मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए वे विशेष ध्यान दें।

जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में इसमें आठ जिले हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं और इसीलिए हमारे साथी ने यहां पर यह प्रस्ताव रखा है। एक तरफ तो पहाड़ के वे जिले हैं और दूसरी तरफ पहाड़ के हम भी हैं। स्वतन्त्रता से पहले उत्तर प्रदेश में साउथ में हिल्ली रेंज जो है, वह जौंसार बावर का जो इलाका है उसी के बराबर है। यहां के लोगों को वही फैसिलिटीज थी। वहां पर दुद्धी, बंभनी, चोपन, ऐसे चार ब्लाक्स हैं जो सारा पहाड़ी इलाका ही है जैसे कि महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाके हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों को हम धीरे-धीरे छोड़ते जा रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है जैसा कि अभी आपने देखा सभी लोगों ने कहा कि जहां देश में संतुलित विकास के लिए 33 प्रतिशत वन जरूरी हैं वहां केवल कागज में बीस प्रतिशत और मौके पर केवल दस प्रतिशत ही वन रह गए हैं। हमने पहाड़ी क्षेत्रों और जंगल वाले इलाकों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनाई, जिससे उनको बचाया जा सके और वहां की तरक्की कर सकें। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने हाल ही में पहाड़ी इलाके में एक एच० एम० टी० के कारखाने का उद्घाटन किया है। उद्घाटन करते समय उन्होंने आश्वासन दिया है कि देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी ऐसे कारखानें जिनको ऐसे वातावरण की आवश्यकता है, लगाए जाएंगे। मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहता हूं कि वे इसको अमलीजामा पहनायें और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था करें। ऐसे राज्य जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनको विशेष मदद दें। उन्होंने चार-पांच बातों के बारे में ठीक ही कहा है, जैसे टूरिज्म का सवाल है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप टूरिज्म सेंटर बनायें। जहां पर मन्दिर हैं और सुन्दर-सुन्दर घाटियां हैं, उनको डेवलप करने के लिए व्यवस्था करें।

ट्रांसपोर्ट के लिए निश्चित तौर से पहाड़ों में सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिए, लेकिन बिछाया नहीं जा सका है। कारण यह है कि हमारा जो कन्जर्वेशन-आफ-फारेस्ट-एक्ट, 1980 पास हुआ है, इसके कारण पहाड़ों का डेवलपमेंट बिलकुल रुक गया है। न वहां पर सड़कें बन सकती हैं और न बिजली की लाइन ही ले जाई जा सकती है। जमीन भी मौजूद है, तो बांध नहीं बना सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, मन्त्री जी, कि आप पहाड़ी इलाकों में रहने वाले सभी संसद सदस्यों को

[श्री राम प्यारे पनिका]

बुलाइए और संबंधित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को बुलाइए और एक ऐसा कार्यक्रम बनाइए ताकि वहां का विकास हो। आप योजना सैंक्शन कर देते हैं, लेकिन मौके पर जाकर जब देखते हैं, तो न बिजली पहुंची होती है और न वहां सड़क ही बनी होती है। कोई डेवलपमेंट के लिए बांध नहीं बना सकते हैं और न ही सिंचाई के कोई काम कर सकते हैं। एक सुझाव मेरा यह भी है कि जब हम जंगल काटते हैं तो सख्ती से इस आदेश का पालन होना चाहिए कि अगर आप एक पेड काटते हैं तो अनिवार्य रूप से दो पेड़ लगाए जाने चाहिए। जमीन तभी ट्रांसफर की जानी चाहिए, जब पेड़ लगाने की पौध दो-तीन साल की तैयार हो जाए। नहीं तो हो सकता है कि पौध लगाने के बाद वह सूख जाए। इस पर मन्त्री जी को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि देश की जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है। सारी छः ऋतुयें मानी गई हैं—शरद्, बसंत, गर्मी इत्यादि—लेकिन आज उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से फसलों के बोने के समय में भी परिवर्तन करना पड रहा है। मैटिरियोलाजिकल विभाग द्वारा भी अब गलत सूचनायें दी जा रही हैं। पर्यावरण की जानकारी भी वे सही नहीं दे रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि बाढ़, सूखे व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए लोगों को पूर्ण रूप से सचेत नहीं कर पा रहे हैं। कारण यह कि प्राकृतिक बैलेंस खराब होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि इन्टेग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए जंगलों को डिस्टर्ब न करें और यदि करना भी पड़े तो पेड़ अधिक लगाए जाने चाहिए। आजकल हम सोशियल फारैस्ट्री पर अधिक रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन फारैस्ट विभाग के लोग उससे काफी पैसा कमा रहे हैं। कागजों में चाहे आप कुछ भी दिखायें, लेकिन यदि आप सर्वे करायेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितनी धनराशि विकास के लिए दी जाती है, उस धनराशि का सही रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। देश की जनता के पैसे को ये विभाग वाले हजम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर प्रदेश के एक-एक या दो-दो फारैस्ट डिवीजन का सर्वेक्षण करवाइए और देखिए कि जितने पेड़ आपने लगाने के लिए कहा है, इसके लिए जो धनराशि दी है, उस धनराशि के अनुरूप जितने पेड़ लगने चाहिए, वे मौके पर हैं या नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रकृति के रूप को आप पहले बचाइए। उसकी फैंसिंग कीजिए, वह ज्यादा उपयोगी है, न कि वे जो आप नए जंगल लगाना चाहते हैं। नए जंगल लगाने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। कारण यह है कि आजादी के 39 साल बाद भी जमीन का सैटलमेंट नहीं हो पा रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि डिमार्केशन आफ फारैस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड अलग नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से ट्राइबल्स लोगों के राइट-आफ-कन्सैशन निर्धारित नहीं हो रहे हैं।

मैं आपको अपने क्षेत्र मिर्जापुर के बारे में बताना चाहता हूं। मिर्जापुर में जंगल का क्षेत्र है। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जमीन का सैटलमेंट नहीं हो रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि ट्राइबल्स पर हजारों मुकदमें जंगल वालों ने कर रखे हैं। मैं कह रहा हूं कि सैटलमेंट हो और राइट-आफ-कन्सेशन मिले, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। उसको रोकने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लाना पड़ा तब जाकर थोड़ी राहत मिली। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह कितने दिनों तक

चलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि सारे देश में प्रायोरिटी के आधार पर आपने बीस सूत्री कार्यक्रम में इसको महत्व दिया है, लेकिन कोई राज्य सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम को केन्द्र को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। डायरैकशन्स से काम चलने वाला नहीं है। कोई भी राज्य सरकार आपकी बात को नहीं सुनती हैं, वे सब अपने तरीके से काम करती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र के आठ जिलों का सर्वेक्षण करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जम्मू व काश्मीर में हो सकता है और 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं और छोटी-छोटी स्टेट्स हैं, उनमें हो सकता है और असम के पहाड़ी इलाके में हो सकता है, पूर्वी और पश्चिमी घाट में हो सकता है और मध्य प्रदेश में है। मैं आपसे कहूं कि आन्ध्र प्रदेश के कुछ लोग यहां बैठे हैं, वहां एक एजेन्सी एरिया है। उस एजेंसी एरिया का अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अगर आपको देश को बचाना है और अगर आप प्राकृतिक संतुलन रखना चाहते हैं और एन्वाइरेमेंट को बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ प्रायरटीज को फिक्स करना पड़ेगा और उसमें एक यह है कि सभी जमीनों को आपको ठीक करना पड़ेगा और यही नहीं पहाड़ी डेवलपमेंट के लिए निश्चित तौर पर आपको वहां पर रोजगार मुहैया करने पड़ेंगे और वहां पर आप लोन की व्यवस्था करें। वहां पर उपजने वाले पौधों के लिए आप पैसा दें। जंगलों में आम तौर पर आप पशु पाल सकते हैं और वहां पर बकरियां और भैंसें आसानी से रह सकती हैं। अगर वातावरण के अनुसार आप वहां पर डेवलपमेंट करेंगे, तो निश्चित तौर पर इन पहाड़ों का विकास होगा और सबसे बड़ी चीज यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों के भरोसे आप पहाड़ों का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मेरा कहना यह है कि जितने पहाड़ी इलाके हिन्दुस्तान में हैं, उनका एक बार फिर से आप सर्वेक्षण कराइए।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर का जो पहाड़ी इलाका है, वहां के लड़के और लड़कियां और कंडीडेट्स को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दो परसेन्ट रिजर्वेशन दे रखा है, वह मिलना चाहिए। वहां के कुछ लोगों ने इसके लिए कहा, तो उनको यह कह दिया गया कि आप पहाड़ के नहीं हैं। हाई कोर्ट में वे लोग गये और हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये पहाड़ी लड़के हैं। उसके बाद उन लड़कों को सर्विस में लेना शुरू हो गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के कार्यक्रम पहाड़ों में नहीं चल रहे हैं और वे क्षेत्र अछूते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए यह मांग करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सरकार को मान लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। सरकार इसके लिए आश्वासन दे और मुझे तो ऐसा लगता है कि हाऊस का इसके बारे में कन्सैंसस है। मैं यह भी कहता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव डेजर्ट एरियाज के बारे में भी आएगा और ड्राउट-प्रोन एरियाज के बारे में भी आएगा और जिन छः प्रकार के एरियाज का आइडेंटीफिकेशन स्वयं प्लानिंग कमीशन ने किया है, उन सब पर आएगा। जितने इस प्रकार के विशेष एरियाज हैं, वहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं और अगर आप इन एरियाज का सर्वेक्षण कराएं तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, वे इन छः प्रकार के इलाकों में ज्यादा मिलेंगे चाहे वह डेजर्ट का इलाका हो, चाहे वह समुद्री तटीय इलाका हो और चाहे वह फ्लड वाला इलाका हो, इन सब के लिए आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस तरह की योजनाएं बनाएं, जिससे इन इलाकों में रहने वाले लोग आगे आएं। जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों के साथ ये भी समान स्तर पर आ जाएं और एक साथ सारे के सारे मिल कर आगे बढ़ें।

आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री जुझार सिंह** (झालावाड़) : श्री हरीश रावत के हिल डेवलपमेंट प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं और इसके ऊपर अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वह डेजर्ट एरिया है। यह सही है कि राजस्थान का तीन-चौथाई भाग डेजर्ट है लेकिन एक-चौथाई भाग में जंगल हैं, नदियां हैं और वाइल्ड लाइफ है।

4.00 म०प०

**(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)**

राजस्थान के इस हिस्से में रियासतों के मर्जर के पहले करीब 30 परसेंट एरिया में जंगल हुआ करते थे। परन्तु जब राजस्थान की बात होती है तो लोग ज्यादातर डेजर्ट के बारे में ही सोचते हैं। जो हमारे प्लेन या स्कीम बनती हैं वे भी डेजर्ट एरियाज के बारे में ही बनाई जाती हैं। और राजस्थान के हिल एरियाज के बारे में बहुत कम सोचा जाता है। भरतपुर, कोटा, अलवर, झालावाड़ के इलाके ऐसे हैं जहां पर घने जंगल थे और अब भी अच्छे जंगल हैं। वेल डेवलप्ड फोरेस्ट्री है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश में जंगलों के प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वहां पर ही उसकी तरफ स्टेट की ओर से पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। जब रियासतें थीं, उन रियासतों में तो इन जंगलों को बचाने की कोशिश की गई थी। अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट व राजस्थान की तरफ से भी ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए जिससे कि राजस्थान के जंगलों को बचाया जा सके।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप राजस्थान के डेजर्ट के बारे में विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं वहां आप राजस्थान के हिल्ली एरियाज के विकास के बारे में भी कुछ काम करें। सदस्य अभी हिमालय की बात कर रहे थे। परन्तु अरावली पर्वत तो सबसे पुराना है जो राजस्थान से निकलता है। वह हिमालय से अधिक पुराना है। वहां कई लड़ाइयां हुई हैं। प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई भी वहीं लड़ी गई थी। वह भावनात्मक रूप से हमारे लिए बड़ी रेस्पेक्टेड एरिया है। लेकिन उन पहाड़ी क्षेत्रों को इन दिनों में प्रोटेक्ट नहीं किया गया।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय झालावाड़ एरिए के 'डग' हिस्से में चन्दन हुआ करता था, शाल हुआ करता था और सब तरह की लकड़ी हुआ करती थी जो कि अब बहुत कम रह गई है। वह इसलिए कम रह गई है कि उन क्षेत्रों को बचाने का प्रयास नहीं किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए आगे कहना चाहता हूं कि चम्बल नदी के जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए चम्बल केचमेंट एरिया में एक प्रोजेक्ट चीफ कंजरवेटिव आफिसर की रैंक के अधिकारी की निगरानी में चलाया जा रहा है। उसके नीचे चार-पांच असिसटेंट कंजरवेटिव आफिसर दस इंजीनियर और 22 फोरेस्ट रेंजर हैं। करीब 450 आदमियों का अमला है। चम्बल केचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने इन्हें लगाया है। आज से तीन साल पहले जब प्रधान मन्त्री जी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे तो वे कोटा गये थे। हमने तस्वीरों के साथ एक स्टेटमेंट उनको पेश किया था कि चम्बल का फोरेस्ट एरिया बर्बाद किया जा रहा है और उन आदमियों के द्वारा किया जा रहा है जो कि

इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाये गये हैं। राजस्थान के दूसरे हिस्सों से वहां पर गूजर लाए गए हैं। जबकि वहां पर वहीं के रहने वाले आदिवासी लोगों को चराई की इजाजत नहीं दी जाती है। चम्बल प्रोजेक्ट में दूसरे हिस्सों से लोगों को इन्वाईट किया गया है और वहां पर केटल कालोनीज बनाई गई और दूसरे हिस्सों से लोगों को लाकर उन्हें चराई की इजाजत दे दी गई है। उन्होंने चराई ही नहीं की, सारे के सारे जंगल साफ कर दिए हैं। वहां पर अब कहीं पर पेड़ नही मिलते। मैं मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी वहां पर टूर करें और देखें कि किस तरह से जंगल वालों ने ही जंगल को डेस्ट्रोय किया है।

मैं इसके लिए फोरेस्ट डिपार्टमेंट को हीं जिम्मेदार मानता हूं जिसने खुद इसको प्रोटेक्ट नहीं किया। जिसने खुद दूसरे हिस्सों से लोगों को इन्वाईट किया और आज भी इन्वाईट कर रहा है। यह डिपार्टमेंट किसी भी तरह से जंगल बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है।

सभापति महोदय, मैं इसी सन्दर्भ में आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितना भी पानी से इरोजन है उसका 60 परसेंट इरोजन कोटा डिविजन में है। भारत सरकार ने स्टेटिस्टिक्स तैयार किए हुए हैं।

[अनुवाद]

कि राजस्थान में जल से होने वाले कटाव का 60 प्रतिशत केवल कोटा क्षेत्र तक ही सीमित है।

[हिन्दी]

और वह इरोजन फारेस्ट के प्रापरली प्रोटेक्ट न होने के कारण हो रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है, रेट आफ इरोजन काफी बढ़ गया है। मन्त्री महोदय 8-10 साल पहले राजस्थान में मैं मन्त्री था तो मैंने खुद अपने इलाकों में प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा सर्वे करने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि वे इसका सर्वे करें कि रेट आफ इरोजन कितना बढ़ गया है। सरफेस इरोजन कितना बढ़ गया है जानकारी मिली कि जहां पर 5 मन बीघे में पैदा होता था वहां पर अब दो मन बीघा भी पैदा नहीं हो रहा है, यह फैक्ट राजस्थान सरकार के रिकार्ड में अवेलेबल है। गली इरोजन और रेवाइंस इरोजन की बात तो छोड़ दीजिए, सरफेस इरोजन इतना हो गया है कि सायल की फ़र्टेलिटी बहुत कम हो गई है और उससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो मेरा निवेदन है कि इरोजन का प्रश्न पेड़ों की कटाई से जुड़ा हुआ है और इरोजन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके लिए अभी किसी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि इस इरोटेड एरिया में एफारस्टेशन प्रोग्राम चलाया जाए और वह इंटेनीजेंट प्रोग्राम चलाएं जिससे इसमें सुधार हो सके।

सभापति महोदय आज फारेस्ट में 'मोनो कल्चर' पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, एक ही तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं। जूलिया फ्लोरा या यूकिलिपट्स पेड़ ही लगाए जा रहे हैं। पुराने जंगलों में वैरायटी आफ ट्रीज थे, उसको रीहैबलीटेट करने की कोशिश करें और इस मोनो कल्चर को रोकें।

[श्री जुझार सिंह]

इससे काफी नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कि फारेस्ट को बचाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आप प्लांटेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत बहुत खर्चा कर रहे हैं. एक-एक पेड़ लगाने की आवश्यकता इसमें होती है, लेकिन नेचुरल फोरेस्ट में सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रिक्टनेस बरतने की जरूरत है। वहां पर जड़ें मौजूद हैं, इसमें नेचर हैल्प करता है, सिर्फ उनको वापिस ग्रो करने में कोआपरेशन की जरूरत है। अगर आप फैंसिंग या एन्क्लोजर के जरिए प्रोटेक्ट कर सकें तो इससे बहुत फायदा हो सकता है। लाखों बीघा में फैंसिंग किया भी गया है, एन्क्लोजर भी किया है और करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन उसके पीछे उनको प्रोटेक्ट करने की भावना नहीं थी और इसलिए वे पेड़ 2-4 साल बाद पनप कर फारेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ही डिस्ट्राय करवा दिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि स्ट्रिक्ट वाच की जरूरत है, डेडीकेशन की जरूरत है, बिल टू प्रिजर्व फारेस्ट की जरूरत है, उसके लिए पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति अपने आप दे रही है, उसको प्रोटेक्ट करने की दिलचस्पी की आवश्यकता है। मेरा खुद का देखा हुआ इलाका है, राजस्थान में जहां ईमानदारी से फारेस्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है वहां पेड़ बहुत जल्दी पैदा हो गए हैं। मेरा खुद का गांव है जो छोटी सी पंचायत है, फारेस्ट डिपार्टमेंट वहां कहीं नहीं आता है, लेकिन हमने काफी अच्छा फारेस्ट लगा लिया है, क्योंकि वहां पर प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। भारत सरकार के टी० वी० डिपार्टमेंट ने वहां की एक फिल्म बनाई है और उसको लोगों ने अप्रेशिएट किया है। जहां पर आदमियों के दिमाग में फारेस्ट को बचाने की मन्शा होती है वहां पर कम मेहनत के और कम पैसा खर्च किए फारेस्ट बचाया जा सकता है। जितना पैसा प्लांटेशन में लगाया जा रहा है, उससे आधे प्रयास में फारेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन अभी इस ओर गौर नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि वाइल्ड लाइफ का भी फारेस्ट और हिल्स से संलग्न है। कोटा क्षेत्र में और राजस्थान में बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, वाइल्ड गेम सैंक्चुरीज हैं। सवाई माधोपुर की सैंक्चुरी हिन्दुस्तान की सबसे बढ़िया सैंक्चुरी मानी जा सकती है। कोटा क्षेत्र के दरा गेम सैंक्चुरी में सबसे ज्यादा जानवर स्टेट के मर्जर के समय थे, लेकिन वहां पर अब रेगुलर पोचिंग हो रहा है, जंगली जानवरों का बिजनेस हो रहा है। आज भी कागजों पर वह सैंक्चुरी है। परन्तु प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। फारेस्ट स्टाफ इस ओर तवज्जह नहीं देता है। इसके अलावा एक बात और है, जिसकी ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने फारेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को अलग कर दिया है, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में इतना स्टाफ नहीं है कि वह वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। फारेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को आपने अलग भी इसलिए किया था कि वाइल्ड लाइफ और फारेस्ट विभाग अलग करने से वाइल्ड लाइफ को अधिक बचाया जा सकेगा लेकिन यह एक्सपेरीमेंट प्रेक्टिकल एक्सपेरीमेंट साबित हुआ है।

इस एक्सपेरीमेंट से नुकसान ज्यादा हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि फारेस्ट और वाइल्ड

लाइफ को अलग न रखकर एक ही कर दें। एक विभाग प्रोटेक्शन की कोशिश करता है और दूसरा उससे कोआपरेट नहीं करता है। ड्यूअल अथारिटी आपने क्रिएट कर दी है। इससे किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन यह है कि आप इसको कहां तक उचित समझते हैं कि फोरेस्ट के ही दो डिपार्टमेंट अलग-अलग आपरेट हों। फारेस्ट से संबंधित मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं इसलिए मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भूमि सम्बन्धी डबल रिकार्ड्स हैं। रेवेन्यु रिकार्ड और फारेस्ट रिकार्ड। एक ही जमीन दोनों जगह रिकार्डेड है। रेवेन्यू में रिकार्ड होने की वजह से कोई जमीन बीस-पच्चीस वर्ष पहले किसी एम० डी० ओ० या सरकारी अधिकारी ने भूमिहीन, आदिवासी या शेड्यूल्ड कास्ट के किसी व्यक्ति को अलाट की जिस पर वह उसी समय से खेती करता आ रहा है। लेकिन वही जमीन फारेस्ट में भी रिकार्डेड है। आजकल आपने यह नियम बना दिया है कि फारेस्ट की जमीन को किसी भी हालत में कन्वर्ट न किया जाए इस कारण उन लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को बेदखल नहीं किया जाए। यह समस्या बड़े किसान की नहीं है बल्कि छोटे-छोटे आदिवासी किसानों की समस्या है। इस बारे में मैंने राजस्थान सरकार को और आपको भी लिखकर दिया है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मामले जो गवर्नमेंट की गलती की वजह से पैदा हो गए हैं उन मामलों को आप व्यवहारिकता की दृष्टि से साल्व करें। कृषकों को बेदखल करने से आपको भी वहां से कोआपरेशन मिलने में कठिनाई हो जाएगी। गांवों में जो भी एन्क्लोजर और फैंन्सिग करते हैं वह अनप्रैक्टिकल-वे में करते हैं। इससे गांव के लोगों को गांव से बाहर निकलने में काफी अड़चन हो जाती है। आप जो डेवलपमेंट की स्कीम्स बनाएं उससे गांव के लोगों को अड़चनें कम पैदा होनी चाहिए जिससे आपको जंगल बचाने में सहयोग मिलता रहे। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

**प्रो० पी० जे० कुरियन** (इदुक्की) : सभापति महोदय, देश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में श्री हरीश रावत द्वारा लाये गए संकल्प के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय, पिछले कई वर्षों से हमने देश में पहाड़ी इलाकों के विकास की तरफ अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है। अगर हम विकास पर खर्च की गई कुल राशि को देखें और उसमें से पर्वतीय क्षेत्रों पर खर्च की गई राशि की प्रतिशतता, मालूम करें तो ज्ञात होगा कि उसमें से अधिकांश मैदानी एवं शहरी क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया गया है। तथा देश में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर बहुत ही कम खर्च किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के व्यक्तियों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसका सही ज्ञान हमें नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की समस्याएं कैसी हैं इस बात का अनुमान हम यहां दिल्ली में बैठकर नहीं लगा सकते। उनको सही रूप से जानने एवं समझने के लिए वस्तुतः हमें इन क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए तथा वहां रह रहे लोगों की दिक्कतों का अध्ययन करना चाहिए। उनकी समस्याएं हमारी समस्याओं से एकदम भिन्न प्रकार की हैं। मैदानी क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजनायें हैं वे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं हैं। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इन क्षेत्रों के विकास पर हमने समुचित ध्यान नहीं दिया है। महोदय, प्राकृतिक सौन्दर्य पर्वतों में ही दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति की छटा पर्वतों में सर्वत्र व्याप्त होती है और अगर हम उसका आनन्द उठाना चाहते हैं तो हमें इन क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिए।

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

हमें प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इन क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है। मुझे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र पर्वतीय ढलानों पर एवं पर्वतीय श्रृंखलाओं में स्थित है तथा प्रधान मन्त्री जी ने इस निर्वाचन क्षेत्र का भी दौरा किया था। इन पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसा कि हम जानते हैं, अधिकतर आदिवासी हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं उनकी समस्याएं भी विशेष प्रकार की होती हैं। उदाहरणार्थ, परिवहन, सड़कों तथा संचार सुविधाओं के प्रश्न को लीजिये। हम सड़कों के विकास की योजना बनाते हैं तथा उनके लिए धन का आवंटन करते हैं परन्तु हम यह नहीं समझते कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए, मैदानी भागों में सड़क-निर्माण पर आने वाले खर्च से तीन या चार गुना ज्यादा राशि की आवश्यकता होती है। महोदय, अपने पहाड़ी इलाके वाले निर्वाचन क्षेत्र में मैंने देखा है कि सड़कों के निर्माण के लिए आई० आर० डी० पी० अथवा एन० आर० ई०पी० के अन्तर्गत जो धन दिया गया था, उससे कुछ किलोमीटर तक ही सड़क बनाई जा सकती है। इतने ही पैसे से मैदानी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई गई सड़क से तिगुनी या चौगुनी लम्बी सड़क बनाई जा सकती है। अतः अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पर्वतीय क्षेत्र का कुल विकास बहुत ही कम होगा। अतः मेरा सुझाव है कि जब आप पर्वतीय क्षेत्रों के लिए धन का आवंटन करें—माननीय योजना मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुये हैं—तो आप पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दें और एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० तथा अन्य योजनाओं के तहत पर्वतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए ज्यादा धन दें।

जब हम औद्योगिक विकास के प्रश्न पर आते हैं तो हम पाते हैं कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव आदि की वजह से सभी मुख्य उद्योगों को मैदानी इलाकों विशेष रूप से शहरी इलाकों में ही स्थापित किया जाता है। हम भारत के गांवों तथा उनके विकास के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। गांधी जी ने कहा था "भारत गांवों में बसता है।" हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। परन्तु हमारे उद्योग कहां पर स्थित हैं ? जब कभी भी हम उद्योग लगाने की योजना बनाते हैं तो हम उसे शहरी क्षेत्रों में लगाने की बात ही सोचते हैं और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इसे ग्रामीण क्षेत्र में लगाना चाहिए तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, बिजली कहां से आएगी, सड़कें नहीं हैं तथा पानी कहां से मिलेगा, आदि आदि। इसी तरह की बुनियादी सुविधाओं की समस्यायें उठाई जायेंगी। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने की बात हमने कभी सोची ही नहीं। अतः यह एक प्रकार का कुचक्र है, जब हम नया उद्योग लगाने की बात करते हैं तथा विशेषज्ञ दल को वहां भेजा जाता है तथा अध्ययन करने के बाद वे कह देते हैं कि अमुक स्थान पर (अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र में) पर्याप्त मात्रा में विद्युत नहीं है, समुचित परिवहन सुविधाएं नहीं हैं, पानी का अभाव है आदि आदि। साथ ही गरीब ग्रामवासी इन विशेषज्ञों की समुचित आवभगत करने तथा बातचीत आदि करने में भी असमर्थ होते हैं। अतः इस दल की रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना लगाने के खिलाफ ही होगी, परन्तु अगर ये लोग शहर में अध्ययन करेंगे तो रिपोर्ट अनुकूल होगी। ऐसी स्थिति मे भी हम गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस नहीं करते, मेरा सुझाव है कि योजना इस प्रकार की होनी चाहिये जो कुछ भी मूलभूत सुविधायें शहरवासियों को प्राप्त हैं वे सभी गांवों में भी उपलब्ध होनी चाहिए। हमें अपनी योजना को नया रूप देना होगा। हमें सिर्फ शहरों में ही तापीय विद्युत संयंत्र या अन्य संयंत्र स्थापित नहीं करने

चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कतिपय पन बिजली परियोजनाएं हैं। करोड़ों रुपये के खर्च से बनाई गई पन बिजली परियोजनाओं से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों में बिजली पैदा की जाती है। आप मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, उस गांव को बिजली नहीं दी गई है। पिछले आम चुनावों के बाद मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। बिजली तो इदुक्की में बनाई जाती है परन्तु उस गांव मे बिजली नहीं है। इदुक्की में उत्पादित बिजली की शहरों तथा अन्य स्थानों पर आपूर्ति की जाती है। इस गांव को बिजली देने की किसी को भी परवाह नहीं है। यह किस प्रकार की योजना है। मैंने संबंधित मन्त्री तथा ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित अधिकारियों को लिखा। परन्तु उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। मुझे विश्वास है कि हमारी योजना में कहीं कुछ गलत है, मैं उस गांव में गया तथा उन लोगों को कहा : "आप सभी लोग बहुत सज्जन हैं, अन्यथा आपने आन्दोलन शुरू कर दिया होता।" पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे पास कोई सही कार्यक्रम नहीं है। हमें अपनी योजनाओं को पुनः दिशा देनी होगी। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे यहां कोई कार्यक्रम नहीं हैं। अतः मेरा सुझाव है कि गांवों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में वैसी ही मूलभूत सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए जो कि शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जा रही हैं। तभी गांवों का भी समान विकास हो सकेगा।

मुझे यहां पर यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि अन्य राज्यों के मुकाबले केरल कई बातों में आगे है। अगर आप केरल राज्य से गुजरें तो हम पायेंगे कि बुनियादी सुविधाएं गांवों में भी उपलब्ध हैं। अधिकतर गांवों में बिजली तथा बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हैं। परन्तु केरल को भी, जैसा कि मैंने कहा है उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी उसे मिलनी चाहिये थी। खेद है कि इन मामलों में अन्य राज्य काफी पिछड़े हुये हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं का पुनः उल्लेख करते हुए मैं कहूंगा कि वहां के लोगों की समस्याएं एकदम भिन्न हैं। परिवहन संबंधी दिक्कतों के कारण आप वहां पर बड़े उद्योग, नहीं लगा सकते परन्तु जिन उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जा सकता है उन्हें तो वहां लगाया ही जाना चाहिये। क्या माननीय मंत्री जी यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाएंगे कि कौन से उद्योग पर्वतीय क्षेत्रों में लगाये जा सकते थे, जो इस समय वहां नहीं लगे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करना चाहता। केरल में केरल राज्य इलैक्ट्रानिकी विकास निगम है। इसने कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की है जिनमें से अधिकांशतः शहरी क्षेत्रों में हैं। इलैक्ट्रानिकी उद्योग पर्वतीय क्षेत्रों में लगाये जा सकते हैं तथा इस उद्योग के लिए पर्वतीय वातावरण अधिक उपयुक्त है। परन्तु वहां पर ऐसा कोई उद्योग नहीं है। इलैक्ट्रानिकी एक ऐसा उद्योग है जिसे पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जा सकता है, अतः केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को निदेश देने चाहिए कि जिन उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जा सकता है उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में ही लगाया जाये। जहां तक मध्यम दर्जे के तथा बड़े दर्जे के उद्योगों का संबंध है, उन्हें लगाने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों, पूंजी तथा अन्य चीजों की आवश्यकता होती है और इस मामले में पर्वतीय क्षेत्रों की अपनी ही कमियां हैं परन्तु इलैक्ट्रानिकी उद्योग, घड़ी उद्योग तथा इसी प्रकार के अन्य लघु उद्योगों की स्थापना हेतु पर्वतीय क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। अतः मैं माननीय योजना मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे विशेष रूप में यह सुनिश्चित करें कि अब से इस प्रकार के उद्योग सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाएं।

[प्रो० पी०जे० कुरियन]

पर्वतों की प्राकृतिक छटा को आप देखें। मुझे श्री पण्डित जी की याद आती है। जब वे जेल में थे तो उन्होंने स्वयं ही लिखा था कि उन्हें हिमालय पर्वत से प्रेरणा मिल रही है। मुझे विश्वास है कि आपने यह अवश्य ही पढ़ा होगा। पण्डित जी के लिए हिमालय महान प्रेरणा के स्रोत थे। सच तो यह है कि अगर हम पहाड़ों को देखना शुरू कर दें तो प्रत्येक पर्वत आपके लिए, मेरे लिए तथा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। अगर हम प्रकृति के बारे में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें तो यह भी हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बन जाएगी। परन्तु दिक्कत इस बात की है कि इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तात्पर्य यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। यहां मैं कहूंगा जैसा कि मैंने आज प्रश्नकाल के दौरान कहा था कि हम हमेशा ही विदेशियों द्वारा भारत पर्यटन बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। इतना ही काफी नहीं है। हमें स्वदेश-पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहिये ; यहां के लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करना चाहिये तथा पहाड़ों की प्राकृतिक छटा का आनन्द उठाना चाहिये। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए विशेष विकास योजनाएं होनी चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, दो महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक तो है मुन्नर जो कि काफी प्रसिद्ध है। यह अत्यन्त रमणीय स्थान है परन्तु खेद की बात है कि यह हमारे देश के पर्यटक नक्शे पर नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुन्नर को देश के पर्यटन नक्शे में शामिल किया जाये।

थक्काडी में, जैसा कि मैंने आज सुबह बताया था, एक वन्य प्राणी अभयारण्य है। वहां पर एक तालाब भी है ; नौका-विहार की सुविधा भी है। परन्तु आम व्यक्ति वहां तक जा नहीं सकता। वहां होटलों का किराया काफी ज्यादा है। सरकार को वहां आम आदमी के लिए सस्ते होटलों की व्यवस्था करनी चाहिये। अत्यधिक विख्यात वन्य प्राणी अभयारण्य होने की वजह से थक्कड़ी में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, अधिक विदेशी पर्यटकों को थक्कड़ी आने के लिए आकर्षित करने के लिए केन्द्र सरकार को थक्कड़ी को अपनी विकास योजना में सम्मिलित कर लेना चाहिये।

जहां तक वनों का प्रश्न है, अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं तथा वहां रहने वाले लोग अधिकांशतः आदिवासी तथा हरिजन हैं। आप जानते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं। बहुत से आदिवासी मेरे पास आकर मुझे बता रहे थे कि वे लोग वहां रहते हैं। सरकार ने उन्हें मकान बनाने के लिए विशेष ऋण दिया है परन्तु वे अपना मकान बनाने के लिए एक भी पेड़ नहीं काट सकते, उस पेड़ को भी नहीं काट सकते जिसे उन्होंने स्वयं निजी सम्पत्ति के रूप में उगाया है। मैं एक कालोनी में गया। वहां उन्होंने मुझे एक (जैक) कटहल का पेड़ दिखाया। उन्होंने बताया कि यह पेड़ उन्हीं लोगों ने निजी सम्पत्ति के रूप में लगाया था, यह जंगल का पेड़ नहीं है। चूंकि अधिकारीगण कानून को, उसकी भावना न समझते हुए अक्षरसः लागू कर रहे हैं इसलिए वे लोग इस पेड़ को नहीं काट सकते। साथ ही मैंने कई हेक्टेयर भूमि को देखा जिस पर पिछले 25 वर्षों से खेती की जा रही है जिसे कानून के अंतर्गत वन भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार वे सभी खेत वन-भूमि में आते हैं। मैंने हजारों हेक्टेयर भूमि को स्वयं जाकर देखा है जिस पर खेती होती है; वहां पर एक भी पेड़ नहीं है, परन्तु उन्हें वन भूमि के अन्तर्गत रख लिया गया है। वास्तविक वन भूमि तथा खेती करने वाली भूमि के बीच कोई सीमांकन नहीं किया गया है। वनों का संरक्षण सिर्फ किताबों तक ही सीमित

है। अगर आप सचमुच में वन-संरक्षण करना चाहते हैं तो आपको पता लगाना होगा कि वास्तव में वन कहां-कहां पर है तथा उनका सीमांकन करना होगा; किसी भी व्यक्ति को वास्तविक वन में जाने तथा पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। जिस भूमि पर पिछले 25 या 30 वर्षों से खेती की जा रही है उसे वन भूमि के रूप में नहीं दर्शाया जाना चाहिये। तथाकथित वन-क्षेत्र तो आबादी वाले इलाके हैं। अत: महत्वपूर्ण बात यह है कि वन-भूमि तथा कृषि वाली भूमि के बीच स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए. एक बार इस तरह का सीमांकन करके काश्तकारों के नाम वह भूमि कर दी जानी चाहिए जिस पर वे खेती कर रहे हैं तथा वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वनों में जाकर पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। अगर आप वन संरक्षण अधिनियम को, उसकी भावना को समझते हुये लागू करना चाहते हैं, ऐसा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सिर्फ जंगलों की कटाई से ही पर्यावरण संतुलन नहीं बिगड़ रहा है। दो या तीन वर्ष पहले मुझे मसूरी जाने का अवसर मिला। देहरादून से मसूरी जाते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि उस क्षेत्र में खनन कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा था तथा मुझे पूरा विश्वास है कि वह खनन कार्य प्रकृति के प्रतिकूल है तथा पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में बाधक है।

महोदय, भू-संरक्षण पर हमने काफी पैसा खर्च किया है। परन्तु हमें इससे प्राप्त कुछ नहीं हुआ है। हमें भू-संरक्षण हेतु ज्यादा धन आवंटित करना चाहिये क्योंकि भू-स्खलन का मुख्य कारण भू-संरक्षण का अभाव है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था। इसका एक कारण भू-संरक्षण का अभाव था। अत: भू-संरक्षण के लिए ज्यादा धन का आवंटन करना चाहिये।

महोदय, मुझे आशा है कि मन्त्री जी ने इन सुझावों को नोट किया होगा और इतना ही नहीं बल्कि वह इन सुझावों पर अमल भी करेंगे। मुझे और भी कई सुझाव देने थे परन्तु माननीय पीठासीन अधिकारी की अनुमति नहीं है। अत: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। तथापि मुझे आशा है कि मंत्री जी इन सुझावों पर, विशेष रूप में मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् मुन्नर को पर्यटक नक्शे पर लाने की ओर ध्यान देंगे। मुझे आशा है कि वह इस कार्य को अवश्य ही करेंगे।

**श्री मधुसूदन वैराले** (अकोला) : सभापति महोदय, श्री हरीश रावत द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा के दौरान कुछ बहुत ही दिलचस्प मुद्दे उठाए गए थे। वास्तव में, संकल्प को पढ़ने के पश्चात् तथा संकल्प पर दिये गये भाषणों को सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि संकल्प मुख्यत: वनों से सम्बन्धित है।

यहां पर मैं एक बात ध्यान में लाना चाहूंगा कि संकल्प पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में है और जब हम पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो हम हिमालय के बारे में सोचते हैं और हम स्वभावत: अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में भूल जाते हैं। देश में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र भी हैं जो वन-क्षेत्र नहीं हैं। वहां पर पहाड़ियां एवं पहाड़ हैं पर वन नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ पर्वत श्रृंखलाओं का, जैसे कि पश्चिमी घाट पर शाहद्री पर्वत श्रृंखला, उल्लेख करना चाहता हूं। सतपुरा की तथा अजन्ता की

[श्री मधुसूदन वैराले]

बहुत सी पर्वत शृंखलाएं हैं जहां पर आपको वन नहीं मिलेंगे बल्कि पहाड़ियां मिलेंगी। अजन्ता और सतपुरा को भूगोल में भी पर्वत कहा जाता है। वहां पर शायद ही कोई वन हो। विश्व प्रसिद्ध अजन्ता की गुफाएं हैं और हम सभी उनसे परिचित हैं।

यह देखा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर विचार करते समय केवल उन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है जो वन क्षेत्र हैं तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों एवं पहाड़ों को, जहां पर कम वन हैं या कोई वन नहीं हैं, उपेक्षा की जा रही है।

इस संकल्प पर बोलते हुए मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जब पर्वतीय क्षेत्रों के लिए योजना बनाएं तो उन सभी पर्वतों को भी जहां पर वन नहीं हैं, ध्यान में रखा जाये क्योंकि मूलतः अन्य सभी कठिनाइयां वैसी ही हैं···अन्य सभी मुश्किलें वही हैं और उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यहां पर एक बात को फिर से स्पष्ट करना होगा, जैसा कि पूर्व वक्ता ने उल्लेख किया है। यह सभा तथा देश के सभी लोग पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा अधिक से अधिक क्षेत्र में वन लगाने के बारे में चिन्तित हैं। परन्तु नौकरशाहों की मंशा इस बारे में कुछ भिन्न प्रतीत होती है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि वनों को गत सर्वेक्षण कब हुआ था। मुझे पक्का विश्वास है कि यह आजादी से पूर्व किया गया होगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या आजादी के बाद हमारे वास्तविक वन क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया गया हो। क्योंकि मेरे ही राज्य में मुझे ज्ञात है कि कम से कम 30 सिंचाई परियोजनाओं को इस आधार पर अनुमति नहीं दी गई है कि वन क्षेत्र जलमग्न हो जायेगा, परन्तु जब हम वास्तव में जाकर स्थल को देखते हैं तो वहां पर केवल झाड़ियां ही पाते हैं। राजस्व की भाषा में इसे 'ई' वर्ग की भूमि कहा जा सकता है। और इसे वन क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। परन्तु सिर्फ क्योंकि वहां का फिर से सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा राज्य सरकार—यह राज्य विषय है—क्षेत्र के पुनः सर्वेक्षण करने का कष्ट नहीं उठाती है, उन्हें अभी भी वन क्षेत्र कहा जाता है। गत 50 वर्षों के दौरान कई क्षेत्रों से वन साफ हो गये हैं, पर्यावरण में परिवर्तन और वर्षा के बदलते रुख के कारण वहां पर वृक्षों की जगह केवल झाड़ियां हैं और जिन्हें 'ई' वर्ग की भूमि कहा जाता है परन्तु रिकार्ड में इसे वन दर्शाया गया है और क्षेत्रों में जाने की बजाय वे सिर्फ राजस्व रिकार्डों को देखकर केन्द्रीय सरकार को सूचित करते हैं कि वहां पर वन हैं और क्योंकि वन जलमग्न हो जाएगा इसलिए सिंचाई परियोजना की अनुमति न दी जाये। अतः न तो वनों का विकास होता है न ही सिंचाई विकास होता है और क्षेत्र उपेक्षित रहता है। मेरे विचार में यह अति उपयुक्त समय है जब योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार को इन बातों पर राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए और उनसे सम्पूर्ण क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करने के लिए कहें ताकि वे क्षेत्रों में जाने का कष्ट उठाए बिना और सिर्फ राजस्व रिकार्डों को देखकर ही केन्द्रीय सरकार को सूचित न कर दें कि यह एक वन क्षेत्र है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी।

अन्य सभी मुद्दों का उल्लेख किया जा चुका है। मैं कुछ अन्य घटकों पर भी सभा का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां हम वन क्षेत्र को बनाये रखने तथा उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, वहीं कुछ कठिनाइयां मैंने महसूस की हैं। अगर किसी विद्युत प्रेषी लाइन को वन से ले जाना हो,

अथवा वन क्षेत्र में कुछ विद्युत खम्भे लगाने हों तो इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाती है कि ये वन क्षेत्र में से ले जाए जाने हैं। अतः विद्युत प्रेषी लाइनें नहीं ले जाई जा सकती हैं। तकनीकी आधार पर वे लाइनों को लगाने के लिए यथासम्भव न्यूनतम दूरी को वरीयता देते हैं और कई बार ये छोटे मार्ग वन क्षेत्र से होकर निकलते हैं···

**सभापति महोदय** : कब आप कृपया भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

**श्री मधुसूदन वैराले** : मेरे ख्याल से मैंने अपने पूर्व वक्ताओं से आधा समय भी नहीं लिया है। आपको मुझ पर भी समान रूप से कृपा दृष्टि रखनी चाहिए।

अतः मैं चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में गौर करना चाहिए। महज इन तकनीकी कारणों से कई विकास परियोजनाओं को कार्यरूप नहीं दिया जा सकता और क्षेत्र उपेक्षित रह जाता है। वास्तव में अगर सम्भव हो तो वे सभी क्षेत्रों की तस्वीर लें, चाहे वे वन क्षेत्र हैं अथवा नहीं, और यह अप्रत्यक्ष रूप से उन सरकारी अफसरों की सुस्ती को बढ़ावा देने वाली नहीं होनी चाहिए जो आराम से कार्य करना चाहते हैं। अगर कुछ विद्युत लाइनों को भी वहां से ले जाना है तो वे क्षेत्रों में जाये बगैर ही कह देते हैं कि वह वन क्षेत्र है और इसलिए 'हमें पारिस्थितिकी को प्रभावित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।" आप जानते हैं कि आजकल पारिस्थितिकी और प्रदूषण बहुत ही संवेदनशील विषय बन चुके हैं और इस संवेदनशीलता का इस्तेमाल कष्ट न उठाने के लिए किया जाता है। मैं एक और उदाहरण दूंगा। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं कि हमें प्रदूषण के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में प्रदूषण बोर्डों की स्थापना की गई है। इन प्रदूषण बोर्डों ने निदश दिये हैं कि जो उद्योग 5 अश्व शक्ति से अधिक विद्युत शक्ति प्रयोग करते हैं उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्रमाण पत्र लेना होगा। अब 5 अश्व शक्ति प्रयोग करने वाले एकक आरा मिल, आटा मिल अथवा खराद हो सकता है, और इन गरीबों को भी राज्य स्तर पर जाना पड़ता है। महोदय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेने में 6 से 8 माह से कम का समय नहीं लगता और इस दौरान जिन गरीब लोगों ने ऋण आदि लिया है उनको ब्याज देना पड़ता है।

महोदय, अब मान लीजिए कि कोई आरा मिल है। इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। अतः मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि यह नियम बनाने से कि ऐसा प्रत्येक एकक, जो 5 अश्व शक्ति से अधिक विद्युत का प्रयोग करता है, अनुमति लेने के लिए अवश्य ही राज्य स्तर पर जाये, सिर्फ और अधिक झंझट पैदा होंगे तथा गरीब लोग जो उद्योग में प्रवेश करना चाहते हैं उनको परेशानी होगी।

महोदय, दूसरी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर विचार करते समय वनीय पहाड़ियों को ही केवल पहाड़ी क्षेत्र न समझा जाये बल्कि सतपुड़ा जैसे पहाड़ों को जिनके ऊपर वन नहीं हैं, उन्हें भी पहाड़ी क्षेत्र समझा जाये तथा उनके विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में संचार की एक विशेष योजना थी परन्तु धनराशि की कमी के कारण राज्य सरकार को कुछ एक योजनाओं को अधूरा छोड़ना पड़ा है। इस दिशा में भी कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त इन पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल को उठाकर वहां पहुंचाने से

[श्री मधुसूदन वैराले]

कृषि सम्भव है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में जल को उठाकर छोटे भूमि टुकड़ों पर खेती करने के लिए विशेष अनुमति दी जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में एक और समस्या यह है, जैसाकि कोंकन के इलाके में— यद्यपि वर्षा का सारा पानी पहाड़ों पर बरसता है फिर भी पहाड़ों पर रहने वाली जनता को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। वे दूसरों को पेयजल उपलब्ध कराते हैं परन्तु स्वयं को पेयजल नहीं मिलता। इसलिए पेयजल की सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए।

महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत अगर कोई पंजीकृत संस्थान है तो उसे मामूली से पट्टे पर 20 वर्ष के लिए 30 एकड़ भूमि इस शर्त पर दी जाएगी कि वह फल व अन्य वृक्षों का विकास करके उस भूमि पर वन लगायेगा। मुझे विश्वास है कि अगर यह योजना अपनाई जाती है तो यह इन क्षेत्रों के लिए बहुत सहायक होगी।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि लघु सिंचाई योजनाओं, भूसंरक्षण योजनाओं, पशुपालन के विकास की काफी गुंजाइश है तथा न केवल इलैक्ट्रोनिक उद्योग को बल्कि अन्य उद्योगों को, जिनके लिए कच्चा माल स्वयं वन से प्राप्त हो सकता है, शुरू करने की योजनाएं बनाई जानी चाहिएं और मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार द्वारा इन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा।

**श्री के० एस० राव** (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों के पिछड़ेपन का यहां पर खास तौर से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक सदस्य को विदित है कि सदियों से इन क्षेत्रों की तथा इनमें रहने वाले लोगों की लगातार उपेक्षा होती रही है। पहले, इस सम्मानित सभा के सामने चर्चा के लिए यह विधेयक लाने के लिए मैं श्री रावत की प्रशंसा करता हूं। मेरे विचार से माननीय मंत्री महोदय को यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की विभिन्न विकास योजनाओं में किया जाने वाला पूंजी निवेश निष्फल खर्च है। वास्तव में, इन सभी वर्षों में इस क्षेत्र की विशाल आर्थिक दौलत का दोहन नहीं किया गया है। यह बात अलग है कि केवल राजनैतिक आधारों पर विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं को इन क्षेत्रों में स्थापित करने के निर्णय नहीं लिये जाते अन्यथा ये क्षेत्र बहुत ही उपयुक्त हैं क्योंकि इन परियोजनाओं को बहुत ही सस्ती लागत पर लगाया एवम् उनका रखरखाव किया जा सकता है। उद्योगों के लिए बहुत ही कम लागत पर विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है और सप्लाई भी की जा सकती है। अगर इन परियोजनाओं को, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक एवम् बड़े झरने हैं, लगाया जाये तो न केवल सस्ती लागत पर विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा बल्कि साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों का विकास भी किया जा सकेगा। आदिवासी लोग जो पीढ़ियों से सभ्य नागरिकों से दूर रहे हैं वे भी अपना सामाजिक तथा मानसिक रूप से विकास कर सकेंगे और राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में उन्हें भी मुख्यधारा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक कुछ मुद्दे हैं जिन पर इन क्षेत्रों के विकास हेतु विचार किया जा सकता है। महोदय, इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को बहुत से तरीकों से दूर किया जा

सकता है और साथ ही साथ बहुत सी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, इन क्षेत्रों में नक्सलवाद बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है। आतंकवादी, उग्रवादी तथा डाकू इन क्षेत्रों में पनाह ले रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन लोगों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों में और उन सभ्य लोगों में, जो उनका शोषण कर रहे हैं, बहुत ही अधिक असमानता है। इसमें आदिवासी समुदाय के युवाओं में बहुत ही अधिक असंतोष है और इस कारण वे खून खराबे तथा अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके नक्सलवाद की राह पर चल पड़ते हैं ताकि असमानता शान्तिपूर्ण ढंग से दूर करने की बजाय इस ढंग से दूर की जा सके। इन सभी शक्तियों का सफाया किया जाना चाहिए। इन नक्सलवादियों, आतंकवादियों तथा उग्रवादियों से मुकाबला करने पर इतनी अधिक राशि खर्च करने की बजाय अगर इसी धनराशि को इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर खर्च की जाये तो ये दोनों ही समस्यायें हल की जा सकती हैं।

महोदय, केन्द्रीय सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि विभिन्न परियोजनाओं में वह इतनी बड़ी राशि सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों पर ही लगा रही है क्योंकि ये परियोजनाएं भविष्य में बहुत लाभदायक होंगी। इसके अलावा वन पहले ही केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं और इस कारण भी पहाड़ी क्षेत्रों को भी केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में लाया जा सकता है और जिसमें केन्द्रीय सरकार पूंजी निवेश कर सकती है।

महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास करने के अन्य तरीके भी हैं। इन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास भी इन क्षेत्रों के विकास करने का एक तरीका है। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में पौधे लगाने को प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योंकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग बहुत ही कड़ा श्रम करने वाले हैं। यदि ये जमीनें यहां के स्थानीय लोगों को, जो निर्धन हैं, सीमांत किसान हैं तथा जो बाहरी क्षेत्रों से आकर यहां बस गये हैं, दे भी दी जाती है तो इन व्यक्तियों को प्रोत्साहन देकर इन जंगली वृक्षों को फलदार वृक्षों में परिवर्तित किया जा सकता है और जमीनों को खेती योग्य भूमि में बदला जा सकता है। इस प्रकार इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

महोदय, इन क्षेत्रों के विकास का एक साधन पशु पालन भी है जिसमें अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। आदर्श स्कूल, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य कृषि संस्थान, जिनके लिये मनोरम और शांत वातावरण अपेक्षित है, इन क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं। इसमें व्यय तो कम होगा ही, साथ ही उनका अच्छा विकास होगा।

इन क्षेत्रों के विकास के लिये यदि सरकार संसाधनों की कमी अनुभव करती है, तो योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री, जो काले धन की निकासी के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते रहे हैं, को साथ-साथ बैठकर यह विचार करना चाहिये कि क्या कोई ऐसी योजना निकाली जा सकती है, जिसमें काला धन रखने वाले व्यक्ति सरकार से किसी प्रकार की राजसहायता और सहायता लिये बिना ही इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अपना धन व्यय कर सके। इस प्रकार काला धन भी निकाला जा सकता है और उस काले धन का उपयोग पहाडी क्षेत्रों और पहाड़ी लोगों के हितों और विकास के लिये भी किया जा सकता है। एक साथ ही दोनों उद्देश्य पूरे हो सकते हैं।

[श्री के० एस० राव]

मैं यह चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार राज्य के कुछ भागों को भी इस योजना में शामिल कर लिया जाये। इन क्षेत्रों को केवल इस आधार न छोड़ दिया जाये कि वहां कुछ जन-जाति उप-योजना चल रही हैं। उप-योजना के लिये बहुत कम धन का नियतन किया जाता है और ये योजनायें मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के लोगों के लिये हैं। इस योजना में इन राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

पीढ़ी दर पीढ़ी उपेक्षित इन क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार तथा संबंधित मंत्री की इच्छा अनिवार्य है। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करना आवश्यक है। सरकार को इस कार्य को एक बोझ या व्यर्थ का व्यय नहीं समझना चाहिये; अपितु इस कार्य को तत्काल पूरा करना सरकार का कर्त्तव्य है।

जब तक भेदभाव दूर नहीं किये जाएंगे और इन क्षेत्रों का सुधार और विकसित नहीं किया जायगा तब तक कानून और व्यवस्था की समस्या बनी रहेगी और इससे लोकतंत्र और जनता को खतरा बना रहेगा क्योंकि कुछ उग्रवादी युवकों का विश्वास है कि भेदभावों को कठोर या अन्य तरीकों से ही कम किया जा सकता है।

[हिन्दी]

**श्री रामश्रेष्ठ खिरहर** (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु जो प्रस्ताव सदन में उपस्थित है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे प्रस्ताव जो मानव कल्याण और खासकर के पहाड़ी भागों में बसे हुए और पिछड़े हुए लोगों के लिए हैं, उनके बारे में जितनी भी रियायतें दी जाएं वे कम हैं।

श्रीमन् आज भी पहाड़ी इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं, जितना फायदा मैदानी और समतल इलाकों में रहने वाले लोगों को आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० और सरकार द्वारा चलाए गए अन्य कल्याण कार्यक्रमों का मिला है, उतना लाभ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं मिला है, बल्कि नगण्य रूप में मिला है। इसका कारण वहां की भौगोलिक स्थिति का भिन्न होना है। समतल क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति में काफी भिन्नता है और उसकी अपनी समस्याएं हैं। मेरी समझ में जो विकास के कार्य चलाए जाते हैं और इसमें जो भी पदाधिकारी संलग्न हैं, उनको वहां पर रहन-सहन की सुविधा उस रूप में प्राप्त नहीं होती जैसे समतल क्षेत्र में प्राप्त होती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए जिन अफसरों को वहां रखा जाए उनकी स्पेशल कोचिंग होनी चाहिए ताकि वे वहां की तकलीफों को झेल सकें और वहां पर रह सकें, तभी उस जन-जीवन में रहकर वे वहां का सही-सही विकास कर पाएंगे। इसी संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान बिहार के छोटा नागपुर, पलामू और संथाल के पहाड़ी क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। आज भी जो जनजीवन की पहली आवश्यकता पेयजल की सुविधा है आज भी वह वहां पर वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले थी। आज यही कारण है कि वहां पर क्षेत्रीयता की भावना पनप

रही है और बिहार राज्य में एक अलग प्रांत की मांग भी उठी थी, इस तरह की भावना वहां पर पैदा हो गई थी। आज भी वहां हजारों की तादाद में रिलीजियस कन्वर्सन होते जा रहे हैं। इसके पीछे कौन सा रहस्य है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आर्थिक और शैक्षणिक अवनति है। इस मामले पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। छोटा नागपुर और संथाल परगना में पहले से ही डेवलपमेंट अथारिटी इस तरह की बनी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा जो इस तरह की डेवलपमेंट अथारिटी बनाई जा रही है या विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनके लिए केन्द्र सरकार से अनुदान मिलता है, उसकी मानिटरिंग होनी चाहिए। हमारे एक साथी माननीय सदस्य साइमन तिग्गा जी से बातें हो रही थीं तो मालूम हुआ कि एक डवलपमेंट अथारिटी में वाइस चेयरमैन की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है इसलिए वह फंक्शन में नहीं है। इस तरह के प्रस्ताव आते रहे, बहस होती रही और कानून बनते रहे, लेकिन उसके बाद में फालो-अप एक्शन नहीं लिया गया तो हम कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। लोगों के बीच में जो भारतीय तौर तरीका और भाईचारे का रिश्ता पनपना चाहिए था, उसका अभाव क्यों है। इसका कारण है कि उनमें आधुनिक शिक्षा की कमी है। आज की शिक्षा प्रणाली वहां तक नहीं पहुंच पाई है। वहां पर कालेजेस नहीं हैं। बड़े उद्योगों को लगाने में असुविधा है तो छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाने चाहिए। बहुत सी जगहों पर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग बैंकों के अनुदान से चलाए जाते हैं। उस वातावरण में अगर इनको चलाया जाए तो विकास करने का मौका मिलेगा। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना आदि के जो इलाके हैं उनमें आवागमन, पेयजल और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाए। वहां जो डेवलपमेंट अथारिटी बनी हुई है, उसके कार्य में क्या कुछ कमी है, इसका मानिटरिंग होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** (कन्नानोर): पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अपने माननीय मित्र श्री हरीश रावत द्वारा उठाये गये प्रस्ताव का मैं पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं। अपने देश के चित्र को देखकर कोई भी भली-भांति समझ सकता है कि हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्रों को सबसे अधिक उपेक्षित रखा गया है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसके सम्बन्ध में सरकार के तत्काल विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता हूं।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए परिवहन सुविधाओं और सड़कों का जाल बिछाने की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार को देशभर में पहाड़ी राजपथ आरंभ करने की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य पिछड़ रहा है और इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अधिक निर्माण कार्य किए जाएं।

हमारे देश के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी जनजाति के लोग रहते हैं और इन लोगों की दशा शोचनीय है। शिक्षा के अभाव में इन निर्धन लोगों का भविष्य अन्धकारमय है। पहाड़ी क्षेत्र के

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

लोगों की संतानों के अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। केवल निर्धनता के कारण निर्धन आदिवासी और अन्य पहाड़ी जनजाति के बच्चे कभी भी स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। सरकार को इन बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य सुविधायें मुहैया करानी चाहिए।

5.00 म० प०

क्षेत्रीय असंतुलन तथा अन्तर जिला स्तरीय भेदभाव को कम करने के लिए नये उद्योग आरम्भ करने की स्पष्ट व्यवस्था करनी चाहिए। अधिकांश पहाड़ी जिले पिछड़े हुए हैं और यहां जो उद्योग लगाने के लिए आगे आते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। पहाड़ी इलाकों में कृषि आधारित उद्योग आरम्भ करने की बहुत गुंजाइश है। इसी प्रकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मूल्यवान यन्त्रों, इलैक्ट्रोनिक और घड़ी निर्माण जैसे उद्योग भी स्थापित करने होंगे। वन उद्योग और बागवानी का भी संवर्धन करना होगा। सरकार को अपने देश के ऐसे पहाड़ी जिलों में, जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उद्योग लगाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

भारतीय जनजाति क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः भूमि, पशु और वन संसाधनों पर निर्भर है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सभी किसान बहुत ही निर्धन हैं और उनके पास जमीन भी बहुत कम है।

यह दुःख की बात है कि देशभर में आदिवासियों की भूमि जमींदारों द्वारा छीनी जा रही है। निर्धन आदिवासियों की भूमि और सम्पत्ति पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

अब भारत के जनजाति क्षेत्रों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इन क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देना होगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व आपका ध्यान केरल राज्य की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, केरल के 14 जिलों में से 5 जिलों के अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। समुचित सड़कों और परिवहन सुविधाओं के अभाव में इन क्षेत्रों में सामान्य जीवन जीना दूभर हो गया है। केरल के लोगों की यह प्रबल इच्छा रही है कि एक ऐसा पहाड़ी राजपथ होना चाहिए जो कसारगोड जिले से आरम्भ होकर सभी पहाड़ी जिलों से गुजरता हुआ हमारे राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम पहुंचे। मैं पश्चिमी घाटों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किए गए प्रावधान की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें धनराशि का नियतन बहुत ही कंजूसी के साथ किया गया है और उसमें निश्चित रूप से अपेक्षित वृद्धि की जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार पहल करे तथा केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत पहाड़ी राजपथ योजना के लिए वित्तीय सहायता दे। केरल के झरने, नदियां, चोटियां और पहाड़ियां विश्व के विभिन्न भागों से आने वाले पर्यटकों को सदा ही आकर्षित करते रहे हैं। इसलिए यह मेरा विनम्र निवेदन है, कि केरल के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रति अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को करनी चाहिए।

अन्त में सरकार से मेरा अनुरोध है वाईनद इड्डुक्की, कोट्टायम और पटनम थेट्टा पहाड़ी जिलों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

[हिन्दी]

**श्री मानवेन्द्र सिंह** (मथुरा) : सभापति महोदय, श्री हरीश रावत जी ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के संबंध में संकल्प ला कर हम लोगों को एक मौका दिया है जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में हम यहां पर विचारविमर्श करें। जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों का प्रश्न है, यह चिरकाल से कहावत है—हिमाचल भारतवर्ष का मस्तक रहा है—कश्मीर इस भारतवर्ष का अनोखा प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है, इसी प्रकार अन्य प्रान्तों के बारे में है। मैं कुछ मुख्य नाम बताना चाहूंगा—कुल्लू, मनाली, नैनीताल, शिमला, मसूरी, देहरादून, चमोली, बद्रीनाथ और केदारनाथ और दार्जीलिंग, इन पर्वतीय क्षेत्रों का जहां-जहां पर्यटन की दृष्टि से विकास हुआ तथा जहां-जहां सौंदर्यकरण इनका किया गया वे इस समय दर्शनीय स्थल बने हुए हैं।

5.03 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

हमारे बहुत से स्थान ऐसे हैं जो कि परम्परागत धार्मिक आस्था रखते हैं---जैसे बद्रीनाथ, और केदारनाथ जहां पर हर वर्ष लाखों यात्री दर्शनार्थ जाते हैं एवं अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारतवर्ष के अन्यान्य इलाकों से लोग पहुंच कर वहां की सुन्दरता का आनन्द लेते हैं।

जहां तक इनके विकास का प्रश्न है, मुझे भी बहुत सी जगहों पर जाने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि वहां पर आज भी बहुत से स्थान हैं जिनका यदि सौंदर्यीकरण किया जाए और पर्यटन विभाग अपने माध्यम से वहां का विकास करे, वहां की व्यवस्था को ठीक करे, तो भारतवर्ष से ही नहीं, बल्कि सारे विश्व से पर्यटक आएंगे और इन पर्वतीय क्षेत्रों की सुन्दरता को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो उनकी रुचि इन क्षेत्रों में अधिक बढ़ेगी। उसकी तादाद और अधिक बढ़ेगी। और अच्छे स्थान अगर पर्यटन विभाग डेवलप करे, होटल बनायें, झीलों का निर्माण करे, सौंदर्य के नानाप्रकार से प्रयोजन किए जाएं तो हमारे देश को टूरिज्म से फारेन-एक्सचेंज का लाभ होगा और हमारी भारतीय सरकार को भी, जहां टूरिस्ट स्थल अधिक बनाए जाएंगे, वहां पर काफी धनराशि प्राप्त हो सकेगी।

अभी हमको ओरिएन्टेशन प्रोग्राम में सिक्किम, गंगटोक जाने का मौका मिला। 3, 4 दिन हम वहां रहे और वहां के लोगों से हमने बातें कीं। वहां के लोगों की भावना थी कि वह बहुत पिछड़े हुए हैं। कई अन्य पर्वतीय इलाकों में मैं गया, वहां लोगों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है और एन-एम्पलायमेंट का प्रश्न भी उठता जा रहा है, वहां भी बेरोजगारी उभर रही है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर बेरोजगारी को रोकने के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए सरकार को अधिक से अधिक प्रयोजन करना चाहिए।

जैसा इसमें दिया है, वहां पर कल्टीवेशन को, खेती को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे वहां

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हो। सरकार को चाहिए कि वहां सब्सीडीज, बीज, खाद, लोन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करे जिससे खेती को विकास की ओर अग्रसर किया जा सके।

इसके अलावा वहां पर उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं जहां-जहां भी हिल स्टेशन पर गया, उन जगहों पर गया जहां कि टूरिस्ट जाते हैं, तो देखा कि बहुत सुन्दर स्थान हैं, मगर उद्योग-धंधे वहां बिल्कुल कम मात्रा में नजर आते हैं। प्रश्न उठता है कि वहां आज तक उद्योग-धंधों की स्थापना क्यों नहीं की गई? वहां देखने को मिलता है कि मार्ग की दुर्दशा है, मार्ग ठीक से नहीं बनाए। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे विकास कार्य के लिए, वहां के उद्योग-धंधों के लिए, जैसा इसमें दिया गया है, इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए।

वहां पर अनेक प्रकार की लकड़ी है। वहां से चीड़, देवदार और अन्य प्रकार की अच्छी लकड़ी प्राप्त होती है। उनसे बनने वाले छोटे कुटीर उद्योग वहां पर स्थापित किए जाएं।

इसके अलावा उन क्षेत्रों में खनिज सम्पदा मिलने का भी अनुमान किया जाता है। लेकिन अभी तक कोई सर्वे नहीं हो पाया है। इसमें भी प्राथमिकता देनी चाहिए कि वहां खनिज सम्पदा को ढूंढने के लिए सरकार प्रयास करे।

जहां तक प्रश्न है वहां की बागबानी का, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि करोड़ों रुपए की रैवेन्यु सेव और वहां पर पैदा होने वाले फलों से सरकार को प्राप्त होती है, तो उनके बढ़ावे के लिए और बागवानी को वहां पर अच्छी तरह लगाने के लिए हमको प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे वहां के लोगों को, खेतिहरों को बढ़ावा मिले और रोजगार मिले।

जहां तक प्रश्न है फारेस्ट का, जो वहां की मुख्य प्राब्लम है, हम लोग जहां गए, हमें यह देखने को मिला है कि वहां फारेस्ट निरन्तर कटते जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे काश्मीर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि वहां की कीमती लकड़ी, जो कि बड़ी व्यापारिक लकड़ी है, उसे केवल ईंधन के रूप में जला दिया जाता है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वहां की फारेन सम्पदा न घटे, इसकी सुरक्षा के उपाय अधिक से अधिक किए जाने चाहिएं। नया प्लांटेशन तेजी से बढ़ाना चाहिए।

जहां तक प्राकृतिक मौसम का प्रश्न है, वह भी वनों पर निर्भर करता है। हमने कई जगहों पर देखा है कि बड़ी नहरों में पानी कम आया जिससे आगे जाकर मैदानों में खेती में नुक्सान होता है। सिल्टिंग की वजह से नदियों में पानी का बहाव निरन्तर कम हो रहा है। इसी वजह से आये दिन बाढ़ मैदानी इलाकों में आती है जिससे अरबों रुपयों का नुकसान होता है। वही पैसा अगर ठीक प्रकार से उन पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाए, उनके विकास में लगाया जाए, वन सम्पदा को बढ़ाने के लिए लगाया जाए तो हिली एरियाज का काफी विकास होगा।

वन्य सम्पदा के कटने से जंगलों में जो जानवर इत्यादि थे उनमें भी कमी होती जा रही है। एक तरफ सरकार बड़े-बड़े शहरों में चिड़ियाघर बनाकर जानवरों को एकत्र करती है और दूसरी तरफ इन

जंगलों के कटने से जानवरों और पशु-पक्षियों का नाश निरन्तर होता जा रहा है। इसके लिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे वन सम्पदा का नाश न हो।

हिली एरियाज में हमने देखा है कि स्वास्थ्य सेवा भी ठीक से उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से तमाम लोग तरह-तरह के रोगों से ग्रसित होते रहते हैं। शिक्षा की भी हिली एरियाज में ठीक व्यवस्था नहीं है। गंगटोक में जब मुझे जाने का अवसर मिला तो पता लगा कि वहां पर ग्रेजुएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के लिए वहां पर स्कूल कालेज आदि की व्यवस्था करनी आवश्यक है।

हिली एरियाज में डाक की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक-एक महीने तक डाक ऐसे ही पड़ी रहती है क्योंकि वहां पर सड़कें आदि नहीं बनी हुई हैं। विद्युत और पेय जल की भी व्यवस्था हिली एरियाज में संतोषजनक नहीं है। पिछले सैशन में भी यह मुद्दा उठा था कि हिली एरियाज में सूखा पड़ रहा है, वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसकी भी व्यवस्था करनी होगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों के भी काफी भंडार हैं। इन जड़ी-बूटियों से दवाइयां बनाई जाती हैं। इसके लिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इन इलाकों में इस तरह की इंडस्ट्री लगाई जाएं जो कि मेडिकल से संबंधित हों और इन्हीं जड़ी-बूटियों से दवाइयों का निर्माण किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और अपने सहयोगी रावत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया।

**श्री कमोदी लाल जाटव** (मुरैना) : सभापति महोदय, रावत जी ने जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं मन्त्री जी को भी बधाई दूंगा। जो माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं उनको भी मैंने ध्यान से सुना है। मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि आज इस सदन में जो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के संबंध में चर्चा हो रही है वह आज तक, जब से मैं इस सदन में आया हूं, कभी नहीं हुई है। ऐसा संकल्प यहां पर कभी नहीं आया है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में हो। हमारे यहां देहात में एक कहावत है कि एक दिन घूरे के दिन भी फिरते हैं तो उसी प्रकार से आज इस सदन में भी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है जिससे कि देश को काफी फायदा होगा। पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होने पर देश के लाखों बेरोजगार शिक्षित युवकों को लाभ मिलेगा।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पर्वतों में काफी वन सम्पदा विद्यमान है। कृषि योजना के अन्तर्गत यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में फलदार वृक्षों (सेब, सन्तरा, काजू आदि) को लगायें उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार को भी बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ जंगलों में तरह-तरह की जड़ी-बूटियां हैं जिनके आधार पर यदि वहां उद्योग स्थापित किए जाएं तो उससे भी बड़ा लाभ पहुंचेगा। आज देश में सीमेन्ट की भारी कमी है जिसको दूर करने के लिए पहाड़ों पर सीमेंट के कारखाने स्थापित किए जाएं क्योंकि वहां पर पत्थर बहुतायत में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने हमारे क्षेत्र मुरैना के सम्बन्ध में सुना होगा कि

[श्री कमोदीलाल जाटव]

वहां पर बागियों की बड़ी भारी समस्या है। सरकार ने बागियों के लिए वहां पर एक नेशनल पार्क जैसा खोल र . ा है जिससे वह समस्या हल नहीं हो पाती है। वहां भिण्ड मुरैना में लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है जिसके सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया है। मैंने मध्य प्रदेश की विधान सभा में भी कई बार कहा और यहां पर भी नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान इसकी ओर दिलाया है कि सरकार उद्योगों के लिए चौरस जमीन एक्वायर करती है जबकि वहां पर लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है जो किसी उपयोग में नहीं आती है। मैं निवेदन करूंगा कि चम्बल रेवाइन्स का जो इलाका बेकार पड़ा हुआ है वहां पर कई प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। वहां पर बिजली के पोल लग सकते हैं और पाइप-लाइन बन सकती है, अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि केन्द्रीय सरकार जिला स्तर पर सर्वे करने के लिए एक कार्यालय खोले और इस बात की जानकारी हासिल करे कि किस जिले की क्या-क्या समस्यायें हैं और वहां पर कौन-कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं। सरकार इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार कराए और अगले बजट सैशन में उस रिपोर्ट को इस सदन के सामने प्रस्तुत करे।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री तिलकधारी सिंह** (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों ने जिन बातों की चर्चा यहां की है उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं। आई० आर० डी० पी० के जो कार्यक्रम निकले हैं उसके तहत देश के हर प्रखण्ड के 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है।

पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर हरिजन-आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, उन गांव के लोगों को सहायता देने के लिए आई० आर० डी० पी० के मुताबिक चयन किया जाता है। इस योजना में व्यवस्था है कि बैंकों से उनको ऋण दिया जाएगा। लेकिन मैं मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन हिली क्षेत्र में बैंकों की संख्या बहुत कम है। उनके नार्म्स हैं कि 10 किलोमीटर के अन्दर जो गांव हैं, उनको ऋण देंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। तीस गांवों को ही टेक-अप करेंगे। वहां कामर्शियल बैंकों की शाखा बहुत नहीं है। वहां के लोगों को आई०आर०डी०पी० योजना के द्वारा बैंक नहीं रहने के कारण लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप उन जगहों का सर्वे करायें और पता लगायें कि वहां पर कितने लोगों को लाभ दिया जा रहा है।

एक बात मैं छोटा-नागपुर के बारे में कहना चाहता हूं। सब-प्लान में केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। नार्म्स के मुताबिक जिस प्रखंड में पचास प्रतिशत ट्राइबल्स हैं, वहां पर सुविधा दी जाती है। सुविधा चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सिंचाई के क्षेत्र में हो, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस बिन्दु पर मेरा सुझाव है कि इस पचास प्रतिशत की सीमा को जो प्रखंड स्तर पर है घटाकर आप पंचायत लेवल पर लायें। बहुत सी पंचायत ऐसी भी हैं, जहां शत-प्रतिशत ट्राइबल्स की आबादी है। इसको यदि आप सब-प्लान में इन्क्लयूड कर लेंगे, तो शिक्षा के बारे में,

स्वास्थ्य के बारे में समस्यायें बहुत हद तक आप-से-आप हल हो जायेंगी। आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी हरिजन रहते हैं, यदि आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो उन क्षेत्र के लोगों को लाभ हो सकेगा।

एक अहम समस्या छोटा-नागपुर और बिहार में फारेस्ट के बारे में है। हम लोग पुराने समय से देखते आ रहे हैं कि आदिवासी, हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों के पास खेती करने की जो जमीनें हैं और जिस जमीन पर वे मकान बनाकर बरसों से रह रहे हैं, उस जमीन के लिए जंगल विभाग के लोग जाकर कहते हैं कि वह जमीन डिमार्केशन के अन्दर आती है। मेरा आपसे इस बिन्दु पर निवेदन है कि डिमार्केशन के लिए बहुत बरस पहले सर्वे हुआ था, लेकिन आप अब पुनः सर्वे करायें और जिस जमीन पर उन्होंने मकान बना रखे हैं, उसको डिमार्केशन से छोड़ दें। जो खेती करने की जमीन है, उसको आप छोड़ दें वरना बड़ा असंतोष उन जगहों पर रहने वालों में हो रहा है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि हिली एरियाज में यातायात की सुविधायें नहीं हैं। सड़कों का निर्माण स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं लेकिन वहां पर सड़कें न के बराबर हैं। मेरा कहना यह है कि हिली एरियाज जो हैं, वहां पर जितनी रोड्स हैं, उनका आप सर्वे करवाइए और सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को देखे। अगर यातायात की सुविधाएं नहीं होंगी, तो वे इलाके और भी दूसरी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे।

इसी प्रकार से पेयजल की समस्या है। पहाड़ों पर राज्य सरकारें पेयजल की व्यवस्था करती हैं लेकिन पहाड़ों पर कुंए नहीं बन सकते हैं, इसलिए वहां के लोगों को दो-दो किलोमीटर नीचे जाकर झरनों से पानी लाना पड़ता है और तब वे पानी पीते हैं। पेयजल की समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की मदद करनी चाहिए। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और सिंचाई के मामले में आप अपने स्तर से इनकी योजनाएं बनावें, यही मेरा कहना है।

मैंने जिन बिन्दुओं पर चर्चा की है, आशा है, आप उन पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : इस संकल्प के लिए निर्धारित किया गया समय समाप्त हो गया है और अभी तक एक वक्ता और मन्त्री महोदय को बोलना शेष है। इसलिये, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस संकल्प के लिए सभा एक घंटा और आवंटित करना चाहेगी।

**अनेक माननीय सदस्य** : जी हां।

**सभापति महोदय** : चूंकि उसके बारे में कोई विरोध नहीं है, इसलिए इस चर्चा के लिए एक घंटा और आवंटित किया जाता है।

[हिन्दी]

**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** (सोनीपत) : मि० चेयरमैन सर, मैं श्री हरीश रावत द्वारा पेश किए

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत सारी चीजों पर अपने विचार रखे हैं । सभी माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि हिली एरियाज में रहने वाले लोगों की हालत बहुत खराब है और कुछ चीजें इस प्रकार की हैं, जिनके बारे में सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं बहुत चीजें नहीं कहूंगा बल्कि तीन-चार बातों पर ज्यादा जोर दूंगा ।

सबसे पहले तो मैं सदन के सामने यह विचार रखना चाहता हूं कि यदि आप हिली एरियाज में जाएं, तो पाएंगे कि वहां पर सड़कों की हालत बहुत ही खराब है जिसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती रहती हैं । एक तो मेरा विचार यह है कि हिली एरियाज के विकास के लिए सबसे जरूरी यह है कि हिली एरियाज में जो सड़कें हैं, वे अच्छी हों, जिससे दुर्घटनाएं कम हों और आने-जाने वाले यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकें ।

इसके साथ ही साथ जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य श्री मानवेन्द्र सिंह ने सिक्किम के बारे में जिक्र किया—मैं भी वहां गया था—कि वहां पर तमाम स्टेट में केवल एक कालेज है । पूरी स्टेट में एक ही कालेज हो, यह मैं समझता हूं कि उन लोगों के साथ शिक्षा के मामले में बहुत बडी ज्यादती है । इसलिए मेरा कहना यह है कि हिली एरियाज में ज्यादा से ज्यादा एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स स्थापित की जाएं और थोड़े फासले पर वे हों क्योंकि हिली एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत से बच्चे तो वहां जा ही नहीं सकते । इसलिए मेरा सुझाव है कि हिली एरियाज के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स स्थापित की जाएं और कम से कम फासले पर स्थापित की जाएं ।

इस प्रस्ताव पर बोलते समय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिली एरियाज में रेलों की सुविधाएं बहुत कम हैं । जहां भी आप जाएंगे, आप यह पाएंगे कि रेलों की सुविधाएं कम हैं । इसलिए मेरी गुजारिश है कि रेलों की सुविधाएं आप वहां पर बढ़ाएं और आमोदरफ्त के साधन बढ़ाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा यात्री वहां जा सकें और हिली एरियाज का जो सौन्दर्य है, उसको एप्रीशियेट कर सकें और वहां के इलाकों का और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो ।

इसके साथ ही मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पानी की सुविधा हिली एरियाज में बहुत कम है । यह बात ठीक है और मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हिल्स दूसरे लोगों को पानी देती हैं लेकिन उन हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनमें पानी की बड़ी कठिनाई है । इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए । पानी के लिए रिजरवायर और टैंक बनाने चाहिए, जिससे उन लोगों को ठीक समय पर पानी मिल सके ।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हिली एरियाज में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है । वहां पर टेलीफोन की फैसीलिटीज बहुत कम हैं । सरकार को इसमें काफी दिक्कत आएगी लेकिन उन

लोगों को टेलीफोन फैसीलिटीज जरूर दी जाए, ऐसा मेरा कहना है। जिससे कि उनका कम्युनिकेशन गैप कम हो सके और वे हर प्रकार से देश के मैनस्ट्रीम में हिस्सा ले सकें। उनको आने-जाने की सुविधा मिले, बात करने की सुविधा मिले।

इसके साथ ही मैं इंडस्ट्रीज के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमने गेंगटोक में कुछ इंडस्ट्रीज लगाई हैं उनके सम्बन्ध में···

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब हम लोग आधा घंटे की चर्चा लेंगे।

---

5.30 म० प०

## आधे घंटे की चर्चा

### प्रति व्यक्ति आय

[हिन्दी]

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : सभापति जी, मुझे आज सौभाग्य मिला है कि श्री अजित पंजा जी जैसे काबिल मिनिस्टर हैं और मैं यह चर्चा उठा रहा हूं, सवाल यह है कि जितने भी यहां सदस्य बैठे हैं वे सभी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैंने भी संविधान के प्रति शपथ ली है और अजित पंजा जी ने भी शपथ ली है। मैं अनुच्छेद 38 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "38 (2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।"

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान में अगर कोई अभिशाप है तो वह आर्थिक विषमता है।

अनुवाद]

आर्थिक विषमता एक अभिशाप है।

[श्री मूलचन्द डागा]

[हिन्दी]

समाज में यह जो अभिशाप है इसी को ध्यान में रखकर मैंने प्रश्न रखा था। मेरा जो प्रश्न था वह यह था —

[अनुवाद]

"क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में बनाई गई तथा कार्यान्वित की गई योजनाओं का एक उद्देश्य आर्थिक विषमता को कम करना है;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर न्यूनतम तथा अधिकतम प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी तथा इस समय कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि इन वर्षों के दौरान अमीर और अधिक अमीर हो गए और गरीब और अधिक गरीब हो गए; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?"

[हिन्दी]

मैंने इस प्रश्न पर जो क्वेश्चन किया उसका अजित पंजा जी ने क्या उत्तर दिया। वे कड़े काबिल और योग्य हैं और प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा योग्य कोई 400 के करीब आदमी काम करते हैं। उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

"(क) जी, हां।

(ख) पहली योजना अवधि के अन्त में और 1983-84 में (नवीनतम वर्ष जिसके लिए त्वरित अनुमान उपलब्ध है) अखिल भारतीय स्तर पर वार्षिक प्रति व्यक्ति आय अर्थात् वार्षिक प्रति व्यक्ति निम्न राष्ट्रीय उत्पादन, वर्तमान और 1970-71 की कीमतों पर नीचे दिये गए हैं : —"

[हिन्दी]

मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं। मैंने जो पूछा था उसके बारे में बड़ी तरकीब से कह दिया—

[अनुवाद]

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

मैं इसके अन्दर जानना चाहता था—क्वेश्चन तो अराईज नहीं होगा लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता था कि आज एक तरफ तो गगनचुम्बी इमारतें हैं, दूसरी तरफ झोपड़ी हैं जो गिरने वाली है। एक तरफ धन का अंबार खड़ा है और दूसरी ओर बिलखाती हुई गरीबी है। मैंने यह पूछा था क्योंकि मेरा आब्जेक्ट यही था, कैसे मालूम होगा कि मेरा आब्जेक्ट क्या था। मैंने एक टिप्पणी दी थी क्वेश्चन के साथ और मेरे ख्याल से प्लानिंग मिनिस्टर ने उस टिप्पणी को पढ़ा होगा। वह यह थी—

[अनुवाद]

"भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि आर्थिक विषमता में वृद्धि हो रही है और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं और धनी और अधिक धनी होते जा रहे हैं। यह तथ्य सभी विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। भारत के संविधान में मनुष्यों में आर्थिक विषमता दूर करने का प्रयास किया गया है। यदि इस आर्थिक विषमता को समाप्त नहीं किया जाता है इससे दो वर्गों के बीच विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है और तत्पश्चात् यह समाज, जो आर्थिक क्रांति लाने के लिए बचनबद्ध है, इस स्थिति को सहन नहीं कर सकेगी।

छठी पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है, फिर भी एक व्यक्ति का घर धन से भरा पड़ा है जबकि दूसरे व्यक्ति के घर में गरीबी है। अतः इस प्रश्न का सर्वाधिक महत्व है।"

[हिन्दी]

यह मेरा आइडिया था। मैंने पूछा था कि पर-कैपिटा आमदनी गरीब की क्या है और मालदार की क्या है और योजना बनाने का मकसद क्या है योजना भवन का। मैंने कई बार कहा है और आज फिर कहना चाहता हूं, जो मेंबर रह चुके हैं, उनका स्टेटमेंट है, मालकम आदि से शैया का—'क्या हम योजना बनाने के ऐसे तरीके को छोड़ने को तैयार हैं जो संपन्न लोगों की संपत्ति और आमदनी और बढ़ाता है।" वे कहते हैं कि इससे संपत्ति और आमदनी और बढ़ती है।

उन्होंने कहा है—"क्या हम ऐसी योजना को स्वीकार करने को तैयार हैं जो सभी लोगों को बराबरी के स्तर पर लाए, ताकि आठवीं योजना के दौरान देश में कोई गरीब और निर्धन न रहे।"

श्रीमन्, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन् 1971 में नारा दिया था—"गरीबी-हटाओ" लेकिन नारे के सहारे आस्था खड़ी नहीं की जाती। अगर आर्थिक विषमता नहीं हटी तो मैं आज कहता हूं कि दीवारों पर पढ़ लेना, आने वाले समय में एक क्रांति होगी और वह क्रांति जरूर होगी। मैं नहीं कहता, सरकार का निकला हुआ पेपर जो चौथी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट है वह मैं पढ़ रहा हूं, क्या लिखा

[श्री मूलचन्द डागा]

है, मैं पढ़ना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, क्या उन्होंने कहा है—

[अनुवाद]

"एक और क्षेत्र, जिसमें हमारा प्रयास अभी तक क्षीण तथा रुका हुआ है, आय तथा सम्पत्ति के स्वामित्व में विषमताओं को कम करना है।"

[हिन्दी]

उन्होंने एडमिट कर लिया है, अगर आप उसके खिलाफ चले गए पंजा जी तो यह आपका ही लिखा हुआ स्टेटमेंट है —

[अनुवाद]

"एक और क्षेत्र, जिसमें हमारा प्रयास अभी तक क्षीण तथा रुका हुआ है, आय तथा सम्पत्ति के स्वामित्व में विषमताओं को कम करना है।"
इसमें आगे यह कहा गया है :

"राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गये एक अध्ययन मे कहा गया है कि 1975-76 में भारत में नीचे के 50 प्रतिशत परिवारों की केवल 21 प्रतिशत आय थी। उसी वर्ष में ऊपर के 10 प्रतिशत परिवारों की अधिक से अधिक 34 प्रतिशत आय थी।"

यह विश्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन है जो 1950-71 की अवधि के दौरान 66 देशों से एकत्र किये गए आंकड़ों पर आधारित हैं, जिसमें नीचे के 50 प्रतिशत और ऊपर के 5 प्रतिशत परिवारों की आय की तुलना की गई है। भारत में यह क्रमशः 19 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत थी। पाकिस्तान के आंकड़े 28 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत थे। भारत में 50 प्रतिशत लोगों की 19 प्रतिशत आय है और 5 प्रतिशत लोगों को कुल आय का 25 प्रतिशत मिलता है। इसी प्रकार बंगला देश में ये आंकड़े 27 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत; श्री लंका में 25 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में आय असमानता पड़ोसी देशों से अधिक है और देश के अन्दर पिछले कुछ वर्षों से शायद असंतुलन बिगड़ता गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा न्याय– सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक—तथा पद तथा अवसरों की समानता के बारे में पहले की गई हृदवचनबद्धता को न केवल सहज ढंग से भुलाया जाता है अपितु पुनः वितरण के विषय में सच्चे प्रतिज्ञान भी नहीं किए जाते हैं। मेरा विचार है कि माननीय मन्त्री श्री पंजा इन प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलेंगे क्योंकि वह युवक हैं। बूढ़े भूल सकते हैं। इसका उल्लेख "योजना" समाचार पत्र में हुआ है। यह 15 अप्रैल, 1985 का अंक है। यह हाल ही का प्रकाशन है।

[हिन्दी]

योजना आयोग के जो मैम्बर्स हैं, वे बड़े ईमानदार हैं।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : मंत्री जी बहुत ईमानदार हैं।

**श्री मूल चन्द डागा :** मंत्री जी के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता।

[अनुवाद]

यह मंत्री का प्रश्न नहीं है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्या विचार है ?

**श्री मूल चन्द डागा** : मैं आपको उत्तर दूंगा, कृपया इन्तजार कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए।

[हिन्दी]

मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं। "इस देश में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, तस्करी, मिलावट-खोरी, चोरबाजारी और रिश्वतखोरी," चारों तरफ "खोरी" ही खोरी है।" इस कारण बड़े औद्योगिक घरानों के प्रभुओं, भ्रष्ट अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के घरों में विलासिता नंगी होकर नाचती है। (**व्यवधान**) यह किताब महली मार्च से पन्द्रह मार्च तक की है और इसका नाम योजना है। अब आगे पढ़कर बताता हूं : "यह वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था के दुर्लभ संसाधनों का बड़ा हिस्सा हड़प जाता है। यही वर्ग है जो निर्धनतम लोगों की जिन्दगी पर कहर बरसा करता रहता है। यह वर्ग दिनोदिन मोटा हो रहा है तभी तो निम्न वर्ग की निर्वाह क्षमता गिरती जा रही है।" उन्होंने यह भी कहा कि "निर्धनता में विषमता मानो कोढ़ में खाज है"। जनवरी के विशेषांक में कहा गया है :

> "क्या हम योजना बनाने के ऐसे तरीके को छोड़ने को तैयार हैं जो सम्पन्न लोगों की सम्पत्ति और आमदनी को ही बढ़ाता है ? क्या हम ऐसी योजना को स्वीकार करने को तैयार हैं जो सभी लोगों को बराबरी के स्तर पर लाए ताकि आठवीं योजना के दौरान देश में कोई गरीब और निर्धन न रहे।"

उन्होंने यह बताया कि मालदार किस प्रकार मालामाल हो गये।

[अनुवाद]

यह खुद आपकी ही किताब में है, मैं उस किताब में से उद्धृत कर रहा हूं। 1972 में टाटा की पूंजी 32 करोड़ रुपये थी। आज इस समूह की पूंजी 1,789 करोड़ रुपये है प्रतिशत वृद्धि 278.7 प्रतिशत है, बिड़ला समूह के पास 1972 में 70 करोड़ रुपये की पूंजी थी। आज इसके पास 1,416 करोड़ रुपये की है।

[श्री मूल चन्द डागा]

[हिन्दी]

जे० के० सिंहानिया की कैपीटल 1972 में 28 करोड़ थी और 1982 में उसकी कैपीटल 499 करोड़ हो गई। श्रीमान्, 417.4 परसेंट बढ़ गई। तो मेरा कहना यह है कि 20 घरानों में कितनी पूंजी बढ़ गई है, इसको आप देखिए। अगर मैं सबकी सुनाऊंगा तो छः तो इसी में बज जाएंगे।

मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि आप देखिए कि जमीन का बंटवारा कैसे हुआ—

[अनुवाद]

"1971 की कृषि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सीमान्त कृषक, जिनके पास एक हैक्टेयर तक की जोत थी और लघु कृषक, जिनके पास एक हैक्टेयर से दो हैक्टेयर के बीच की जोत थी और जो मिलकर ग्रामीण परिवारों का 70 प्रतिशत थे उनके पास कुल मिलाकर भूमि का केवल 20 प्रतिशत था, दूसरे सिरे पर लगभग 4 प्रतिशत ग्रामीण परिवार जिनमें से प्रत्येक के पास 10 हैक्टेयर से अधिक जमीन थी, कुल भूमि के 31 प्रतिशत पर अधिकार किये हुये थे।"

[हिन्दी]

यह लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आप यह नहीं मानेंगे, मगर यह बताइये कि उनकी एनुअल इन्कम क्या है, वे खाते-पीते क्या हैं। यह आपको मैं बताता हूं, इन योजना आयोग वालो ने बड़ी मेहनत की है और बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं—"हू ईट्स हाऊ मच" फूड ग्रेन्स रूरल 5.06 परसेंट रिच पीपुल 24.81 परसेंट खा रहे हैं। अब मैं एडीबल आयल्स के बारे में बताता हूं—हम लोग विकलांग क्यों बनते हैं, क्यों आदमी गरीब हो रहा है – इसका आपको पता इन आंकड़ों से लग जाएगा। एडीबल ऑयल्स गरीब लोग 0.06 परसेंट खाते हैं और रिच पीपुल 0.77 परसेंट खाते हैं।

ये जुझार सिंह जी० 77 परसेन्ट खाते हैं और मेरे जैसा गरीब आदमी 0.06 परसेन्ट खाता है। मैं तो आंकड़े बता रहा हूं सभापति महोदय, अभी से आपने घंटी क्यों बजा दी।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय :** यह आधे घण्टे की चर्चा है, मंत्री को उत्तर देना है, उसके बाद अन्य माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछने हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

**श्री मूल चन्द डागा :** आप बड़े दिल के आदमी हैं और आपका बहुत बड़ा दिल है इसलिए आप थोड़ा-सा मुझे और टाइम दे दीजिए।

अब मैं आपको शक्कर और गुड़ का कंजम्पशन बता रहा हूं—पूअर 0.05 और रिच 2.79 परसेन्ट और मिल्क का पूअर 0.22 और धनवान लोग 11.91 परसेन्ट। तो इस प्रकार का कंजम्पशन है, इससे आप देखिए द्व ईट्स हाऊ मच। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन आफ कंजमर एक्सपेंडीचर क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि अर्बन और रूरल एरियाज के डाटा में क्या फर्क है।

अर्बन और रूरल में क्या फर्क है ?

[अनुवाद]

आप कृपा कर इन दो के बीच अन्तर रखिये। मैंने कहा कि 10 प्रतिशत बिल्कुल निचले स्तर पर और 10 प्रतिशत बिल्कुल ऊपर के स्तर पर शहरों में 2.82 प्रतिशत तथा कुल उपभोग (खपत) 29.13 प्रतिशत थी। 1977-78 में 3.36 प्रतिशत थी तथा मालदारों के लिए 27.48 प्रतिशत थी। ग्रातीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीब तथा ग्रामीण धनी हैं। अतः दोनों के बीच क्या अन्तर रखा है। 1953-54 में यह गरीबी 10 प्रतिशत के लिए 3.3 प्रतिशत था तथा धनी 26.61 प्रतिशत ले रहे थे। अब 1967 में गरीबों के लिए 3.65 प्रतिशत है और···

[हिन्दी]

जितने पूअर हैं, उनको कम मिल रहा है। जितने मालदार हैं उनको खर्च करने के लिए ज्यादा मिल रहा है। उसकी हालत सुधर रही है। खाना उसका ज्यादा है, खर्चा उसका ज्यादा है।

समय की कमी के कारण मैं पूरी बात बता नहीं सकता। यह समय रोक देगा कि सही बात मत कहो।

[अनुवाद]

पता नहीं क्यों आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि यह आपकी इकनामिक डिस्पैरिटी है। एक प्रो० कामता प्रसाद हैं, उन्होंने बड़ा ऐनलिसिस किया है—

[अनुवाद]

धनी एवं निर्धन के बीच खाई फैल रही है, यह वह लेख है, जो हाल ही में 5 जनवरी 1985 को प्रकाशित हुआ है।

[हिन्दी]

यह कहने के बाद मैं बताना चाहता था कि इंडिया में जो हालत है वह यह है :

[श्री मूल चन्द डागा]

[अनुवाद]

आय वितरण, 1965 में 6.7 प्रतिशत। 1970 में राष्ट्रीय आय का प्रतिशत जो प्राप्त हुआ वह अधिकतम 26 30 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

जब मैंने यह फिगर्स दिये हैं तो कृपा करके बताइए कि गरीब-गरीब हुआ है या नहीं और मालदार ज्यादा मालदार कैसे हो गया ? आपने क्या उत्तर दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है—

[अनुवाद]

प्रश्न ही नहीं उठता, आपने कैसे ऐसा कर लिया, मुझे नहीं मालूम।

[हिन्दी]

मेरा सवाल साफ है कि आज हिन्दुस्तान में एक आदमी जो गरीब है, उसकी इनकम क्या है और जो सबसे ज्यादा मालदार है उसकी इनकम क्या है। इस इकनामिक डिस्पैरिटी को कम करना चाहिए। आज जो कुतुब मीनार पर खड़ा है, उसको जमीन पर लाना चाहिए, टैक्सेशन लगाकर, और जो जमीन पर है, उसको ऊपर उठाना चाहिए, यह मेरा सवाल है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय स्तर पर वार्षिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमतों पर 236 है और फिर उन्होंने कहा, जल्दी अनुमान लगाया गया है। "तीव्र" और फिर 226 भी बताते हैं।

[हिन्दी]

यह उत्तर मुझे मिला है। मेरा कहना यह है कि इस पर अगर आधे घंटे की चर्चा के सिवाय और कोई भी डिस्कशन कर लें। पर आज हमारी हालत यह है कि कुछ लोगों के पास पूंजी बढ़ रही है और जो हमारी लिबरल पालिसी हो रही है, उसमें यह न हो जाये कि धनवान और धनवान बन जाये और गरीब पिछड़ जाये। मुझे इस बात का खतरा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा था। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। दुनिया में मैं देख रहा हूं, गांव में, शहरों में देख रहा हूं कि कुछ चन्द लोग ही फायदा उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा)** : माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा द्वारा रखा गया अतारांकित प्रश्न सं० 469 इस प्रकार था :

"क्या देश में तैयार की जाने वाली और कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का एक लक्ष्य आर्थिक विषमता को खत्म करना भी है ?"

मेरा उत्तर था 'हां, श्रीमान।' प्रश्न का (ख) भाग था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति न्यूनतम एवं अधिकतम आय का औसत क्या था और इस समय क्या है।

आपने ध्यान दिया होगा कि माननीय सदस्य ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान और वर्तमान में न्यूनतम एवं अधिकतम प्रति व्यक्ति औसत आय के विषय में पूछा था। आपको मालूम होगा कि जहां तक भारतीय योजना का सम्बन्ध है, हमें प्राथमिकताओं का निर्धारण करना था और पहली योजना के प्रारम्भ से ही आयोजक वास्तव में इस बात की गणना करने में संघर्ष कर रहे थे कि गरीबी की सीमा रेखा क्या है, और गरीबी की सीमा रेखा को तय करने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय की गणना करनी थी। लेकिन इस प्रयत्न का विरोध हुआ। (क) कोई भी अपनी वार्षिक आय बताना नहीं चाहता था क्योंकि प्रति व्यक्ति औसत केवल बिड़लाओं और आय-कर दाताओं का ही नहीं है, लेकिन यह पूरे देश भर का प्रति-व्यक्ति औसत है। (ख) उसके लिए इतने बड़े आधारभूत ढांचे की आवश्यकता थी कि उस समय नियोजकों के लिए आय का पता लगाना संभव नहीं था। परन्तु प्राथमिकताओं का निर्णय होना चाहिए। हमें पता लगाना है कि कौन लोग गरीब हैं तथा उनकी आय का स्तर क्या है तथा उन्हें कितने खाने की आवश्यकता है और इसीलिए उपभोक्ता व्यय के स्तर की जांच की गई। जैसा कि इस समय चिकित्सकों ने परामर्श दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 2400 कैलोरी दैनिकी आवश्यकता है। जो भी खाना वे लें उसमें 2400 कैलोरियां होनी चाहिए। श्री पी० सी० महलो नबीस से शुरू करके अन्य महानुभाव योजनाकारों का तात्कालिक कार्य यह पता लगाना था कि उक्त कैलोरीज प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता को कितना व्यय भार उठाना पड़ेगा। वर्ष 1971-72 में पता लगाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र इसके लिए 49 रुपये से कुछ ऊपर तथा शहरी क्षेत्रों में 56 रुपये से कुछ अधिक खर्चा बैठता है। वे यही करना चाहते थे—कि इस उपभोग व्यय को ही गरीबी रेखा मान लिया जाये अर्थात यदि किसी व्यक्ति में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरीज तथा शहरी क्षेत्र में 2100 प्राप्त करने की क्षमता होती है तो उन्हें गरीब माना जाये।

अब हमने इस उद्देश्य के लिए हिसाब लगाया है, और इसलिए जो उत्तर हमने दिया है उसके बारे में हम जानना चाहते थे कि अखिल भारतीय वार्षिक आय तथा न कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसीलिए यह उत्तर दिया गया कि 1965-66 में मूल्य क्या थे तथा 1970-71 में मूल्य क्या थे तथा 1983-84 में मूल्य क्या थे। इसलिए प्रश्न के (ग) भाग में था कि क्या यह सच है कि इन वर्षों के दौरान अमीर और अमीर हुए हैं तथा गरीब और गरीब हुए हैं।" का उत्तर दिया गया है "कि भाग (क) तथा (ख) पर विचार करते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।" यह कोई पृथक प्रश्न नहीं है। परन्तु (क) तथा (ख) पर विचार करते हुए (ग) भाग पैदा ही नहीं होता।

**6.00 म० प०**

यदि हमारे पास प्रति व्यक्ति अधिकतम आय के आंकड़े नहीं हैं, तो (ग) भाग का उत्तर देना संभव नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जहां तक माननीय सदस्य का आरोप

[श्री ए० के० पंजा]

है कि उपभोग स्तर गिरता जा रहा है, मेरा कहना है कि यह सही नहीं है। और यह कहना भी कि अधिक लोग गरीबी के स्तर के नीचे आ रहे हैं, सही नहीं है।

**श्री मूल चन्द डागा** : मेरा वक्तव्य है कि आर्थिक विषमता बढ़ रही है। कृपया बताएं कि गरीब से गरीब की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय क्या है तथा अमीरों की प्रति व्यक्ति आय क्या है तथा इन दोनों में अन्तर क्या है।

**श्री ए० के० पंजा** : महोदय, प्रश्न पर चर्चा की अनुमति दी गई है। अतः मुझे प्रश्न का उत्तर देना है। आंकड़ों का पता चलना चाहिए क्योंकि देश में ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि सरकार गरीबों की समस्या को हल नहीं कर रही तथा उन्हें गरीबी के स्तर से ऊपर नहीं ला रही है। 1979-80 छठी योजना के शुरू में ग्रामीण क्षेत्र में 28.42 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से नीचे थे। शहरी क्षेत्र में 6.36 लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। दोनों का जोड़ 34.78 करोड़ बैठता है। 1984-85 में यह संख्या ग्रामीण क्षेत्र में घटकर 22.22 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में 5.05 करोड़ और कुल मिलाकर 27.27 करोड़ बैठती है। संयुक्त प्रतिशत 52.4 था तथा छठी योजना के अन्त में यह 36.9 प्रतिशत रह गया। अब से लेकर सातवीं योजना के अन्त तक हमारा प्रयास 25.8 प्रतिशत पर लाने का है।

**श्री मूल चन्द डागा** : मैं संख्या के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो केवल यह पूछ रहा हूं कि अमीर और गरीब के बीच कितनी आर्थिक विषमता है। मेरा केवल यही कहना है कि अमीर अधिक अमीर तथा गरीब और गरीब बने हैं। मन्त्री महोदय एकदम युवा हैं तथा वह यह जानते हैं कि तथ्यों को अन्य रूप कैसे दिया जाए।

**श्री ए० के० पंजा** : महोदय, अपने जीवन में मैंने न ही तो पश्चिम बंगाल की विधान सभा में और न ही इस सभा में किसी सदस्य को गुमराह नहीं किया है। अतः सभा को गुमराह करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, परन्तु श्री डागा को तथ्यों का पता होना चाहिए। इसमें कमी आई है। हमारे देश का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने कठोर परिश्रम किया तथा आंकड़े 52.4 प्रतिशत से घटकर 36.9 प्रतिशत रह गये। यह सच है कि और अधिक कार्य किया जाना चाहिए था, परन्तु यह बात नहीं है कि कुछ कार्य हुआ ही नहीं है। फिर छठी योजना में निर्धनता के प्रतिशत में 15.5 प्रतिशत की कमी आई और सातवीं योजना के दौरान हमारा प्रयास इसे 11.1 प्रतिशत और कम करने का है, जो कि 1984-85 की कुल जनसंख्या का 8.38 प्रतिशत है।

महोदय माननीय सदस्य ने बताया है कि प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा मन्तव्य है कि उत्तर समुचित रूप से दिया गया है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है माननीय सदस्य द्वारा आय तथा भूमि वितरण का मामला लाया जाना नितान्त असंगत है। आय के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया गया था। परन्तु जैसा कि मैंने बताया है कि प्रतिरोध विद्यमान था। परन्तु हमें पता लगाना है कि यदि उपभोक्ता आगे बढ़ते हैं तथा यह व्यय का उपभोक्ता स्तर नहीं है जिसके आंकड़े

दिये गये थे। अब मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

**श्री मूल चन्द डागा** : मेरा नम्र निवेदन है कि जब मैं गरीब लोगों की बात करता हूं तो मैं •••की बात करता होता हूं।

**सभापति महोदय** : नहीं, नहीं। इस प्रकार चर्चा नहीं की जा सकती।

**श्री ए० के० पंजा** : निःसन्देह श्री डागा का अधिक अनुभव है। लेकिन फिर भी मेरा भी कुछ अनुभव है जिसके अनुसार मुझे कहना है।

**श्री मूल चन्द डागा** : पूरा योजना भवन आपकी सेवा में है।

**श्री ए० के० पंजा** : जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैंने एक शब्द नहीं बोला।

**सभापति महोदय** : कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें मन्त्री महोदय।

**श्री मूल चन्द डागा** : महोदय, इसमें बाधा डालने का प्रश्न नहीं है।

**श्री ए० के० पंजा** : अब बात यह उठाई गई है कि क्या अमीर अधिक अमीर हो रहे हैं तथा गरीब और गरीब हो रहे हैं। हमें उनके जीवन स्तर को देखना है। इन बातों पर ध्यान दिये बिना हम इसका सहसा उत्तर नहीं दे सकते। अतः सातवीं योजना में वास्तविक व्यय अर्थात उपभोक्ता व्यय ग्रामीण क्षेत्र में 107 रु० है तथा शहरी क्षेत्र में 122 है जिससे कि आवश्यक कैलोरीज मिल सकती हैं। इसलिए समग्रतः प्रति वर्ष जहां तक घरेलू उपभोग का सम्बन्ध है। ग्रामीण क्षेत्र में यह 6400 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 7300 रुपये बैठता है। प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 6400 रुपये में परिवार के पांच व्यक्ति आते हैं। यह 1984-85 के शुरू में स्थिति थी। अतः माननीय सदस्य के प्रश्न के संदर्भ में कोई बात भ्रामक अथवा अधूरी नहीं है। मेरे मतानुसार भाग (क), (ख) तथा (ग) का सही उत्तर दिया गया है।

[हिन्दी]

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर)** : सभापति जी, पहला प्रश्न यह है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो आपने निकाली है, उसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने के लिए आपने कौन-कौन सी एजेंसियों और कौन-कौन-से डिपार्टमेंट्स का सहयोग लिया है?

जैसा कि अभी भी मंत्री जी ने बताया कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के प्रतिशत 52 प्रतिशत से गिरकर 36.9 प्रतिशत रह गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपका क्या लक्ष्य है?

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

तीसरा प्रश्न मेरा यह है, विश्व के गरीब देशों में हिन्दुस्तान का कौन सा नम्बर आता है और हिन्दुस्तान के नीचे कौन-कौन से देश हैं, जो गरीब हैं ? इन तीनों प्रश्नों के बारे में मैं मन्त्री महोदय से चाहता हूं कि वे जानकारी दें।

[अनुवाद]

**श्री एस० जी० घोलप** (ठाणे) : सभापति महोदय, गरीब और अमीर के बीच विषमता दिखा पाना कठिन है। परन्तु मन्त्री महोदय को कम से कम यह तो बताना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति की क्या आय है। बताया गया है कि 1970-71 सूचकांक के अनुसार आय 508 रुपये थी जबकि 1984-85 में 749 रुपये है। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय क्या है ?

1983-84 में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का प्रतिशत 40 प्रतिशत था जबकि बिहार में यह प्रतिशत 51 प्रतिशत है, महाराष्ट्र का प्रतिशत 41 है और मध्य-प्रदेश का 50 प्रतिशत। पिछड़े राज्यों की हालत सुधारने के लिए आप विशेष रूप से क्या कर रहे हैं ?

वर्ष 1955-56 में तथा वर्ष 1983-84 में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत क्या था ?

**श्री ए० के० पंजा** : बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न पूछा है कि यह आंकड़े कैसे निकाले गये हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह आंकड़े आय पर आधारित नहीं हैं, क्योंकि उसका पता लगाने का प्रयास नहीं किया गया था, ये आंकड़े व्यय पर अर्थात उपभोक्ता व्यय पर आधारित हैं। यह कार्य दल ने न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोक्ता मांग के आधार पर तैयार किया है। इसका मूल यह है कि बड़े देश में व्यक्तियों द्वारा आय का विवरण बताये जाने का प्रतिरोध करने के कारण अर्थशास्त्रियों ने यह पाया था कि वे स्वैच्छा से यह बताने के लिए तैयार रहें कि उनका उपभोग व्यय कितना है और उस पर कितना व्यय करना पड़ेगा। वह रास्ता पाकर इस प्रकार अर्थशास्त्री समझते हैं कि यह श्रेष्ठ तरीका है जिससे गरीबी के रेखा के नीचे के लोगों का पता लगाया जा सकता है। नियुक्त किये गये कार्य बल ने चिकित्सकों से परामर्श किया, जिन्होंने उन्हें यह बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 2400 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है।

कैलोरी की दैनिक आवश्यकता का पता लगाकर उस पर व्यय का पता लगाने का प्रयास किया गया। जब व्यय को "ऐक्स" माना गया तो यह पता लगाया गया कि कितने लोग इतनी राशि व्यय कर पाते हैं और क्या उनके पास भोजन पर इतना धन व्यय करने का है। इसका पता लगाकर हमें "गरीबी रेखा" का पता लगाना होता है।

देश में मुद्रास्फीति भी है तथा जनसंख्या भी बढ़ रही है। इसीलिए कैलोरी उपभोग का मूल्य वही रहता है। हमें पता लगाने के लिए उचित हिसाब लगाना पड़ता है। अतः हमने मुद्रास्फीति प्रणाली का उपयोग करके 1973-74 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह, प्रति व्यक्ति, 49.09 से तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 से वर्तमान में क्रमशः 107 तथा 122 रुपये की राशि पर पहुंचे। जनसंख्या वृद्धि का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे महान नेताओं ने, जिन्होंने इस देश के विकास का भार संभाला, कोई कम कार्य नहीं किया है। यद्यपि जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा मुद्रास्फीति है फिर भी गरीबी का अनुपात कम हो रहा है। हालांकि यह धीरे-धीरे नीचे आ रहा है परन्तु यह निश्चित तौर पर प्रत्येक योजना में कम हो रहा है।

दूसरा प्रश्न यह था कि विभिन्न योजनाओं में गरीबी किस दर से कम हुई है। मैंने छठी तथा सातवीं योजनाओं के आंकड़े दिये हैं। मेरे पास पहली से पांचवीं योजना तक के आंकड़ें नहीं हैं। मैं सदस्यों को इसके बारे में सूचित कर दूंगा।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि गरीबी के मामले में भारत की अन्य राष्ट्रों की तुलना में क्या स्थिति है, ये तथ्य भी मेरे पास नहीं हैं और इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए। निश्चित ही मैं सम्बन्धित सदस्य को उसके बारे में जानकारी दूंगा।

**सभापति महोदय** : आपने श्री घोलप के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

**श्री एस० जी० घोलप** : 1955-56 में औसत आय 508 रुपये थी तथा 1983-84 में 749 रुपये। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत आय क्या है ताकि असमानता की तुलना की जा सके ?

**श्री ए० के० पंजा** : मेरे विचार से इसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है। मेरे पास केवल सम्पूर्ण भारत के आधार पर वार्षिक प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के क्या हैं तथा शहरी क्षेत्र के क्या हैं इसका पता लगाना पड़ेगा। मैं इसका पता लगाकर आवश्यक उत्तर माननीय सदस्य को दे दूंगा।

**श्री एस० जी० घोलप** : एक प्रश्न और है। सम्पूर्ण भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या 40 प्रतिशत है जबकि बिहार में यह 51 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 41 प्रतिशत है। इन सभी राज्यों में सम्पूर्ण भारत की तुलना में प्रतिशत अधिक है। इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं।

**श्री ए० के० पंजा** : यह एक बहुत ही संगत प्रश्न है और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इसे पूछा है। सम्पूर्ण भारत का औसत 40 प्रतिशत नहीं है यह 37.4 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में औसत 40.4 प्रतिशत है और मैं यहां पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर, अर्थात् सम्पूर्ण भारत, के औसत की बात कर रहा हूं जो 37.4 प्रतिशत है। इसमें से उन क्षेत्रों में

[श्री ए० के० पंजा]

जहां हम देखते हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत अधिक है तो आई० आर० डी० पी० योजनाओं तथा गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से मिटाने वाली विशेष योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ, अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अर्थात् वित्तीय उपायों, जैसाकि श्री डागा ने सुझाव दिया है, को भी मजबूत बनाया जा रहा है। लगभग प्रतिदिन यह समाचार पत्रों में छप रहा है। परन्तु हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि मात्र किसी अलादिन के चिराग के, यह असमानता समाप्त नहीं की जा सकती। लोग संघर्ष कर रहे हैं तथा लोग कार्य में लगे हुए हैं। इसके साथ-साथ सदस्यों की मदद के साथ धीरे-धीरे गरीबी की रेखा के नीचे की जनसंख्या का यह प्रतिशत गिरता जाएगा। इस सभा की जानकारी के लिए मैं कह सकता हूं कि जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है हमने पाया है कि मणिपुर में प्रतिशत न्यूनतम है, जो 12 प्रतिशत है। अन्य सभी राज्यों में सामान्यतः प्रतिशत अखिल भारत के औसत से अधिक है।

**सभापति महोदय** : चर्चा समाप्त होती है। सभा अब सोमवार को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**6.18 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 दिसम्बर, 1985/11 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिए स्थगित हुई।**

---

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53